राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 4 तेरहवीं विधान सभा के चौथे सत्र का उनतालीसवां दिवस संख्या 22

गुरूवार,
1 अप्रैल, 2010

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे
राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

पंचायत समिति सराडा की ग्राम पंचायत ठणकावाडा, कुण्डा,छोडासर, भौराई व टोकर के तहसील मुख्यालय का निर्धारण

श्री अध्यक्ष: श्री दयाराम परमार।

389. डा. दयाराम परमार (खैरवाड़ा): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि तहसील क्षेत्र सराड़ा जिला उदयपुर के राजस्व आर आई सर्कल सेमारी की नौ पंचायतों को नवगठित तहसील ऋषभदेव में सम्मिलित यि‍ा गया है? यदि हां, तो कब और किस आदेश के अन्तर्गत? आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त नौ पंचायतों में से चार पंचायतों को पुन: तहसील क्षेत्र सराड़ा में सम्मिलित कर दिया गया है? यदि हां, तो कब और किस आदेश के तहत? आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि ग्राम पंचायत ठणकावाड़ा, कुण्डा, छोडासर, भौराई और टोकर की पंचायत समिति सराड़ा लगती है? यदि हां, तो क्या तहसील कार्य के लिए ऋषभदेव और पंचायत समिति कार्यो के लिए सराड़ा जाना पड़ता है? क्या इसे प्रशासनिक एवं व्यवहारिक दृष्टि से सरकार उचित समझती है? यदि नहीं, तो क्या सरकार इन पाँच पंचायतों को पुन: तहसील क्षेत्र सराड़ा में सम्मिलित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): (1) जी हां। राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या प. 9(17)राज./1/2007/43 दिनांक 3.4.08 की प्रति परिशिष्ठ-1 पर है।

(2) जी हां। राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या प.9(17)राज./1/2007/पार्ट-1/131 दिनांक 3.10.08 की प्रति परिशिष्ठ-2 पर है।

(3) जी हां। सरकार का मत हैकि इन पाँच पटवार मण्डलों को वापिस तहसील सराड़ा में शामिल कर दिया जाना चाहिए।

वर्तमान में जनगणना-2001 का कार्य प्रक्रियाधीन होने से जनगणना निदेशालय, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रशासनिक इकाइयों (जिला, तहसील, ग्राम आदि) की सीमाओं में परिवर्तन पर प्रतिबन्ध लगाया हुआ है। अत: 31 मार्च, 2011 के बाद उक्त पाँच पटवार मण्डलों को तहसील सराड़ा में शामिल कर दिया जाएगा।

डा. दयाराम परमार (खैरवाड़ा): धन्यवाद।

प्रश्न संख्या-390

श्री अध्यक्ष: डाक्टर दिगम्बर सिंह।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष: पोस्टपोन कर दिया।

(स्थगित)

जिला भरतपुर में कृषि कार्य हेतु विद्युत आपूर्ति

391. डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राज्य के किसानों को नवम्बर, 2009 से 28 फरवरी, 2010 तक कृषि कार्यो हेतु कुल कितने घंटे औसत विद्युत की आपूर्ति की गई?

(2) जिला भरतपुर के किसानों को उक्तसमयावधि में कृषि कार्य हेतु कुल कितने घंटे औसत विद्युत आपूर्ति की गई?

(3) क्या यह सही है कि जिला भरतपुर में विद्युत आपूर्ति एवं मांग में काफी अन्तर है? यदि हां, तो कितना प्रतिशत?

(4) क्या सरकार इस अन्तर को शीघ्र समाप्त करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों?

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): (1) राज्य में किसानों को कृषि कार्य हेतु माह नवम्बर, 2009 से दिनांक 28 फरवरी, 2010 तक प्रतिदिन औसतन साढ़े छह से सात घंटे विद्युत आपूर्ति की गई है।

(2) भरतपुर जिले में भी उक्त अवधि/रबी सीजन में कृषि कार्य हेतु प्रतिदिन औसतन साढ़े छह से सात घंटे विद्युत आपूर्ति की गई।

(3) जी नहीं।

(4) जिला भरतपुर में विद्युत आपूर्ति एवं मांग में अन्तर नहीं है, इसलिए अन्तर को समाप्त करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने अपने जवाब में खण्ड-2 में भरतपुर जिले में भी उक्त अवधि रबी सीजन में कृषि कार्य हेतु साढ़े छह से सात घण्टे

औसतन बिजली दी गयी है और यही औसत आपने खण्ड-1 में पूरे राजस्थान का बताया है। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय से मैं जानना चाहूंगा कि यह औसत केवल कृषि कार्य के लिए जो बिजली दी है उसका है या डोमेस्टिक या एग्रीकल्चर दोनों को मिलाकर इसका औसत लिया गया है? एक तो मंत्री महोदय इस चीज को स्पष्ट करें। उसके बाद मैं आगे की बात करूंगा।

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, डीग कुम्हेर से आने वाले सीनियर सदस्य ने जो नम्बर-2 में पूछा है कि भरतपुर जिले में उक्त अवधि में रबी सीजन में कृषि कार्य हेतु प्रतिदिन साढ़े छह से सात घण्टे विद्युत आपूर्ति होती है। यह एग्रीकल्चर के लिए है या डोमेस्टिक के लिए है। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहूंगा कि पूरे राजस्थान में साढ़े छह से सात घण्टे की बिजली देने के लिए ब्लाक्स बनाये गये थे और भरतपुर जिले में दो ब्लॉक थे। अध्यक्ष महोदय, शाम को रात्रि 10 बजे से लेकर सुबह पाँच बजे तक का एक ब्लॉक दिया, दूसरा भी नाइट का ब्लॉक था एग्रीकल्चर का और मार्निंग में साढ़े छह से छह छह घण्टे के दो ब्लॉक थे। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि just we will only supply for agriculture.

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): अध्यक्ष महोदय, जो हमारे पास फीड बैक अपने क्षेत्र से आता है उसके हिसाब से चार पाँच घण्टे से ज्यादा का एवरेज नहीं आना चाहिए। मंत्री महोदय ने इसको साढ़े छह से सात घण्टे का एवरेज बताया है। हमारे खण्ड-4 में मैंने पूछा था नम्बर-3 में कि भरतपुर जिले में विद्युत आपर्ति में वहां की डिमाण्ड और सप्लाई में कितना अन्तर है तो जवाब में आया कि उसमें कोई अन्तर नहीं है। मैं जानना चाहूंगा कि जिस दिन बिजली की डिमाण्ड और सप्लाई का अन्तर खतम हो जाएगा उस दिन बिजली की समस्या राजस्थान के अन्दर समाप्त हो जाएगी। आपने मुझे लगता है कि जो उत्तर दिया है यह सही नहीं है, क्योंकि डिमांड तो बहुत ज्यादा है, सप्लाई अगर डिमांड के अनुसार हो जाए तो बिजली का रोना ही बंद हो जाए। हम हमेशा बिजली पर, पानी पर विचार विमर्श इतने लम्बे लम्बे समय तक चलता है। तो एक तो इसमें देखने की बात है डिमांड और सप्लाई वास्तव में बराबर है या डिमांड तो बहुत ज्यादा है। लोग तो चौबीस घण्टे बिजली चाहते हैं, बिजली अपने को मिलती कितने घण्टे है, देखने की बात यह है।

दूसरा, अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पहले जो मीटर अभी बिजली विभाग के उसमें मीटर अलग होता था, उसका बाक्स अलग होता था। साढ़े तीन सौ रुपये मीटर के चार्ज कन्जूमर से अलग करते थे और साढ़े तीन सौ रुपये बाक्स के चार्ज करते थे। जब से यह इलैक्ट्रानिक मीटर्स आए हैं, इनमें पुश पिक मीटर्स आलरेडी इनफिट रहता है, बाक्स इसका साथ में है परन्तु आज भी उस वाक्स के कन्जूमर से अलग से चार्ज साढ़े तीन सौ रुपये किये जा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं यह बिल्कुल गलत है। इस चार्जेज को इनको साढ़े तीन सौ रुपये कम करना चाहिए। आप कम करोगे कि नहीं करोगे, मंत्री महोदय यह बताएं। दूसरा

मेरे डीग कुम्हेर विधान सभा क्षेत्र में अपनी सप्लाई सुदृढ हो इसके लिए आप पुरानी सरकार ने जो हमारे जी एस एस स्वीकृत किये थे, एक मेरे क्षेत्र में पपरेरा जी एस एस स्वीकृत था, उसका काम भी आपकी सरकार नेआते ही बंद कर दिया और मैं समझता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर, डीग का सीरियसली बहुत बड़ा पूरे हमारे भरतपुर जिले का सबसे बड़ा गांव है, कम से कम 132 के वी के सब स्टेशन की वहां आवश्यकता है और 33 के वी ए के कम से कम फारेर में, बाबेन, धनवाड़ा, सैथ, उबार, इनमें कम से कम 33 के वीए के जी एस एस की आवश्यकता है।

क्या मंत्री महोदय, आपके इस प्लान में आप यह जी एस एस मेरे विधान सभा क्षेत्र में देने का मानस रखते हैं?

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, डीग कुम्हेर से आने वाले सदस्य ने जो प्रथम बात फरमाई कि मांग और आपूर्ति के विषय में मैं माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहूंगा। मैंने स्पेसिफिकली एग्रीकल्चर के लिए आपको अर्ज किया था और डेफिनेटली अपने एग्रीकल्चर प्लस डोमेस्टिक में डिफरेंस है। तो इसीलिए माननीय मुख्य मंत्री जी ने हमारा 1050 लाख यूनिट पर डे एक्चुअल जनरेशन है और हमारा खर्च है वह 1350 है तो जो 300 लाख यूनिट पर डे है we are purchasing and maintaining the whole system. और जो आपने फरमाया कि अब इस सारे सिस्टम को डवलप करने के लिए infrastructure is necessary. अगर बिजली का जनरेशन, जैसी कि कल रात्रि को चर्चा हुई थी, बिजली के अन्दर जनरेशन में 2013-2014 तक we will be self-sufficient. इसके लिए माननीय मुख्य मंत्री जी ने सुपर थर्मल पावर स्टेशन्स इलैवंथ प्लान में और ट्वैल्थ प्लान में मिला कर एक दर्जन स्वीकृत किये हैं लेकिन इस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए we need a good infrastructure of 33, 132, 220 and 765 KV Sir. तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अर्ज करना चाहूंगा, माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि भरतपुर में इकतालीस टोटल अपने ग्रिड स्टेशन्स हैं।

vns/usc/11.10/1.4.2010/1b/1

अभी 14 स्वीकृत किये हैं, उसमें से 6 अण्डर प्रोग्रेस हैं, 2 कम्प्लीशन हो गये हैं और आप तो खुद ही पब्लिक अण्डर टेकिंग कमेटी के सदस्य हैं You have got a very vocal voice there also. मैं आपको इस बारे में बताना चाहूंगा कि आपने फरमाया है अपने 33 केवीए ग्रिड स्टेशंस के लिये, हमें फर्स्ट जो हमारा 2009-2010 का बजट था 2 हजार करोड़ रुपये इसीलिये रखे थे कि गांवों का इन्फ्रास्ट्रक्चर जब तक डवलप नहीं होगा, माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके लिये 800 ग्रिड स्टेशंस की स्वीकृति दी थी। इसमें 162 कम्पलीट हो गये हैं, 275 इसी सत्र में बनने हैं। मैंने पक्ष-प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों से कहा था कि आप सब लोग इनवाइटेड हैं कि आप अपने-अपने क्षेत्र की जो भी जिनाइन 33 केवीए की डिमाण्डस हैं वह आप भेजें। माननीय अध्यक्ष महोदय, बिजली का एक ट्रांसमीशन का क्लियर

सिस्टम है कि यह तो it will pass through all over the Rajasthan. तो इसलिये हरेक जब तक तंत्र मजबूत नहीं होगा तो हमें 3 साल का समय है, 275 बनने हैं।

मैं डीग-कुम्हेर से आने वाले माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहूंगा मेरा तो हुजूर लगाव है वहां से। मेरा अपना...

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): आप तो मेहमान हैं हमारे।

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): आपने जो फरमाया I assure you Sir they will all be sanctioned और जो स्पेसिफिकली आपने बताया है इसके लिये आपके आलरेडी पपरेरा में, समईखेड़ा में, तो पपरेरा में का मैं कम्पलीट करवा दूंगा।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): अध्यक्ष महोदय, मैंने जो यह मंत्री महोदय से पूछा कि पुश फिट मीटर आने के बाद 350 रुपये अलग से चार्ज आपका विभाग कंजूमर्स से कर रहा है। जो पहले तो बॉक्स अलग से आता था अब बाक्स आता ही नहीं अलग से तो यह 350 किस बात के कंजूमर्स से चार्ज किये जा रहे हैं ?

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कम से कम 350 रुपये तो माफ कराएं। आप कंजूमर पर जबरदस्ती बोझ क्यों लादे हुए हैं ?

श्री सभापति: श्री राजेन्द्र राठौड़। इनका मिलाकर साथ दे दें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्या यह सही है कि कांग्रेस पार्टी ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में जो इनका दस्तावेज है उसके पृष्ठ 16 में यह संकल्प लिया था कि वह किसानों को लगातार 8 घण्टे निरन्तर और निर्बाध बिजली देंगे। नम्बर एक।

नम्बर दो, मंत्री महोदय ने 300 लाख यूनिट का जो अन्तर बताया है। आपने कहा कि हमारे पास बिजली की उपलब्धता है, 1350 लाख यूनिट की मांग है और उपलब्धता 1050 की है तो यह आपके पास गैप है, इस गैप की बिजली को आप किस-किस संस्था से बाइलेटरल एग्रीमेंट के मार्फत खरीद रहे हैं? एनर्जी एक्सचेंज के मार्फत खरीद रहे हैं ? नार्थ ग्रिड के मार्फत खरीद रहे हैं ? किस-किस दर से खरीद रहे हैं ?

नम्बर तीन, क्या यह सही है कि जिस बांसवाड़ा के ऑटोमेटिक पावर प्रोजेक्ट की आप बात कर रहे हैं इसकी स्वीकृति तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुई थी। पावर फाइनैंस कॉरपोरेशन ने अपना कंसलटेंट नियुक्त कर दिया था जिसको आप बार-बार कह रहे हो कि हमने आने के बाद यह किया।

श्री अध्यक्ष: बिराजें। मंत्रीजी। आप तो..

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): एक सवाल माननीय अध्यक्ष महोदय। मंत्री महोदय, यह बताएं दिसम्बर 2008 से अप्रेल 2009 तक किसानों को कितनी थ्री फेस बिजली दी, कितनी सिंगल फेस दी, कितने गांवों को सिंगल फेस 24 घण्टे या 10 घण्टे दी ? यह कृपया बताने का कष्ट करें।

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा): यह भरतपुर में कोटा कैसे घुस गया ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): यह राजस्थान की बात चल रही है।

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी।

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, डीग-कुम्हेर से आने वाले माननीय सदस्य जो बॉक्स के 350 रुपये एक्सट्रा चार्ज के लिये कहा है, मैं माननीय सदस्य को इसके बारे में विश्वास दिलाता हूं कि मैं इसको एग्जामिन कराता हूं and Sir you are also a Member of the public undertaking हमारी पब्लिक अण्डर टेकिंग कमेटी के सदस्य हैं and we will seek your valuable advice. माननीय अध्यक्ष महोदय, उसके अन्दर अगर कुछ भी पोसीबिल होगा और जिनाइन है तो मैं इसका सॉल्यूशन निकालूंगा।

नम्बर दो, तारानगर से आने वाले हाउस के बहुत सीनियर हमारे मैम्बर ने जो फरमाया है 8 घण्टे बिजली के लिये तो निश्चित रूप से 8 घण्टे का घोषणा पत्र में किसानों को बिजली देने का हमने संकल्प किया था। माननीय अध्यक्ष महोदय, 8 घण्टे बिजली देने के लिये it is very necessary Hon'ble Speaker Sir कि आपके पास अपना इन्फ्रास्ट्रक्चर हो, पानी की अवेलेबिलिटी हो। कल ही की पानी, बिजली की समस्या पर चर्चा में बीकानेर और ऊपर की बैल्ट छोड़ दें तो हमारा जो सारे, नेता प्रतिपक्ष और जिनके सारे क्षेत्र हैं, कुछ एक रेतीले क्षेत्र को छोड़ दें तो 50% of the Rajasthan upto Dholpur it is almost dried. जैसा कि माननीय सदस्य बिराजे हुए हैं। उन्होंने भी कहा तो उन कंडीशंस के अन्दर 8 घण्टे बिजली देना फिजीबल है या नहीं, यह एक चर्चा का विषय है और जो कमिटमेंट हमने किया था साढ़े छह से सात घण्टे बिजली देने का तो अनइंट्रप्टेड बिजली देने का प्रयास किया है। थोड़ा बहुत मैं नहीं कह सकता कि कहीं हुआ हो लेकिन we tried our levels best कि राजस्थान में एटलिस्ट एग्रीकल्चर ब्लॉक्स पूरे टाइमली मिल जाएं। आप जो 8 घण्टे का फरमा रहे हैं तो इसके लिये पूरा सिस्टम जब तक इम्प्रूव नहीं होगा तब तक 8 घण्टे बिजली और, ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर, बाड़मेर से बिराजे हुए हैं कर्नल साहब और बहुत सारे एरिया, जैसलमेर के बिराजे हुए है पीछे, तो यह सारा ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर इतना लम्बा-चौड़ा है कि जब तक इन्फ्रास्ट्रक्चर 33 और 132 का इम्प्रूव नहीं होगा अनइंट्रप्टेड देना...

श्री अध्यक्ष: श्री फतेह सिंह।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा जवाब नहीं आया। दिसम्बर, 2008 से अप्रेल, 2009 तक कितनी...

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): अध्यक्ष महोदय, डिमाण्डस में मीटर बक्से की कोस्ट जोड़कर आती है। मीटर बॉक्स देता है या नहीं, स्पष्ट है इसमें। बाद में देखकर बताने की क्या आवश्यकता है ? आप मीटर बॉक्स देते हैं या नहीं ? अगर मीटर बॉक्स नहीं देते हैं तो कोस्ट किस बात की ?

जनजाति क्षेत्र के लघु व सीमान्त काश्तकारों हेतु केशवबाड़ी योजना का पुन: संचालन

392. श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़): क्या ग्रामीण विकास (रोजगार गारन्टी योजना) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सरकार द्वारा महानरेगा योजना के अन्तर्गत लघु व सीमान्त काश्तकारों को जनजाति क्षेत्र में केशवबाड़ी योजना के कुए स्वीकृत कर कितने काश्तकारों को लाभान्वित किया गया ?

(2) क्या यह सही है कि सरकार ने केशवबाड़ी योजना के अन्तर्गत लघु व सीमान्त काश्तकारों के कुए बनाने, गहरे कराने के कार्य को बंद कर दिये हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार उक्त योजना के कुए पुन: चालू कराकर आदिवासी कृषकों को लाभान्वित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): (1) जनजाति क्षेत्रों में सरकार द्वारा महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत नरेगा अधिनियम, 2005 की अनुसूची-1 की श्रेणी संख्या-4 के प्रावधान अनुसार अनुसूचित जाति, जनजाति एवं गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यान करने वाले परिवारों के हक में 21404 कुए स्वीकृत कर लाभान्वित किया है। जिलेवार सूचना निम्नानुसार है:

1.	डूंगरपुर	28 काश्तकार
2.	सिरोही	3023 काश्तकार
3.	उदयपुर	5149 काश्तकार
4.	बांसवाड़ा	6788 काश्तकार
5.	चित्तौड़गढ़	6416 काश्तकार
	योग	21404

लघु एवं सीमान्त कृषकों के स्वामीत्वाधीन भूमि पर सिंचाई सुविधा विकसित करने की अनुमति सम्बन्धी प्रावधान अधिनियम में 22 जुलाई, 2009 को किया गया था, इसलिये अभी तक केवल अनुसूचित जाति, जनजाति एवं बी पी एल परिवारों के लिये ही उक्तानुसार कुए स्वीकृत किये गये हैं।

(2) जी नहीं, राज्य के 6 जिलों की 11 पंचायत समितियों एवं अजमेर जिले की पुष्कर घाटी क्षेत्र को केन्द्रीय भू-जल प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित कर दिये जाने के कारण कुए बनाने, गहरे कराने के कार्य को बंद किया गया है। राज्य की शेष पंचायत समितियों में इस कार्य को पूर्णतया बंद नहीं किया गया है, बल्कि अतिदोहित एवं भू-जल की गम्भीर स्थिति वाली पंचायत समितियों को छोड़कर अन्य पंचायत समितियों में उपलब्ध भू-जल स्तर के मद्देनजर कुओं के खोदने/गहरा कराने के कार्य को नरेगा की गाईड लाईन अनुसार श्रम सामग्री सीमा अनुपात 60:40 एवं वार्षिक कार्य योजना की प्रक्रिया अपनाकर इन कार्यों को करवाया जा सकता है। इस सम्बन्ध में जारी निर्देश दिनांक 20.08.08 की प्रतिलिपि परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(3) बिन्दु संख्या 2 की शर्तों के अधीन क्षेत्र को छोड़कर महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति, जनजाति एवं बी पी एल एवं गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों एवं इनके उपरान्त लघु एवं सीमान्त कृषकों हेतु सिंचाई सुविधाओं के लिये कुओं को बनाने, गहरा कराने के कार्य नरेगा अधिनियम, 2005 की अनुसूची-1 की श्रेणी-4 में अनुमत कार्य है। इन कार्यों को ग्राम सभा, पंचायत समिति व जिला परिषद् से स्वीकृत कराकर नरेगा की वार्षिक योजना में सम्मिलित होने के पश्चात् स्वीकृत कार्यों की प्राथमिकतावार वित्तीय स्वीकृति जारी की जा सकती है।

श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़): अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न के जवाब में मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया है उसमें 6 जिले की 11 पंचायत समितियां, उसमें यह क्लियर नहीं किया है कि किन-किन पंचायत समितियों में कौन-कौनसे जिले।

दूसरा, मेरा यह कहना था कि रोजगार गारन्टी योजना के तहत जो आपने बताया सभी जिलों में कुओं के कार्य शुरू किये गये थे और उसके बाद में अभी-अभी बांसवाड़ा जिले के सम्बन्ध में कहना चाहूंगा कि...

श्याम/चौहान 01.04.2010 11.20 1c

कुओं के प्रस्ताव देने की बात आयी जो पहले कुए दिये थे, बांसवाड़ा जिले में हर पंचायत में 25 और 10 कुल 35 कुओं के हिसाब से स्वीकृत किये गये थे और उन कुओं के कार्य में नरेगा में जोब कार्ड के आधार पर लेबर को लगाया गया था। कुए बने भी हैं, कुओं में पानी भी आया है। कुछ कुओं में कुछ प्रतिशत में पानी की कमी रही है। लेकिन बांसवाड़ा के जिला कलेक्टर ने यह कहा है कि राज्य सरकार ने इस योजना को बंद कर दी इसलिए ग्राम सभा में प्रस्ताव ना लिये जायें और प्रस्ताव ना भेजे जायें। इसलिए हमने इस प्रश्न को लगाया है।

अध्यक्ष महोदय, आपसे हम यह चाहेंगे कि क्या बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़, उदयपुर में ग्रामीण इलाका जो जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है वहां पर कुओं के कार्य शुरू किये जायेंगे। यह क्लियर करेंकि यह जो जिले बताये हैं वह कौन-कौनसे जिले हैं जिनमें काम बंद किया है और कौन-कौनसे जिले आपने चालू रखे हैं। इस नरेगा योजना के अंतर्गत कुओं का काम में।

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की जानकारी में लाना चाहता हूं कि मैंने बताया कि सिर्फ पुष्कर वैली अजमेर, चिड़ावा झुंझुनूं , गुहाना झुंझुनूं, सुजानगढ़ झुंझुनूं, रानीवाड़ा जालौर, जालौर पंचायत समिति जिला जालौर, भीनमाल जालौर, मुण्डवा नागौर, बहरोड़ अलवर, धोद सीकर, श्रीमाधोपुर सीकर, झोटवाड़ा जयपुर। यह वह ब्लाक्स हैं जिनमें हम काम नहीं ले रहे हैं। बाकी सब जिलों में इस काम को किया जा सकता है। बशर्ते कि इन काम को ग्राम सभा के द्वारा प्रस्तावित किया जाये। आपके बांसवाड़ा जिले के अंदर जैसा कि आपको बताया है कि सबसे अधिक कुए भी आपके यहां ही खुदे हैं। सिर्फ इसमें जो दिक्कत आयी है, जो काम बंद हैं। क्योंकि जो काम का अनुपात है नरेगा योजना के तहत वह 60, 40 को रेश्यो आपको

मेनटेन करना होता है। उस काम के ऊपर अधिकांश जो राशि खर्च हो रही इन कुओं के अंदर, बांसवाड़ा के अंदर जो लागत आ रही है वह मेटेरियल के ऊपर 70 प्रतिशत और लेबर पर 30 प्रतिशत आ रही है। एक कुए की लागत दो लाख से तीन लाख रूपये आती है और इसी प्रकार से डूंगरपुर जिले के अंदर डेढ़ लाख से ढाई लाख तक खर्चा आता है। एक पंचायत में 60, 40 का रेश्यो मेनटेन होना है और एक कुए के ऊपर भी यह रेश्यो मेनटेन होना है। इस दिक्कत की वजह से इन कामों में कठिनाइयां आ रही है। बाकी कहीं प्रतिबंध नहीं है। जो महात्मा गांधी रोजगार योजना है उसमें ग्राम सभा तय करती है कि किस काम को, किस कुए के काम को या किसकी प्राथमिकता तय करनी है और उस रेश्यो को मेनटेन करना है।

अध्यक्ष महोदय, जहां पर पानी की दिक्कत है। राजस्थान की जो भू-जल की स्थिति है उसमें अधिकांश आपके ब्लाक्स डार्क जोन में हैं। मैंने व्यक्तिगत भी जहां मैं चित्तौड़ का प्रभारी मंत्री हूं वहां लोगों ने इस बात की शिकायत की कि हमने कुए खुदाए हैं और इनमें पानी आया है और यह सरकार के इस प्रकार के आदेश हैं कि इस काम को बंद करवा दिया। मैंने सरकार के आदेश को दिखवाया और सरकार ने जो आदेश दिये हैं वह काम बंद कराने के लिए नहीं दिये हैं उन्होंने। सरकार ने तो यह कहा है कि इसको आप देखें कि जो काम आप करवा रहे हैं उसका एक तो रेश्यो मेनटेन हो और जहां पर पानी उपलब्ध ही नहीं है वहां पर इस काम को कराकर और इतनी बड़ी राशि खर्च करके भी उसका लाभ नहीं मिले तो यह देखना है। माननीय सदस्य आपके यहां इतनी संख्या में कुए खुदे हैं। कोई इस पर प्रतिबंध नहीं है। ग्राम सभा तय करेगी। कुए आप ज्यादा लेंगे तो उसमें दूसरे काम जो नरेगा योजना के तहत लेबर एम्लायमेंट के लिए दिये जा सकते हैं। उसमें ग्राम सभा तय कर ले और उसका अनुमोदन हो जाये तो आप कुए ले लें। बशर्ते कि आप 60, 40 का रेश्यो मेनटेन करें।

श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़): अध्यक्ष महोदय, मुझे निवेदन यह करना था कि यह 60, 40 का जो रेश्यो रखना था तो क्या राज्य सरकार मेटेरियल का पैसा अधिक जिस रूप में मेटेरियल का पैसा दे रहे हैं वह मजदूर को मिले और मजदूर का जो रेश्यो दिया है उसको मेटेरियल में डालें। क्योंकि हम चाहते हैं कि मजदूर को ज्यादा पैसा मिले। लेकिन किसी भी निर्माण काम में, पिछली बार भी 60, 40 के रेश्यो में काम कराया जाता था। लेकिन वह एडजेस्टमेंट करके उस काम को पूरा किया जाता था। इस बार इस रोजगार गारंटी योजना के अंदर एडजेस्टमेंट तो हो ही नहीं सकता। इसलिए मेरा यह कहना है कि मेटेरियल का पैसा अधिक बढ़ाया जाये और लेबर का पैसा कम किया जाये। उसी रूप में नरेगा योजना के अंतर्गत निर्माण कार्य जो भी आपके हो रहे हैं कुओं के अलावा, चाहे एनीकट हो या चेकडैम हो या पक्का कोई निर्माण कार्य हो उसमें निश्चित रूप से मेटेरियल का पैसा ज्यादा लगेगा और लेबर का पैसा कम लगेगा। मैं राज्य सरकार से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि जो मेटेरियल का पैसा है उसको बढ़ाया जाये और लेबर का पैसा कम किया जाये। किसी भी रूप में मजदूर को और जगह भी मजदूरी मिल सकती है लेकिन बिना मेटेरियल के आपके निर्माण कार्य पूरे नहीं हो पायेंगे। महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के तहत

जितने भी निर्माण कार्य हुए हैं उसमें अब आपका पेमेंट सीधा बैंक में जायेगा, चैक के द्वारा पेमेंट होगा तो पंचायती राज हो या कोई भी एजेंसी हो उस काम को पूरा करने में हिचकिचा रही है इसलिए मेरा निवेदन है कि जो भी निर्माण कार्य हो रहे हैं उसमें मेटेरियल का पैसा बढ़ाया जाये और लेबर का पैसा कम किया जाये।

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, नरेगा की गाइड लाइन भारत सरकार तय करती है। उसमें यह स्पष्ट है कि यह रोजगार गारंटी योजना है उस पर श्रम की जो राशि है वह 40 प्रतिशत से बढ़ायी नहीं जा सकती है मगर इसमें तो हमने फिर भी रिलेक्शेसन दिया। मैं खुद कह रहा हूं, आपकी जानकारी में ला रहा हूं कि अधिकांश कुए जो खुदे हैं अगर उसको स्ट्रिक्टिली फॉलो कर लेते तो शायद एक भी कुआ नहीं खुद पाता। 60 प्रतिशत में तो एक भी नहीं आया। किसी पंचायत में कितने काम होते हैं यह वहां की ग्राम पंचायत तय करेगी। आप और हम और यह सदन तय करने वाला नहीं है। जो अधिकार उसको दिया है। अब कितने आदमी हैं और किसको प्राथमिकता दी जाये । अगर आप सबसे गरीब आदमी जो है उसको प्राथमिकता देकर करवाते हैं तो स्वतंत्र है वह पंचायत। उसमें कोई बीच में नहीं आयेगा। मगर इसमें जो लिमिटेशन हैं। इस एक्ट के अंदर प्रावधान चेंज नहीं होता है। सदन को यह अधिकार नहीं है कि उसको चेंज कर सके।

श्री अध्यक्ष: श्री नन्दलाल मीणा।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़): अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि इस केशवबाड़ी योजना के अंतर्गत चित्तौड़गढ़ जिले में 6700 और कुछ कुए स्वीकृत हुए हैं यह दर्शाया है। अब प्रतापगढ़ जिला अलग हो गया जिसमें पीपलखूंट, धरियावद, छोटी सादड़ी, प्रतापगढ़ और अरनोद सम्मिलित है। मैं जानना चाहता हूं कि इन पंचायत समितियों में कितने-कितने कुए स्वीकृत किये गये थे। कितने कुओं में पानी आया और कितने कुए ऐसे हैं जिन पर थोड़ा और पैसा स्वीकृत करने के बाद उस काश्तकार की माली हालत सिंचाई के द्वारा सुधर सकती है। उसकी संख्या बताने का कष्ट करें।

दूसरा, क्या यह भी सही है कि जिस हिसाब से आप ग्राम पंचायत के प्रस्ताव के आधार पर कुए स्वीकृत करने की घोषणा कर रहे हैं, राजनीतिक दृष्टि से ...।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न क्या है आपका।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़): प्रश्न मेरा यह है कि राजनीतिक भेदभाव होने की वजह से जो सरपंच के विरूद्व चुनाव लड़ा या मतदान नहीं किया है उनके कुए स्वीकृत नहीं किये गये हैं या स्वीकृत किये हैं तो उनका भुगतान नहीं किया है और वह अधूरे रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि कितने कुए ऐसे स्वीकृत हुए हैं जिनका भुगतान नहीं हुआ। कितने स्वीकृत कुए ऐसे हैं जो अधूरे हैं और उसके बावजूद भी उनको किश्त का चुकारा नहीं किया है कृपया मंत्री महोदय बताने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष: कटारिया जी, कटारिया जी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): इसमें आप 28 कुए जो बता रहे हैं मैं यह जानना चाहता हूं कि कितने लोगों को तो जो रिकमंडेशन नीचे से पंचायत से और पंचायत समिति से आनी चाहिए वह आयी और उसके बाद उसमें से कितने रिजेक्ट हो गये। मात्र 28, यह जिले का आंकड़ा देखकर के भी अपने आपमें थोड़ा आश्चर्यजनक लग रहा है कि यह पूरा ट्राइबल जिला है और क्या लोगों ने केशवबाड़ी के तहत कुए लेने की कोशिश ही नहीं की या की तो उनके फार्म सही सलामत जहां आने हैं वहां नहीं आ पाये। क्या स्थिति है?

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय दोनों सदस्यों को पहले तो यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि राजनीतिक भेदभाव से किसी भी कुए के लाभार्थी को रोका नहीं है। मेरी जानकारी में नहीं है, अगर आप कोई ऐसे तथ्य लायेंगे कि किसी काश्तकार को राजनीतिक कारणों से उसके भुगतान को रोका गया है तो मैं उसकी जांच करवा लूंगा और निश्चित रूप से आपको विश्वास दिलाता हूं कि राजनीति इस योजना में कहीं आड़े नहीं आयेगी।

श्री अध्यक्ष: श्री बंशीधर खण्डेला।

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): मैं आपसे निवेदन कर दूं, एक मिनट अध्यक्ष महोदय। आज 1 अप्रैल है नया साल लगा है आज। मैं 1 अप्रैल जवाब की दृष्टि से नहीं कह रहा हूं। नये साल की दृष्टि से कह रहा हूं। इनमें जो कोई भी ग्राम सभा के माध्यम से आयेंगे मैं सबको ले लूंगा। आप वहां से पुष्टि करायें।

श्री अध्यक्ष: श्री बंशीधर खण्डेला।

विधान सभा क्षेत्र खण्डेला में प्रस्तावित पशु चिकित्सालय

393. श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला): क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला सीकर में वर्तमान में कितने पशु चिकित्सालय हैं?

(2) उक्त चिकित्सालयों में कितने-कितने पद किस-किस श्रेणी के रिक्त हैं? क्या सरकार रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार सीकर जिले में नये पशु चिकित्सालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(4) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र खण्डेला के खण्डेला में भी पशु चिकित्सालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

jyg/usc/31.3.10/11.30/1d

कृषि मंत्री (श्री हरजीराम बुरड़क): (1) सीकर जिले में वर्तमान में 73 पशु चिकित्सालय संचालित हैं।

(2) सीकर जिले के पशु चिकित्सालयों में रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है-

पशु चिकित्सा अधिकारी	1
पशु चिकित्सा सहायक	8
पशु धन सहायक	1
एक्स रे टेक्निशियन	1
पशु धन परिचर	23
जलधारी	12
सफाईकर्ता	19
गडरिया	2

पदों को आवश्यकता एवं उपलब्धता के अनुसार भरा जाता है।

(3) जी नहीं। वर्तमान में इस हेतु कोई प्रावधान नहीं है।

(4) विधान सभा क्षेत्र खण्डेला के खण्डेला मुख्यालय पर पशु चिकित्सालय पूर्व से ही संचालित है।

श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि 73 पशु चिकित्सालयों में कितने पद सृजित हैं। नम्बर दो, यह पद कितने समय से खाली हैं ? नम्बर तीन, क्या खण्डेला विधान सभा क्षेत्र में और कितने पशु चिकित्सालय सरकार खोलना चाहती है? नम्बर चार, एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, सीकर जिला पशु पालन में बहुत आगे है इसलिए आगे आने वाले समय में सीकर जिले में पशु चिकित्सा यूनिवर्सिटी खोलना चाहती है क्या सरकार?

श्री हरजीराम बुरड़क (कृषि मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रश्न के भाग दो में बताया है कि फिलहाल नए पशु चिकित्सालय खोलने का कोई प्रावधान नहीं है। दूसरी बात आपने रिक्त स्थानों की कही। माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे राजस्थान में 225 डाक्टरों के पद खाली हैं, सीकर में सिर्फ एक है, पशु चिकित्सा सहायक के 8 पद सीकर जिले में रिक्त हैं जबकि राजस्थान में 369 पद रिक्त हैं, पशु धन सहायक का 1 पद रिक्त है जबिक राजस्थान में 715 रिक्त हैं। इस दृष्टि से अगर देखें तो सीकर जिले में नाममात्र के पद रिक्त हैं और पूरा स्टाफ जब उपलब्ध होगा तो सारे पद भर दिए जाएंगे।

श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला): माननीय अध्यक्ष महोदय, विश्वविद्यालय के बारे में नहीं बताया।

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी ने कह दिया, विचार नहीं है।

श्री वासुदेव देवनानी।

स्वास्थ्य संकुल भवन अजमेर का चिकित्सकीय उपयोग

394. श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि अजमेर में परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र के भवन में संचालित सी एम एच ओ, एड सी एम एच ओ, डिप्टी सी एम एच ओ व आर सी एच ओ

कार्यालयों को नव निर्मित स्वास्थ्य संकुल भवन में स्थानांतरित कर दिया गया है?

(2) क्या वर्तमान में इस भवन को परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र के अतिरिक्त अन्य किसी उपयोग में लिया जा रहा है?

(3) उक्त भवन का क्षेत्रफल कितना है तथा इसमें कितने कमरे, हॉल एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध हैं?

(4) उक्त भवन में चलने वाले परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र पर गत दो वर्षों में कुल कितने प्रशिक्षण/कार्यक्रम आयोजित किए गए तथा उक्त प्रशिक्षण/कार्यक्रम कितनी अवधि के थे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार उक्त भवन का अन्य कोई उपयोग करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों?

(6) क्या सरकार की अजमेर के जनाना अस्पताल की एक यूनिट उक्त भवन में खोले जाने की योजना है? यदि हां, तो इस योजना को कब तक क्रियान्वित कर दिया जाएगा व नहीं, तो क्यों?

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (श्री एमादुद्दीन अहमद खान (दुरू मियां)): (1) जी हां। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (परिवार कल्याण) एवं जिला प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य अधिकारी के कार्यालयों को नव निर्मित स्वास्थ्य संकुल भवन में स्थानान्तरित कर दिया गया है।

(2) जी हां। इस भवन में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (परिवार कल्याण) के भण्डार (स्टोर) एवं विभाग का वेक्सीन डिपो संचालित हैं।

(3) उक्त भवन 2 तल का है जिसमें भूतल का क्षेत्रफल 21518 वर्ग फीट है एवं प्रथम तल का क्षेत्रफल 13842 वर्ग फीट है। उक्त भवन में हॉस्टल सहित छोटे-छोटे 57 कमरे, 6 हॉल, 1 किचन, 7 टॉयलेट, 3 ब्लॉक ऑफ टॉयलेट, 1 अधिकारी वर्ग एवं 1 चतुर्थ श्रेणी वर्ग का क्वार्टर उपलब्ध है।

(4) उक्त भवन में गत 2 वर्षों में आयोजित किए गए प्रशिक्षण/कार्यक्रम का विवरण परिशिष्ठ-अ पर प्रस्तुत है।

(5) जी नहीं, क्योंकि उक्त भवन का निर्माण प्रशिक्षण गतिविधियों के संचालन हेतु किया गया।

(6) प्रस्ताव प्राप्त होने पर गुण अवगुण के आधार पर निर्णय किया जाएगा।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): माननीय अध्यक्ष महोदय, परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र, अजमेर का जैसा कि इन्होंने खण्ड तीन में बताया कि बहुत बड़ा भवन है जिसके प्रथम तल और द्वितीय तल को मिलाकर 35360 वर्ग फीट कंस्ट्रक्टेड एरिया है। हमने इसमें पहले कुछ प्रयास किया था तो यह बताया गया था कि उसमें यह सारे कार्यालय सी एच एच ओ, एडीशनल सी एम एच ओ और बाकी इसमें कार्यालय है। हमारी सरकार के

समय स्वास्थ्य संकुल का निर्माण हुआ और आपने अभी-अभी इसका लोकार्पण किया है। इसमें सारे कार्यालय स्थानांतरित हो गए और वह पूरी तरह खाली पडा है। जैसा आपने प्रश्न के अगले खण्ड में बताया है वहां पर इतनी बड़ी लिस्ट तो दे दी, इतने सारे प्रशिक्षण कार्यक्रम वहां पर चले हैं और उन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में अजमेर के लोग ही भाग लेते हैं और अधिकांश लोग वहां पर ठहरते नहीं हैं। क्या माननीय मंत्रीजी बताएंगे कि पिछले दिनों वहां पर सी एम एच ओ और संयुक्त निदेशक और प्राचार्य, परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र में कितने दिन के प्रशिक्षण वहां आयोजित किए गए और वहां पर उस दौरान कितने लोगों ने स्टे किया और वहां पर लगभग एक ने भी स्टे नहीं किया और अधिकांश लोगों के तो मेडिकल कॉलेज में भी कुछ प्रशिक्षण चले हैं, वह भवन पूरी तरह बेकार है। दूसरे खण्ड में माननीय मंत्रीजी से मैं जानना चाहता हूं कि आपने बताया कि इतने सारे वहां पर स्टोर हैं, यह आज की तारीख में आपके अजयनगर में भी है, ब्यावर में भी है और वहां से इनको कठिनाई भी हो रही है, केवल वहां पर टेम्परेरी लाए गए हैं और स्वास्थ्य संकुल इतना बड़ा है कि इसके पीछे की जमीन में सेंट्रलाइज स्टोर की भी सरकार की योजना है, जो प्रारम्भ हुई है तो इस भवन का सरकार क्या उपयोग करना चाहती है, यह मैं आज जानना चाहता हूं। दूसरे खण्ड में आपने कहा कि प्रस्ताव प्राप्त होने पर, इस बारे में सरकार के पास तीन पर प्रस्ताव आ चुके हैं। एक तरफ तो सरकार कहती है कि जननी सुरक्षा योजना में अधिक से अधिक प्रसूति अस्पताल में हो, अजमेर में जो जनाना अस्पताल है वह शहर से 10 किलोमीटर दूर है, सारे शहर के लोग दु:खी हैं, बार-बार मांग हुई, हमारे समय में भी हमने इसका प्रयास किया, उस समय चूंकि वहां ऑफिस चल रहे थे इसलिए इसको कार्य रूप नहीं दे पाए तो मैं माननीय मंत्रीजी से यह जानना चाहूंगा कि जनाना अस्पताल की एक यूनिट, जो बार-बार अजमेर की जनता की मांग है, आप इस खाली भवन में, जो बहुत बड़ा भवन है, जिसमें 57 कमरे हैं, 6 हॉल हैं, वहां पर आप बनाने के बारे में क्या सोचते हैं?

श्री एमादुद्दीन अहमद खान (दुरू मियां) (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की पाँच-छह सप्लीमेंट्री का मैं एक साथ ही जवाब देने की कोशिश करूंगा। हमारे राजस्थान में खाली दो ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट्स हैं, एक हीरा बाग़ में है और दूसरा अजमेर में है1 इसमें नेशनल प्रोग्राम्स की ट्रेनिंग चलती हैं, जिसका आपने हवाला दिया है वहां इन सर्विस ट्रेनिंग एन आर एच एम की भी चलती है, जिसमें ए एन एम, एल एस बी, एम ओ एस की ट्रेनिंग होती है इसी प्रकार से आर एच एस डी बी, स्पेशलिस्ट डाक्टर्स की भी ट्रेनिंग होती है। मेडिकल एण्ड हैल्थ डिपार्टमेंट की, टी बी की, मलेरिया की, इस तरह से हमारे वहां ट्रेनिंग होती है। मैं आपको फीगर भी बताना चाहता हूं मिसाल के तौर पर 2006-07 में 118 दिन वहां ट्रेनिंग हुई अजमेर में, 2007-08 में 90 दिन हुई, 2008-09 में 127 दिन हुई, 2009-10 में 254 दिन की ट्रेनिंग हुई। अब यह ट्रेनिंग कुछ कम इस वजह से भी हुई कि पंचायतों के चुनाव थे, स्वाइन फ्लू के इलाज में भी लोग इन्वॉल्व थे, आपने इसमें यह पूछा है कि वहां कितने दिन रेजिडेंशल और नोन रेजिडेंशल ट्रेनिंग हुई। मैंने परिशिष्ट दो

में इसका जवाब दे रखा है। जैसे इन्टीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ नियो नेटल चाइल्डहुड इलनैसस सुपरवाइजरी ट्रेनिंग ऑफ लाइनसुपरवाइजर, हैल्थ एण्ड फैमिली वेलफेयर ट्रेनिंग में नम्बर ऑफ पार्टिशिपेंट्स 206 थे और 2009-10 में वहां तीन दिन के लिए रहे। इसी तरह से इन्टीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ नियो नेटल चाइल्डहुड इलनैसस सुपरवाइजरी ट्रेनिंग में रेजिडेंशल में वहां 175 लोग रहे तो यह उसके बाद ट्रेनिंग हुई लेप्रोसी, एडोलेसन फ्रेंडली हैल्थ सर्विसेज, आई डी पी एण्ड वी पी ई पी टी, चिकनगुनिया, डेंगू, इन सारी चीजों की डिटेल मैंने आपको दे रखी है तो यह वहां जो ट्रेनिंग होती है यह ट्रेनिंग के अलावा वहां पर मीटिंग, जोनल मीटिंग और डिस्ट्रिक्ट की मीटिंग भी वहां आयोजित कराई जाती है।

जहां तक मेडिकल कॉलेज का ताल्लुक है, उनकी जो ट्रेनिंग होती है वह तो मेडिकल कॉलेज में ही होती है। मिसाल के तौर पर एनेस्थेसिस्ट की ट्रेनिंग है वह वहां मेडिकल कॉलेज में है। आपने जो ब्यावर का फरमाया है, ब्यावर से सी एम एच ओ का ऑफिस शिफ्ट हुआ है 2006 में, वह वहां जो अभी स्टोर बना हुआ है, नई बिल्डिंग में जैसे ही वहां स्टोर बनेगा, वह वहां शिफ्ट हो जाएंगे।

आखिर में आपने जो अपनी मांग रखी है कि वहां एक यूनिट खोली जाए।

मोहन/अरूण/01042010/1140/1e

तो जैसे, अध्यक्ष महोदय, सब का कहना है, पिछले दिनों में भी डिस्कशन में यह आया कि मेडिकल, पैरा मेडिकल स्टाफ की कमी है, इस वजह से दो जगह चलाना नये में भी और पुराने में भी चलाना हमारे लिए काफीा मुश्किल हो जाता है, बावजूद उसके भी मैं जैसा मैंने आखिर में आपने ययह बताया कि प्रस्ताव प्राप्त होनसे पर जैसा आपने कहा, जो प्रस्ताव आए हैं, हम उनको स्टडी करा लेंगे और मांग को देखते हुए अगर यह है तो हम उसको कंसीडर कर लेंगे।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): माननीय अध्यक्ष महोदय, वहां पर जो आपने लिखा है ट्रेनिंग हो रही हैं, वहां पर स्टे नाइट में नहीं करते हैं, खाली पड़े रहते हैा कमरे औरस अब तो यह आफिसेज खुल गये, सारा भवन खाली पडा है, आप यदि वहां यूनिट शुरू करेंगे, यह अजमेर को इससे 3 लाख की जनता को, जो शहर की जनता है, इसको बहुत बड़ा लाभ होगा और आपकी योजन का है और आप पूरे जनाना हॉस्पिटल की मैं ट्रांसफर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो केवल उसकी एक यूनिट यदि आप वहां पर ले आएंगे और उसके लिए एक एएनएम या जो भी आपका स्टाफ जो वहां पर विद्यमान है, उसको आप केवल देंगे, मैं सोचता हूं कि मैं आपसे आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं कि आप यदि इसकी घोषणा करेंगे, यह बहुत समय से अजमेर की जनता इससे लाभन्वित होगी।

श्री अध्यक्ष: श्री नन्दलाल मीणा।

जिला प्रतापगढ़ में केशवबाड़ी योजनान्तर्गत तुरन्त विद्युत कनेक्शन

395. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि अजमेर विद्युतवितरण निगम ने गरीबी की रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले जनजाति परिवारों को लाभान्वित करने के लिए केशवबाड़ी योजना चालू की है? यदि हां, तो कब से?

(2) क्या उक्त योजना के तहत चयनित परिवारों के कुएं व ट्यूबवेल के लिए तुरन्त विद्युत कनेक्शन दिया जाना प्रस्तावित है? यदि हां, तो अब तक किन किन जिलों में कितने कुएं एवं ट्यूबवेल कनेक्शन वर्ष, 2009-10 में दिये जा चुके हैं और आगामी वर्ष, 2010-11 के लिए निगम ने जिला प्रतापगढ़ के लिए कितनी राशि का प्रावधान रखा है, जिससे कितने कुएं व ट्यूबवेलों को विद्युत कनेक्शन से जोड़ दिया जाएगा?

(3) अजमेर विद्युत वितरण निगम में प्रतापगढ़ जिले के जनजाति के गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले समूहों ने सामुदायिक जलोत्थान योजना के अन्तर्गत विद्युत संबंध के लिए आवेदन कब से कर रखा है और कनेक्शन नहीं दिये जाने के क्या कारण हैं? तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखें।

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से (1) जी हां। केशवबाड़ी योजना अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के आदेश संख्या आर.ई.अज-193 दिनांक 14.01.2010 द्वारा उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ जिले में लागू की गई है।

(2) जी हां। उक्त योजना के तहत चयनित परिवारों के कुएं व ट्यूबवेल के लिए तुरन्त विद्युत कनेक्शन दिया जाना प्रस्तावित है। यह योजना उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ जिलों यथा अनुसूचित जनजाति उपयोजना क्षेत्र में लागू की गई है। इस योजनान्तर्गत दिये गये कनेक्शनों का विवरण इस प्रकार है:-

क्रम सं.	जिले का नाम	प्राप्त आवेदन	जारी किये गये कनेक्शन	विवरण
1	उदयपुर	0	0	
2	डूंगरपुर	41	2	चूंकि आदेश दिनांक 14.1.10 को ही जारी हुआ है अतः लम्बित 39 कनेक्शन प्रक्रिया में हैं जिन्हें औपचारिकता पूर्ण होने पर कनेक्शन दिया जाएगा।
3	बांसवाड़ा	0	0	
4	प्रतापगढ़	0	0	

वर्ष, 2010-11 के लिए अजमेर निगम ने जिला प्रतापगढ़ के लिए 51.66 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा है। वर्ष, 2010-11 में जिला प्रतापगढ़ में 2000 कुओं को विद्युत कनेक्शन देना प्रस्तावित है।

(3) प्रतापगढ़ जिले के तहसील प्रतापगढ़ में ग्राम कूकड़ा एवं हरिकूकड़ा के मांग पत्र दिनांक 4.5.2009 एवं 19.11.2009 को सामुदायिक जलोत्थान योजना के तहत आवेदन प्राप्त हुए जिनके दिनांक 25.9.2009 एवं 14.12.2009 को मांग पत्र जारी किये गये लेकिन कृषि नीति अनुसार मांग पत्र नीयत तिथि तक जमा नहीं किये जाने से पत्रावलियां निरस्त कर दी गई हैं तथा ग्राम खोडवेला, ग्राम पंचायत वरकुण्डी, पंचायत समिति धरियावद में एक कनेक्शन जारी किया गया।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़): अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि केवल डूंगरपुर की 41 एप्लीकेशन जो हैं विद्युत के संबंध में प्राप्त हुई जिसमें दो दिये गये हैं, जनवरी, 2010 में यह योजना लागू हुई और उदयपुर के प्रतापगढ़ जिले में और बांसवाड़ा जिले में एक भी आवेदन इनके पास प्राप्त नहीं हुआ। अभिप्राय मेरे कहने का यह है, अध्यक्ष महोदय, कि यह योजला लागू की गई, इसके बारे में जनजाति उपयोजना क्षेत्र के लोगों को इसकी जानकारी मिले, इसके लिए विभाग ने क्या व्यवस्था की है। नम्बर दो, माननीय मंत्री महोदय ने प्रश्न के भाग 3 में यह बताया है कि प्रतापगढ़ तहसील के कूकड़ा और हरिकूकड़ा लिफ्ट योजना के बारे में हमारे पास आवेदन आए हैं। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि यह कूकड़ा और हरिकूकड़ा कौनस सी पंचायत में हैं, प्रतापगढ़ तहसील में तो 1977 से यहां मैं आ रहा हूं, विधान सभा में, इन गांवों का नाम न तो मैंने सुना है और न इन गांवों में मैं कभी गया हूं, यह आप गांव बता दें, यह कौन सी पंचायत में हैं। अध्यक्ष महोदय, सवाल यह है कि जवाब जो दिया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष: इसका मतलब आपका ज्ञान अधूरा है।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़): नहीं, मेरा ज्ञान अधूरा नहीं, यह अभी फैसला बताएंगे माननीय मंत्रीजी कि किसका अधूरा है, किसका पूरा है परन्तु मैं यह कह सकता हूं कि मेरा ज्ञान पूरा है, व्यावहारिक ज्ञान है, यह गांव प्रतापगढ़ जिले में यह जिला या जहां से यह लिफ्ट लगाई जा रही है, वह है ही नहीं।

श्री पेमाराम (धोद): कभी नया बन गया होगा।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़): नया बन गया होगा तो आपका कौन सा इसमें कम ज्यादा पानी आया है क्या उधर? मंत्री महोदय बताने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष: मंत्री जी, जवाब दें।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़): बकड़ा का तो हो सकता है, कूकड़ा का नहीं हो सकता।

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रतापगढ़ से आने वाले बहुत सीनियर मेम्बर हैं हाउस के और आपने जो फरमाया कि डूंगरपुर में जो आवेदन प्राप्त नहीं हुए, 2009-10 के उसमें और उसकी जानकारी के अभाव में मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको बताना चाहूंगा कि योजना का जो भी कार्यक्रम होता है, वह विभाग द्वारा समय समय पर उसको उसके बारे में इंफार्मेशन दी जाती है, वही कारण था कि आपके आवेदन 41 प्राप्त हुए और बाकी जब डूंगरपुर से प्राप्त हो गये तो मैं समझता हूं बांसवाड़ा

और प्रतापगढ़ से प्राप्त होने चाहिए थे। डूंगरपुर वालों ने, माननीय अध्यक्ष महोदय, अपने 41 प्रस्ताव भेज दिये, जबकि आप तो बहुत सीनियर हाउस के मेम्बर हैं and probably you are one of the leading ... मेरा भी बड़ा सम्पर्क रहा है प्रतापगढ़ से, आपके वहां से, तो उसके अन्दर दुबारा 2010-11 में आपके 2 हजार कुए स्वीकृत कर दिये गये और आपके लिए 51.66 करोड़ रुपये स्वीकृत कर दिये गये। मैं समझता हूं आपको तो, उसको तो एडवांटेज देना चाहिए और उसमें जो भी कोई रह गया हो, आपसे ज्यादा वेल इंफोर्म्ड कोई हो ही नहीं सकता। मैं उस जिले से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हूं, I have got multiple relations there. तो इसलिए आप जैसे व्यक्तित्व के लिए यह इंफार्मेशन देना मैं समझता हूं अगर आप इंफार्मेशन नहीं कर पाये तो कोई भी नहीं इंफार्मेशन कर पाएगा।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़): नहीं, प्रशासनिक व्यवस्था द्वारा क्या व्यवस्था की गई है इसके बारे में?

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): What for? काहे के लिए?

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़): इस प्रचार के लिए।

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): प्रचार के लिए तो आपने फरमाया कि इसको प्रचारित किया जाए तो मेरे विभाग को डाइरेक्शन दे दूंगा कि वहां के जो हमारे ए.ईएन., एक्स.ईएन. हैं वह उस क्षेत्रउ के अन्दर वहां पर सब को प्रचारित करें। माननीय अध्यक्ष जी ...

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़): यह कूकड़ा का क्या है?

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): यह, सर, मैं आपको अर्ज करना चाहूंगा कि यह विभाग द्वारा इंफार्मेशन दी गई है और उसमें मैं आपको अर्ज करना चाहूंगा, गांव हो सकता है, कोई मिस-प्रिंट हो, उसके बारे में मैं दावा नहीं कर रहा हूं लेकिन जिन लोगों के इनके अन्दर रह गये हैं, जिन लोगों के, मैं कहा कि निरस्त कर दिये गये, वह रिन्युअल एप्लीकेशन दे दें and we will clear. उनको दे देंगे कनेक्यान।

श्री अध्यक्ष: श्री बाबूसिंह राठौड़।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़): अध्यक्ष महोदय, एक सवाल मेरा और है। अध्यक्ष महोदय, प्रतापगढ़ जिले में पीपलखूंट, धरियावद हमारी वह तहसील है जहां से माही निकलती है, जाखम निकलती है और जहां पर पानी लिफ्ट के जरिए गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले आदिवासियों की माली हालत सुधारी जा सकती है। यदि एप्लीकेशन जलोत्थान सिंचाई योजना में नहीं आए तो कृपया आप यदि जनजाति विकास विभाग को टाइ-अप करके इस व्यवस्था को कराएं तो उन लोगों को बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है।

श्री अध्यक्ष: श्री बाबूसिंह राठौड़।

महानरेगा योजनान्तर्गत ग्राम सेवा सहकारी समिति के शून्य जमा खातों के संचालन हेतु राशि

396. श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): क्या ग्रामीण विकास (रोजगार गारंटी योजना) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राज्य में महानरेगा योजना में कार्य करने वाले श्रमिकों/मजदूरों के सहकारिता विभाग के अधीन ग्राम सेवा सहकारी समितियों में शून्य जमा पर खाते खोले गये हैं? यदि हां, तो कितने? जिलेवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा ग्राम सेवा सहकारी समितियों में श्रमिकों के खातों के संचालन के एवज में किसी प्रकार की राशि का भुगतान किया गया है? यदि हां, तो प्रति खाते कितनी व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार उक्त ग्राम सेवा सहकारी समितियों में खातों के संचालन के एवज में मानव संसाधन एवं स्टेशनरी पेटे राशि देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, (1) जी हां, महानरेगा योजना के तहत कार्य वाकरने वाले श्रमिकों/मजदूरों के सहकारिता विभाग के अधीन ग्राम सेवा सहकारी समितियों के शून्य जमा की कुल 2754156 खाते खोले गये हैं, जिलेवार सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) भारत सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शिका में ऐसा कोई प्रावधान नहीं होने के कारण किसी प्रकार की राशि का भुगतान नहीं किया जा रहा है।

(3) ग्राम सभा की पंचायत समितियों में खातों के संचालन की एवज में राशि लिये जाने के संदर्भ में भारत सरकार से मार्गदर्शन चाहा गय है। भारत सरकार के निर्देश प्राप्त होने पर तदनुसार कार्यवाही की जाएगी।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): अध्यक्ष महोदय, खण्ड-एक में 27 लाख 54 हजार 156 खाते खाले और शून्य जमा में खोले, मैं सरकार से चाहूंगा कि पूर्ववती सरकार के समय भामाशाह योजना जिसमें बीपीएल, एससी, एसटी और नरेगा 1500 रुपये देकर खाते खोले गये थे, क्या इस प्रकार की कोई योजना शुरू करके आप बिना शून्य जमा ऐसी राशि देकर खाते खोलने का विचार रखते हैं, नम्बर एक। खण्ड-दो में यह फाइनेंस का मामला है और सारा बजट ग्राम सेवा सहकारी समितियों में जाता है, उसके माध्यम से मिलता है तो उनको पैसे को लाना, ले जाना, संचालन, स्टेशनरी सारी व्यवस्थाएं उनके ऊपर रहती हैं।

सुरेन्द्र/अरुण/01.04.2010/11.50/1f

तो क्या राज्य मद से आप उन ग्राम सेवा सहकारी समितियों को मदद देकर के इस प्रकार से उनको मजबूत करने का विचार रखते हैं? इसके साथ ही गांवों में ग्राम सेवा सहकारी समितियों के भवन भी नहीं हैं, व्यवस्थापक भी नहीं हैं और जहां व्यवस्थापक नहीं हैं वहां अध्यक्ष काम करते हैं या अस्थायी व्यवस्थापक लगे हुए हैं। उनकी योगयता भी जो बैंक के एलडीसी और यूडीसी होते हैं उनके समकक्ष नहीं है इसलिए मैं चाहूंगा कि वहां जो अनियमितताएं होती हैं, घोटाले भी होते हैं, वो योग्य नहीं रखते, इसके बारे में सरकार का क्या मानस है? क्या मानदण्ड के अनुसार खोले जायेंगे? नम्बर तीन, यह मार्गदर्शन आपने

कब चाहा है और कब तक प्राप्त हो जाएगा? ग्राम सेवा सहकारी समितियों को हम मजबूत करना चाहते हैं दूसरी तरफ बिना प्रतिफल के काम कर रहे हैं। बैंकों में जब खाते खोलते हैं तो उनके मानदण्ड तय हैं, उनको प्रतिफल मिलता है सेवा के प्रति लेकिन इसमें कुछ नहीं दिया जा रहा है। ग्राम सेवा सहकारी समितियों को मजबूत करने के लिए आपका इतना बड़ा काम मिनी बैंक के रूप में काम हो रहा है तो इसमें सरकार को विचार करना चाहिए।

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो मांग सहकारिता से सम्बन्धित है उसके बारे में तो मैं कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूं क्योंकि वो गलग विभाग से सम्बन्धित है। मगर यह सही है कि बड़ी संख्या में, 57,54,156 हमारी सहकारी के माध्यम से खाते आपरेट हो रहे हैं और जब यह बात आई कि सहकारी को इसके माध्यम से हम मजबूत करेंगे तो मैंने मेरे स्तर से भारत सरकार को लिखा है और पुनः इस सम्बन्ध में भारत सरकार को लिखेंगे। मैं सदन की जानकारी में यह लाना चाहूंगा कि इसके अलावा पोस्ट ऑफिस के माध्यम से नरेगा के भुगतान होते हैं और दूसरे बैंकों के माध्यम से होते हैं। भारत सरकार बैंको को भी किसी प्रकार का कोई भुगतान नहीं करती है न ही पोस्ट ऑफिस को करती है मगर अन्य योजना से यह जरूरी है कि पोस्ट ऑफिस को साल में एक बार 8 रुपये का भुगतान किया जाता है और अगर इस प्रकार की व्यवस्था सहकारी के माध्यम से भी हो सके तो निश्चित रूप से उस सहकारी को सबल मिलेगा। मैं आपकी भावना को वापस एक बार और आज इस प्रश्न से जो यहां पर उल्लेख हुआ है, पुनः इस बात को भारत सरकार के नॉलेज में लाऊंगा और मैं कोशिश करूंगा कि इसके माध्यम से अगर हमारी सहकारिता की व्यवस्था सुदृढ़ होती है तो निश्चित रूप से उसका उसको लाभ मिलेगा।

श्री अध्यक्ष: श्री सुन्दर लाल।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने यह पूछा कि राज्य मद से आप इन संस्थाओं के लिए या कोई ऐसी योजना चलाकर के उनको मद देने का विचार रखते हैं या नहीं? यह पूछ रहा हूं।

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): फिलहाल इसके ऊपर कोई विचार नहीं है। हम कोशिश कर रहे हैं कि भारत सरकार से इसके बारे में बात करें।

श्री अध्यक्ष: श्री सुन्दर लाल।

प्रदेश में अनुसूचित जाति के कृषकों को देय सुविधाएं

397. श्री सुन्दरलाल (पिलानी): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में अनुसूचित जाति के कृषकों को कृषि हेतु क्या-क्या सहायता दी जा रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार अब अनुसूचित जाति के कृषकों की हालत सुधारने के लिए सहायता देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक तथा क्या-क्या व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री हरजीराम बुरड़क (कृषि मंत्री): (1) अनुसूचित जाति के कृषकों को देय सहायता/अनुदान का विवरण परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्नकर्ता भी बहुत बुजुर्ग हैं और मंत्री महोदय भी बुजुर्ग हैं इसलिए थोड़ा जोर से बोलें तो सुनाई आये, सुनाई ही नहीं दे रहा है।

श्री अध्यक्ष: आप टाइम खराब नहीं करें। बहुत कम समय बचा है।

श्री हरजीराम बुरड़क (कृषि मंत्री): (2) सरकार द्वारा अनुसूचित जाति के कृषकों की हालत सुधारने के लिए अनवरत सहायता दी जा रही है। चालू वर्ष में दी जा रही सहायता/सुविधाओं का विवरण कार्यक्रम/योजनावार विवरण परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

श्री सुन्दरलाल (पिलानी): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि इसमें बीज के लिए एक हजार रुपये के लिए कहा तो कितने शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों को कब कितना दिया? यह बता दें और यदि दिये हैं तो यह बताने की कृपा करें कि झुन्झुनूं जिले में कहां-कहां दिया है?

श्री अध्यक्ष: मंत्री जी, मंत्री जी जवाब दे रहे हैं।

श्री हरजीराम बुरड़क (कृषि मंत्री): जवाब दे रहा हूं। जो पूछा है वह तो मैं सन नहीं पाया। एक मिनट।

श्री सुन्दरलाल (पिलानी): आपको नहीं सुनता होगा, मैं तो डांट मारता हूं अच्छी। मैं तो बिना माइक सुना दूंगा।

श्री हरजीराम बुरड़क (कृषि मंत्री): आप विराजो। एक मिनट। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं माननीय सदस्य को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस प्रकार के कार्यक्रम की सूचना हाउस को देने का मुझे अवसर दिया। 2008-09 में इस कार्यक्रम के लिए बजट का प्रावधान था वह 7.02 करोड़ था, वर्ष 2009-10 में 27.21 करोड़ था और अब इस प्रोग्राम में इस साल के बजट में.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, व्यवधान नहीं। मंत्री जी जवाब दे रहे हैं, जवाब दे रहे हैं। व्यवधान नहीं।

श्री हरजीराम बुरड़क (कृषि मंत्री): 2010-11 के लिए इस प्रोग्राम में 201.23 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है जो कि 25.57 प्रतिशत है। जबकि सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा जो लिखा गया है उसमें 17.20 प्रतिशत का प्रोविजन करने का लिखा था पर हमने इसको बढ़ाकर 25.57 प्रतिशत किया है।

श्री सुन्दरलाल (पिलानी): अध्यक्ष जी, मैं आपके द्वारा यह पूछना चाहता हूं कि दलहन, तिलहन और सरसों में पूर्व में कितना पैसा था और उसमें से शिड्यूल्ड कास्ट वालों को दिया क्या? अनुदान दिया क्या कहीं? यह जो बीज बाजार में बिकता है, जो आप बीज देते हो वो मिलता ही नहीं, हमारे तो जैसे चाय की दुकान पर थैली रखते हैं, हरियाणा से लाते हैं और

वो चाय की दुकान पर रखते हैं तो शुद्ध बीज कोई भिजवाते हो क्या? कहीं और भिजवाते हो तो शिड्यूल्ड कास्ट वालों को कितना पाने पड़ता है? यह आप इसमें बतायें। एक-एक पूछेंगे।

श्री पेमाराम (धोद): किस-किस को दिया?

श्री हरजीराम बुरड़क (कृषि मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जैसा आपने प्रश्न पूछा उसका पूरा विवरण आपको इसके साथ दे दिया। इसमें ऐसा कहीं नहीं पूछा था कि सरसों में क्या दिया और बीज में क्या दिया। सवाल यह है कि कुल मिलाकर के कितना प्रतिशत कृषि विभाग द्वारा इन जातियों पर खर्च किया गया है और वो मैंने कहा कि 6 से लेकर 201 तक पहुंच गये, फिर भी आप उल्टी बात कर रहे हो।

श्री सुन्दरलाल (पिलानी): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा पूछना चाहता हूं कि इसमें 50 प्रतिशत कितने किसानों को अनुदान दिया है यह बताने की कृपा करें। कृषि यंत्र खरीदने के लिए, ट्रेक्टरों के लिए...

श्री हरजीराम बुरड़क (कृषि मंत्री): ट्रेक्टरों के बारे में आपने नहीं पूछा है।

श्री सुन्दरलाल (पिलानी): ट्रेक्टरों के लिए न तो कोई लोन दिया....

श्री हरजीराम बुरड़क (कृषि मंत्री): अब यह लाखों की संख्या एक मिनट में थोड़े ही आती है। आपने पूछा है कि प्रदेश में अनुसूचित जाति के कृषकों हेतु क्या-क्या सहायता दी जा रही है इसका विवरण आपको दे दिया। एक-एक योजना का पूरा विवरण आपको दिया।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछा है।

श्री ग्यारसा राम कोली (बयाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी को निर्देशित करें कि ये तैयारी करके आया करें। तैयारी के साथ ये मंत्री सदन में आया करें।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): इससे सम्बन्धित कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है और आप इसका जवाब नहीं दे रहे हैं सदन में।

श्री पेमाराम (धोद): कोई आपके पास आंकड़े हैं, सूची है तो वो बताने का कष्ट करें।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का सीधा-सीधा प्रश्न था।

श्री अध्यक्ष: कृपया माइक को छोड़ दें।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): कि अनुसूचित जाति के कृषकों की हालत सुधारने के लिए सहायता देने का सरकार विचार रखती है? अनुसूचित जाति के व्यक्ति अगर ट्रेक्टर खरीदना चाहे तो कितना अनुदान देंगे? कोई कृषि यंत्र खरीदना चाहे तो कितना अनुदान सरकार देगी? यह सीधा-सीधा पूछा है तो इसका तो मंत्री महोदय जवाब दें।

श्री अध्यक्ष: जवाब दे दिया न।

श्री हरजीराम बुरड़क (कृषि मंत्री): अध्यक्ष महोदय, न तो कोई इसमें संख्या का पूछा, जो पूछा उसका पूरा विवरण दिया और उसके बाद में अलग से यह सारा विवरण दे दिया कि

2008-09 में क्या था और आज इसमें क्या है। 7 करोड़ से बढ़ाकर के हमने 201.23 करोड़ रुपये का प्रोविजन किया है और पिछले साल में भी 27.21.....

श्री पेमाराम (धोद): दिया किसको है यह पूछ रहे हैं, प्रोविजन नहीं पूछ रहे हैं। दिया किसको? आप यह बतायें।

श्री हरजीराम बुरड़क (कृषि मंत्री): यह अलग-अलग नहीं है।

श्री पेमाराम (धोद): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रावधान नहीं पूछ रहे हैं, प्रावधान कितना किया यह नहीं पूछ रहे हैं, दिया किस-किस को है यह पूछ रहे हैं।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): कितना फायदा दे रहे हैं यह पूछ रहे हैं। मंत्रीजी से जवाब दिलवायें।

श्री हरजीराम बुरड़क (कृषि मंत्री): यह प्रश्न अलग है, आप अलग से पूछिये।

श्री अध्यक्ष: श्री पवन दुग्गल।

प्रदेश में संविदा दन्त चिकित्सकों की स्थाई नियुक्ति

398. श्री अमराराम (दांतारामगढ़)(श्री पवन कुमार दुग्गल के स्थान पर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राज्य में दन्त चिकित्सकों के कुल कितने पद सृजित हैं एवं इनमें से कितने रिक्त हैं व कितने पदों पर संविदा दन्त चिकित्सक कार्य कर रहे हैं?

(2) गत 10 वर्षों में कितने दन्त चिकित्सकों को संविदा पर नियुक्ति दी गई है? क्या राज्य सरकार इन्हें नियमित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या नियुक्त संविदा चिकित्सकों में से किसी चिकित्सक की सेवायें समाप्त की गई हैं? यदि हां, तो किन-किन की व किन कारणों से?

vkj/akt/01.04.2010/12.00/1g

श्री एमादुद्दीन अहमद खान (दुरू मियां) (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): (1) राज्य में दंत चिकित्सकों के कुल स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों की संख्या तथा संविदा/अस्थाई दंत चिकित्सकों का विवरण परिशिष्ट-अ पर प्रस्तुत है।

(2) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में गत 10 वर्षों में निदेशालय स्तर एवं राज्य सरकार के स्तर से चिकित्सा अधिकारी (दंत) को समेकित/अनुबन्ध पर नियुक्ति दिये जाने हेतु कोई निर्देश प्रदान नहीं किये गये। राज्य सरकार द्वारा एम.बी.बी.एस. योग्यताधारी को ही समेकित/अनुबन्ध पर नियुक्ति दिये जाने का प्रावधान है। उसके उपरान्त भी सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा बी.डी.एस. योग्ययताधारी अभ्यर्थियों को चिकित्सा अधिकारी के पद पर जिला स्तर पर गठित चयन समिति द्वारा नियुक्ति दी गई थी, जिनमें से वर्तमान में पाँच दंत चिकित्सक कार्यरत हैं, जिनका विवरण निम्न प्रकार है:-

चिकित्सक का नाम	पदस्थापन स्थान

डा. राजीव सिडाना	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, श्रीकरणपुर(श्रीगंगानगर)
डा. आशा रानी राठौड़	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, झालरापाटन(झालावाड़)
डा. चारू शर्मा	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, परतापुर(बांसवाड़ा)
डा. अभिषेक माथुर	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जैतारण(पाली)
डा. सुनीता यादव	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, छबड़ा(बारां)

चिकित्सा शिक्षा विभाग के अन्तर्गत आने वाले मेडिकल/दंत कालेज में संविदा पर नियुक्त दंत चिकित्सकों की सूचना परिशिष्ट-ब पर प्रस्तुत है।

जी नहीं। वर्तमान में संविदा दंत चिकित्सकों को नियमित करने की कोई नीति विचाराधीन है।

(3) जी हां। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में चिकित्सा अधिकारी(दंत) को समेकित/अनुबन्ध पर नियुक्ति दिये जाने हेतु कोई निर्देश प्रदान नहीं होने तथा राज्य सरकार द्वारा एम.बी.बी.एस. योग्यताधारी को ही समेकित/अनुबन्ध पर नियुक्ति दिये जाने का प्रावधान होने के कारण संविदा पर नियुक्त निम्नलिखित दंत चिकित्सकों की सेवाएं समाप्त की गई है:-

चिकित्सक का नाम	पदस्थापन स्थान
डा. राजीव सिडाना	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, श्रीकरणपुर(श्रीगंगानगर)
डा. आशा रानी राठौड़	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, झालरापाटन(झालावाड़)
डा. चारू शर्मा	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, परतापुर(बांसवाड़ा)
डा. अभिषेक माथुर	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जैतारण(पाली)
डा. सुनीता यादव	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, छबड़ा(बारां)

वर्तमान में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर के एस.बी. सिविल रिट पिटीशन संख्या 818/08 एवं 918/08 की पालना में उपरोक्त चिकित्सक अग्रिम आदेशों तक यथावत कार्य कर रहे हैं।

चिकित्सा शिक्षा विभाग के अन्तर्गत आने वाले मेडिकल कालेज में संविदा पर नियुक्त दंत चिकित्सकों की सेवाएं समाप्त की गई हैं, का विवरण परिशिष्ट-स पर प्रस्तुत है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-   देखें।)

श्री अध्यक्ष: प्रश्नकाल समाप्त, प्रश्नकाल समाप्त।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): मैं कांस्टीट्यूशन का एक मामला उठाना चाहता हूं

अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: आसन पांवों पर है। पहले मुझे व्यवस्था देने दीजिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): आसन पांवों पर है तो, बाद में मैं व्यवस्था को उठाना चाहता हूं।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष: मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:-

(1) श्री बहादुर सिंह एवं आठ अन्य सदस्यों की ओर से जिला भरतपुर की बिगड़ती कानून एवं व्यवस्था की स्थिति के सम्बन्ध में।

(2) श्री हबीबुर्रहमान एवं चार अन्य सदस्यों की ओर से राज्य में मुस्लिम लोगों की आर्थिक तरक्की एवं खुशहाली के लिए उन्हें आरक्षण का लाभ देने के सम्बन्ध में।

(3) श्री ज्ञानदेव आहूजा, सदस्य की ओर से राज्य के विद्युत वितरण निगमों द्वारा विद्युत सुधार की बजाय सूचना प्रौद्योगिकी पर करोड़ों रुपया खर्चा करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(4) श्री बंशीधर खण्डेला एवं तीन अन्य सदस्यों की ओर से राज्य में गैस डीलर्स द्वारा नये गैस कनेक्शन्स देते समय जबरन अन्य सामग्री दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(5) श्री मोहन लाल गुप्ता, सदस्य की ओर से जयपुर की विश्व प्रसिद्ध जलमहल झील 99 वर्ष की लीज पर एक फर्म को दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(6) श्री अमराराम, सदस्य की ओर से राज्य में नरेगा मजदूरों के हकों के साथ हो रहे कुठाराघात एवं भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(7) श्री ओम बिरला एवं तीन अन्य सदस्यों की ओर से राज्य में पुरातन एवं ऐतिहासिक पानी की झीलों में हो रहे अतिक्रमण एवं उनके आसपास की जमीन को लीज पर देने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाये, अत: अनुमति देने में असमर्थ हूं।

(8) डा. गोपाल जोशी, सदस्य की ओर से जिला बीकानेर में अकाल के भीषण प्रकोप को दृष्टिगत रखते हुए चारा डिपो की संख्या में आवश्यकतानुसार वृद्धि करने के सम्बन्ध में।

(9) श्री राजेन्द्र राठौड़ एवं दो अन्य सदस्यों की ओर से प्रदेश में इन दिनों बड़ी मात्रा में मिलावटी व नकली दवाई के विक्रय की कार्यवाही धड़ल्ले से चलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(10) श्री हरिसिंह रावत एवं 15 अन्य सदस्यों की ओर से सुरजीत नगर बदनपुरा

(फकीरों की डूंगरी) गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड, जयपुर द्वारा धोखाधड़ी कर रुपये हड़पने के सम्बन्ध में।

(11) श्री पेमाराम, सदस्य की ओर से राज्य में न्यूनतम मजदूरी बढ़ाकर 250 रुपये करने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव भी ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाये, अतः अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य डा. गोपाल जोशी, श्री राजेन्द्र राठौड़, श्री हरिसिंह रावत एवं श्री पेमाराम को अपने-अपने प्रस्ताव की विषय-वस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

(1) श्री बाबूसिंह राठौड़, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ की पेयजल समस्या का समाधान करने हेतु स्वीकृत हैण्ड पम्प व नलकूप आदि कार्यों की स्वीकृति जारी करने के सम्बन्ध में।

(2) श्री कैलाश चन्द भंसाली, सदस्य की ओर से जोधपुर शहर के तीनों बड़े अस्पतालों में चिकित्सा व्यवस्था की कमियों के सम्बन्ध में।

(3) श्री प्रदीप कुमार सिंह, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ़ में निर्मित किये गये एन.एच.76 के फोर लेन निर्माण में ठेकेदारों के भारी वाहनों द्वारा तोड़ी गई अन्य सड़कों का नवीनीकरण कराने के सम्बन्ध में।

(4) श्री सुखराम, सदस्य की ओर से धौलपुर में फल-फूल रहे नकली दवाओं के कारोबार को रोकने के सम्बन्ध में।

(5) श्री जाकिर हुसैन गैसावत, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र मकराना में बी.ओ.टी. रोड संवेदक द्वारा सड़क का संविदानुसार रख-रखाव नहीं करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(6) श्री बहादुर सिंह, सदस्य की ओर से कस्बा भुसावर के चिकित्सालय में रिक्त चल रहे चिकित्सकों के पद पर पदस्थापनर करने के सम्बन्ध में।

(7) श्रीमती रोहिणी कुमारी, सदस्य की ओर से हिण्डौन जिला करौली के रेलवे फाटक पर ओवरब्रिज का निर्माण कराने की आवश्यकता के सम्बन्ध में।

(8) श्री कानसिंह कोटड़ी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सिवाना की कतिपय मिसिंग लिंक सड़कों का निर्माण कर उनका डामरीकरण कराने के सम्बन्ध में।

(9) श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास, सदस्य की ओर से जोधपुर नगर निगम क्षेत्र में आवासीय भवनों में संचालित व्यावसायिक गतिविधियों से पार्किंग की समस्या उत्पन्न होने के सम्बन्ध में।

(10) श्री ज्ञान चन्द पारख, सदस्य की ओर से पाली शहर की नया गांव के पास बसी बस्ती जोगमाया की ढाणी को नियमित कर पट्टा देने के सम्बन्ध में।

(11) कर्नल सोनाराम चौधरी, सदस्य की ओर से जैसलमेर में इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं का अभाव होने के सम्बन्ध में।

(12) श्री शिवजीराम मीणा, सदस्य की ओर से नगरपालिका जहाजपुर में सम्मिलित दूर-दराज के गांवों को अलग कर नई ग्राम पंचायतों के गठन की कार्यवाही कराने की आवश्यकता के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

श्री हबीबुर्रहमान (नागौर): माननीय अध्यक्ष महोदय,...

श्री अध्यक्ष: उप नेता फरमा रहे हैं। बीच में आप क्या बोल रहे हैं?

व्यवस्था का प्रश्न

मंत्री द्वारा अस्वस्थता के कारण सदन से अनुमति लेकर अनुपस्थित रहते हुए सार्वजनिक समारोह में भाग लेने विषयक

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं संविधान के आर्टिकल 190 के अन्तर्गत आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आर्टिकल 190 के उपखण्ड (4) के अन्तर्गत - "If for a period of 60 days, a member of a House of the Legislature of a State is without permission of the House absent from all meetings thereof, the House may declare his seat vacant: ..." अगर कोई माननीय सदस्य अपने यहां बिना सूचना दिये सदन से अनुपस्थित रहता है तो उसकी मेम्बरशिप 60 दिन के अन्दर निलम्बित कर देते हैं। इस निलम्बन से बचने के लिए राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 175 के अन्तर्गत अनुपस्थिति के लिए आवेदन का हमारे यहां विधान किया गया है। इसमें लिखा गया है कि जो सदस्य संविधान के अनुच्छेद 190 के खण्ड (4) के अन्तर्गत सदन की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुज्ञा प्राप्त करना चाहे, वह अध्यक्षजी को लिखित रूप में आवेदन देगा।

(2) उप नियम (1) के अन्तर्गत आवेदन पत्र में उस कालावधि का उल्लेख होगा जिसके लिए अनुपस्थिति की अनुमति अपेक्षित हो और उसमें ऐसी अनुपस्थिति की अनुमति के आरम्भ होने तथा समाप्त होने की तिथि और अनुपस्थिति की अनुमति के आधार भी दर्शाये जायेंगे।

(3) परन्तु किसी एक समय साठ दिन की कालावधि से अधिक की अनुपस्थिति की अनुमति के लिए आवेदन नहीं किया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय, 12 मार्च को इस सदन में इसी नियम के अन्तर्गत आपने सदन में विनिश्चय के लिए एक प्रस्ताव रखा कि माननीय मंत्री श्री महेन्द्रजीत सिंह मालवीय ने जो बीमार है और बीमारी के कारण से सदन से दो सप्ताह के लिए अनुपस्थिति अनुमति चाही है। उसको इस सदन में पक्ष और विपक्ष के सदस्यों ने हां मत के द्वारा स्वीकृत कर दिया। अध्यक्ष महोदय, इसमें तीन बातें देखी जाती हैं। अनुमति 60 दिन से अधिक की ना हो,

अनुपस्थिति का कारण हो, आधार बताया गया हो और अनुपस्थिति के लिए समय सीमा दी गई हो। मैं निवेदन आपसे यह करना चाहता हूं कि माननीय मंत्रीजी ने जो यहां पर अनुपस्थिति अनुमति मांगी थी, उसमें 12 मार्च से यह मांगी थी कि वह बीमार हैं और उनकी चिकित्सा वहां पर होनी है। उसके बाद अध्यक्ष महोदय, 12 मार्च के बाद में 15 मार्च को उदयपुर के जिला प्रभारी मंत्री के नाते बैठक ली। कलक्टर आनन्द कुमार उसमें सम्मिलित थे। 30 मार्च को घाटोल तहसील के गोरधन पाड़ोली गांव में कृषि विभाग के कार्यक्रम में शरीक हुए। 21 मार्च को केन्द्रीय भूतल राज्य मंत्री श्री महादेव सिंह खण्डेला के साथ बनास नदी पर पुल के शिलान्यास में सम्मिलित हुए। 23 मार्च को आनन्दपुरी में सुद्राव गांव में जिला प्रमुख उनकी पत्नी है, के सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे...

Jkj/akt/1.4.2010/12.10/1h

25 मार्च को बागीदोरा सामुदायिक केन्द्र के नये भवन के लोकार्पण के समय वहां उपस्थित थे। 30 माच्र को केन्द्रीय आदिम जाति मंत्री तुषार चौधरी के साथ कातरिया में पोलीटेक्नीक कालेज के उदघाटन के समारोह में उपस्थित थे। पिछले सप्ताह सचिवालय में बैठे और जनजाति क्षेत्रीय विकास की बैठक ली। यही नहीं, विधान सभा में जिस दिन उनकी डिमांड्स पर चर्चा हुई उस दिन भी वह सचिवालय में थे और सचिवालय में बैठकर काम किया और माननीय परसादी लालजी मीणा ने उनका यहां पर जवाब दिया। अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा 29 मार्च को गुजरात की सीमा में भुवानपुरा में गुब्बारे में बैठकर ऊपर की यात्रा की। कुल मिलाकर तीन बातों का इसमें खंडन हुआ। पहली बात, इस सदन को गलत सूचना दी गई, एक। नम्बर दो, इस सदन के साथ इसके विशेषाधिकार का हनन किया गया। नम्बर तीन, मंत्री परिषद के नाते उनके जो कर्तव्य हैं उन कर्तव्यों के निर्वहन में कोताही की गई। नम्बर चार, सदन की मजाक उड़ाई गई। घूम रहे हैं मंत्रियों के साथ, कार्यक्रम कर रहे हैं मंत्रियों के साथ, सचिवालय में बैठे हैं। नहीं आये मंत्री, कोई आवश्यकता नहीं है, मंत्री आये कि नहीं आये, उनकी इच्छा पर निर्भर है लेकिन सदन में यह लिख कर भेजना कि मैं बीमार हूं और बीमारी के कारण से मैं नहीं आ सकता, उसके बाद में इस प्रकार का मखौल सदन का उड़ाना मैं समझता हूं कि ऐसी बड़ी भूल हिंदुस्तान के इतिहास में किसी मंत्री ने, हिंदुस्तान के इतिहास में किसी मंत्री नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, नहीं की होगी और इसके लिए दण्ड की व्यवस्था भी, अध्यक्ष महोदय, सिर्फ आपको करनी है, और किसी को नहीं करनी है। मैं चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, कि इस बात का निर्णय किया जाय, एसएमएस हास्पीटल के तीन वरिष्ठ डाक्टरों की एक कमेटी बनाई जाय और कमेटी बनाकर वह इस बात की जांच करे कि उनको राजस्थान के बाहर इलाज के लिए जाने के लिए किन्होंने कहा और किस इलाज के लिए उनको जाना था, किस चिकित्स्क से उनको जांच करानी थी और उनके क्या बीमारी है, एक। दूसरा, माननीय अध्या महोदय, मैं चाहूंगा कि आप सदन के दोनों पक्षों के माननीय सदस्यों की एक संयुक्त समिति बनायें और वह समिति बनकर

आपको रिपोर्ट दे और रिपोर्ट के बाद में, अध्यक्ष महोदय, आपको अधिकार प्राप्त है, इस रिपोर्ट के अन्तर्गत शिड्यूल 10 जो आफ द कांस्टीट्यूशन है, उसके अंदर आपको अधिकार प्राप्त है, "The Chairman or the Speaker of a House, may, without prejudice to the provisions of Article 105 or, as the case may be, Article 194, and to any other power which he may have under this Constitution, direct that any willful contravention by any person of the rules made under this paragraph may be dealt within the same manner as a breach of privilege of the House." अध्यक्ष महोदय, इसमें साफ लिखा है कि जो नियम आपने बनाये हुए हैं उन नियमों के अन्तर्गत अगर उन नियमों का कोई ब्रीच होता है तो आपको ब्रीच आफ प्रिविलेज का अधिकार है और आप उस मेम्बर की मेम्बरशिप को समाप्त कर सकते है। इससे बढ़िया कोई उदाहरण नहीं आयेगा राजस्थान की, हिंदुस्तान की विधान सभाओं में कि मंत्री सदन को यह सूचित करे कि वह बीमार है, सदन उनको छुट्टी दे और सदन की छाती पर बैठ कर, प्रेस के सामने, सारी दुनिया के सामने बैठ कर वह इस प्रकार की बात करे, उसकी मेम्बरशिप समाप्त होनी चाहिए लेकिन सीधा मेम्बरशिप समाप्त करना ठीक नहीं है अध्यक्ष महोदय, इसलिए हम चाहेंगे कि आप एक तो कमेटी बनायें, कमेटी बनायें डाक्टरों की जो इस बात की जांच करे कि बीमार थे कि नहीं, और बीमार थे तो उनको कहां इलाज कराना था। दूसरा, सदन के सदस्यों की आप कमेटळी बनाये और कमेटी बनकर जांच करे कमेटी और कमेटी जांच कर आपको रिपोर्ट दे और रिपोर्ट देने के बाद में शिड्यूल 10 जो आफ द कांस्टीट्यूशन है उसके अन्तर्गत उनकी मेम्बरशिप खत्म की जाय ताकि सदन के साथ, राजस्थान की जनता के साथ किसी को मजाक करने का, उसकी अवमानना करने का ऐसा अधिकारप्राप्त नहीं हो, यह मेरी आपसे प्रार्थना है अध्यक्ष महोदय, अगर हम कार्यवाही नहीं करेंगे तो हमारी और भी बात खराब होगी। आज राजस्थान के, राजस्थान पत्रिका के फ्रंट पेज पर यह खबर छप कर गई है, सारे राजस्थान में यह खबर छपी है, और अखबारों में भी छपी है, राष्ट्रदूत, राजस्थान पत्रिका, बहुत से अखबारों में यह खबर, फोटोग्राफ छपे हैं और इसके बाद में अगर काग्नीजेंस यह सदन नहीं लेगा और मैं सरकार से भी आग्रह करूंगा कि यह मामला किसी व्यक्ति के द्वेष का नहीं है, यह सदन की, उसकी मर्यादाओं का सवाल है और माननीय अध्यक्ष महोदय, आप इस पर निश्चित रूप से विनिश्चय करेंगे, यह मेरी आपसे सादर प्रार्थना है। मामला संविधान के अन्तर्गत है इसलिए आप निश्चित रूप से कार्यवाही करेंगे, यही मेरा आपसे निवेदन है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप बिराजें, एक बार उनको । (व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, जैसा प्रतिपक्ष के उप नेता महोदय ने एक विषय यहां सदन के सम्मुख रखा, प्रक्रिया के नियम 175 के अन्तर्गत कोई भी माननीय सदस्य जो किसी अवधि विशेष के लिए सदन से अपनी अनुपस्थिति के लिए निवेदन करता है, सदन उस पर आसन की व्यवस्था के अनुरूप अपनी सहमति जाहिर करता है, उसी के अनुरूप उनको इजाजत दी जाती है। यह बात सही है कि माननीय इस सदन के

सदस्य और मंत्री मालवीयजी ने अपनी अस्वस्थता के नाम पर यहां पर आवेदन पेश किया था और उस आवेदन के चलते सदन ने सहमति दी थी और उस सहमति के अनुरूप वह यहां से अनुपस्थित हैं। समाचार पत्र के माध्यम से जिस बात को प्रतिपक्ष के...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): समाचार का माध्यम नहीं लिया है मैंने।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): उप नेता महोदय ने इस बात को, आपने भी समाचार पत्र का उद्धरण पेश किया है...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): नहीं-नहीं, नहीं, पहले एक मिनट।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): एक मिनट मेरा निवेदन, पहले मेरी बात।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): ना-ना, समाचार का मैंने नहीं लिया है, मैंने कहा यह..(व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): पहले मेरी बात सुन लीजिये, निवेदन है। अध्यक्ष महोदय, पहले मेरी बात आ जाय।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): यह मैंने कहा है मेरी पर्सनल जानकारी में है और समाचार में भी छपा है, यह कहा है मैंने।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): यह ठीक है, दोनों बात आ गई।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): हां।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): मेरा आपसे निवेदन यह है कि इस सब में चूंकि माननीय मंत्री महोदय अभी यहां पर उपस्थित नहीं हैं...

श्री अध्यक्ष: नियमों की क्या स्थिति है, आप तो वह बताओ।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): नियमों के अन्तर्गत ही मैं बात रख रहा हूं, वह उपस्थित नहीं हैं, मैं निवेदन करूंगा कि उनका इसमें स्पष्टीकरण आ जाय, उसके बाद ही कोई बात आये, यह मेरा निवेदन है।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो करंट मार रहा है साहब, इसको तो ठीक कराओ। करंट मार रहा है यह।

श्री अध्यक्ष: आप उसको अंगुलि करते ही क्यों हो।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): अंगुलि नहीं करता, मैं तो चालू कर रहा था साहब।

श्री अध्यक्ष: बिराजिये आप।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): माननीय प्रतिपक्ष के उप नेता ने, माननीय अध्यक्ष महोदय, जो सवाल रखा है और सरकारी मुख्य सचेतक ने कि स्पष्टीकरण, मैं समझता हूं इसके बाद स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है...

श्री अध्यक्ष: बस, तो आप बिराजो।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): नहीं, इसलिए अध्यक्ष महोदय, यह बहुत बड़ा इस सदन का सबसे बड़ा अपमान है कि वह सचिवालय में बैठे रहें और उनकी मांग यहां डिस्कस हो और वह मंत्री के साथ, राजस्थान सरकार के और केन्द्र सरकार के मंत्री के साथ प्रोग्राम में

जाते रहें और इस सदन की सर्वसम्मत अनुमति की जिस तरह से धज्जियां उड़ायें, मैं समझता हूं यह किसी व्यक्ति का नहीं, सवाल इस सदन के विशेषाधिकार और सम्मान का सवाल है, इसलिए निश्चित रूप से जांच करवाई जानी चाहिए और...

श्री अध्यक्षः आप विराजें।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ऐसे मंत्री को मंत्री रहने का कोई हक नहीं है..

श्री अध्यक्षः बिराजिये।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): सरकारि को उनसे तुरंत इस्तीफा ले लेना चाहिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, मैं एक चीज, एक छोटा सा निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्षः बिराजें, बिराजें। हो गई बात सारी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): नहीं, एक सैकण्ड। मैं एक नई बात कहना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने प्रक्रिया के नियम 175 के तहत जो अनुपस्थिति के लिए आपसे अनुमति मांगी थी, सदन ने अनुमति दी, वह अनुमति का समय भी समाप्त हुए चार दिन हो गये, मैं आपकी नालेज, आपकी जानकारी में इसलिए लाना चाहता हूं, चार दिन समाप्त होने के बाद उन्होंने न तो सदन में यह लिख कर दिया कि वह स्वस्थ हो गये हैं या अस्वस्थ हैं तो अनुमति उन्होंने आगे बढ़ाने की बात की है, इसलिए अध्यक्ष महोदय, एक ऐसा यक्ष प्रश्न सदन के सामने आ गया, यह सदन की प्रतिष्ठा का सवाल है और यह आप जैसे व्यक्तित्व, जो विद्वान व्यक्ति आसन पर बिराजे हैं..

श्री अध्यक्षः आप विराजें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): उनकी विद्वता की भी बात का सवाल है।

श्री अध्यक्षः विराजिये, विराजिये।

एक माननीय सदस्यः आप +++ लगा रहे हो..(व्यवधान)

श्री अध्यक्षः +++ नहीं लगा रहे। +++ एक्सपंज कर दिया जाय। आपको कुछ कहना है?

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): हां, जी। अध्यक्ष महोदय, सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बात उठाई है मंत्रीजी की अनुपस्थिति की, यह बात सत्य है कि मंत्रीजी ने बाकायदा आवेदन अपना पेश किया और उस आवेदन पर आपने सदन की सहमति ली। आज जो जिस प्रकार से सारे समाचार पत्रों में छपा है उसको बेस बना करके आपने यह बात उठाई है (व्यवधान) देखिये, बीच में मत बोलियेगा, मेहरबानी करिये, आप बोले, मैं कभी नहीं बोला हूं बीच में, हां।

श्री अध्यक्षः बोला, आपके लिए यह कभी बीच में नहीं बोले हैं।

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): नहीं। आपने उसके बाद आरोप लगाते, लगाते, लगाते आपने यह भी कहा कि वह अपनी पत्नी के साथ आदर-सत्कार में भी शामिल थे, वह मेले में भी गये, वह फलां तारीख को सचिवालय के कक्ष में भी मौजूद थे, वह वहां पर भी थे, वह वहां पर भी थे, आपने एक दस्तावेज सदन की मेज पर नहीं रखा, इसका अर्थ यह है कि आपने सारी की सारी जो कुछ बात कही वह समाचार पत्रों के माध्यम से कही, व्यक्तिगत माध्यम से नहीं कही। पहला निवेदन यह है मेरा। दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से आपने यह कहा कि सदन की समिति बनाई जानी चाहिए, सदन की समिति किन दस्तावेजों को देखकर के फैसला करेगी, कोई दस्तावेज तो हो, क्या समाचार पत्रों को देखकर के फैसला करेगी और तीसरा, मेरा निवेदन यह है कि जो पूर्व में प्रतिपक्ष की नेता थीं...

श्री अध्यक्ष: छोड़ो न उसको।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): नहीं साहब, मुझे बोलने दीजिये आप, मुझे आपने इजाजत दी है, इजाजत दी है मुझे बोलने की। पूर्व में जो प्रतिपक्ष की नेता थीं श्रीमती वसुन्धरा

राजे, उन्होंने कितनी बार आपको आवेदन दिया...

Lpm/akt/1220/1j/1042010

कितने दिन के लिए दिया, क्या कारण बताये, किन कारणों से वह अनुपस्थित रही और उसके बाद में कितनी बार जो है उन्होंने अपने आवेदन को बढ़ाया उनका भी जवाब आ जाए और देखिए अध्यक्ष महोदय, आदमी बीमार होता है। लेकिन बीमारी का अर्थ यह भी नहीं होता है कि वह बिलकुल ही बिस्तर पर लेट जाए ...(व्यवधान)... मुझे मेरे तर्क तो देने लेने दो।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): सच्चाई से तकलीफ होती है।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): बीमार होने के बाद वह सीधा का सीधा डॉक्टर की एडवाइस के अनुसार काम करता है। डॉक्टर उससे यह कहता है तुम्हें बाथरुम जाना है, नहीं जाना है, डॉक्टर यह कहता है कि तुम्हें यह खाना है, यह खाना है, डॉक्टर यह कहता है कि तुम्हें कम से कम भी एक किलोमीटर तक पैदल चलना है, पैदल चलना है, डॉक्टर यह कहता है उससे कि तुम्हारा ऑपरेशन दस दिन बाद करुंगा, अगर इस बीच में वह अहमदाबाद में ऑपरेशन करवाने के लिए उन्होंने तय किया, उनके पेट में अल्सर था, डॉक्टर ने उनको यह एडवाइस दिया कि अभी मैं आपको थोड़े दिन बाद जो दवा मैं देना चाहता हूं उस दवा का असर देखने के बाद में मैं आपकी तारीख तय करुंगा कि आपका ऑपरेशन कब होगा। इसी बीच में उन्होंने डॉक्टर से इजाजत ली कि मैं क्या-क्या काम कर सकता हूं? अगर वह काम उन्होंने कर दिये तो क्या गजब कर दिया? क्या गजब कर दिया? ...(व्यवधान)...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय संसदीय मंत्री जी की सभी बातों को स्वीकार करता हूं। मैं संसदीय कार्य मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने सदन का भी, माननीय अध्यक्ष का भी और मेरा भी रास्ता प्रशस्त कर दिया है। अब उन्होंने पहला प्रश्न कहा कि वह किस डाक्युमेंट देखेगी समिति?

श्री अध्यक्ष: मेरा रास्ता तो मैं ढूंढूंगा, आपके और इनके कहने से नहीं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): हां, ढूढेंगे पर मैं रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। आसन को निवेदन करना है वह रास्ता भी आता है ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: आप विराजे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, डाक्युमेंट देखेंगे माननीय मंत्रियों के जो कार्यक्रम जारी होते हैं केन्द्रीय मंत्रियों के, वह कार्यक्रम फिर उनके कार्यक्रमों में जो लोग उपस्थित रहे वह और उन कार्यक्रमों में और हमारे मंत्री जी जो कार्यक्रमों में गये वह कागज, उन कागज पत्रों में अगर महादेव सिंह खण्डेला के साथ, केन्द्रीय मंत्रियों के साथ इनके साथ और हमारे विभाग के द्वारा की गई प्रेस विज्ञप्तियों के साथ और जिन क्षेत्रों में काम हुए हैं उन जिला कलक्टरों ने मंत्रियों की सुरक्षा के लिए क्या व्यवस्था की, उनके साथ-साथ हम कौन-कौन लोग गये? यह देखने के लिए समिति बनेगी और समिति निष्पक्षतापूर्वक कार्य सके, हमारे माननीय मंत्री जी के खिलाफ कोई इस प्रकार की बात नहीं आये जो गलत हो। इसलिए समिति इन सारे तथ्यों को जाकर देखेगी एक बात। दूसरा, आपने यह कहा कि उन्होंने अख़बार की कटिंग के आधार पर कहा। इसमें दो बात है समाचार की कटिंग के आधार पर आरोप नहीं लगा सकते लेकिन समाचार पत्र में अगर यह छपा है कि माननीय धारीवाल जी वहां पर गये और उन्होंने इसका उदगाटन किया तो वह एक जानकारी स्रोत होता है, चैनल भी जानकारी का स्रोत है। लेकिन यह सब काम मेरी पर्सनल जानकारी में हैं कि वह इस दिन इन उपस्थितियों में यहां पर गये। क्योंकि मैंने चैनल में भी खबर देखी और इसमें अख़बार में भी पढ़ी और मैंने यह जानकारी कि की कौन कहां पर गये हुए हैं? तीसरी, बात मैं कहना चाहता हूं कि उन्होंने कहा कि डॉक्टर किसी को राय दे कि इतनी दूर चलो, इतनी दूर मत चलो और डॉक्टर की राय के आधार पर काम होना चाहिए बिलकुल मैं आपसे सहमत हूं। इसलिए मैंने कहा एसएमएस हॉस्पिटल के तीन डॉक्टरों की समिति बना दी जाए जो समिति माननीय मंत्री जी ने जो बात कही है उसके हिसाब से मंत्री जी का परीक्षण कर ले और वह काम हो जाए। तीसरी, उन्होंने एक बात कही कि सदन की भूतपूर्व मुख्यमंत्री प्रतिपक्ष की नेता ने अनुपस्थिति की सूचना नहीं ली। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी नियम में साफ-साफ प्रावधान है कि 60 दिन तक किसी को अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए वसुंधरा जी को अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं थी और इस प्रकार के उदाहरण तो बहुत बार हुए हैं। जब अशोक जी गहलोत थे जब महामंत्री और यहां पर आते तो एक दिन सदन में आते थे और बाहर आकर चले जाते थे। उन्होंने पाँच साल तक कभी भी अनुमति नहीं ली।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): वह एक दिन तो आते थे, वह तो आती ही नहीं है, दर्शन ही नहीं देती ...(व्यवधान)...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): इसलिए अध्यक्ष महोदय, वह प्रश्न अलग है, यह प्रश्न अलग है। सदन में सूचना देकर, सदन से लेकर, मैं नहीं चाहता गलत काम हो। इसलिए मैंने पहले कहा कि तीन डॉक्टरों की समिति बनाई जाए। अहमदाबाद के डॉक्टर ने कह दिया कि वहां से आप जाकर स्कार्पियों में जाए, गुबारे में जाए, आपको छूट है, हम स्वीकार कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अहमदाबाद के डॉक्टर ने कहा वहां पर आप भाखड़ा डांस करे इससे आपका स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, हमको स्वीकार है, हमको इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए मैं आपसे चाहता हूं कि जो सारे सुझाव जो सत्तापक्ष ने दिये हैं वह स्वीकार हैं, सारे सुझाव जो माननीय बेनीवाल जी ने दिये हैं वह स्वीकार हैं, सारे सुझाव जो माननीय धारीवाल जी ने दिये हैं वह स्वीकार हैं और मंत्री जी का स्पष्टीकरण भी आवश्यक है। इसलिए समिति जो होगी वह मंत्री जी से स्पष्टीकरण भी ले लेगी।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): बिलकुल ठीक है, मैं आपकी बात को स्वीकार करता हूं तीन आदमियों की नहीं...

श्री अध्यक्ष: बीच में डिस्टर्ब नहीं करे मंत्री जी, मंत्री जी बीच में डिस्टर्ब नहीं करे पहले इनकी बात पूरी हो जाने दे, बात पूरी जाने दें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): Let me complete. इसलिए अध्यक्ष महोदय, अब आपके सामने विनिश्चय का एक ही मुद्दा बचा है जिस पर सत्तापक्ष और प्रतिपक्ष दोनों सहमत हैं कि डॉक्टरों की समिति बना दी जाए ताकि जो अहमदाबाद के डॉक्टर से राय ली उसकी जांच हो जाए, एक मंत्री जी का स्पष्टीकरण ले लिया जाए ताकि कमेटी बन जाए और इस डाक्युमेंट की जांच हो जाए और इसलिए मैं उन सारे प्रस्तावों को स्वीकार करता हूं जो संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहे हैं और जो सचेतक जी ने कहे हैं और अध्यक्ष महोदय से आग्रह करता हूं कि आज ही आप इसका विनिश्चय करके यह कमेटी बनाये ताकि सदन की मर्यादाओं को ध्यान में रखा जाए और किसी भी माननीय सदस्य को सदन की मर्यादा को खण्डित करने का और राजस्थान की विधान सभा की प्रतिष्ठा को और विशेषाधिकार के हनन को समाप्त करने का और कॉन्स्टिट्यूशन के 190 आर्टिकल का उल्लंघन करने का अधिकार प्राप्त नहीं हो। मैं चाहता हूं यह एक बहुत बड़ा निर्णय होगा और इस निर्णय में हम मंत्री महोदय मालवीय जी के साथ में भी न्याय कर सके और सदन के साथ भी न्याय कर सके। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, इस बात पर कोई एतराज नहीं है किस तरीके की जांच हो। क्योंकि जिस तरीके का यह मामला आपने उठाया है और फिर यह कह दिया कि मेरी व्यक्तिगत जानकारी में हैं, टी.वी. देखकर के वहां से टेलीफोन आ गये होंगे, वहां सब कुछ और कुछ निमंत्रण पत्र भी बंटे होंगे वहां पर तो उनकी भी शायद कॉपी आपके पास आ गई होगी वगैरह-वगैरह, जो कुछ भी है वह सब दस्तावेज आप यहां रखेंगे ही

रखेंगे। एक मेरा यह निवेदन है कि जब कोई व्यक्ति बीमार होता है तो एक डॉक्टर, दो डॉक्टर चाहे वह फिजिशियन हो, चाहे वह सर्जन हो, चाहे वह...

श्री अध्यक्षः अहमदाबाद कहां से आ गया, वह गुडगांवा के लिए गए हैं, मंत्री जी यह अहमदाबाद कहां से आ गया, गुड़गांवा गये हैं।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): जो भी हैं वह भी मैं बता रहा हूं आपको, अहमदाबाद हो, गुडगांव हो, लंदन हो, कहीं भी हो, मेरा आपसे यह निवेदन है कि जो ट्रीटिंग डॉक्टर होता है वह ट्रीटिंग डॉक्टर ही जो है वह दवा उसको प्रेसक्राइब करता है, वह ट्रीटिंग डॉक्टर ही उसको फिजियोथैरेपिस्ट बताता है, वह ट्रिटिंग डॉक्टर ही उसको डाइट बताता है, वह ट्रीटिंग डॉक्टर ही उसको बताता है कि तेरी दिनचर्या यह-यह रहेगी, इस वक्त तू सोएगा, इस व्यक्त तू आराम करेगा तो मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर मान लीजिए आप इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि इस बात की जांच करवाई जाए तो मेहरबानी करके उस ट्रीटिंग डॉक्टर की एडवाइस के अनुसार आप फैसला करे।

श्री अध्यक्षः एक बात आप भूल गये, ऐसे मामले में सदन में कहीं गंभीर प्रश्न आये तो सदन में इस तरफ से पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर राय बताता है।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): राय दे दी न, मैंने आपको राय दे दी है कि जिस ट्रीटिंग डॉक्टर से उनका इलाज चल रहा है, उस ट्रीटिंग डॉक्टर ने उनको क्या-क्या सलाह दी हैं? उनकी सलाह लेना आपके लिए मैं समझता हूं कि हितकर रहेगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): यह भी स्वीकार है अध्यक्ष महोदय, जो उनका ट्रीटमेंट कर रहा है वह डॉक्टर भी एसएमएस हॉस्पिटल के तीन डॉक्टरों की समिति में शामिल हो जाए ताकि डॉक्टर डॉक्टर बात करे तो मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी का यह सुझाव भी, मैं यह सुझाव इसलिए स्वीकार कर रहा हूं, मैं किसी बात के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं है, स्कोर नहीं है, न कोई आलोचना है, न हम कोई मंत्री जी का वह नहीं करना चाहते है। सदन की प्रतिष्ठा बनी रहे इसलिए दोनों पक्षों के जो सुझाव आये हैं अध्यक्ष महोदय, वह दोनों पक्षों के सुझाव ही आप स्वीकार ले और इनके सुझाव के आधार पर ही समिति बना दे और इनके सुझाव के आधार पर काम कर दे। ताकि आयंदा कोई सदन का अवमूल्यन नहीं कर सके यही मेरा आपसे कहना है।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): आज ज्यादा मत उठाओ बीमार हो जाएंगे वह, ऑपरेशन हो जाने दो, श्रीमान् जी समझो बात को, बेकार खाम-खाम में ही उठाये जा रहे हो।

श्री अध्यक्षः सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने, दांतारामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने और तारानगर (चुरु) से आने वाले माननीय सदस्य ने तकनीकी शिक्षा मंत्री जी....

Bhs/akt/1.4.10/12.30/1k

तकनीकी शिक्षा मंत्री श्री मालवीय जी की बीमारी को लेकर छुट्टी पर जाने के प्रकरण

की चर्चा की संविधान और विधान सभा के कार्य संचालन नियम और परम्पराओं की भी चर्चा की। सत्ता पक्ष की ओर से भी पार्लियामेंट्री अफेयर्स मंत्री जी ने अपनी बात कही। अब इस पर तत्काल मुझे निवेदन करना इसलिए संभव नहीं होगा कि जिस व्यक्ति के संबंध में चर्चा की जा रही है जब तक उनसे मैं स्पष्टीकरण न ले लूं, सारी स्थितियों को देख लूं तब तक किसी प्रकार का निर्णय किया जाना उचित नहीं होगा इसलिए मैं आपकी बात को ध्यान में रखते हुए मालवीय जी से भी मैं उनकी परिस्थिति क्या है, क्या नहीं है क्या है, चर्चा करूं, स्पष्टीकरण ले लूं और समिति बना कर कोई नतीजा निकल जाए उसकी बजाय मैं स्वयं इसको देखूंगा। यह आपको निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, ...।

श्री अध्यक्ष: चर्चा समाप्त हो गयी।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): नहीं, इसके बारे में नहीं है।

श्री अध्यक्ष: कृपया चर्चा समाप्त करें।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): नहीं इसमें नहीं कह रहा हूं अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: डॉ. गोपाल जोशी। चर्चा समाप्त।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): मैं तो आपको इन्फोर्मेशन...। अध्यक्ष महोदय, इसमें नहीं कह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: डॉ. गोपाल जोशी। चर्चा समाप्त। किसी भी अन्य माननीय सदस्य का अंकित नहीं होगा। किसी अन्य माननीय सदस्य का अंकित नहीं होगा। डॉ. गोपाल जोशी।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): [000]

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): 000

श्री अध्यक्ष: आधा घंटा खराब हो गया। डॉ. गोपाल जोशी।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा
चारा डिपो की संख्या वृद्धि

डा. गोपाल जोशी (बीकानेर पश्चिम): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 50 के अन्तर्गत स्थगन प्रस्ताव के लिए इजाजत दी है उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। बीकानेर जिला...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: डॉ. गोपाल जोशी। माननीय सदस्य, विराजें। नहीं, कृपया विराजें।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): 000

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, कृपया विराजें।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): 000

श्री अध्यक्ष: डॉ. गोपाल जोशी। माननीय जोशी जी। मैं अलाऊ नहीं कर रहा हूं।

[000] अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

अंकित नहीं होगा।

डा. गोपाल जोशी (बीकानेर पश्चिम): बीकानेर जिले के अन्दर...। ...(व्यवधान)...

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): 000

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा। माननीय गोपाल जोशी।

डा. गोपाल जोशी (बीकानेर पश्चिम): बीकानेर एक ऐसा जिला है अध्यक्ष महोदय, जहां बरसात बहुत कम होती है और वहां पर अभी बीकानेर डिस्ट्रिक्ट में भीषण अकाल पडा हुआ है और उस भीषण अकाल के समय में वहां पर चारे की इतनी कमी है।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): 000

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा। कृपया विराजें माननीय सदस्य।

डा. गोपाल जोशी (बीकानेर पश्चिम): कि चारा वहां पर प्राप्त नहीं हो रहा है इस कारण से वहां की गायों को चारा नहीं मिल रहा है और इसलिए यह मैं स्थगन ...(व्यवधान)...

श्री अमराराम (दांतारामगढ़):[000]

श्री अध्यक्ष: डॉ. गोपाल जोशी। अन्य किसी माननीय सदस्य का अंकित नहीं होगा।

डा. गोपाल जोशी (बीकानेर पश्चिम): चारा डिपो की संख्या वहां पर बिलकुल नहीं है इसलिए मैं आपसे निवेदन यह करना चाहता हूं कि बीकानेर जिले में साठ हजार से एक लाख तक गायें वहां पर रहती हैं और वहां का केवल बीकानेर ही नहीं बीकानेर से बाहर भी दूध जाता है ...(व्यवधान)... अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और अभार व्यक्त करता हूं कि इस तरह का मौका दिया आपने।

श्री अध्यक्ष: कृपया शांति रखें। माननीय सदस्यगण, अपने-अपने स्थान पर बैठें। कृपया शांति रखें। व्यवस्था बनाये रखनी है।

डा. गोपाल जोशी (बीकानेर पश्चिम): बीकानेर जिले में भीषण अकाल है और इस भीषण अकाल के समय में बीकानेर शहर में जो वहां पर गायें हैं उनके चारे की कोई व्यवस्था नहीं है। केवल मात्र एक डिपो वहां पर खुला हुआ है जिसको एक हफ़्ते के अन्दर पाँच ट्रक दिये जाते हैं। ऐसा लगता है अध्यक्ष महोदय, ...। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: व्यवधान नहीं। माननीय सदस्य, आपस में चर्चा नहीं। आप इधर संबोधित करें।

डा. गोपाल जोशी (बीकानेर पश्चिम): नहीं, बीकानेर शहर के अन्दर पूरे शहर में एक हफ्ते में केवल पाँच ट्रक, ऐसा लगता है कि लोगों ने यह समझ लिया कि बीकानेर में तो जानवर कोई बसता ही नहीं है। जानवर कोई नहीं है आदमी ही आदमी है सारे वहां।

श्री अध्यक्ष: आप कहना क्या चाहते हैं, बीकानेर में जानवर हैं यही कहना चाहते हो न आप?

---

[000] अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

डा. गोपाल जोशी (बीकानेर पश्चिम): हां हैं, दुधारू जानवर हैं। ऐसा नहीं है, दुधारू जानवर हैं वहां पर मैं यह कहना चाहता हूं कि बीकानेर शहर के अंदर दुधारू जानवर हैं। बीकाने डिस्ट्रिक्ट के अन्दर भी दुधारू जानवर हैं और जानवर भी कम से कम साठ हजार से एक लाख के करीबन बीकानेर में दुधारू हैं और कभी एक दफा देवधर भाई यहाँ पर आये थे तब उन्होंने कहा कि वास्तव में वृंदावन तो यह बीकानेर ही है जहां की राठी गायें चर करके आती हैं जैसा मिल जाए वैसा खा लेती है और पतला गोबर भी देती है तब भी शाम को दूध वो दे देती है। तो इस तरह के डिस्ट्रिक्ट में पूरे अकाल के समय में चारे का इंतजाम नहीं करना एक बहुत बड़ा अन्याय है।

एक माननीय सदस्य: पाप है।

डा. गोपाल जोशी (बीकानेर पश्चिम): हां, पाप है यों सोचिये कि गायों को अगर चारा नहीं मिलता है तो। तो यह मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इस भीषण अकाल के समय में बीकानेर में कम से कम शहर की बात करूं, डिस्ट्रिक्ट की बात करता हूं और शहर के अंदर एक डिपो है जिसको एक हफ्ते में पाँच ट्रक दिये जाते हैं तो उसको भी आप बंद कर दो फिर उससे कोई फायदा नहीं है वहां तो पन्द्रह-बीस डिपो खोलेंगे तो चारे की बात वहां पर हो सकती है इसलिए मैंने आपसे कहा कि अब क्या पता क्या समझते हैं वहां लोग क्या करते हैं कि वहां आस-पास और आउटसाइड के अन्दर सारी गायें वगैरह रखी जाती हैं उसके बाद में कई जगह शहर में भी गायें बहुत सी हैं। शहर में गायें दुह दुहा कर के लोग सड़क पर छोड़ देते हैं और वो सड़क पर स्पीड ब्रेकर का काम करती है यह एक पुलिस के लिए भी बड़ी दिक्कत की बात है तो वैसे जानवर हैं ऐसा नहीं है दुधारू जानवर हैं, गायें हैं अच्छी हैं और अच्छी ब्रीड की भी हैं लेकिन उनको चारा नहीं मिल रहा है तो मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि चारे का इंतजाम वहां पर ज्यादा से ज्यादा किया जाए। वहां जो औरण है, औरण की जगह को भी सुरक्षित रख कर अगर वहां भी चारा उगाया जाए अभी तो क्या है अभी तुरंत तो उगाया नहीं जाएगा। अब जरूरत पड़ने पर कुआ खोदो तो आपको पानी मिल जाए, लेकिन कहीं से चारा मिले और चारा ला करके वहां पर दिया जाए । वहां डिपो ज्यादा खोले जाएं और वहां की गायों को और दुधारू गायें जो हैं उनको चारा उपलब्ध कराया जाए वरना वो गायें मर जाएंगी । वहां दूसरी जगह जा नहीं सकती। पहले तो वहां पर सेवण घास जो आती थी अब उसके बीज भी समाप्त हो गये हैं लोग अब उगाना बंद कर दिया क्योंकि यह ट्रेक्टर से जो चलाते हैं इसके कारण से बीज समाप्त हो गया है वरना सेवण घास इतनी अच्छी प्रोटीन का और गायों के लिए सबसे अच्छी घास थी। वो घास भी बंद हो गयी है। अब इसलिए बाहर से चारा आया करता है लेकिन वहां पर केवल मात्र एक डिपो करना यह अन्याय है वहां मेरा आपसे निवेदन है कि आप किसी तरह से मिनिस्टर साहब से कह करके या जिनसे भी आप कह सकते हैं उनसे कह करके वहां पर चारे का डिपो ज्यादा से ज्यादा खुलवायें, ताकि वहां के जानवरों को चारा मिल सके। मेरा यही निवेदन है। धन्यवाद।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): 000

श्री अध्यक्ष: श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): 000

श्री अध्यक्ष: श्री राजेन्द्र राठौड़। माननीय सदस्या, नहीं, मैं किसी को अलाऊ नहीं करूंगा। आप शुरू करें। माननीय सदस्य, अंकित नहीं होगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात शुरू करूं इससे पूर्व कहना चाहता हूं कि कल आपने आसन से एक व्यवस्था दी थी कि शून्य काल के दरम्यान चूंकि माननीय सदस्य स्थगन और पर्ची के माध्यम से कई प्रकरण उठाते हैं इसलिए ऑफिसर्स गैलेरी के अंदर शासन सचिव और प्रमुख शासन सचिव उपस्थित रहें। अध्यक्ष महोदय, बड़े खेद की बात है कि आसन के द्वारा दी गई व्यवस्था चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग उसको भी नहीं मान रहा और कोई भी अधिकारी उपस्थित नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन यह करना चाह रहा था कि हाल ही में देश में एक ख्यातनाम एनजीओ है...

कैलाश/अरुण 1.4.2010 12.40 (1) 1I

पिरामल हैल्थ केयर, इस एनजीओ ने एक सर्वे किया और सर्वे में बडे चौकाने वाले तथ्य देश में नकली और मिलावटी दवाइयों के विक्रय के बारे में आये। अध्यक्ष महोदय, कुल मिलाकर पूरे देश में प्रति वर्ष 85 हजार करोड का घरेलू फार्मा का बाजार है, टर्न ओवर है। यह सर्वे कहता है कि 17 हजार करोड की नकली दवाइयां इस देश में बिक रही है और प्रवर्तन एजेंसियों की रिपोर्ट यह कह रही है कि उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, हरियाणा और हिमाचल से नकली दवाइयां बनाकर देश के विभिन्न हिस्सों में बेची जाती है। अध्यक्ष महोदय, इन सब हालात को देखते हुए जो ड्रग कंट्रोल आर्गेनाइजेशन आफ इंडिया है इसने ड्रग एंड कास्मेटिक एक्ट में एक संशोधन किया और संशोधन में जहां एक और नकली और मिलावटी दवाइयों को विक्रय करने वालों की सज़ा के प्रावधानों को सख्त किया वहीं दूसरी ओर नकली दवाइयों की सूचना कोई व्यक्ति दे उसको पकडी जाने वाली दवाइयों के मूल्य का 20 परसेंट तक की राशि नकद इनाम के रूप में देने का निर्णय भी किया। अध्यक्ष महोदय, ड्रग कंट्रोल आफ इंडिया के अनुसार राजस्थान में प्रतिवर्ष 45 करोड रुपये की नकली दवाइयों का विक्रय होता है और इन सब बातों की चिंता चिकित्सा मंत्री जी आपने की या नहीं की पर मैं सदन के नेता को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने एक बैठक आयोजित कर के इस बात का निर्देश दिया कि राजस्थान में नकली दवाइयों के विक्रय पर आवश्यक कदम और पाबंदी लगाई जाये। अध्यक्ष महोदय, उसके बाद भी लाखों की नकली दवाइयां पकडी गई, जयपुर दिल्ली बाईपास पर आमागढ बस्ती में यह गोरख धंधा पकडा गया और इसमें अध्यक्ष

000 अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

महोदय, कोरस सिरप, बेनेड्रिल, स्पोराइडेक्स और ऐसी ऐसी दवाइयां हैं जिनका उपयोग खांसी में होता है, बुखार में होता, यह सारी दवाइयां पकडी गई। दो लोग गिरफ्तार हुए एक अकरम और एक निसार। दो ऐसे व्यक्ति जो वहां चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में काम कर रहे थे वह गिरफ्तार हुए और विभाग ने यह जानने की कोशिश नहीं की कि इसके पीछे ताना बाना किसने बुना है, कौन नकली दवाइयों के कारोबार को फैला कर हमारे राजस्थान के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड करता है। इसके साथ ही फिल्म कालोनी जयपुर में दवाइयां पकडी गई और संगरिया और गंगानगर में तो अध्यक्ष महोदय, प्रतिबंधित नशीली दवाइयां, ऐसी दवाइयां पकडी गई जिनको एक तरह से धीमा जहर की संज्ञा दी गई है और यह एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रतिबंधित हैं। अध्यक्ष महोदय, हद तब हो गई जब मेडिकल हैल्थ डाइरेक्ट्रेट से बीसीजी के टीकों का वितरण प्रारंभ हुआ, वैक्सीन डीपो से, अध्यक्ष महोदय, यह बीसीजी के डीपों बच्चों में टीबी का रोग नहीं हो इसके लिये प्रतिरोधात्मक रूप में इन टीकों को लगाया जाता है और आज भी 100 में से 15 रोगी, हिन्दुस्तान में सर्वाधिक टीबी के रोगी अगर कहीं हैं तो वह राजस्थान में है और यह बीसीजी के टीकाकरण का जो काम है इनकी दवाइयां निदेशालय कंपनियों से खरीद कर अलग अलग आरसीएचओ के माध्यम से जिलों में भेजता है और जिले वहां से उप केन्द्र और प्राथमिक उप केन्द्रों को भेजते हैं। अध्यक्ष महोदय, हो क्या रहा है, वैक्सीन डिपो से जो बीसीजी के टीके जा रहे हैं खाली वाइल्स जा रही है, उसमें दवाई नहीं। 10 जनवरी को वैक्सीन डिपो से बीसीजी के सिरम इंडिया इंडस्ट्री, पूना से जो टीके मंगाये गये बैच नंबर 03सी, 9060 यह जयपुर से जौधपुर भेजे गये। अध्यक्ष महोदय, एक दो नहीं डेढ लाख टीके जौधपुर में आरसीएचओ के आफिस में आये। आरसीएचओ ने ग्रामीण क्षेत्र में भेज दिये और ग्रामीण क्षेत्र में जब यह मामला सामने आया और अखबारों में साया हुआ उसके बाद उसको वापस मंगा लिया गया। मैं निवेदन यह करना चाहता हूं यह हो क्या रहा है? टीकों का इस तरह भेजना जो टीकाकरण के काम में आये और उसके बाद खाली वाइल्स भेजना, खाली शीशी को भेजना और टीकाकरण के सारे आंकडों को कागजों में दर्ज कर लेना मैं समझता हूं हमारे नौ निहालों के स्वास्थ्य के साथ में खिलवाड है। अध्यक्ष महोदय, यह कोई छोटी बात नहीं है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब जौधपुर का प्रकरण सामने आ गया, वहां के अधिकारियों ने यह मान लिया कि निश्चित तौर से हम से गलती हो गई और यह कह दिया कि हम इन टीकों को वापस मंगा रहे हैं । सीएमएचओ कहता है हां डेढ लाख खाली वाइल्स आई है। जिले में वितरित खाली वाइल्स वापस मंगा रहे हैं । यह खुद वहां का सीएमएचओ कह रहा है कि डेढ लाख खाली वाइल्स उनको आपूर्ति हुई है । स्वास्थ्य मंत्री जी इस चीज को गंभीरता से रोको। कभी तो करौली में एक्सपाइरी डेट के टीके पाये जाते हैं, कभी जौधपुर में टीकों के नाम पर आप खाली शीशी भेज देते हैं मैं समझता हूं इसमें सावचेती की बहुत बडी आवश्यकता है । दो बातें हो रही हैं एक तरफ तो नकली दवाइयां बिक रही हैं, बडी संख्या में बिक रही है, आपका ड्रग कंट्रोलर आफ इंडिया कह रहा है कि 40 करोड का व्यापार हो रहा है और दूसरी तरफ आपका विभाग खाली

वाइल्स भेज रहा है। इसमें मेरी आपसे प्रार्थना है इसमें छोटे बडे की बात नहीं है। आप इसमें उत्तरदायित्व का निर्धारण करें, किस स्तर पर कैसे यह बात हुई, आपकी जो सिरम इंडिया इंडस्ट्री है, मुझे कहा कि यह कोई गवर्नमेंट आफ इंडिया का उपक्रम है या किस का है, मुझे मालूम नहीं, पर इस कम्पनी ने आपको इन्वाइस भेजा, इन्वाइस के साथ आपको टीके भेजे और टीकों में दवाई नहीं हो और वह दवाई बिना जांच किये आपने जौधपुर में भेज दी, जौधपुर से गांवों में चली गई और गांवों से वह दवाई वापस आई । मैं समझता हूं यह छोटा मोटा कृत्य नहीं है आप इसमें उत्तरदायित्व का निर्धारण कर के एक दो को टाँक दोगे तो निश्चित तौर पर सबक मिलेगा और उसके साथ ही जो नकली दवाई पकडी गई जयपुर दिल्ली रोड पर आमागढ पर उसमें इन चपरासी नुमा आदमियों को पकडने से क्या हुआ। गिरोह का कौन संचालन कर रहा है उसकी तह तक जाओ ताकि इन सारी चीजों का पर्दाफाश हो और हमारे स्वास्थ्य के साथ खिलवाड नहीं हो। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया उसका तो धन्यवाद पर आपने जो व्यवस्था दी है उस व्यवस्था के अनुसार आज चिकित्सा विभाग का कोई जवाब दे या नहीं दे पर कम से कम अधिकारी तो इसको नोट कर के लेकर जाये जो सदन में मामला उठा है।

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (शिक्षा मंत्री): बैठे हैं ना यहां।

श्री अध्यक्ष: कौन बैठे हैं शिक्षा मंत्री जी ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): चिकित्सा मंत्री जी जवाब दो ना, यह मामला कुछ देखो तो सही, मेरी प्रार्थना है, वरना रिकार्ड में क्या जायेगा ।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): मंत्री जी कुछ तो बताइए।

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (शिक्षा मंत्री): कोई खास बात नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अगर यह बात है तो यह भी रिकार्ड में चली जाये कि खास बात नहीं है, बिलकुल ठीक बात है, यह कह दो खास बात नहीं है, कोई बात नहीं।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): अध्यक्ष महोदय, नौ निहालों के साथ खिलवाड हो रहा है। जौधपुर के लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड हुआ है यह दवाइयां गांवों में भी गई है, गांवों से वापस आई है। कई जगह दवाइयां मिली हुई है।

श्री अध्यक्ष: विराजिए, आप विराजिए। श्री हरिसिंह रावत।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): खरीदी हुई दवाइयां पडी, पहले ज्यादा खरीद ली।

श्री अध्यक्ष: श्री हरिसिंह रावत।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): जवाब नहीं दे रहे हैं क्या आप ?

श्री अध्यक्ष: श्री हरिसिंह रावत।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): अध्यक्ष महोदय, मेरा एक बहुत ज्वलंतशील मुद्दा है जयपुर में भू माफियाओं द्वारा जनता के साथ धोखाधडी।

श्री अध्यक्ष: मंत्री जी स्वास्थ्य के टीकों के, इंजेक्शन के बारे में जो तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो प्रश्न खड़ा किया है आप कृपया इसकी जांच करा लें।

गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा धोखाधडी

श्री हरिसिंह रावत (भीम): अध्यक्ष महोदय, कालवाड रोड पर बदनपुरा, फकीरों की डूंगरी गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड, जयपुर है। इसके नाम से लोगों को पट्टे जारी किये और पट्टे जारी करने के बाद उनको आज तक पजेशन नहीं दिया। यह प्रोविजनल अलोटमेंट लैटर है 21.06.2005 का और भू खंड संख्या है 106 जिसका माप है 45x90 और यह टोटल 450 वर्ग गर्ज का है। राजरानी मिश्रा पत्नी एसके मिश्रा के नाम से इन्होंने यह दिया है। दूसरा पट्टा है 16.05.2004 का भू खंड संख्या है 143, आवंटन संख्या 2136 इसका क्षेत्रफल है 770.7 और यह कालवाड रोड परहै और सतीश कुमार मिश्रा पुत्र नाथूलाल मिश्रा के नाम से इन्होंने यह पट्टे जारी किये है। अध्यक्ष महोदय, यह पट्टे जारी करने के बाद जब यह व्यक्ति वहां पजेशन लेने के लिये गये ....

ans/akt 12.50 1m 1042010

तो यह बोलते हैं कि आपको पैसा तो मैं अभी दूंगा न ही तुम्हे पट्टा दूंगा, अब मैं सोचूंगा क्या करना है क्या नहीं करना। उसने कहा 2004 का मेरा है मुझे घर बनाना है, घर बनाकर मुझे रहना है आप पट्टा दीजिए तो वह बोलता है कि पट्टे वट्टे कुछ नहीं, ज्यादा होशियारी मत करो, आप जानते नहीं मैं कौन हूं, और धमकी देता है, वह बोलता है कि मेरे परिवार में, मेरे घर में राजनीतिक विधायक है मेरी बहन, दुसरे ने बोला मेरे परिवार में दो-दो डीजीपी है, आप अगर अपना मुंह खोलोंगे तो वह हश्र करूंगा कि जिंदगी में याद करोंगे, पट्टा लेना भूल जाओंगे, राजस्थान छोड़कर भाग जाओंगे। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, इस टाइप का लोगों के साथ धोखा होगा तो फिर मैं सोचता हूं कि लोगों का रहना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि गृहमंत्री जी , नागरिक विकास मंत्री जी यहां विराजमान है, इनके ऊपर तत्काल कार्यवाही करें और जो इनका मैन सरगना है मुख्तयारसिंह, सूरजीतनगर क्षेत्र की विस्तृत जांच कराओ ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएग कि वास्तव में क्या स्थिति है और इस भूमाफिया के खिलाफ तत्काल जांच कराओ। इस टाइप के कई ऐसे कारनामे हैं इसके बाद सबसे बड़ा एक और भी है, पूर्व का डीजीपी भी इसमें पीड़ित है, जब मेरी बात हुई तो कहा साहब मैं तो पीड़ित हूं लेकिन मेरी मजबूरी है मैं क्या करूं। इस टाइप के कितने ही लोग, सैंकड़ों लोग इसमें हैं, तो मेरा निवेदन है कि मुख्त्यारसिंह भूमाफिया है इसकी तत्काल कार्यवाही करके इनको कब्जा दिलाए ताकि वह घर बना सके, यही मेरा निवेदन है। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं गृह मंत्री और नगरीय विकास मंत्री जी से चाहूंगा कि इस पर आप क्या कार्यवाही करेंगे इसका थोड़ा जवाब दे दें, ठीक रहेगा, मंत्री जी मेरा आपसे निवेदन है।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): उपरोक्त विषय में जो आपने बात उठाई है इसके बारे में जानकारी कर लूंगा लेकिन मैं आपको एक सलाह देता हूं कि उसके खिलाफ

जिस सहकारी समिति ने आपके साथ फ्लोड किया है, आपके साथ का मतलब मिश्रा, मिश्रा ही नाम बताया ना आपने, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाये। मेरी बात सुनिये, एफआईआर दर्ज करवा दें। दसूरा, मैं इसकी पूरी जानकारी लेकर बता दूंगा कि इनके खिलाफ और क्या कायैवाही हो सकती है।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): अध्यक्ष महोदय, इसमें दो डीजीपी का नाम भी है।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): वह अपने राजनीतिक प्रभाव का उपयोग कर रहा है(व्यवधान) वह व्यक्ति अपने राजनीतिक प्रभाव का उपयोग कर रहा है और राजनीतिक प्रभाव का उपयोग करके इन अभ्यार्थियों को डराता धमकाता है।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): आपके पास सारी सूचना है तो लिखकर दे दें मुझे कि कौन आदमी है , कौन प्रभाव काम में ले रहा है, सारी सूचना दे दें आप मुझे मैं जांच करवा लूंगा।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): मुख्त्यारसिंह।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): हां, आप जांच करवाइये, ठीक है साहब।

श्री अध्यक्ष: गृह मंत्री जी ने स्पष्ट रूप से आपको निवेदन किया है कि अगर ऐसा कुछ है तो आप एफआईआर दर्ज करा दें, पुलिस उस मामले मं कार्यवाही कर लेगी।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): अध्यक्ष महोदय, ऐसे मामले जो आते हैं, यह भूमाफिया है, बहुत सारी जगहों पर जमीनों पर कब्जा करते है और पहले प्लाट को एक व्यक्ति को (व्यवधान) चार जनों को वह प्लाट सेल कर रहा है।

श्री अध्यक्ष: जवाब दे दिया ना गृहमंत्री जी ने, आप एफआईआर दर्ज करा दीजिए।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय अध्यक्ष जी, मैटर इतना सीरियस है कि किसी ने अपनी गाढी कमाई, जीवन भर की कमाई से प्लाट खरीदा और अब उसको कब्जा नहीं मिल रहा है उस प्लाट का। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष:गृह मंत्री जी ने फरमाया है आप एफआईआर दर्ज करवा दीजिए उसके बाद यह कार्यवाही करेंगे।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): एफआईआर लोज करवा रहे हैं लेकिन एफआईआर लोज करने वाली भी पुलिस ही है ना। पुलिस एफआइआर लोज करती नहीं क्योंकि डीजीपी उसके अंदर इन्वाल्व है।

श्री अध्यक्ष: आपको ऐसा वहम है तो आप गृहमंत्री जी को लिखकर दे दीजिए यह उस एफआईआर करवाने का आदेश कर देंगे।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): बस यही तो चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष: यह कह रहे हैं कि जो बड़े आफिसार के दवाब के बाद एफआईआर दर्ज होने की सम्भावना इनको नहीं लगती है, मैंने कहा गृहमंत्री जी को दे दीजिए यह दर्ज करवा देंगे।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): आपको एक जानकारी दे देता हूं कि पिछले चार महीनों में ही कम से कम 1000 व्यक्ति जिनको डबल डबल पट्टे बांट दिये गये उनके खिलाफ कैसेज रजिस्टर हुए हैं किसी बड़ी कम्पनी के खिलाफ और उनको राहत मिली। अब हमने यह फैसला किया है कि जयपुर विकास प्राधिकरण में अलग थाना खोला जाएगा और वह थाना भी मेरा ख्याल है इसी अप्रेल के अंदर अंदर खुल जाएगा इसलिए आप निश्चित रहे, एफआईआर दर्ज तो करवाये। आप एफआईआर इसलिए नहीं कराये कि पुलिस कैसे जावे, पुलिस में आपको बिठा ले, तो उसमें उसका तो कोई इलाज नहीं है।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): नहीं ऐसी बात नहीं है। माननीय मंत्री जी, ऐसी बात नहीं है। मेरा आपसे यह कहना है, बहुत अच्छा है कि आप अलग से थाना खोलेंगे।

श्री अध्यक्ष: चलिये चर्चा समाप्त करें।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): लेकिन सवाल इसका है कि राजनीतिक प्रभाव उस पर जो आ रहा है वह न आये, दबाया न जाए कैस को।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): मेरी जानकारी में तो लाए कौनसा ऐसा राजनीतिज्ञ है। (व्यवधान) ऐसे मामले में प्रभाव डाल रहा है

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): इन्होंने कहा ना...(व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): मेरी जानकारी में तो लाए कम से कम।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): हां वह ला रहे हैं।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): अध्यक्ष महोदय, मैं कोई व्यक्ति विशेष पर लांछन नहीं लगाना चाहता। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कृपया शांति रखिये।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): लेकिन मेरा यही निवेदन है कि राजनीतिक प्रभाव से यह काम न हो इसकी सत्यता हो जाए और उसको न्याय दिलाए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: श्री पेमाराम।

श्रीमती अनीता सिंह (नगर): अध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ इनफोरमेशन , मैं निवेदन करना चाहती हूं। एक पाइंट है अध्यक्ष महोदय... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष:श्री पेमाराम। एक निवेदन मैं कह दूं, माननीय सदस्यों से निवेदन कर दूं, पाइंट आफ इनफोरमेशन पर कोई भी चर्चा करना शुरू कर दें उपयुक्त नहीं होता, एक निवेदन मेरा यह रहेगा पाइंट आफ इनफोरमेशन की मैं इजाजत दूंगा लेकिन मेहरबानी करके एक स्लिप पर पहले मुझे लिख दें कि पाइंट आफ इनफोरमेशन क्या देना चाहते हैं उसके बाहर बोलने की बात न आवे। (व्यवधान) श्री पेमाराम।

राज्य में न्यूनतम मजदूरी बढाये जाने विषयक

श्री पेमाराम (धोद): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से राजस्थान राज्य में न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने के बारे में समाज के उस तबके के बारे में बोल रहा हूं जिस

तबके के बारे में, न तो कुदरत होती है उस तबके के बारे में, न अख़बार वाले कुछ लिखते हैं उनकी नरकीय जिंदगी के बारे में, न रेडियो वाला कुछ बोलता न कोई दूजा काई उसके बारे में सोचता है। आज राज्य में जो न्यूनतम मजदूरी 100 रूपये है और उसकी वजह से राज्य में आज न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने की इसलिए आवश्यकता है कि राज्य में लगभग 56 लाख तो जॉब कार्ड बने हुए हैं जो नरेगा पे काम करने के लिए जाते हैं, उसमें पुरूष भी जाता है, महिला भी जाती है। उसमें वह छोटा किसान, जो बारानी जमीन अकाल से चौपट हो गई वह भी नरेगा में काम करने के लिए जाता है और उन्हें न्यूनतम मजदूरी हमारे राजस्थान प्रान्त में 100 रूपये हैं और वह 100 रूपये भी, राजस्थान में न्यूनतम मजदूरी जो बढ़ी है वह पहली दफा 1995 में , दूसरी दफा 1998 में, तीसरी दफा 1999, चौथी दफा 2004 में और पांचवीं दफा 1मार्च,2008 को बढ़ी, 1 मार्च,2008 को भी जो न्यूनतम मजदूरी बढ़ी उसमें भी हमारे राजस्थान के श्रम सचिव ललित जी पवांर के नेतृत्व में एक कमेटी थी, उस कमेटी ने रिकमंड भी किया था और उसकी रिकमंड के अनुसार अकुशल श्रमिकों का 175 रूपये प्रतिदिन ही बढ़ाये जाने का प्रस्ताव था लेकिन उस दौरान भी तत्कालीन सरकार ने उस कमेटी की सिफारिश को नकारते हुए मात्र 100 रूपये मजदूरी बढ़ाई। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा इसलिए कहना चाहूंगा कि हमारे राजस्थान की सरकार एक तरफ जहां समाज के तमाम तबके का ध्यान रखती है और छठे वेतन आयोग जैसे ही लागू हुआ उसके अगले रोज राजस्थान के कर्मचारियों के लिए भी हमारी राजस्थान की सरकार ने घोषणा कर दी उस बात का मैं स्वागत करता हूं मगर मैं आपके द्वारा सरकार के सामने यह बात भी रखना चाहूंगा कि यह वह मजदूर हैं जिनके पास न जमीन है न जिनके पास नौकरी है, न जिनके पास फैक्ट्री है, जिनके पास कमाई करने के लिए मात्र कोई है तो अपनी शारीरिक मेहनत, अपने परिश्रम को बेचने के अलावा उनके पास कुछ नहीं है और उसी के आधार पर जो पैसा मिलता है मजदूरी के रूप में उसी से अपने बच्चों की शिक्षा करवाते हैं, उसी से कपड़े पहनते हैं, उसी से खाना खाते हैं और यदि कोई सामाजिक ब्याह शादी का काम भी होता है तो उसी से वह कारगुजारी चलाते है इसलिए उनकी जिंदगी, उनके पास कुछ भी नहीं है इसलिए समाज में उन्हें कर्जा भी नहीं मिल पाता। अध्यक्ष महोदय, करोड़ों लोग हैं, 56 लाख के लगभग तो हमारे राजस्थान प्रान्त में है, जॉब कार्ड बने हुए हैं जो नरेगा में मजदूरी करने के लिए जाते हैं। यह मैं इसलिए नहीं कर रहा कि न्यूनतम मजदूरी हमारे राजस्थान प्रान्त के बजाय पड़ोसी राज्यों , दिल्ली में 1 फरवरी,2010 को बढ़ाकर 203 रूपये कर दिया। मध्यप्रदेश ने 1 अक्टूबर,2007को बढ़ाकर 149 रूपये कर दिया। हरियाणा ने बढ़ाकर 135 रूपये कर दिया। उत्तर प्रदेश ने भी 111 रूपये कर दिया और हमारी केन्द्रीय सरकार ने भी न्यूनतम मजदूरी 1,अक्टूबर,2009 को बढ़ाकर 135 रूपये कर दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह समाज का वह दबा कुचला तबका है जिसमें मर्द-औरत और गरीब,तमाम लोग काम करने के लिए असंगठित तौर पर काम करते हैं। श्रम मंत्री जी भी विराजमान है, जिनके बारे में न कोई अख़बार लिखता है, न कोई रेडियो लिखता है न टीवी लिखता है, उसके बारे

में आप सरकार को निर्देशन देंगे और मैं भी क्योंकि हमारे राजस्थान का तमाम श्रमिक संगठन सीआईटीयू बीएमएस इंटक तमाम श्रमिक संगठनों में भी मिल बैठकर मीटिंग करके न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने की 250 रूपये रोजाना करने की मांग की है।

दुर्गा/त्रिपाठी 01042010 1300 1n

मैं समझता हूं कि राज्य की सरकार की तरफ से अभी मंत्रीजी, जिस तरह से छठे वेतन आयोग की तरह एक दिन में ही घोषणा कर दी, मंत्रीजी हमारे बीच में बैठे हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आप उनको निर्देशन देंगे तो शायद राजस्थान के करोड़ों-करोड़ों उन गरीबों का भला होगा। यही कहते हुए आपने मौका दिया उसके लिये धन्यवाद।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही संवेदनशील प्रश्न है और आज विधान सभा में अगर इसकी घोषणा हो जाती है तो यह बहुत ही अच्छा होगा और न्यूनतम मजदूरी बढ़ जाती है तो व्यक्तियों का जीवन स्तर ठीक हो जाएगा।

श्री अध्यक्ष: विराजिये, विराजिये।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो घोषणा की है, मैं चाहता हूं कि न्यूनतम मजदूरी बढ़े।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

श्री अध्यक्ष: प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं, आज काफी विधायी कार्य भी है..।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): माननीय अध्यक्ष महोदय, इतना संवेदनशील प्रश्न है और मानवीय प्रश्न है। माननीय अध्यक्ष महोदय (व्यवधान) इतना बढ़िया प्रश्न है ये। गरीबों से सम्बन्धित प्रश्न है, मजदूरों से सम्बन्धित प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष: और माननीय महिला सदस्य मैच के लिये भी निवेदन कर रही हैं तो समय बचाने की दृष्टि से मेरी ऐसी सोच है कि इसको अपन पढ़ा हुआ मान लें? (व्यवधान)

अनेक माननीय सदस्य: हां।

श्री अध्यक्ष: सदन की राय से इसको पढ़ा हुआ मान लिया गया।

(पढ़े हुए माने गये विशेष उल्लेख प्रस्तावों के लिए परिशिष्ट देखें)

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): गरीबों से सम्बन्धित सवाल है, जवाब नहीं आता, जवाब दिलवाया जाए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आज दिनांक एक अप्रेल, 2010 को शून्यकाल में बोलने हेतु 18 पर्चियां प्राप्त हुईं जिनमें शलाका द्वारा 4 पर्चियां निकाली गईं, जो निम्नांकित हैं:

(1) श्री भवानी सिंह राजावत, राज्य सरकार के जनजाति विकास मंत्री द्वारा सदन की अवमानना के सम्बन्ध में। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय मंत्रीजी पर नियंत्रण करना पड़ेगा आपको अध्यक्ष महोदय, भंवरलालजी पर कुछ नियंत्रण तो करना पड़ेगा।

श्री अध्यक्षः नहीं, क्या हो रहा था।

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (शिक्षा मंत्री): मैं तो यही पूछ रहा था, क्रिकेट का मैच कब है?

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): वह तो अध्यक्षजी से ही पूछ लेते, व्यवस्था करने के बाद में।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): नहीं, तो क्या हो रहा था?

श्री अध्यक्षः जो हो रहा था, सबने देख लिया, बैठिये।

(2) श्री बंशीधर खण्डेला, श्रीमाधोपुर से सीकर वाया जाजोत पलसाना व खण्डेला से कांवट रोडवेज की बस चलाने के सम्बन्ध में।

(3) श्री कालीचरण सराफ, जयपुर के जनाना अस्पताल में डाक्टरों की लापरवाही से प्रसूता महिला की मौत से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(4) श्री अमराराम, ग्राम पंचायत तिड़ोकीबड़ी, पंचायत समिति लक्ष्मणगढ़, सीकर के सरपंच को अधिक सन्तान होने पर अयोग्य घोषित होने पर भी पुनः सरपंच बनने के सम्बन्ध में।

श्री भवानीसिंह राजावत। (व्यवधान) श्री भवानी सिंह राजावत।

श्री पेमाराम (धोद): न्यूनतम मजदूरी जो गरीबों के बारे में है, सरकार की तरफ से कुछ तो कहें। (व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): मैं समझता हूं सरकार (व्यवधान) न्यूनतम मजदूरी, जिस पर सरकार कुछ तो कहे। (व्यवधान)

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): माननीय अध्यक्ष महोदय, गरीबों से सम्बन्धित मामला है। (व्यवधान) गरीबों से सम्बन्धित मामला है, मजदूरों से सम्बन्धित मामला है।

श्री अध्यक्षः विराजिये, विराजिये। अंकित नहीं होगा, अंकित नहीं होगा।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): [000]

श्रीमती संजना आगरी (सोजत): 000

श्री अध्यक्षः श्री भवानी सिंह राजावत। (व्यवधान) एक निवेदन कर रहा हूं। इस विषय पर काफी विस्तार से चर्चा हो चुकी है और जो कुछ आप कहने वाले हैं वह सारी बातें आपके उप नेता ने भी कह दी हैं और मैं आसन की ओर से निवेदन कर चुका हूं। इसलिये समय बचेगा, यह आपसे निवेदन है। श्री बंशीलाल खण्डेला।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो इन्होंने मुझे बताया था कि आप स्पष्टीकरण ले लेंगे तो स्पष्टीकरण लेने के बाद में समिति बनाने का और डाक्टरों से जांच कराने का ऑप्शन तो खुला रहेगा ना।

श्री अध्यक्षः जो निर्णय मुझे लेना है। (व्यवधान) जो निर्णय मुझे लेना है, आपको

---

[000] अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

स्पष्टीकरण आसन से लेना है?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): आसन से स्पष्टीकरण कोई ले ही नहीं सकता। (व्यवधान) आसन तो सर्वोपरि है। आपको मंत्रीजी से स्पष्टीकरण लेना है। स्पष्टीकरण लेने के बाद में आपको विनिश्चय करना है कि कमेटी बनानी चाहिए कि नहीं बनानी है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: एक मिनट, एक मिनट, प्लीज, प्लीज।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): कमेटी बनानी है कि नहीं बनानी है और डाक्टरों की कमेटी बनानी है, यह विनिश्चय खुला है आपके लिये।

श्री अध्यक्ष: अब मेरे पास में सारा प्रकरण आ चुका है। मंत्रीजी का स्पष्टीकरण आने दीजिए, उसके बाद में मैं निर्णय करुंगा। श्री बंशीधर खण्डेला, बोलिये।

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, आसन का निर्णय हमारे लिये शिरोधार्य है।

श्री अध्यक्ष: सारी बात हो चुकी है। (व्यवधान) सारी बात हो चुकी, चर्चा हो चुकी। कुछ समय बच जाएगा। (व्यवधान)

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): लेकिन मेरा इतना ही निवेदन है कि सत्र कल तक है। इससे पहले आप ऐसी व्यवस्था दें कि इस तरह की पुनरावृत्ति कोई भी न करे, मेरा इतना ही विनम्र आग्रह है।

श्री अध्यक्ष: विराजिये, श्री बंशीधर खण्डेला।

श्री पेमाराम (धोद): 000

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): 000

श्री अध्यक्ष: एक साथ बोल रहे हैं, जो कह रहे हैं, मेरे समझ में ही नहीं आ रहा है।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): 000

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): 000

श्री अध्यक्ष: आप विराज जाइये, बात समाप्त हो गई। आगे पर्ची पर आ गये हैं। (व्यवधान) श्री बंशीधर खण्डेला।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): 000

श्री पेमाराम (धोद): 000

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): 000

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा। श्री बंशीधर खण्डेला। अंकित कुछ नहीं होगा। अंकित नहीं हो रहा है। (व्यवधान) अंकित नहीं हो रहा है।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): 000

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): 000

श्री पेमाराम (धोद): 000

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): 000

श्री अध्यक्ष: श्री बंशीधर खण्डेला। (व्यवधान) आप कृपया विराज जाएं।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

श्रीमाधोपुर से सीकर रोडवेज बस का संचालन

श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला): माननीय अध्यक्ष महोदय, श्रीमाधोपुर से सीकर वाया पलसाना, जाजोत पहले बस चलती थी, उसके 6 परमिट ले रखे थे, जो सीकर, अजीतगढ़, श्री माधोपुर, जाजोत, पलसाना और रानौली होते हुए सीकर जाती थी। वह बस 2001 में परमिट लिया था, 2012 तक का परमिट है। उस टाइम चली थी, उस टाइम इसकी फिजिबलिटी थी 20-22 रुपये प्रति किलोमीटर जो रोडवेज के लिये एक अच्छी आय का स्रोत मानते हैं। लेकिन प्राइवेट बस वाले और आर.टी.ओ. और पुलिस अधिकारियों द्वारा मिलकर उन बसों को चलने नहीं दिया, आगे-आगे चलती रहीं और सबने मिलकर उस बस का बंद करवा दिया। जबकि आज भी 2012 तक परमिट है। सारी की सारी बसें, माननीय अध्यक्ष महोदय, नेशनल परमिट के रुल के हिसाब से कोई भी प्राइवेट गाड़ी नेशनल हाइ-वे पर 10 किलोमीटर से ज्यादा नहीं चल सकती है। लेकिन बदालों की ढाणी से सीकर तक 34 किलोमीटर रुट पड़ता है। उस 34 किलोमीटर पूरे पर प्राइवेट बसें धड़ल्ले से चलती हैं, कोई रोकता नहीं है। इसलिये रोडवेज को बहुत बड़ा घाटा होता है। मैं यह आदेश चाहूंगा कि जो परमिट ले रखा है, शाहपुरा से सीकर, श्रीमाधोपुर होते हुए, उसके ऊपर बस चलाई जाए। दूसरा मेरा एक पाइण्ट और है, माननीय अध्यक्ष महोदय, खण्डेला से कांवट 22 किलोमीटर है। यह स्टेट हाइ-वे है, पहले इस पर भी रोडवेज बस चली थी। आज भी इसका परमिट है लेकिन प्राइवेट बस वाले और आर.टी.ओ. की मिलीभगत के कारण आज वह बसें भी बंद हैं। उसकी आय 22-23 रुपये प्रति किलोमीटर आई थी तो वह भी नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। स्टेट हाइ-वे पर भी प्राइवेट बसें नगरीय सीमा से 10 किलोमीटर ज्यादा रोड पर नहीं चल सकती। लेकिन यह पूरे के पूरे 22 किलोमीटर रोड पर सारी प्राइवेट बसें चलती हैं। तो अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय से यह कहना चाहूंगा कि ऐसी व्यवस्था करें कि दोनों रुटों पर जो रोडवेज ने परमिट ले रखे हैं उस पर बस चलाने की व्यवस्था करें जिससे साधनों का दुरुपयोग नहीं हो। प्राइवेट, जब शादियां होती हैं उस टाइम प्राइवेट गाड़ियां बंद हो जाती हैं, पब्लिक परेशान होती है, छात्रों को स्कूल आने-जाने में बहुत समस्या होती है। सारी परेशानियों की जड़ है यह प्राइवेट बस वाले, तो मेरा आपसे यह निवेदन है कि स्पष्टीकरण हो तो मंत्री महोदय से दिलवायें कि यह परमिट लेने के बाद में यह बस क्यों नहीं चल रही हैं। यह आर.टी.ओ. की मिलीभगत के कारण बसें नहीं चल रही हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह चाहूंगा कि इसमें कोई मंत्रीजी से जवाब दिलवायें।

श्री अध्यक्ष: श्री कालीचरण सराफ।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): [000]

श्री अध्यक्ष: श्री कालीचरण सराफ। अंकित नहीं होगा। और किसी का अंकित नहीं होगा।

---

[000] अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री कालीचरण सराफ।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): 000

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): 000

(प्रतिपक्ष के अनेक माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): 000

श्री अध्यक्ष: आपको बोलना है ना? (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): नहीं, नहीं, मुझे बोलना है साहब, कैसे बोलूं।

श्री अध्यक्ष: बोल दिया, नहीं बोलना ना?

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): मैं तो तैयार हूं।

श्री अध्यक्ष: आपका नाम बोला है, नहीं बोलना है?

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): बोल रहा हूं, साहब, कैसे बोलूं तो।

(प्रतिपक्ष के अनेक माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

श्री अध्यक्ष: श्री कालीचरण सराफ। श्री कालीचरण सराफ।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): अब कैसे बोलूं।

VPS-AKT-01.04.2010-13.10-1o

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

श्री अध्यक्ष: पर्ची पर श्री अमराराम।

श्री अमराराम (बोलने के लिए खड़े नहीं हुए।)

सदन की मेज पर रखने जाने वाले पत्रादि। अधिसूचनाएं श्री रामलाल जाट। श्री रामलाल जाट।

सदन की मेज पर रखे गये पत्र

अधिसूचना

वन विभाग

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार वन विभाग की निम्नांकित दो अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं:-

(1) अधिसूचना संख्या: एफ 4(8) वन/2005-पार्ट, दिनांक 2 मार्च, 2010 जिसके द्वारा राजस्थान जैव विविधता नियम, 2010 विरचित किये गये हैं; एवं

(2) अधिसूचना संख्या: एफ 10 (13) वन/2004, दिनांक 13 जनवरी, 2010 जिसके द्वारा राजस्थान वन उपज (आरा मशीनों की स्थापना एवं विनियमन) नियम, 1983 में संशोधन किया गया है।

श्री अध्यक्ष: वार्षिक प्रतिवेदन। श्री शांती कुमार धारीवाल।

प्रतिवेदन

राजस्थान लोक सेवा आयोग का 58वां वार्षिक प्रतिवेदन

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से भारत के संविधान के अनुच्छेद-323(2) के अन्तर्गत राजस्थान लोक सेवा आयोग का 58वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2007-2008 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य केवल सरकार से एक बात की मांग कर रहे हैं कि सब कुछ बढ़ रहा है, केवल न्यूनतम मजदूरी सरकार क्यों नहीं बढ़ा रही है? अब न्यूनतम मजदूरी नहीं बढ़ाना मजदूरों के साथ अन्याय है। सरकार अन्याय कर रही है मजदूरों के साथ। सरकार मजदूरों के साथ अन्याय कर रही है तो हम पूर्ण प्रतिपक्ष की मांग है कि राजस्थान में न्यूनतम मजदूरी बढ़ाई जाए। सरकार जवाब नहीं देना चाहती इसलिए हम इसके विरोध में सदन का बहिर्गमन करते हैं।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन से बहिर्गमन)

श्री अध्यक्ष: याचिका का उपस्थापन। श्री अमराराम। याचिका।

श्री अमराराम (उपस्थापन करने के लिए खड़े नहीं हुए।)

विधायी कार्य। पुर:स्थापित किये जाने वाला विधेयक।

राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम-सीमा अधिरोपण (संशोधन) विधेयक, 2010

श्री हेमाराम चौधरी।

विधायी कार्य: विधेयक का पुर:स्थापन

राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम-सीमा अधिरोपण (संशोधन) विधेयक, 2010

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम-सीमा अधिरोपण (संशोधन) विधेयक, 2010 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम-सीमा अधिरोपण (संशोधन) विधेयक, 2010 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी।

प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम-सीमा अधिरोपण (संशोधन) विधेयक, 2010 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष: विचारार्थ लिये जाने वाले विधेयक। होम्योपैथी विश्वविद्यालय जयपुर विधेयक, 2010.

डा. जितेन्द्र सिंह।

विधेयक पर विचार

होम्योपैथी विश्वविद्यालय जयपुर विधेयक, 2010

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि होम्योपैथी विश्वविद्यालय जयपुर विधेयक, 2010 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री अध्यक्ष: विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। श्री अमराराम। श्री अमराराम।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, नहीं, दो-दो मिनट बोल लेंगे तो क्या हो जाता साहब? ...(व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): दो-दो मिनट बोल लेंगे।

श्री अध्यक्ष: आप हल्ला नहीं करते तो क्या हो जाता साहब?

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): यह कोई बात हुई साहब?

श्री अध्यक्ष: यह कोई बात होती है? व्यवस्था बनाये नहीं रखने देना चाहते। ...(व्यवधान)...

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): व्यवस्था कौन नहीं बनाये रखना चाहता, हमें बताइये न।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य नहीं बनाये देना चाहते और क्या? आसन बनाये रखना चाहता है।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): तो आप, दो-दो मिनट लगेंगे साहब, यह तो ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: श्री अमराराम।

एक माननीय सदस्य: माननीय सभापति महोदय को यार-यार कह रहे हैं। ...(व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आप उदारमना हैं। उदारमना हैं साहब, आप, दो मिनट में ही ...(व्यवधान)... बोलो-बोलो।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): दो-दो मिनट।

श्री अध्यक्ष: आप भी कभी उदार रहा करो। श्री अमराराम।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): साहब, अभी तो यह अलाऊ करो। अलाऊ करो साहब।

श्री अध्यक्ष: श्री अमराराम, बिल पर।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): पर्ची पर है न?

श्री अध्यक्ष: पर्ची तो रखो आप जेब में, बिल पर बोलो।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: विधेयक पर श्री अमराराम ...(व्यवधान)...

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह ऐसा है कि जो नियमों की धज्जियां ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: आप बिल पर नहीं बोलना चाहते हैं? आप बिल पर नहीं बोलना चाहते हैं?

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपसे प्रार्थना है कि दो-दो मिनट लगेंगे। आप अलाऊ करो माननीय अध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: विधेयक पर श्री अमराराम। बिल पर।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): प्रार्थना है माननीय अध्यक्ष महोदय, एक प्रार्थना है।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मुश्किल से तो ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: आप संशोधन पेश करना चाहते हैं न? बिल पर संशोधन पेश करना चाहते हैं?

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): वह तो करेंगे माननीय अध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: करिये न, नहीं, अलाऊ नहीं। अंकित नहीं होगा और कुछ।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): 000

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): 000

श्री अध्यक्ष: और कुछ अंकित नहीं होगा।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): 000

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो रहा है। माननीय सदस्य, आप संशोधन पेश करने की इजाजत के लिए बोल सकते हैं। ...(व्यवधान)...

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): 000

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): 000

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, जीरो ऑवर समाप्त हो गया। बिजनस शुरू हो गया है। आप इस पर कोई संशोधन देना चाहते हैं तो दें और नहीं बोलना चाहते तो आपकी मर्जी है। श्री पेमाराम। श्री पेमाराम।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): 000

श्री अध्यक्ष: अगर बिल पर संशोधन देना चाहते हैं तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। अलाऊ कर रहा हूं अन्यथा फिर आप व्यवधान नहीं करें। श्री पेमाराम।

श्री पेमाराम (धोद): हां, बोलूंगा साहब।

श्री अध्यक्ष: बोलिये-बोलिये।

श्री पेमाराम (धोद): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बिल पर ही बोल रहा हूं कि इस बिल को मेरी समझ में राजस्थान की जनता के बीच में एक दफा जनमत संग्रह करने के लिए

---

[000] : अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

[000] : अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

भेजा जाए क्योंकि राजस्थान में केन्द्रीय सहकारी बैंक में जो जैसे सीकर का मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, वहां बैंक में अस्थाई कर्मचारी था भागीरथ सिंह, उस भागीरथ सिंह को ...(व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): यह होम्योपैथी वाला चल रहा है अभी तो।

श्री अध्यक्ष: आप काहे पर बोल रहे हैं?

श्री पेमाराम (धोद): सहकारिता वाले बिल पर।

श्री अध्यक्ष: होम्योपैथी विश्वविद्यालय पर है, आप उस पर विचार रखो।

श्री पेमाराम (धोद): साहब, यह बोल रहे थे दो माननीय सदस्य इसलिए सुन नहीं सका था।

श्री अध्यक्ष: कोई बात नहीं, चलिये। श्री पवन दुग्गड़। (अनुपस्थित)

श्री गुलाब चन्द कटारिया।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, होम्योपैथी विश्वविद्यालय जयपुर विधेयक, 2010. माननीय अध्यक्ष महोदय, वास्तव में यह राजस्थान के लिए गौरव की बात है कि दुनिया में पहला विश्वविद्यालय होम्योपैथी का राजस्थान में बनने जा रहा है इसके लिए वास्तव में मन में बेहद प्रसन्नता है इस बात की कि हमने कम से कम इस चिकित्सा पद्धति को एक महत्व देने के हिसाब से प्रयत्न किया है।

अपने इस प्रदेश में सात होम्योपैथी कॉलेज हैं और इन सातों कॉलोजों में 515 छात्र अभी तक अध्ययनरत हैं। इसमें पहला जो सबसे प्रारम्भ में हुआ एम.पी. खूँटेटा होम्योपैथी कॉलेज, जयपुर, उसमें 100 सीट्स हैं। युवराज प्रताप सिंह मेमोरियल होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज, अलवर 75 सीट, भारतीय होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज, भरतपुर 40 सीट, स्वास्थ्य कल्याण होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज, जयपुर 100 सीट, श्री मांगीलाल निर्वाण होम्योपैथी कॉलेज, बीकानेर 75 और जे.आर.टांटिया चैरिटेबल ट्रस्ट होम्योपैथिक कॉलेज 50 सीट और एक उदयपुर की डीम्ड यूनिवर्सिटी राजस्थान विद्यापीठ के द्वारा जो डबोक में संचालित है, उसमें 75 सीट है।

मैं सोचता हूं कि इन बच्चों की दृष्टि से यह पहला विश्वविद्यालय जो बन रहा है वह वास्तव में एक गौरव की बात है। प्रसन्नता की बात है। मैं सोचता हूं कि यह जो इस कॉलेज को खूँटेटा जो बना रहे हैं, यह पहला व्यक्ति है जिसने सबसे पहले अगर होम्योपैथी कॉलेज, 1965 में किसी को स्टार्ट करने का सौभाग्य राजस्थान में मिला तो इसी व्यक्ति को मिला और मुझे यह भी कहते हुए प्रसन्नता है कि इस व्यक्ति की साधना के कारण से पहला अगर एम.डी. की परमिशन अगर किसी को मिली तो इसी कॉलेज को मिली। इसमें लगभग छह हजार डाक्टर अब तक राजस्थान में अपने होम्योपैथी डाक्टर बन गये लेकिन मुझे इस बात का जरूर दु:ख है कि छह हजार जो ट्रेंड डाक्टर इसमें से निकले हैं, मात्र 180 डाक्टर राज्य सरकार की नौकरी में है तो राज्य सरकार इसके बारे में, उस व्यक्ति का तो बहुत ही योगदान है, इसमें चिकित्सा पद्धति के लिए लेकिन सरकार का योगदान नहीं के बराबर है।

आज विश्व में जो नम्बर दो की चिकित्सा पद्धति है उसमें होम्योपैथी ने अपनी जगह बना ली है। सबसे बड़ा जो कारण है कि एक तो यह बहुत ही सुलभ और सस्ता है, किसी प्रकार का दुष्प्रभाव इसके ऊपर नहीं होता है तो एक ऐसी पद्धति जो गरीब के लिए यदि हम इस पद्धति को आगे बढ़ायें तो सामान्य से सामान्य व्यक्ति, इतनी सस्ती दवाई है कि जिससे उसका आसानी से इलाज हो सकता है। आसानी से उसको रिलीफ मिल सकती है और हमने इस ओर ध्यान नहीं दिया। विश्वविद्यालय बनाकर हम जरूर इस तरह आगे बढ़ रहे हैं। यह पूरी एक तरह से प्राकृतिक नियमों पर निर्भर करती है। बाकी तो बुखार होता है तो उसकी दवाई तय है कि इसके यह दवाई, यह दवाई लेकिन इसकी दवाई कभी भी किसी बीमारी के नाम से नहीं दी जा सकती, इसका तो उसका मनोवैज्ञानिक अध्ययन किया जाएगा व्यक्ति का, उसके शरीर का अध्ययन किया जाएगा और उसके आधार पर दवाई होगी। हर व्यक्ति के लिए उसी बीमारी के लिए भिन्न दवाई होगी तो मैं सोचता हूं कि यह एक बहुत ही एक अच्छी पद्धति हमारे यहां विकसित हुई है।

लगभग 200 वर्ष से इस पद्धति को अपन ने इसे आगे बढ़ाया लेकिन मंत्री महोदय, मुझे कहते हुए बहुत ही दुःख है इसका कि आज भी कोई होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज नहीं है राजस्थान में इतने वर्षों के बाद भी जबकि उत्तर प्रदेश में आज भी होम्योपैथी के 13 मेडिकल कॉलेज हैं तो मैं समझता हूं कि इसके बारे में भी सरकार को भी विचार करना चाहिए।

एक जो वेबसाइट अभी आपने ली थी, भारत सरकार के 8 मार्च, 2008 को जो वेबसाइट थी उसके ऊपर जो फिगर अवेलेबल हुए कि एलोपैथी से सारे हिन्दुस्तान में 55 प्रतिशत लोगों का इलाज होता है और उसमें से, 30 प्रतिशत लोगों का आपका इलाज है वह आपका होम्योपैथी से है और 14 प्रतिशत व्यक्तियों का इलाज है वह आयुर्वेद से और एक प्रतिशत लोगों का इलाज हिन्दुस्तान में यूनानी पद्धति से होता है।

शिव/चौहान/1.4.2010/13.20/1p

तो इतनी महत्वपूर्ण पद्धति है वास्तव में, यह केवल साधारण रोगों का ही इलाज नहीं करती है, गंभीरतम जो बीमारियां हैं, कुछ बीमारियां तो ऐसी हैं जिनका होम्योपैथिक में जिस प्रकार का इलाज उपलब्ध है, किसी और पैथी में इलाज उपलब्ध नहीं होगा। उसमें आप देख सकते हैं इसमें कैंसर का भी इलाज है, गठिया बाय में भी हैं, बच्चों की गंभीरतम बीमारियां हैं, चर्म रोग है। इस प्रकार की बीमारियों का एक प्रकार से बहुत ही पुख्ता एवं मैं यह कहता हूं कि गांधीजी ने भी उस समय कहा कि हिन्दुस्तान के साधारण व्यक्ति के लिये दो ही पद्धतियां प्रभावी थी – एक होम्योपैथी और दूसरी आयुर्वेद। जिनके कारण यहां के लोगों का आसानी से इलाज हो जायेगा। गरीब व्यक्ति को भी इसका इलाज मिल जायेगा। लेकिन इस पर भी हमने कोई विशेष ध्यान नहीं दिया।

मैं सोचता हूं होम्योपैथी विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2010 इसका एक ओर्डिनेंस है, ओर्डिनेंस आपका 13 अक्टूबर, 2009 को निकला और उसके बाद आप इसका विधेयक लेकर आये। इसका आप सैक्शन पढ़े, मैं सोचता हूं कि बहुत अच्छी चीज कर रहे हैं, उसमें आप उनको प्रोत्साहित करो, उसमें मुझे कोई तकलीफ नहीं, लेकिन कम से कम जो सरकारी कानून-कायदे हैं, उनको अगर हमने समय रहते ठीक प्रकार से बनाने का प्रयास नहीं किया तो आज तो खूंटेटा जी जिन्दा हैं और आज के बाद वह किसी दूसरे व्यक्ति के हाथ में यूनिवर्सिटी जायेगी तो इसका कहीं दुरूपयोग नहीं हो जाये। कानून बनाने समय उन सब बातों को बहुत गहराई से ध्यान में रखना पड़ेगा। मैं सोचता हूं कि आपका यह जो आर्डिनेंस निकला है, इस ओर्डिनेंस के सैक्शन-8- विन्यास निधि में है इस अध्यादेश के प्रवृत्त होने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र दो करोड़ रुपये की राशि से, जो प्रायोजक निकाय द्वारा राज्य सरकार को जमा करा दी गयी है, विन्यास निधि स्थापित की जायेगी। यह है अपना अक्टूबर का आर्डिनेंस, जिसमें दो करोड़ रुपये इसको जमा कराना था। अभी यह जो आपका विधेयक निकला है, इस विधेयक की भी भाषा पढ़ो आप। विन्यास निधि – इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के पश्चात्, वहां भी लिखा है पश्चात्, छह महीने पहले आपने पश्चात् लिखा, वह आज भी इसमें पश्चात् लिख रहे हैं, यह दो करोड़ रुपये भी आज की तारीख में न तो जमा करने की चिन्ता की, न हमने इसके बारे में यथाशीघ्र दो करोड़ रुपये की राशि से जो प्रायोजक निकाय द्वारा राज्य सरकार को जमा करा दिये जायेंगे, यह भी जमा नहीं है। मैं सोचता हूं इसी तरह से आपने देखा होगा इसमें सैक्शन-12 है चेयरमैन। अब इस सैक्शन-12 को थोड़ा सा मतलब हम बना रहे हैं, बहुत अच्छी भावना से बना रहे हैं, लेकिन बनाते समय कम से कम इसको वेलप्रूफ बनायें कि इसका मिसयूज नहीं हो। यूनिवर्सिटी के पास में वह सारे अधिकार हैं जिससे डिग्रियां देंगे, और सब चीजें देंगे। अगर उस पर हमने हमारी तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया तो इसका मिस-यूज होने का डर रहता है। उसको भी हमें ध्यान में लाना चाहिये। अब आपने इसमें सैक्शन-12 है चेयरपर्सन। अब इसका जो चेयरपर्सन है, चेयरपर्सन, राज्य सरकार की सहमति से प्रायोजक निकाय द्वारा, अर्थात् जो इस विश्वविद्यालय को बना रहा है, वह प्रायोजक है, उसके पद ग्रहण करने की तारीख से पाँच वर्ष की कालावधि के लिये नियुक्त किया जायेगा और वह पुनर्नियुक्त नहीं हो सकेगा। मतलब एक चेयरमैन है, वह सरकार की सहमति से बनेगा। किसकी? बनाने वाली यूनिवर्सिटी के आधार पर। उसके बाद आप सैक्शन 22 में आओ। सैक्शन 22 में जो इसका प्रबन्ध मण्डल है, मैं सोचता हूं सरकार इनको बिल्कुल ही आजाद छोड़ देगी, किसी भी प्रकार से उस पर अपना अंकुश नहीं रखेगी, तो यह युनिविर्सटी बन बहुत अच्छे परपज के लिये रही है, लेकिन इसका भविष्य क्या होगा? हमारा विश्वविद्यालय आज एक तरह से जिस हालत में पहुंच गया, आपको और हमको दु:ख होता है कि जब हम कालेज में पढ़ते थे, उस समय विश्वविद्यालय की क्या स्थिति थी और आज हमारे राजस्थान के राजकीय विश्वविद्यालयों की क्या दुर्गति है। हमारे पास सब कानूनी अधिकार होने के बाद भी हम उस विश्वविद्यालय को ठीक प्रकार से

संचालित नहीं कर पा रहे हैं। सरकार अपने आपको असहाय महसूस करती है कि वहां का वाइस चांसलर जैसा चाहे वैसे उस यूनिवर्सिटी को चलाता है। हम चाहते हुए भी कुछ करने की हैसियत में नहीं रहते, क्योंकि हमारा कानून हमको इस प्रकार का अधिकार नहीं देता। इसमें भी आप वैसे ही कर रहे हो। इसमें आपने लिखा है- यह जो प्रबन्ध बोर्ड है, विश्वविद्यालय के प्रबन्ध बोर्ड में निम्नलिखित होंगे, अर्थात्- (क) चेयरमैन (ख) प्रेसीडेन्ट (ग) प्रायोजक निकाय द्वारा नाम निर्देशित पाँच व्यक्ति, जिनमें दो व्यक्ति शिक्षाविद् होंगे। यह भी कौन करेगा? चेयरमैन ही करेगा। फिर इसके बाद घ देखिये (घ) विश्वविद्यालय के बाहर से प्रबन्ध या सूचना प्रौद्योगिकी का चेयरपर्सन द्वारा नाम-निर्देशित। यह भी कौन करेगा? चेयरपर्सन। उनका समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। उनको भी कौन करेगा, चेयरपर्सन। उसके बाद आप आगे चलो। (ड़) चेयरपर्सन द्वारा नाम-निर्देशित एक वित्त विशेषज्ञ। इसकी भी नियुक्ति कौन करेगा? चेयरपर्सन। मतलब एक तरह से यह घर की यूनिवर्सिटी बना ली। इस यूनिवर्सिटी पर किसी प्रकार का कोई कंट्रोल नहीं रहेगा। मैं सोचता हूं केवल लिखा होना यह समझदारी नहीं है। यह बन रही है, उस भावना का मैं आदर करता हूं। बननी चाहिये, राजस्थान को गौरव प्राप्त हुआ है। यह दुनिया में पहला होम्योपैथी का विश्वविद्यालय बन रहा है। इसके लिये वास्तव में बधाई देना चाहता हूं। लेकिन ऐसा विश्वविद्यालय मत बना दो कि बाद में हमारे हाथ में कुछ भी नहीं रहे और विश्वविद्यालय का दुरूपयोग हो जाये। इसके बाद आगे देखिये (च) आयुक्त, महाविद्यालय शिक्षा या उसका नाम-निर्देशिती, जो उप सचिव से नीचे की पंक्ति का नहीं होगा, एक व्यक्ति आपका है। यानि हायर एजूकेशन का कमिश्नर वह एक व्यक्ति स्वयं या अपने द्वारा नोमिनेटेड कोई भी डिप्टी सेक्रेट्री से नीचे का व्यक्ति नहीं होगा, वह आपका है। उसके बाद (छ) प्रेसीडेन्ट द्वारा नाम-निर्देशित दो अध्यापक। यानि यह सारी की सारी बॉडी, जो आप इसका कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, विश्वविद्यालय का जो बोर्ड है, बोर्ड आफ मैनेजमेंट है, उस बोर्ड आफॅ मैनेजमेंट में आप सारे उन्हीं के द्वारा नियुक्त किये हुए लोगों को डाल रहे हो, सरकार की किसी प्रकार से कोई दखलदांजी नहीं है। सरकार ने तो केवल यह समझ लिया इसकी हमें कोई आर्थिक मदद नहीं करनी, इसलिये हम बरी हो गये और बरी होकर सारे कमण्डल उसके हाथ में पकड़ा दिये। वह ढंग से चलाये या गलत चलाये, हमारे हाथ में बाद में कोई अधिकार नहीं रहेगा। मैं सोचता हूं इस प्रकार का कानून बनाना अच्छा नहीं रहेगा। क्योंकि हमारे सभी विश्वविद्यालयों के जो अनुभव आये हैं, वह कोई अच्छे अनुभव नहीं हैं। कारण क्या है कि समय नहीं मिला, सवेरे चार बजे तक तो पहुंचे उसके बाद जितना जो कुछ भी देख सके, उतना इसमें से देखा। अभी इसमें और कई कमियां होंगी, इसमें एक एक सैक्शन के अनुसार जब चलेंगे, तब उसमें कई प्रकार की कमियां उसमें दिखाई देंगी। इसमें सब प्रकार के कोर्स उनको तय करना है। सब प्रकार के लेक्चरर्स का सलेक्शन उनको करना है। उनकी सेवा-शर्तें उनको तय करनी हैं। विश्वविद्यालय में जिस प्रकार का अधिकार है, उन सारे अधिकारों का प्रयोग करेंगे। मैं सोचता हूं मंत्रीजी यह जो बोर्ड आफ मैनेजमेंट बनता है, उसमें राज्य सरकार के कम से कम 30-40 प्रतिशत तो लोग उसमें

रखो, जो कम से कम कहीं न कहीं उसके बारे में आपको जानकारी दे सके और सरकार का उसमें कोई न कोई हस्तक्षेप तो उसमें रहना चाहिये। केवल आपने एक सैक्शन-44 में थोड़ा सा अधिकार आपने जरूर लिया है। और वह कब? जब शिकायत सिर से ऊपर चढ़ जायेंगी, तब उसके बाद थोड़ा सा अधिकार सैक्शन 44 में अधिकार आपको दिया है। मैं सोचता हूं बहुत जल्दी कर रहे हैं। मैं आपकी भावना का स्वागत कर रहा हूं। मैं ईमानदारी से, मन से कह रहा हूं एक बहुत अच्छा काम अपन कर रहे हैं, पर कम से कम बनाते समय एक एक चीज को बारीकी से देखने की बहुत आवश्यकता पड़ेगी और इसीलिये, अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे और सदन के सभी माननीय सदस्यों से आग्रह कर रहा हूं कि बनाना बहुत अच्छा है, लेकिन कम से कम कानून ऐसा बनाओ, जिस कानून के तहत राज्य सरकार पंगु न हो जाये। जिस अधिकार को न मिलने के कारण से राज्य सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी रह जायेगी, डिग्रिया बिक जायेंगी, डिग्रिया बंट जायेंगी। आज अच्छे लोग हो सकते हैं, खूंटेटा, जिसने इस होम्योपैथी के क्षेत्र में अच्छी सेवा की है, उसका मान और सम्मान है, पर उसकी आने वाली पीढ़ी, वह इसी ढंग से चलायेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। कानून जो बनता है वह एक दो दिन के लिये नहीं होता है, कानून हमेशा के लिये कानून बनता है और इसमें मेरा सदन के सभी माननीय सदस्यों से आग्रह है, इसलिये नहीं कि गुलाबचंद कटारिया बोल रहा है, इसलिये इसको रिजेक्ट करना है। वह तो आप अपने बहुमत से कर सकते हैं, मेरे को कोई ऐतराज नहीं। लेकिन मैं ऐसा सोचता हूं कोई ऐसा तो संशोधन इसमें करके डालो, जिस संशोधन के आधार पर, अभी तो दिन भर डिस्कशन चलेगा, आप इसमें जहां जहां आवश्यक समझते हो, वहां हमारे लोगों को भी, सरकारी हस्तक्षेप भी किसी न किसी तरह से इसके पाठ्यक्रम से लेकर बाकी बातों में भी कहीं न कहीं हमारा इन्वॉल्वमेंट रहे, जिसके कारण से हम इसको ठीक प्रकार से कर सकें। इसी बात के साथ इसको जनमत जानने के लिये आपसे और सदन के सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करता हूं।

श्री अध्यक्षः श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, सदन के सम्मुख होम्योपैथी विश्वविद्यालय विधेयक, 2010 पर विचार हो रहा है और मेरा इसमें प्रस्ताव है कि इसे दो माह के जनमत जानने के लिये परिचालित किया जाये। अध्यक्ष महोदय, यह सही बात है कि होम्योपैथी चिकित्सा जगत के लिये एक अद्वितीय दिन है, एक नया इतिहास जुड़ रहा है, जो दुनिया का पहला होम्योपैथी विश्वविद्यालय जयपुर में खुलने का मार्ग प्रशस्त हो रहा है।

pcs-usc-01.04.2010-13.30-1q

अध्यक्ष महोदय, यदि इसका श्रेय किसी को जाता है तो वह तत्कालीन सरकार को जाता है। जिस सरकार ने सायपुरा, सांगानेर में 33.78 एकड़ भूमि इस विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए आवंटित की। अध्यक्ष महोदय, हम सब जानते हैं कि होम्योपैथी वह पद्धति है जो जर्मन से चली, हनीमैंन ने जिसका शुभारम्भ किया और जो प्रकृति के नियमों पर आधारित

है । प्रकृति में कहते हैं कि जहर जहर की दवा। इस आधार पर लोगों ने इस पैथी को पूरी दुनिया ने स्वीकार करना प्रारम्भ किया और आज हमारे हिन्दुस्तान के अन्दर एलोपैथी के बाद सर्वाधिक लोगों को अगर किसी पैथी पर विश्वास है तो होम्योपैथी के ऊपर है और इसमें भी कोई शक नहीं कि 1965 में राज्य का पहला होम्योपैथी महाविद्यालय भी जयपुर में बना। एम पी खूंटेटाजी ने बनाया। इसलिए मैं कहना चाहूंना अध्यक्ष महोदय, लोगों में इसके प्रति विश्वास इसलिए बढ़ गया, मुझे तो मेरे जिले का मालूम है, स्वाइन फ्लू फैल रहा था, होम्योपैथी के चिकित्सक, मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा अमर सिंहजी को, शेखावाटी चिकित्सा परिषद के रूप में उन्होंने होम्योपैथी के चिकित्सकों को एक जगह किया और गांव गांव में निकल गये दवा पिलाने के लिए, दवा का नाम शायद इन्फ्ल्युएंजा था, नाम मुझे पूरा ध्यान नहीं। उसका प्रभाव भी हुआ।

(श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत, सभापति, पदासीन)

मैं निवेदन करना चाहूंगा, अभी उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जिक्र किया कि राज्य के अन्दर छः होम्योपैथिक कॉलेज आज चल रहे हैं। पर सेन्ट्रल कोंसिल आफ होम्योपैथ इसने जो मापदण्ड निर्धारित कर रखे हैं, मैं मंत्री महोदय, यह चाहूंगा, इन सारे महाविद्यालयों का आप इंसपेक्शन करवायें। यह जो बी एम एच एस की डिग्री है, इस डिग्री के प्रति लोगों में आस्था बढ़े, खूंटेटा होम्योपैथ कालेज की तर्ज पर इनमें भी, जो सेन्ट्री कोंसिल ऑफ होम्योपैथ ने जो मापदण्ड तय कर रखे हैं उसके अनुसार बाकी छः कालेज हैं, वह भी इन मापदण्डों को पूरा करें, इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है और आज लगभग छः हजार चिकित्सक राजस्थान के अन्दर हैं और सरकारी सेवा में 180 हैं। आप हमारे किये गये कार्य की वाहवाही लूट लेंगे। आपके पास बहुमत है। हम इसके अन्दर जिन जिन चीजों पर एतराज करेंगे, उनको आप नहीं मानेंगे। पर कम से कम इस बात को तो मानो, आपको पन्द्रह महीने हो गये सत्ता में आये हुए। एक होम्योपैथिक चिकित्सक को आपने नौकरी नहीं दी। आज सरकारी क्षेत्र में एक सौ और कुछ होम्योपैथिक चिकित्सक हैं।

सभापति महोदय, मैं इस विधेयक के खण्ड 12 जिसका जिक्र अभी उदयुपर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे उसकी ओर आकर्षित करना चाहूंगा। इसमें लिखा हुआ है कि चेयर परसन राज्य सरकार की सहमति प्रयोजक निकाय द्वारा यानी वाया रजिस्टर्ड सोसायटी जो इस विश्वविद्यालय को संचालित करेगी उसकी सहमति से पाँच वर्ष के लिए नियुक्त किया जायेगा। निश्चित तौर पर जो सोसायटी अपने पुरुषार्थ से अपने धन में से धन को लगायेगी, चेयरमैंन उसका बने, पर इसक साथ यह प्रेसीडेन्ट शब्द कहां से आ गया? इस प्रेसीडेन्ट को जो आपके खण्ड 13 में है, सभापति महोदय, यह प्रेसीडेन्ट एक तरह से वाइस चांसलर के समान इसको सारी शक्तियां दी हैं। वाइस चांसलर एक ऐसा शब्द जिस शब्द का अगर कोई बोलता है तो लगता है कि कोई विद्वान व्यक्ति होगा पर यह प्रेसीडेन्ट शब्द इसलिए उपयोग किया गया क्योंकि इसकी नियुक्ति प्रबन्ध बोर्ड की सिफारिश पर तीन व्यक्तियों का पैनल बनेगा। सभापतिजी, इसका चेयर परसन कौन होगा यानी केकड़ी से आने वाले माननीय

सदस्य, प्रेसीडेन्ट के नाम पर जिस व्यक्ति की नियुक्ति होगी, इसमें उसकी क्वालिफिकेशन का कोई जिक्र नहीं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा, इसी विधेयक के खण्ड 13(3) में कहा गया है कि प्रेसीडेन्ट विश्वविद्यालय का प्रधान कार्यपालक होगा और शिक्षक अधिकारी होगा यानी सारा करतम धर्ता वह होगा और उसकी नियुक्ति में किसी प्रकार के क्वालिफिकेशन की कोई बात नहीं। वह विशेषज्ञ है या नहीं इसकी बात नहीं इसलिए मेरा पहला आपसे निवेदन है, मैं चाहूंगा कि प्रेसीडेन्ट के नाम के स्थान पर आप वाइस चांसलर का नाम लेकर आयें और इसके अन्दर कोई न कोई शैक्षणिक योग्यता भी होनी चाहिए और इसी के 13(8) में लिखा है चेयर परसन जांच के आधार पर प्रेसीडेंट को हटा देगा। मतलब यह तो एक तरह से यह हो गया कि सेठजी की दुकान पर नियुक्ति दे दी और यदि मन आया कि इसको नहीं रखना, इसको हटाओ इसलिए इस क्लॉज को भी आपको निश्चित तौर पर देखना चाहिए। सेक्शन 14 में प्रो-प्रेसीडेंट यह कौनसी पोस्ट ले आये आप? प्रो-वाइस चांसलर होता तो अच्छा भी लगता। यह जो सेक्शन 22 है जिसका जिक्र अभी उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने किया कि विश्वविद्यालय का प्रबन्ध बोर्ड, ऊपर से नीचे तक अगर हम गिनते चले जाएं चेयर परसन प्रेसीडेंट, प्रयोजक निकाय द्वारा निर्देशित पाँच व्यक्ति और फिर चेयर परसन द्वारा निर्देशित एक विशेषज्ञ और फिर चेयर परसन द्वारा निर्देशित एक वित्त विशेषज्ञ और फिर प्रेसीडेंट द्वारा निर्देशित दो अध्यापक और फिर आयुक्त महाविद्यालय द्वारा निर्देशित एक अधिकारी यानी इस पूरे प्रबन्धक मण्डल में, मुझे लगता नहीं है कि सरकार का कोई छोटा मोटा नियंत्रण भी रहेगा।

इसके बाद मैं निवेदन करना चाहूंगा इसके सेक्शन 43 की तरफ आप मुलायजा फरमायें। मंत्री महोदय, इसमें लिखा है कि प्रयोजक निकाय द्वारा विश्वविद्यालय का विघटन। मतलब एक वर्ष का नोटिस वह दे देगा, राज्य सरकार को, कर्मचारियों को और छात्रों को और विश्वविद्यालय बन्द करके चला जाएगा। कोई जिम्मेदारी नहीं है। सरकार ने जमीन दी रियायती दर पर। सरकार ने सुविधा दी और उसके बाद इसी 43(2) इसमें जो सारी जायदाद होगी, वह भी प्रयोजक यानी संचालन कर रहा है उसकी रह जायेगी। और सेक्शन 33, मंत्री महोदय, कितना विवाद चला, विद्यार्थियों की फीस को बढ़ने को लेकर, कितने अभिभावक सड़कों पर निकले। आज शिक्षा के निजीकरण की हम बात करते हैं पर कम से हमें यह भी देखना पड़ेगा, निजीकरण की बात तो समझ में आती है लेकिन शिक्षा का व्यवसायीकरण यदि हो जाएगा तो गरीब से यह शिक्षा दूर चली जाएगी। आप सेक्शन 33 में फीस कितनी होगी, इसका प्रयोजक निकाय एक कमेटी का गठन करेगा और वह तय करेगा कि जो मर्जी हो वह फीस तय कर दो। मैं समझता हूं कि निश्चित तौर पर बहुत उचित भावना के साथ इस विश्वविद्यालय की स्थापना की गयी है। हम आदर करते हैं उस डाक्टर धीरेन्द्र पाल का, जिसको मैं तो कहूंगा कि राजस्थान का फादर ऑफ होम्योपैथी कहा जा सकता है। उनकी प्रेरणा से और उसके साथ साथ खूंटेटा जैसे भामाशाह की प्रेरणा से यह विश्वविद्यालय स्थापित हो रहा है पर आज उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे, उसके संचालन के

साथ जुड़े हैं, ख्यातिनाम लोग हैं उनका सेवा का संकल्प मन में है, इच्छाशक्ति भी कुछ करने की है पर कल यद्यपि संसार में कोई नहीं बचा, मंत्री महोदय, न राजा बचे, राजतंत्र चला गया, लोकतंत्र में हम यहां खड़े हैं, आप और हम भी कितने दिन रहेंगे, परन्तु यह संस्थाएं जो आज हम कानून के द्वारा बनाने जा रहे हैं, यह संस्थाएं बरसों-बरसों तक खड़ी रहेंगी और इन संस्थाओं के साथ इस कानून को जो कोई पढ़ेगा, आने वाले समय में बहुत से ऐसे लोग होंगे, विकृतियां समाज में हैं, विकृत समाज के लोगों के हाथों में जब यह संस्था जाएगी तो उस संस्था को बंद करने का अधिकार भी आप उसको दे रहे हो। उस संस्था के सारे असेट्स को देने का अधिकार भी आप दे रहे हो। उस संस्था में फीस कितनी होगी, यह अधिकार भी आप उसको दे रहे हो। उस संस्था के उस वक्त के संचालक, मैं आज के संचालकों को साधुवाद दूंगा। उस वक्त के संचालक किसको नियुक्त करेंगे प्रसीडेण्ट के तौर पर, यह अधिकार भी आप उसको दे रहे हो। इसलिये निश्चित तौर पर इसमें कुछ न कुछ कमियां-खामियां सामने आईं और यह कोई प्रतिष्ठा की बात नहीं है। यदि यह जनमत जानने के लिये परिचालित हो जाएगा, राजस्थान में बहुत से लोग हैं, इस पैथी के प्रति लोगों की श्रद्धा है। इस पैथी के प्रति लोगों के मन में अच्छी भावनाएं हैं। वह चाहते हैं कि यह पैथी आगे बढ़े। उन सबके सुझाव आ जाएंगे। अगर जनमत जानने के लिये परिचालित कर दिया तो आपकी कौनसी प्रतिष्ठा कम हो जाएगी। इसलिये मैं निवेदन करुंगा कि आज चूंकि हमारी महिला विधायकों का महिला चिकित्सकों के साथ मैच भी है, दर्शकों की बहुत बड़ी आवश्यकता है मैच में, और दर्शकों की बेहद मांग पर मैच हो रहा है। उस मैच में सब जाना चाहेंगे इसलिये अब आप इसको जनमत जानने के परिचालन का प्रस्ताव ले आओ ताकि इसमें समय ज्यादा खराब नहीं हो। आपने मुझे समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: डा. दिगम्बर सिंह। (अनुपस्थित) श्रीमती अनीता सिंह (अनुपस्थित) श्री कालीचरण सराफ।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): माननीय सभापति महोदय, होम्योपैथिक विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2010 सदन में पेश हुआ, इसका तो मैं स्वागत करता हूं, क्योंकि एलोपैथी के बाद हमारे प्रदेश में सबसे ज्यादा यदि कोई लोकप्रिय पद्धति है तो वह होम्योपैथिक पद्धति है।

Msr/usc/1340/2a/01042010

क्योंकि इस पद्धति में कोई साइड इफेक्ट नहीं होता इसलिए लोग इस पद्धति से इलाज करवाना चाहते हैं।

जैसा आदरणीय कटारिया जी ने बताया, राठौड़ साहब ने बताया कि 6 हजार डाक्टर हैं पूरे प्रदेश में होम्योपैथी के, 13 मेडिकल कालेज हैं होम्योपैथी के, अब यह बिल तो आप इसलिए ले आए कि सारी व्यू रचना हमने हमारी सरकार के समय बना दी थ्ज्ञी और हम यह आशा कर रहे थे कि जो मुख्यमंत्री जी ने बजट भाषण पढ़ा उसमं वो होम्योपैथी

निदेशालय की घोषणा करते पर उन्होंने होम्यौपैथी निदेशालय की घोषणा नहीं की , उन्होंने घोषणा की यूनानी पद्धति, यूनानी निदेशालय की। मैं कोई यूनानी पद्धति के खिलाफ नहीं हूं, यूनानी पद्धति के दो कॉलेज, 100 स्टुडेंट हर साल निकलते हैं, आज इसमें डिप्टी डाइरेक्टर, होम्यौपैथी पद्धति का है उसमें केवल असिस्टेंट डाइरेक्टर है। आपने वोटों को आकर्षित करने के लिए यूनानी पद्धति का निदेशालय बनाया, बहुत अच्छा काम किया पर अच्छा होता कि यूनानी पद्धति के साथ-साथ बजट भाषण में माननीय मुख्य मंत्रीजी होम्यौपैथी निदेशालय की घोषणा भी करते।

जैसा राठौड़ साहब ने बताया कि इसमें सैक्शन 12 में गवर्नमेंट का रिप्रजेन्टेशन कम है, 33 में फीस के मामले में सरकार का कोई कंट्रोल नहीं होगा, विघटन के समय जितनी जमीन है वो उनको ही वापस दे दी जायेगी। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि पिछली बार हमने 9 विश्वविद्यालय के बिल राजस्थान की विधान सभा में पेश किये थे और पारित करवाये थे, उसके पीछे हमारा यह उद्देश्य था कि ज्यादा से ज्यादा निजी निवेशक, निजी भागीदारी शिक्षा के क्षेत्र में हो। उस समय कांग्रेस के माननीय सदस्य जब इधर थे तो उन्होंने दो-तीन आपत्तियां दर्ज की थीं। उन्होंने कहा था कि इसके लिए एक रेगूलेटरी बोर्ड बनना चाहिए और हमने, उस समय मैं शिक्षा मंत्री था, मैंने यह आश्वासन दिया था कि जल्दी से जल्दी रेगूलेटरी बोर्ड बनेगा। माननीय सदस्यों ने यह भी आपत्ति की थी कि जिसके पास कम से कम 50 हजार पुस्तकों की लाइब्रेरी हो उसको यह मान्यता मिले, मैंने उस समय सदन में यह भी आश्वासन दिया था कि इसके बारे में भी सरकार विचार करेगी और सरकारी प्रतिनिधि बढ़ाने के लिए भी मैंने कहा था। परन्तु मुझे बड़ी तकलीफ है, केवल झूठी वाहवाही लेने के लिए, पिछली सरकार में सब काम हो गया और आप यह विधेयक ले आए। बहुत बढ़िया, आपको वाहवाही मिलेगी पर इतनी जल्दबाजी में विधेयक लाने की आवश्यकता नहीं थी।

दो साल पहले जो विश्वविद्यालय के विधेयक विधान सभा में पेश हुए और उस समय जो सरकार ने आवश्वासन दिये उनको भी इसमें समाहित करते और दो साल में आपको यह भी पता लग गया होगा कि क्या-क्या व्यावहारिक कठिनाइयां इस मामले में आयी है, उनको भी आप दूर करते और उसके बाद यदि बिल लाते तो वो ज्यादा ठीक रहता।

इसलिए, माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह निवेदन करना चाहूंगा कि जल्दबाजी में कोई विधेयक लाना उचित नहीं है, इसको जनमत जानने के लिए एक महीने के लिए परिचालित किया जाए और एक महीने के बाद जब सारी बातें इसमें सही हो जाए, जो सम्बन्धित विद्वान लोग हैं, जो सम्बन्धित लोग हैं उन सब से राय मशविरा कर के और उसके बाद यदि यह बिल लायेंगे तो यह उचित रहेगा।

इसलिए मेरा प्रस्ताव है कि इसको जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाए। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री हनुमान बेनीवाल।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): सभापति महोदय, सदन के अन्दर आज होम्योपैथी विश्वविद्यालय विधेयक, 2010 जो पेश किया गया है इसका मैं स्वागत करता हूं लेकिन साथ ही यह मांग करता हूं कि इस विधेयक को पारित होने से पहले राजस्थान के अन्दर दो महीने के समय के लिए राजस्थान की जनता का विचार जानने के लिए इस विधेयक को भेजा जाए तो निश्चित रूप से अच्छे सुझाव आयेंगे और अच्छे सुझाव आने के बाद इस विधेयक के अन्दर कुछ संशोधन कर के, जैसा तारानगर से आने वाले हमारे माननीय विधायक महोदय ने, उदयपुर से आने वाले हमारे माननीय विधायक महोदय ने और हमारी पूर्ववर्ती सरकार में शिक्षा मंत्री रहे और हमेशा कॉलेज और विश्वविद्यालय के छात्रों की राजनीति करते हुए इस मुकाम पर पहुंचे हैं और इस विधेयक की रूपरेखा पिछली, पूर्ववर्ती सरकार के अन्दर तैयार करने में जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही, मालवीय नगर से आने वाले हमारे विधायक महोदय ने जो बात आपके सामने रखी, मैं इन बातों से अपनी सहमति व्यक्त करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, आज जैसा कि तारानगर से आने वाले माननीय विधायक महोदय बता रहे थे कि स्वाईल फ्लू का कहर जब पूरे राजस्थान के अन्दर बरपा, जब पूरे राजस्थान की एलोपैथी की दवाइयां स्वाईल फ्लू की बीमारी पर असर नहीं कर रही थी तब राजस्थान के अन्दर अगर कोई ऐसी दवाई थी जिसने स्वाईल फ्लू होने से राजस्थान के हजारों लोंगों रोका तो वो दवाई थी होम्योपैथी पद्धति की दवाई और इस दवाई के बदोलत आज बहुत ही जबरदस्त तरीके से जो स्वाईल फ्लू का कहर राजस्थान के अन्दर बरपा, अगर होम्योपैथी पद्धति की वो दवाई नहीं होती तो निश्चित रूप से राजस्थान के अन्दर हजारों जानें उस स्वाईल फ्लू की बीमारी में लोगों की भेंट चढ़ जाती।

माननीय सभापति महोदय, होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति आज विश्व के अन्दर सबसे बड़ी, दूसरे नम्बर की पद्धति है। होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति द्वारा सबसे सस्ता और सुलभ इलाज गरीब से गरीब व्यक्ति को भी मिल जाता है।

माननीय सभापति महोदय, यह चिकित्सा पद्धति पूर्णतया प्राकृतिक नियमों यपर आधारित है, इसका सिद्धांत प्रकृति के नियम 'जहर ही जहर की दवा है', इस पर आधारित है। माननीय सभापति महोदय, इस चिकित्सा पद्धति में रोग का नाम अनुसार इलाज नहीं कर के रोगी के शारीरिक एवं मानसिक लक्षण और शरीर की बनावट तथा प्रकृति के गुण-अवगुण पर आधारित किया जाता है। लगभग 200 वर्षों में जितनी ख्याति इस पद्धति ने अर्जित की उतना ही राज्य स्तर पर इसकी उपेक्षा हुई जिसका उदाहरण राज्य सरकार का एक ही मेडिकल कॉलेज अब तक भी स्थापित नहीं है जबकि पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश के अन्दर 13 सरकारी मेडिकल कॉलेज संचालित हैं। एक सरकारी वैबसाईट के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान हैल्थ सर्विस मेडिकल आफिसर बुलेटिन फैमिली एण्ड वैलफेयर डिपार्टमेंट, भारत सरकार, 8 मार्च, 2008 के अनुसार 55 प्रतिशत रोगी अंग्रेजी दवा लेते हैं जबकि 30

प्रतिशत रोगी होम्योपैथी दवा, 14 प्रतिशत रोगी आयुर्वेदिक एवं एक प्रतिशत रोगी यूनानी पद्धति से इलाज करवाते हैं।

आपने बजट के अन्दर यूनानी निदेशालय खोलने की घोषणा की क्योंकि आपको वोटों का लालच था और यूनानी पद्धति के वोटों पर आपकी नजर थी। इसका भी हम स्वागत करते हैं, हम यूनानी पद्धति के विरोधी नहीं हैं लेकिन होम्योपैथी पद्धति यूनानी पद्धति से ज्यादा बेहतर है और विश्व के अन्दर सबसे ज्यादा लोग इससे इलाज कराते हैं।

आपको बजट के अन्दर इसके निदेशालय खोलने की घोषणा करनी चाहिए थी, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जब बजट की घोषणा की तो इसके अन्दर निश्चित रूप से इसकी घोषणा करनी चाहिए थी। इस पद्धति के साथ अन्याय हुआ है। आज राजस्थान के अन्दर वर्तमान में 6 होम्योपैथी महाविद्यालय संचालित हैं, जयपुर के अन्दर मदन प्रताप खुंटेटा, जिसके अन्दर प्रवेश क्षमता 100 है, यूवराज प्रताप सिंह मेडिकली कॉलेज, अलवर में 75, भारतीय होम्योपैथी कॉलेज, भरतपुर में 40, स्वास्थ्य कल्याण होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज, जयपुर में 100, मांगीलाल निर्वाण मेडिकल कॉलेज, बीकानेर में 75 और गंगानगर के होम्योपैथी कालेज के अन्दर 50 की संख्या है। इन सभी कॉलेजों में साढ़े पाँच वर्ष का स्नातक बी.एच.एम.ए. संचालित है, साथ ही मदन प्रताप खुंटेटा, जयपुर में तीन वर्षीय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम संचालित है।

माननीय सभापति महोदय, आज हमारे तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य बता रहे थे कि इस विधेयक के अन्दर जो धाराएं हैं, धारा 43 है, एक महीने के अन्दर नोटिस देकर विश्वविद्यालय बंद कर के चले जायेंगे।

Ars/usc/1350/2b/01042010/1

अपन ने सरकार को जमीन अलॉट कर सरकार को विश्व विद्यालय बनाने के लिए सरकारी तौर पर योगदान दिया, उसका कोई लेखा जोखा नहीं है। एक महीने का नोटिस, विश्व विद्यालय पर ताला देकर, विश्व विद्यालय बंद करके चले जाओ। दूसरी धारा-33 जिसके अन्दर आज गरीब से गरीब व्यक्ति भी अच्छी शिक्षा लेने के लिए लालायित है और आज होम्योपेथी पद्धति भी मेडिकल, एलोपेथी पद्धति के बराबर होम्योपेथी के डाक्टरों का मान और सम्मान गांवों के अन्दर होता है क्योंकि इस पद्धति से गरीब से गरीब व्यक्ति भी, अति पिछड़ा व्यक्ति भी इलाज करा सकता है। तो सभापति महोदय, सैक्शन-33 के अन्दर फीस बढ़ाने के जा प्रावधान किये हैं इसके अन्दर कुछ भी नहीं बताया। कितनी फीस बढ़ा सकते हैं, कितनी फीस लेंगे, मन मर्जी से चाहे जो फीस बढ़ा सकते हैं। इस सैक्शन-33 का मैं विरोध करता हूं। इसलिए खुले हिसाब से इस पर चर्चा होनी चाहिए। सैक्शन-12, इसके अन्दर सरकार का प्रतिनिधित्व क्या होम्योपेथी विश्व विद्यालय के अन्दर रहेगा, इसका भी वर्णन नहीं किया गया। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस होम्योपेथी विश्व विद्यालय के अन्दर जो संचालक मण्डल और प्रबन्ध मण्डल में प्रेसीडेंट का जो पद किया है, इस प्रेसीडेंट नाम के अन्दर एक बड़ी बू आती है, इसलिए इस प्रेसीडेंट के पद का नाम चेंज करके इसका प्रेसीडेंट

के अलावा कोई नाम इसके अन्दर होना चाहिए। होम्योपेथिक निदेशालय की घोषणा करनी चाहिए।

सभापति महोदय, आज राजस्थान के अन्दर 1965 से राज्य में प्रथम मेडिकल कालेज, इस कालेज द्वारा भारत में प्रथम बार एम डी शुरुआत जयपुर के अन्दर की गयी थी। आज होम्योपेथी विश्व विद्यालय जयपुर के अन्दर बन रहा है, बहुत बड़े गौरव की बात है कि यह भारत का पहला होम्योपेथी विश्व विद्यालय होगा। लेकिन यह सोच आपकी नहीं है, सोच पूर्ववर्ती सरकार की है। आप तो सिर्फ आनन फानन में इस कानून को पास कराकर एक जनता केअन्दर यह संदेश देना चाहते हो कि हमने होम्योपेथी विश्वविद्यालय हमारे शासन के अन्दर खोला।

आज राजस्थान के अन्दर होम्योपेथी के हजारों लोग बी एच एम एस की डिग्रियां करके राजस्थान के गांव गांव के अन्दर बेरोजगार घूम रहे हैं। लेकिन आज तक मात्र इस डिपार्टमैंट के अन्दर 184 लोगों को ही डाक्टर बनाया गया। अगर आप इमानदारी से होम्योपेथी पद्धति को बढ़ावा देना चाहते हो और गरीब से गरीब व्यक्ति की जिस तरह बजट को गरीब और किसान का बताते हो, नौजवानों के हित की बात करते हो, छात्रों के हित की बात करते हो तो नौजवानों के हित की बात करो। बेरोजगारी के अन्दर जो आपने रोजगार देने की बात कही घोषणा पत्र के अन्दर तो आज हजारों पद होम्योपेथी डाक्टरों के राजस्थान के अन्दर खाली पड़े हैं। आप इन पदों की घोषणा करें और मेरा आपसे आग्रह है कि नौज्वानों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार देने की बात घोषणा पत्र में देने से काम नहीं चलेगा और विश्व विद्यालय खोल कर आप राजस्थान की जनता को गुमराह नहीं कर सकते। जब तक विश्व विद्यालय का उचित प्रबन्धन नहीं होगा, राजस्थान के अन्दर नई नौकरियां नहीं लगेगीं और होम्योपेथी पद्धति को इनके डाक्टर बढ़ावा देंगे और अच्छे डाक्टर आज निश्चित रूप से गांवों के अन्दर बेरोजगार घूम रहे हैं।

मेरा आपसे आग्रह है कि आप इस विधेयक को पारित होने से पहले राजस्थान के अन्दर होम्योपेथी डाक्टरों के कितने पद सृजित करेंगे, कितने होम्योपेथी डाक्टरों की नई भर्ती करेंगे, इस मामले में आपको राजस्थान की जनता को सदन के अन्दर घोषणा करनी चाहिए मंत्री जी कि कितने पद लेंगे। विश्व विद्यालय विधेयक को पारित होने से पहले दो माह के लिए राजस्थान की जनता के विचार और सुझाव लेने के लिए भेजना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री घनश्याम जी तिवाड़ी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): आदरणीय सभापति महोदय, मैं सबसे पहले तो डाक्टर जितेन्द्र सिंह जी माननीय मंत्री महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहूंगा कि यह ऐतिहासिक बिल आपके हाथ से राजस्थान की विधान सभा में पेश हो रहा है। राजस्थान को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ और जयपुर को, जयपुर में भी सांगानेर विधान सभा क्षेत्र को कि

विश्व का पहला होम्योपेथी विश्व विद्यालय यहां पर स्थापित हो रहा है। सांगानेर में, जयपुर में, राजस्थान में।

सभापति महोदय, प्राइवेट विश्व विद्यालयों के बारे में चर्चा करने में एक बात और कहूंगा कि राजस्थान में हिन्दुस्तान पहला राज्य है जिसने सारी विधिक बाधाओं को पार करके राजस्थान में प्राइवेट विश्व विद्यालय के निर्माण की, स्थापित होने की प्रक्रिया प्रारम्भ की और हम इसमें सफल हुए। यह कहने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि पिछली सरकार ने इसका श्री गणेश किया। इसका अगर अपन इतिहास देखें, बाद में जब दूसरे बिल आयेंगे उन पर अपनी बात रखूंगा लेकिन इतिहास देखें हिन्दुस्तान में प्राइवेट विश्व विद्यालयों का और एक समीक्षा करें हम, अमेरिका में सोलह करोड़ की जनसंख्या है, 900 विश्व विद्यालय हैं। हिन्दुस्तान में कुल मिला कर 311 विश्व विद्यालय सरकार 120 करोड़ लोगों के लिए बना सकी। किस प्रकार से हम पूर्ति कर सकते हैं।

ज्ञान आयोग ने जो सैम पित्रोदा की अध्यक्षता में बना, उन्होंने 1500 विश्व विद्यालय 2020 तक हिन्दुस्तान में बनें, इस बात की कल्पना की। उसके बिना काम नहीं हो सकता। उदाहरण के लिए हम यह बात कह सकते हैं कि आज 85 परसेंट हायर एजूकेशन बारहवीं के बाद पढ़ने वाले लोग चाहे इन्जीनियरिंग में जा रहे हों, चाहे मेडिकल में जा रहे हों, चाहे टेक्निकल में जा रहे हों, चाहे एम बी ए में जा रहे हों, चाहे होम्योपेथी में जा रहे हों चाहे और किसी काम में जा रहे हों, आज 85 परसेंट हायर एजूकेशन प्राइवेट सैक्टर में है, 15 परसेंट सरकारी सैक्टर में है। सरकार के पास जो 15 परसेंट है उसकी भी जो हालत आज खराब है उसकी अपन कल्पना नहीं कर सकते। पच्चीस साल से राजस्थान विश्व विद्यालय में हमने कोई नई नियुक्ति नहीं की। सारी फैकल्टीज खाली हैं, कुलपति हम नहीं बना सकते, नई भर्ती नहीं कर सकते, नया काम नहीं कर सकते और सारे विश्व विद्यालय जर्जर हालत में हैं और वह भी इस हालत में हैं कि कम्पीटिशन के जमाने में, ज्ञान के जमाने में हमारे खटारा जो विश्व विद्यालय हैं, लोग मांग करते हैं कि गरीब लोग कहां पढ़ते? गरीबों को इनमें पढ़ाकर खटारा ही रखना चाहते हो क्या?

इसके बजाय तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में गरीबों को पैसा देकर पढ़ाने का काम सरकार करे वह गरीब के लिए ज्यादा लाभदायक होगा। आज आवश्यकता इस बात की है कि शिक्षा के क्षेत्र में प्राइवेट सैक्टर आए और प्राइवेट सैक्टर इसलिए आना आवश्यक है कि हमने जब विश्व विद्यालय बनाना शुरु किया था अब तक राजस्थान में बीस विश्व विद्यालय बन गये, बीस से भी ज्यादा हो गये, 13 तो सरकारी हैं, 14 सरकारी विश्व विद्यालय हैं, बीस प्राइवेट सैक्टर के विश्व विद्यालय आ गये। वह विश्व विद्यालय कैसे काम करेंगे। उदाहरण के लिए उदयपुर में हमने एक विश्व विद्यालय प्रारम्भ किया, उसमें नई टेक्नीक जो आयी है उसको पढ़ाने के लिए अध्यापकों की आवश्यकता थी। विज्ञापन निकाले और प्राइवेट सैक्टर की यूनिवर्सिटी ने दो लाख रुपये महीने पर एक प्राध्यापक की नियुक्ति की1 सरकार कर सकेगी क्या? सरकार के कानून, कायदे, नियम बंधे हुए हैं उसके हिसाब से सरकार करती है।

मैं इस विषय पर तो बाद में जब दूसरे बिल आयेंगे तब जाऊंगा लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि इसका इतिहास कहां से शुरू हुआ। सबसे पहले कांग्रेस के मुख्य मंत्री थे श्रीमान अजीत जोगी, छत्तीसगढ़ में, उन्होंने प्राइवेट विश्व विद्यालयों की स्थापना का काम प्रारम्भ किया था। प्रोफेसर यशपाल ने उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की और सारे जो विश्व विद्यालय छत्तीसगढ़ में खुले थे, उन सबको निरस्त कर दिया गया। उसके बाद में यह राजस्थान सरकार पहली है जिसने प्राइवेट विश्व विद्यालय चालू किये और इसके लिए हमने कुछ शर्तें रखीं, जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने तीन शर्तें दीं थीं, उनमें सबसे पहली शर्त थी कि कोई व्यक्ति प्राइवेट यूनिवर्सिटी नहीं खोलेगा। तो हमने उसमें प्रावधान किया कि एक संस्था जो शैक्षिक क्षेत्र में काम करने का अनुभव रखती है, रजिस्टर्ड संस्था है, प्राइवेट कम्पनी है वो ही इसमें काम कर सकेगी, कोई व्यक्ति यह प्राइवेट यूनिवर्सिटी नहीं खोल सकेगा। एक प्रावधान हमने किया।

दूसरा इसमें आया कि उसका इन्फ्रास्ट्रक्चर क्या है, इसलिए हमने तय किया कि सरकार जमीन नहीं देगी, सरकार को तीस एकड़ जमीन उस विश्व विद्यालय के पास है, इस बात की सरकार को कल्पना करनी पड़ेगी, सरकार को देखना पड़ेगा उसके बाद यह नहीं कि दुकान खुल जाए, इसलिए तय किया कि इतने स्क्वायर फीट का कन्स्ट्रक्शन होगा, वह तय किया। उसके बाद तय किया कि फैकल्टी कैसी होगी तो फैकल्टी इस प्रकार की होगी, यह हमने उसमें तय किया। उसके बाद हमने तय किया कि फैकल्टी होगी लेकिन फैकल्टी के साथ साथ पुस्तकालय कैसा होगा, कम्प्यूटर की शिक्षा कैसी होगी, लैबोरेट्रीज कैसी होंगी, खेल के मैदान कैसे होंगे और वह काम वह संस्था नहीं करेगी। उसके लिए तीन कुलपतियों की समिति होगी, जिसके सामने वह अपनी एप्लीकेशन देगी, फिर वह जाएगी फिर वह रिपोर्ट देगी और रिपोर्ट देने के बाद सरकार तय करेगी कि इतना सारा ढांचा उन्होंने तैयार कर लिया और तैयार करने के बाद में यह विश्व विद्यालय के लिए उन्होंने स्थापित किये और इसके बाद विश्व विद्यालय का एक्ट आएगा।

अब यहां बार बार यह प्रश्न उठता है इसका कोर्स क्या होगा, यह अपने आप कोर्स कर लेगी, हमने नियम में प्रावधान किया था और न्यायालय ने भी किया कि यू जी सी, जो बिल्कुल एकदम बेकार बॉडी है, जिसको ध्वस्त कर दिया जाना चाहिए, जिसने भारत की शिक्षा को बर्बाद करके रख दिया यू जी सी ने, भारत सरकार ने भी स्वीकार कर लिया है, सबसे पहले मैंने शिक्षा मंत्रियों की मीटिंग में मांग की थी। ...

vns/usc/14.00/1.4.2010/2c/1

कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ए आई सी टी यह जो सारे संगठन हैं वह एकदम रद्दी की टोकरी में फेंकने लायक हैं और अब भारत सरकार ने भी स्वीकार किया है कि इनको समाप्त किया जाना चाहिये। इन्होंने यू जी सी ने कुछ मापदण्ड तय कर दिये यह कोर्स, यह कोर्स, यह कोर्स, वह कोर्स को लागू करो। उस कोर्स के अलावा आप पढ़ा नहीं सकते। उस

कोर्स के अलावा नहीं पढ़ा सकते तो फिर यह विश्वविद्यालय बना क्यों रहे हैं ? ज्ञान को सीमित करना चाहते हैं ? नॉलेज को सीमित करना चाहते हैं ? फिर प्रश्न आया कि सरकार के आदमी इसमें होने चाहिये। क्यों होने चाहिये सरकार के आदमी ? सरकार का आई ए एस अफसर या सरकार का आर ए एस अफसर क्या पढ़कर इतना विद्वान हो जाता है कोई विश्वविद्यालय को नियमित कर सकेगा, उसका संचालन कर सकेगा ? सरकार का नियंत्रण होना चाहिये। सरकार की निगरानी होनी चाहिये। इसके लिये मैं सहमत हूं लेकिन सरकार का ज्यादा हस्तक्षेप प्राइवेट सैक्टर में होगा, सभापति महोदय, अलग-अलग मांग होती है जिसमें प्राइवेट समाज, संस्थाएं स्कूल खोलती हैं और खोलते ही सरकार को निर्देश देते हैं है कि इतना अनुदान दो, इतना रुपया दो, जो आकर विरोध करते हैं, वह सरकार का हस्तक्षेप क्यों होना चाहिये। उसी प्रकार जब एक संस्थान अपनी यूनिवर्सिटी बना रही है तो हमने तय किया था कि निगरानी आयोग एक होना चाहिये पूरा उच्च शिक्षा का। निगरानी आयोग गठित करें जो नार्म्स को देखे और नार्म्स के आधार पर इन संस्थाओं को नियंत्रित करे। यह संस्थाएं निश्चित रूप से चलनी चाहिये।

इसमें एक प्रावधान नहीं है। वह प्रावधान माननीय मंत्री महोदय, होना चाहिये। सरकार उन लोगों को जिनके खुद के पास पढ़ने के लिये पैसे नहीं हैं लेकिन जिनके पास योग्यता है इन क्षेत्रों में उनकी पढ़ाई के लिये रिजर्वेशन निश्चित रूप से होना चाहिये। वह गरीब आदमी जो योग्यता रखता है, वह गरीब आदमी जो इसमें पढ़ने के लायक है तो सरकार एक टैस्ट लेकर इन संस्थाओं में उन लोगों को भर्ती कराए और उनके लिये पैसे देने की व्यवस्था सरकार करे।

इस कानून में माननीय मंत्रीजी, कमी है। डाक्टर साहब, इसमें एक बहुत बड़ी कमी है। मैं आपसे कहना चाहता हूं हमने प्राइवेट विश्वविद्यालय बुलाये हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है इसमें लेकिन उन लोगों का क्या होगा जो सरकार के भरोसे पढ़ना चाहते हैं तो क्या सरकार के भरोसे पढ़ने वाले इन विश्वविद्यालयों में नहीं पढ़ेंगे ? इसलिये 10 प्रतिशत, 15 प्रतिशत, 5 प्रतिशत, कुछ भी आप करें, इस प्रकार की व्यवस्था जरूर करें कि वह जाकर इनमें पढ़ सकें और सरकार इस प्रकार का फण्ड बनाए। सभापति महोदय, यह बनना चाहिये, काम चलेगा नहीं। इस काम को चलाने के लिये आवश्यक है सरकार इस प्रकार की व्यवस्था करे।

सभापति महोदय, राजस्थान के विश्वविद्यालय जो बने हैं पहले उनको राजस्थान हाई कोर्ट में चुनौती दी गयी, उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी गयी। राजस्थान पहला राज्य है जिसने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में मुकदमे जीते और जीतने के बाद राजस्थान विश्वविद्यालय की स्थापना हुई।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से एक और प्रार्थना करना चाहूंगा। राजस्थान में एक क्लॉज इसमें डालने की आवश्यकता है जो मैं नहीं डाल सका। आप लोग मेरी बात सुन लो। नहीं तो मामला गड़बड़ है..(व्यवधान) आप बाद में कर लेना अपनी बात।

श्री एमादुद्दीन अहमद खान (दुरू मियां) (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आपकी ही तैयारी कर रहे हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): आप मेरी तैयारी भी कर लो लेकिन मैं बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं कि इसमें एक कमी मेरे से भी रह गयी, कालीचरण जी से भी रह गयी, जो कमी रही हो उस कमी को दूर करना चाहिये हमको। हमेशा सब विश्वविद्यालयों का सारा लेखा जोखा या उनका वार्षिक प्रतिवेदन राजस्थान की विधान सभा में रखते हैं। इनमें हमने ऐसा कानून नहीं बनाया कि इनका वार्षिक प्रतिवेदन हम राजस्थान की विधान सभा में रख सकें। यह अगर इस एक्ट में अपन जोड़ देंगे तो राजस्थान की विधान सभा को इसमें सोचने का, इस पर बहस करने का, इसके ऊपर जांच करने का या इसके बारे में कुछ कहने का अधिकार प्राप्त होगा। वह निश्चित रूप से होना चाहिये।

मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि इसमें हमारे कण्ट्रोल के लिये बहुत सी बातें हैं जिससे हम इन पर नियंत्रण कर सकते हैं, बेनियंत्रित नहीं हो सकती। आपके विधेयक का खण्ड 29, विधेयक का खण्ड 30, 31, 41 और 42 यह चारों पांचों खण्ड हमको इतने अधिकार देते हैं कि राज्य सरकार चाहे तो इनको अच्छी प्रकार से नियंत्रित कर सकती है।

सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा अभी होम्योपैथी का विश्वविद्यालय आपके पास आ रहा है। यह एक तरह से चिकित्सा का विश्वविद्यालय है, जनरल विश्वविद्यालय जो बने हैं वह अलग हैं और यह विश्वविद्यालय अलग है तो इस विश्वविद्यालय के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि डाक्टर पॉल और डाक्टर खुंटेटा, मैं इनको धन्यवाद देना चाहता हूं इन लोगों ने अपने इंटरेस्ट के लिये ही नहीं सेवा करने के लिये बहुत वर्ष से मेडिकल कालेज चला रखा है। यूनिवर्सिटी बनाने में सरकार से कोई योगदान नहीं लिया उन्होंने। सारा काम करके विश्वविद्यालय उन्होंने खड़ा कर दिया और दुनिया भर के लोग यहां पर पढ़ाई के लिये आयेंगे तो जयपुर के लिये गौरव की बात होगी। इस विश्वविद्यालय को हम जितना अधिक प्रोत्साहित कर सकते हैं हमको प्रोत्साहित करने का प्रयत्न करना चाहिये इस विश्वविद्यालय के अन्दर।

सभापति महोदय, मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि राजस्थान में, मैं यूनानी का डायरेक्ट्रेट बनने के खिलाफ नहीं हूं लेकिन मुझे दुःख इस बात का होता है कि हम किसी न किसी चीज को किसी धर्म के आधार पर बांट लेते हैं। उर्दू के लिये हम कह देते हैं मुसलमानों की भाषा है। क्यों उर्दू मुसलमानों की भाषा है ? उर्दू सारे हिन्दुस्तान की भाषा है। हिन्दुस्तान में जन्मी है, हिन्दुस्तान में बड़ी हुई है, हिन्दुस्तान में पली है, यह हिन्दुस्तान में ही जन्मी है। यह कोई अरब से आयी हुई है क्या ? कोई विदेश से आयी हुई है ? हिन्दुस्तान में ही जन्मी है। हमारे यहां तो पहले एक कहावत थी जो हम बचपन में पढ़ते थे कि खड़ी बोली को अगर साड़ी पहना देते हैं तो वह हिन्दी हो जाती है और बुर्का पहना देते हैं तो वह उर्दू हो जाती है। इतना सा ही फर्क हैं उसमें इसलिये हम उसको अलग क्यों कर देते हैं ?

इसी प्रकार यूनानी का मुझे तो याद है बचपन में हमारे जब फोड़े होते थे तो दवाईयां नहीं थीं, जर्रे कहते थे, वह जर्रे आया करते थे और कांगली जलाकर कांगली बनाकर लगा लेते तो वह ठीक हो जाती थी तो यूनानी चिकित्सा पद्धति हो, चाहे होम्योपैथी की चिकित्सा पद्धति हो और चाहे अपनी एलोपैथी हो, चाहे आयुर्वेद हो किसी एक धर्म के लिये व्यक्ति के लिये नहीं बनी है इसलिये हमको यूनानी को भी प्रोत्साहित करना चाहिये होम्योपैथी को भी प्रोत्साहित करना चाहिये और होम्योपैथी क डायरेक्ट्रेट भी निश्चित रूप से अलग से खोलना, जिसके शायदिजसके तो आपने आदेश भी किये होंगे। डायरेक्ट्रेट अलग से खुले, इस पैथी का भी हमको विचार है।

इस पैथी के जन्मदाता को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। हेनीमैन की अगर पुस्तक किसी ने पढ़ी हो तो मैं उनको धन्यवाद दूंगा कि बहुत कम आदमी होते हैं जो यह बात स्वीकार करते हैं कि मैंने ही पैदा की, मैंने ही पैदा की। आज हेनीमैन का होम्योपैथी का जनक माना है। जब उनसे पूछा गया कि आपने इस पैथी को निकालने की प्रेरणा कहां से ली तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि मेरी प्रेरणा का आधार चरक था। चरक दुनिया सबसे बड़े व सबसे पहले फिजिशियन हुए हैं। सुश्रुत दुनिया के सबसे पहले सर्जन हुए हैं। एनोटॉमी सबसे पहले आयुर्वेद में जो रखी गयी है। होम्योपैथी का जनक स्वयं स्वीकार करता है कि उसकी प्रेरणा का स्रोत भारत से है और वह चरक है। चरक एक ऐसा व्यक्ति था माननीय सभापति महोदय, 5500 जड़ी बूटियों के पास जाकर एक-एक का वर्णन जिसने लिखा कि यह इस काम की है, यह इस काम की है। वह कैसे किया उसको अब विज्ञान सिद्ध कर रहा है। उन्होंने उसको लेबोरेटरी में टैस्ट करके नहीं किया। हमारे यहां पर आज कई बार कुछ बातें हमारी दुनिया स्वीकार करे, हम स्वीकार नहीं करते। उस व्यक्ति के पास यह गुण था, चरक जाकर जिस पौधे के पास खड़ा होता, उसकी पूजा अर्चना करता फिर उसको पूछता कि हे पौधे मैं मानव की सेवा करना चाहता हूं, तेरे में क्या गुण है, तू मानव को क्या देगा, किस प्रकार होगा और फिर हाथ जोड़कर उसको तोड़ता। 5500 जड़ी बूटियों का वर्णन किया गया, चरक के द्वारा इस प्रकार की बात कही गयी है वह सारा हमारा इसमें लिखा हुआ है उसके आधार पर आयुर्वेद बनी। फिर चरके से प्रेरणा लेकर हेनीमैन ने होम्योपैथी की स्थापना की। यूनानी पैथी आयी। यूनान की यह बहुत बड़ी कल्चर रही है। ग्रीक की भी रही है। यूनान की आज, उस वर्णन में मैं नहीं जाना चाहता हूं, रही है लेकिन इस विश्वविद्यालय को बनाने में हमको और भी कुछ काम करने होंगे। इस विश्वविद्यालय के लिये सभी प्राइवेट विश्वविद्यालयों के लिये हमको राज्य नियामक आयोग का गठन करना होगा। हमारे यह सारे विश्वविद्यालय दुकानों में नहीं बदल जाए, कुछ लोगों की व्हीम्स का शिकार न बन जाएं या दूसरी-तीसरी पीढ़ी में आने के बाद कमाई का साधन नहीं बन जाएं इसलिये नियामक आयोग के माध्यम से निगरानी का काम हमको जरूर करना चाहिये। यह इसमें कमी है। हमको नियामक आयोग उच्च शिक्षा में निश्चित रूप से बनाना चाहिये1

मैं इसमें कहना चाहूंगा कि आपने जो इसमें शब्दों का प्रयोग किया है, मैं समझता हूं बिलकुल अनुचित है। कल आपका विधेयक आयेगा मैं बोलूंगा। किसके पास शब्दों की कमी है ? प्रेसीडेंट लिखा है, चेयर पर्सन लिखा है, यह शब्द अपन क्यों लिखते हैं ? मुझे बड़ी तकलीफ होती है कि जब एक बहुत धनवान आदमी कंगाल होता है। हमने अभी पुणे यूनिवर्सिटी में डिक्शनरी बनाने का काम चालू किया तो उसमें अ शब्द से संस्कृत में कितने शब्द लिखे हैं, डिक्शनरी बनाने का काम किया। 65 लाख शब्द आ गये सभापति महोदय।

श्याम/चौहान 01.04.2010 14.10 2d

65 लाख शब्द आ गये खाली अ से। वेबसाइट को बंद कर दिया कि कितने शब्द लिखेंगे। जो देश दुनिया में शब्दों को पैदा करने वाला है, देने वाला है। प्रेसीडेंट हुआ, चेयर पर्सन हुआ इस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं यह आप। अगर किसी को नहीं पता था तो मुझे ही पूछ लेते, मैं ही बता देता। हिन्दी में आप कानून ला रहे हो। क्या होता है प्रेसिडेंट, भारत का प्रेसीडेंट भी प्रेसीडेंट और यहां का प्रेसीडेंट भी प्रेसीडेंट, एक ही हैं। आपके पास शब्द नहीं हैं, कंगाल हो गये हो शब्दों में। आपने कुलपति को हटाया, उप कुलपति को हटाया। कल आप बिल ला रहे हो। मैं इस पर अपने विचार रखूंगा। लेकिन मैं कह रहा हूं कि यह कंगाली दूर करो आप। एक लाख शब्द बनाकर के बता सकता हूं मैं आपको, लिखो आप। प्रेसीडेंट का शब्द नहीं है What do you mean by Chairperson? क्या शब्द लगाया है आपने इसमें। मजाक बनाकर के रख दिया है।

सभापति महोदय, कल एक उदाहरण आया। मुझे बड़ी तकलीफ हुई। आमेर में, जयपुर में एक दिलाराम का बाग़ है। दिलाराम कौन था जब आमेर बसा तो उस दिलाराम ने मेहनत करके उस बाग़ को बनाया। बाग़ बनाते-बनाते उसका एक हाथ दब गया, उसकी हालत खराब हो गयी। वैद्यों को दिखाया तो उन्होंने कहा कि हाथ काटना पड़ेगा। उसका हाथ कट गया। महाराजा ने कहा कि इतना बढ़िया इस दिलाराम ने बाग़ बनाया है, इसलिए उस बाग़ को दिलाराम का बाग़ नाम दे दिया। अब हमारे एक अंग्रेजी पढ़े हुए अफसर वहां चले गये। वह वहां गये तो उसका वह लगा हुआ खंड या पट्ट टूट गया था। उन्होंने पढ़ा दिलाराम का बाग़, तो उन्होंने उसको तो पढ़ा नहीं, अंग्रेजी पढ़े हुए थे तो उस पर लगा दिया दिल-आराम का बाग़। दिल डीआईएल अलग कर दिया और एआरएम अलग कर दिया और बाग़। अब वह सारा खाका ही बदल गया। वह दिल ए आराम का बाग़ हो गया। कहां दिलाराम जिसने अपना हाथ कटा लिया, पैर कटा लिया। उसने इतना बड़ा बाग़ बना दिया और दिल आराम। अंग्रेजी पढ़कर यद्यपि सब गुण होत प्रवीण बे निज भाषा ज्ञान के रहत हीन के हीन। वह हीन के हीन की स्थिति पैदा हो गयी। जिस देश के लोगों ने व्याकरण पैदा किया। पाणिनी को पैदा किया। सारी दुनिया की भाषाओं की जननी को पैदा किया। उस देश के लोगों को शब्दों की कमी आ गयी। आज आप प्रेसीडेंट और चेयर पर्सन क्या-क्या शब्द यूज कर लिये। मैंने वह नहीं दिया संशोधन क्योंकि टाइम नहीं था रात बहुत हो गयी थी। आप इन शब्दों में

पुनर्विचार करें। यदि शब्दावली की जरूरत हो तो आप एक कमेटी बनायें। मैं आपकी मदद करने को तैयार हूं। इन शब्दों का परिवर्तन करें। यह अंग्रेजी के शब्द, अंग्रेजी रखें ना वह आपका अंग्रेजी का रूपांतरण है उसमें रखें ऑथोराइज्ड वर्सन इन इंग्लिश आप लिख रहे हो उसमें रखिये। इन शब्दों को आप हटाइये। भाषा की खिचड़ी मत बनाइये। भाषा का व्याकरण होता है ना वह एक मात्रा को कम अधिक करने पर पुत्र उत्पत्ति का उत्सव मनाता है। यह हमारे नियम हैं।

सभापति महोदय, मैं इस कानून का स्वागत करता हूं। यह हमारे लिए गौरव की बात है। आज का दिन ऐतिहासिक दिन है और मैं धन्यवाद दूंगा कि आपको सौभाग्य मिला है कि आप इसको पॉयलेट कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि जिस प्रकार की भावना से आप बिल लेकर आये हैं उस बिल में आप दो काम कर सकते हैं। या तो इसको आप प्रवर समिति को सौंप दें। नहीं तो जनमत जानने के लिए सौंप दें। यदि जनमत जानने के लिए भी आप आवश्यकता नहीं समझें तो आप कम से कम जो सुझाव आये हैं जैसे गुलाब जी कटारिया ने सुझाव दिया कि हमारा हस्तक्षेप क्या है इसमें। उसके बारे में विचार करें। चाहे सरकार ऐसे लोगों को भी नियुक्त कर सकती है जो सरकारी अफसर नहीं हों। लेकिन आप अगर समझते हो कि होम्योपैथी के बहुत अच्छे डाक्टर हैं तो दो-तीन डाक्टरों को सरकार अपनी तरफ से नियुक्त कर दे। ताकि एक बात का सेफ कार्ड हमारे लिए हमेशा के लिए बन जाये कि आज तो यह काम करने वाले लोग बहुत अच्छे हैं लेकिन आगे आने वाली पीढ़ी किस प्रकार की हो। इसका काम और इन शब्दों का काम और बाकी इसका नियामक आयोग का बनाने का काम और हो। यह काम अगर आप करेंगे तो मैं समझता हूं कि बहुत अच्छी बात होगी। हमेशा के लिए मैं आपसे बार-बार निवेदन करना चाहूंगा कि जो भाषाओं की विकृति पैदा कर देते हैं। जिस प्रकार की भाषा है। मुझे तो आश्चर्य होता है कि जब हम बजट भाषण लिखते हैं तो इस प्रकार के शब्द उसमें अंग्रेजी के लिख देते हैं कि वो अंग्रेजी का लिखना ही जरूरी है, आये नहीं, क्या बात हुई यह। कोई शब्द आपके पास नहीं हो, धीरे-धीरे शब्द प्रचलन में आ गये हैं। सारे शब्दों का प्रचलन आने वाला है। कुछ शब्द आ भी जायें तो उसमें कुछ दिक्कत नहीं है। लेकिन जो हमारे पास शब्द उपलब्ध हैं। इन शब्दों का प्रेसीडेंट, चेयर पर्सन, मैं कल इस विधेयक का बहुत जोर से विरोध करने वाला हूं जो आप लेकर आये हैं। आप इसको परिवर्तन करें। कुलपति नहीं रखें, उप कुलपति नहीं रखें। आप समझते हैं कि वह सरकार के बराबर नहीं होना चाहिए, मत करिये, और बहुत से शब्द हैं। उन शब्दों को आप रखिये।

माननीय सभापति महोदय, मैं इसकी भावना का स्वागत करता हूं, बिल का स्वागत करता हूं और यह जो बातें मैंने आपको कही हैं उनका मंत्री महोदय ध्यान रखेंगे। मुझे यह बात निवेदन करना है, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री ओम बिरला।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): आगे के लिए भेजो।

श्री सभापतिः डॉ. जितेन्द्र सिंह जी।

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): सभापति महोदय, होम्योपैथी विश्वविद्यालय के बारे में माननीय हाउस के माननीय डिप्टी लीडर ऑफ अपोजिशन, सम्मानीय बहुत सीनियर हाउस के हमारे मेम्बर उदयपुर से पधारने वाले कटारिया साहब, सम्मानीय तारानगर से पधारने वाले राजेन्द्र राठौड़ साहब और हमारे जौहरी बाजार से, अब चेंज हो गयी, मालवीय नगर हो गयी कालीचरण जी और बेनीवाल जी और सबके बहुत महत्वपूर्ण सजेशन इस बारे में आये।

सभापति महोदय, मैं सदन को बताना चाहूंगा कि होम्योपैथी की मेडिसन को जिन्होंने स्टार्ट किया He was Dr. Hahnemann डॉ. हैनीमन बेसिकली एलोपैथ थे। उन्होंने जब साइड इफेक्टस देखे कि एलोपैथी में बहुत साइड इफेक्टस आते हैं He was a German Doctor. उन्होंने होम्योपैथी का इन्वेंशन किया। जैसे माननीय डिप्टी लीडर ऑफ अपोजिशन, माननीय तारानगर से आने वाले हमारे हाउस के बहुत सीनियर मेम्बर, हमारे सीनियर मेम्बर माननीय कटारिया साहब, सबने कहा कि होम्योपैथी I myself is a Doctor. और मैं स्वयं प्रशंसक हूं इस होम्योपैथी का कि सरटेन डिजीजेज जो बहुत लोंग स्टैंडिंग डिजीजेज होती हैं और आदमी थक जाता है एलोपैथी में डाक्टर्स चेंज करते हुए। मल्टीपल डिजीजेज, स्किन डिजीज तो ऐसी बीमारी है कि पूछिये मत it takes a lot of time. उसके बाद में जो अल्टीमेट रिजल्ट आया होम्योपैथी का वह अपने आपमें बड़ा विलक्षण था। डिप्टी लीडर ऑफ अपोजिशन ने चरक के लिए कहा, मैं अपना छोटा सा उदाहरण आप कहें तो बताऊं, मुझे एक बार मेडिकल इंस्टीटयुट म्युनिख जाने का मौका मिला, 10-12 वर्ष की बात हो गयी। मैं जब जा रहा था देखने के लिए कि उनकी कार्यविधि क्या है। मेरे साथ एक जर्मन दुभाषिया भी था। मैं डिपार्टमेंट के सामने से गुजर रहा था, पैथोलॉजिकल लैब के सामने से तो उसपर लिखा हुआ इंग्लिश के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ चरकोलॉजी, जर्मन में था और फिर इंग्लिश में था। मैं थोड़ी देर रूका और मैंने दुभाषिया से कहा Well Sir, I don’t know you much know about English or not. It should a Department of Serology. डिपार्टमेंट ऑफ सिरोलॉजी का मतलब है रक्त की जांच तो वह मेरी तरफ देखकर के मुड़ा, उसने कहा Sir, Charak was a great Indian Physician and in an honour of Charak we have named the department as the Department of Charkology. मुझे दुःख है इस हाउस में कहते हुए कि चरक और सुश्रुत और जो माने हुए हमारे धनवंतरि जो बहुत तगड़े हमारे सर्जन और फिजिशियन थे हम उनको भूल गये और हम उस एलोपैथी की तरफ भाग गये। मैं समझता हूं कि जो पद्वति उन लोगों ने बनायी लेकिन अनफोरच्युनेटली उनका एक अलग स्टैंडर्ड है जैसे कि अभी बात हो रही थी। माननीय तारानगर से आने वाले सदस्य ने कहा कि स्वाइन फ्लु फैला और डब्ल्युएचओ ने उसके अंदर अपनी गाइड लाइन दी। डब्ल्युएचओ ने यह कहा कि Of course the dymoflue is the treatment for the swine flue लेकिन अगर कोई दूसरी पद्वति अख्तियार करना चाहता है तो हमें आपत्ति नहीं है this is the unfortunate on our part

कि हमारे जो ग्रेट फिजिशियंस थे उन्होंने अपना पेटेंट नहीं करवाया ड्रग्स को, पेटेंट एक अलग बुखार है, आप रिसर्च कर रहे हैं हल्दी पर most of the persons of the Europe उनकी पापुलेशन का more than 20% are suffering from rheumatoid arthritis उसके लिए हयुमिटी कोल्ड वैदर चाहिए, दवाओं को खा-खाकर परेशान हो गये Nothing is affected. They are doing research on our Haldi.

jyg/usc/01.04.10/14.20/2e

हल्दी के लिए रिसर्च कर रहे हैं, कार्डियोलोजी वाले लहसुन पर रिसर्च कर रहे हैं, रेड मीट इटर्स और उनके कॉलेस्ट्रोल डिपोजिट हो रहा है, they have got colon cancer. मीट इटर्स और रेड मीट इटर्स के कॉलोन कैंसर हो रहा है, वह परेशान हो रहे हैं कि क्या करें। तो अपनी आयुर्वेद की जो ड्रग्स हैं उन पर यूरोप में ट्राई हो रहा है।

माननीय सभापति महोदय, आपका सब्जेक्ट था, और मैं आपको बताना चाहूंगा और आपको इससे खुशी होगी कि माननीय लीडर ऑफ अपोजिशन, होम्योपैथी के बारे में जो कहा गया है, आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि माननीय मुख्य मंत्रीजी के निर्देशानुसार माननीय हमारे मिनिस्टर ऑफ हैल्थ, उन्होंने होम्योपैथी के डाइरेक्टोरेट की घोषणा कर दी है, वह प्रारम्भ हो जाएगा।

नम्बर टू, आपने जो बताया कि होम्योपैथी के अंदर हमारे लोगों को जोब्स नहीं मिल रहे हैं होम्योपैथी के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा Of course, there is no govt. college in Rajasthan. लेकिन उसके बाद भी 77 होम्योपैथी के डाक्टर थे उनको 2009-10 में एम्प्लायमेंट दिया है। 2007-08 में आपके वक्त में आपने जोब दिया था उनको अभी टोटल 32 सीट्स वेकेंट है क्योंकि 2007-08 के अंदर एस सी, एस टी और ओ बी सी के छात्र नहीं मिल पाए, इसके अलावा 47 जो होम्योपैथी के रेगूलर डाक्टर्स हैं उनको 2009 से आर पी एस सी से लेने की प्रक्रिया जारी है। इसके अलावा माननीय सभापति महोदय, हमारे होम्योपैथी प्लस, आयुर्वेद प्लस, यूनानी के कॉमन में आपको बताना चाहूंगा कि 322नर्सिंग कम्पाउण्डर लिए गए हैं, 21 गवर्नमेंट के और फोर्थ क्लास 133 है।

माननीय सभापति महोदय, कोई भी अगर इन्फ्रास्टक्चर नहीं होगा तो कहीं भी हम उनको जोब नहीं दे सकेंगे क्योंकि ऐलोपेथी वाज देयर, आयुर्वेद विश्वविद्यालय बना, तो वह उनके रूल्स और रेगूलेशन्स बन गए हैं, यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेज के लिए रूल्स एण्ड रेगूलेशन्स बना दिए गए हैं। माननीय सभापति महोदय, कोई इन्स्टीट्यूशन स्टार्ट होता है तो फिर उसके बाद ऑटोमेटिकली उनके रूल्स का निर्माण होता जाता है। अब मैं माननीय सभापति महोदय, माननीय हमारे उदयपुर से पधारने वाले हाउस के बहुत सीनियर और हमारे मैम्बर है उन्होंने सेक्शन 8 में फरमाया था वह मैं आपको अर्ज करना चाहूंगा कि 2 करोड़ ऑलरेडी डिपोजिट, हमारा ऑर्डिनेंस जारी होनके पहले 2 करोड़ डिपोजिट हो चुके थे।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): भाषा तो आपकी लिखी हुई है, मैंने तो आपकी

भाषा ही पढ़ी है।

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): दो करोड ऑलरेडी डिपोजिट हो चुका है। प्रबन्ध मण्डल के बारे में एक साइन ऑफ इण्ट्रोगेशन था कि प्रबन्ध मण्डल के अंदर हमारे पास जो व्यवव्था है वह नहीं है प्रबन्ध मण्डल में गवर्नमेंट ने कमिश्नर ऑफ कॉलेज एजूकेशन को रख रखा है, लेकिन यह जो इन्फ्रास्ट्रक्चर और रूल्स और रेगूलेशन बने हैं तो इसके पूर्व में 13 विश्वविद्यालयों के इन्फ्रास्ट्रक्चर बना कर उनके नियम और हाउस में बिल पारित कराए थे, आइडेंटीकली उनमें हमने कोई चेंज नहीं किया और उसमें मोस्टली यह प्रबन्ध मण्डल की व्यवस्था जैसी आपने बताई उसी के अनुसार रखी। सेक्शन 32 में और जैसा कि माननीय सीनियर हाउस के मैम्बर्स ने प्रश्न उठाया कि आखिर कण्ट्रोल होगा क्या विश्वविद्यालय के अंदर तो मैं आपसे अर्ज करना चाहूंगा कि वाइस चांसलर राजस्थान यूनिवर्सिटी के, हैडेड बाई राजस्थान यूनिवर्सिटी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी का मेकेनिज्म किस तरह का हो, फीस स्ट्रक्चर क्या हो उसके लिए वाइस चांसलर राजस्थान यूनिवर्सिटी के हैडेड बाई हिम, एक कमेटी का गठन किया गया है जो जून तक अपनी रिपोर्ट देगी कि प्राइवेट विश्वविद्यालय का जैसा आपने कहा कि प्राइवेट विश्वविद्यालय में छात्रों के हितों का किस तरह से ख्याल रखा जाए, आपने भी फरमाया था, और रिगार्डिंग द फीस स्ट्रक्चर, माननीय सभापति महोदय, पूरे विश्व में राजस्थान हमारा या भारत हमारा एजूकेशन का केन्द्र रहा है, हमारे यहां का नालंदा विश्वविद्यालय और हमारे पूरे मिडल इस्ट में मैं समझता हूं कि यू एस ए के अंदर जब वे अपने सिरों पर कलंगी लगाकर जब रेड इण्डियन्स घोड़ों पर दौड़ते थे तब यहां पर हेनसांग ने लिखा कि हिन्दुस्तान एशिया का और पूरे साउथ इस्ट एशिया का और वर्ल्ड का एक केन्द्र था, नालन्दा विश्वविद्यालय में माने हुए विद्यार्थी होते थे। लेकिन this is our unfortunate आज हमारे विश्वविद्यालयों का स्तर, आज हमारे विद्यार्थी भाग रहे हैं, कोई तो आस्ट्रेलिया भाग रहा है, मेरी सिस्टर रहती है वहां वह कहती है क्या हो गया है हिन्दुस्तान वालों को, क्यों थर्ड क्लास सिटीजन बनने के लिए दूसरे देशों में आ रहे हैं? क्या हमारे कॉलेजेज का स्टेण्डर्ड ऐसा नहीं है? We have got the best Sir. We have got the best Institutions here in India as डीम्ड पिलानी है, हमारी यूनिवर्सिटी है, बिट्स है, हमारा महिलाओं का कॉलेज है, और माननीय सभापति महोदय, हमारा राजस्थान आज की तारीख में पूरे भारत में यूनिवर्सिटी का जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें राजस्थान इज ए लीडर, इसमें सहयोग रहा है, आप मिनिस्टर रहे हैं एजूकेशन के, डिप्टी लीडर ऑफ अपोजिशन, हमारे सारे है, दिस इज ए कलेक्टिव डिसीजन, हमारा काम है एजूकेशन में राजस्थान को फोरफ्रंट पर लाना। और उसके अंदर आज हमारे पास 14 गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज हैं, हमारे पास 13 प्राइवेट सेक्टर में है, 5 के बिल हाउस में ला रहे हैं, और पाइप लाइन में 30 और है। राजस्थान का आज हमारा जो इण्टरनेशनल स्टेण्डर्ड है, नेशनल स्टेण्डर्ड हैं उनके अनुसार हमारे पास आज 50 विश्वविद्यालय होने चाहिए। आज हमारे यू एस ए के पास 1500 यूनिवर्सिटीज हैं, यू के के पास 950 है, ऑस्ट्रेलिया में 350 है, भारत में 350 है यानि still

we are far behind. माननीय सभापति महोदय, जैसा कि माननीय डिप्टी लीडर ऑफ अपोजिशन ने कहा, कि निश्चित तौर पर आज गवर्नमेंट के पास इतना लम्बा चौड़ा इन्फ्रास्ट्रक्चर है, यह हमारी यूनिवर्सिटीज को और हमारी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज को टोटल फण्डिंग नहीं कर पाता है, हमें सजेस्ट करते हैं कि एस एफ एस कोर्स चलाइए, यह चलाइए माननीय सभापति महोदय, विदेशों में इसी लिए विदेशों में हमारे जो एच आर डी मिनिस्टर हैं गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया के उन्होंने भी भारत में बाहर की यूनिवर्सिटीज को इन्वाइट किया कि आप भारत आइए, भारत में आइए और यहां प्रारम्भ कीजिए। इन्फ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड में सभापति महोदय, दैट इज इन प्राइवेट सेक्टर, वर्ल्ड की लीडिंग यूनिवर्सिटीज हैं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, कैम्बिज यूनिवर्सिटी है, या अन्य जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं वे अधिकतर प्राइवेट सेक्टर में है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे अर्ज करना चाहूंगा कि भारत की पहली होम्योपैथी यूनिवर्सिटी राजस्थान में बनने जा रही है, जैसा कि लीडर ऑफ अपोजिशन ने कहा, जैसा कि तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, उदयपुर से सीनियर हमारे हाउस के माननीय सदस्य हैं कटारियाजी उन्होंने फरमाया, This is a great feather in the cape of Rajasthan. कि आज होम्योपैथी का विश्वविद्यालय राजस्थान में चालू हो रहा है। और इसके अंदर मैं आपको बताना चाहूंगा कि डाक्टर गिरीन्द्र पाल और डाक्टर खूंटेटाज, फोच्यूनेटली खूंटेटाज ब्रदर इज ऑवर टीचर और फिजियोलॉजिस्ट डाक्टर केशव प्रताप खूंटेटा, ही इज ए लीडिंग पर्सनेलिटी ऑफ होम्योपैथी और राजस्थान इसके अंदर लीडिंग बनेगा, और निश्चित रूप से प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटी है और गवर्नमेंट का इसमें बहुत बड़ा योग्यदान नहीं है इसलिए माननीय सभापति महोदय, एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी जिसने करोड़ों रुपए खर्च करके अपना इन्फ्रास्ट्रक्चर बना लिया, इस पर ज्यादा डिले नहीं करे, इसमें ज्यादा डिले करने से आर्थिक नुकसान होगा, और आने वाली हमारे विभिन्न विश्वविद्यालय जो बड़ी तेजी से राजस्थान में आ रहे हैं, बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटीज आ रही है, हमारे पास मणिपाल यूनिवर्सिटी वाले आ रहे हैं, पूरे साउथ इण्डिया वाले आ रहे हैं तो इसको पारित करने में देर करेंगे तो नेचुरली वह उन लोगों को इस बात से धक्का लगेगा। इसलिए मैं हमारे पूरे हाउस को कहूंगा और स्पेशली हमारे डिप्टी लीडर ऑफ अपोजिशन, सम्माननीय वेरी सीनियर लीडर, कटारियाजी, तारागनर से आने वाले माननीय सदस्य को इस तरह के अच्छे विश्वविद्यालय का बिल है इसको विचारार्थ लिया जाए।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि होम्योपैथी विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक 2010 को जनमत जानने हेतु प्रचालित किया जाए?

(अस्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने के लिए परिचालित करने का संसोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): पहली बार उनको ना कहने का मौका मिला है, अगर

मत विभाजन करा लें तो इनको ना पक्ष की लॉबी में भी आना पड़ेगा। देख लो फैसला कर लो।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि होम्योपैथी विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक 2010 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

मोहन/अरूण/01041020/1430/2f

खण्ड 2 से 48, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 48 स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 से 48 स्वीकार किये गये।

अनुसूची 1 व 2, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि अनुसूची 1 व 2 स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

अनुसूची 1 व 2 स्वीकार की गई।

खण्ड-1 अधिनियम सूत्र नाम आदि, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-1 अधिनियम सूत्र नाम आदि स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड-1 अधिनियम सूत्र नाम आदि स्वीकार किया गया।

डा. जितेन्द्र सिंह ।

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमित से प्रस्ताव करता हूं कि होम्योपैथी विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2010 को पारित किया जाए?

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): सभापति महोदय, भावना हमारी कितनी भी अच्छी हो लेकिन जितने भी नये विश्वविद्यालय आ रहे हैं, यह सब उन परिवारों से आ रहे हैं जो कभी इण्डस्ट्रियलिस्ट थे, उन सब लोगों ने अपने उद्योग को छोड़कर शिक्षा को उद्योग बनाने के मानस से जिस ढंग से आ रहे हैं उससे सचेत रहने की आवश्यकता है। मैं इसको रिकार्ड पर इसलिए लाना चाहता हूं कि अगर कभी भविष्य में आपको और मुझे इस बारे में सोचना पड़ेगा तो मैं जो कह रहा हूं, यह परिवारवाद जो आ रहा है, आपने देखा होगा, वनस्थली से ज्यादा पुराना, अच्छा इंस्टीट्यूशन कौन सा हो सकता है? इन्होंने समर्पित भाव से देश की आजादी के साथ शिक्षा में इतना बड़ा पौधा लगाया और वास्तव में जितनी सेवा उन्होंने की, उनका जितना गुणगान करो उतना कम है लेकिन आज की तारीख में सारे के सारे परिवार भर्ती हो गये, प्रोफेसर से लेकर के, रीडर से लेकर, बाकी सारे के सारे देखिए,

राजस्थान विद्यापीठ जन्नू भाई से ज्यादा मैं सोचता हूं शिक्षा को समर्पित राजस्थान में कोई व्यक्ति नहीं रहा होगा जिन्होंने उस ग्रामीण क्षेत्र में उस आदिवासी की शिक्षा के लिए झोला डाल कर, एक एक आदमी को घुमाकर उस ट्राइबल एरिया में उसने एजुकेशन का प्रचार किया लेकिन आज जन्नू भाई नहीं हैं और आपने देखा होगा कि डीम यूनिवर्सिटी दोनों की मान्यता खतरे में पड़ी हुई है आज की तारीख में और उसका कारण है कि अगर वाइस चांसलर बनेगा तो उनका ही परिवार का ही बनेगा, प्रोफेसर बनेगा तो उनका ही भानजा और भतीजा बनेगा, उनके ही परिवार के लोग नौकरी लेंगे तो यह क्या नौकरी लेने के लिए नई कोई ब्रांच तैयार कर रहे हैं क्या और ऐसे सचेत रहना चाहिए। मैं इसका विरोध नहीं कर रहा हूं, पर मैं जो कुछ भी देख रहा हूं, इसमें जितने विश्वविद्यालय हैं, आप इन सब का बैक-ग्राउण्ड उठाकर देख लें, ये सब उद्योगपति हैं, इन्होंने आजकल अपनी फैक्ट्रियां बंद कर दी हैं, उन्होंने सोचा एक ओर नई फैक्ट्री एजुकेशन के नाम से एक व्यवसाय मिल गया है। यह सेवा का संकल्प नहीं है, देश की आजादी के पहले जो शिक्षा से जुडे थे न, वह सेवा का संकल्प लेकर के जुड़े थे और उन्होंने वास्तव में समाज का उठाने का प्रयास किया। इन्होंने तो व्यवसाय भी बना लिया और शिक्षा भी देंगे, वह अच्छे लोग भी होंगे, मैं नहीं कह सकता हूं कि जैसे मेरे यहां यूनिवर्सिटी है, सिंघानिया की, बहुत अच्छे स्टेंडर्ड की यूनिवर्सिटी है, बहुत अच्छा काम कर रही है, कोई एतराज की बात नहीं है लेकिन यह जो कुछ आ रहे हैं न, इसको व्यवसाय बनाने की दृष्टि से आ रहे हैं इसलिए इस पर अंकुश रखने के लिए सचेत रहने की आवश्यकता है। अगर केवल आपने यही सोचा, अगर केवल आपने यही सोचा, इन सारे के सारे लोगों को उठाकर देखो, ये किसको शौक आ गया कि एक ही दिन में 20 करोड़ और 50 करोड़ रुपया खर्च करके लोगों को शिक्षित करने का सोच रहे हैं और फिर जो विषय जिन्होंने कहा, मैं आज फिर कह रहा हूं, अगर यह शिक्षा का इसी ढंग से चला न, तो समाज दो टुकड़ों में बंटेगा, गरीब का बच्चा शिक्षा नहीं ले सकेगा और पैसे वालों का बच्चा शिक्षा लेगा। कभी लोग किसी कारण से लड़े होंगे और झगड़े होंगे लेकिन भविष्य में जाकर के आप देखिएगा वह गरीब का ठेले वाले का बच्चा इस इंस्टीट्यूशन के पास नहीं जा सकेगा। आप अगर कानून बना रहे हो न, तो कम से कम उस गरीब के टेलेंटेड बच्चे को आरक्षण का आधार दीजिए जो 25 परसेंट आपने कहा है, चाहे शिड्यूल्ड कास्ट हो, चाहे शिड्यूल्ड ट्राइब, चाहे वह ओबीसी हो, अगर उसमें टेलेंटेड है, उस बच्चे को जाने का हक है उसमें और उसके खर्चे को सरकार उठाये, इसकी व्यवस्था करे लेकिन केवल इन पूंजीपतियों को सौंपकर अगर आपने देखा कि नये बड़े बड़े पूंजीपति तैयार करोगे और गरीब का बच्चा वह दूर से इसी तरह देखेगा, एक दिन आग लगा देगा इस देश को और आज इस भविष्य रहिए, मैं आपको आज कह रहा हूं, यह शिक्षा का जिस प्रकार से व्यवसायीकरण हो रहा है न, यह शिक्षा का व्यावसायीकरण कभी न कभी उस बच्चे के मन में घुटन पैदा कर देगा कि जिसके बाप के पास पैस नहीं है इसलिए बाबिलियत होने के बाद भी वह उसमें शिक्षा प्राप्त नहीं करसता तो यह मैं सोचता हूं कभी तो वर्ग भेद हुआ था पैसे वाले और गरीब के बीच में, अब वर्ग भेज

नहीं, अब संघर्ष होगा उस पढ़े लिखे और अनपढ़ के बीच में, दोनों के बीच में लगेगा, आपको और मुझे नहीं लगता कि जिसका पिताजी 10 लाख रुपये केपिटेशन फीस दे सकते हैं, वह डाक्टर बनकर आ सकता है लेकिन उसका योग्य लड़का क्योंकि उसके पास 20 लाख रुपया खर्च ाकरने के लिए नहीं है इसलिए उसका बच्चा डाक्टर नहीं बनेगा, वह तो कम्पाउण्डर भी नहीं बनसकता, यह जो वर्ग भेद है न, इसको अगर कानून का फर्मा नहीं पहनाओगे न, तो आज आप कितने ही खुश हो जाओ और यह कहो कि दुनिया की सारी शिक्षा आ जाएगी, मैं उस शिक्षा को बेकार समझता हूं, जो समाज की सेवा नहीं करते और केवल पढ़े लिखे जानवर पैदा करते हैं, मैं उस शिक्षा को शिक्षा नहीं समझता हूं, शिक्षा इंसान पैदा करे, उसके अन्दर यह भाव पैदा हो कि वास्तव में शिक्षा के आधार पर समाज की सेवा करूगा, मुझे इस बात का बहुत दुःख है और कष्टं है, हम जितने लोग यहां पढ़े लिखे बैठते हैं, हम सब को पढ़ाया किसने, समाज के उन सब गरीब लोगों ने पढ़ाया है, उनके पैसे के टेस्ट के एक एक पैसे से पढ़ा हुआ, यूनिवर्सिटी और कालेज में आप और मैंने शिक्षा प्राप्त की है, ये जितने आफिसर बैठे हैं न, ये भ किसी न किसी में पढ़े हैं, पिताजी ने तो कपड़े और फीस दिलाई होगी। पढ़े तो वो हैं न, लेकिन पढ़ने के बाद अगर उस सामान्य गरीब के बारे में इनका सोच बदल जाए, इनका विचार बदल जाए फिर क्या मतलब है उस शिक्षा का और क्या अर्थ निकलने वाला है उस देश का, मैं सोचता हूं देश की तरक्की का नहीं इसलिए इसमें राइडर लगाइए, किसी भी तरह से उस गरीब के बच्चे का हम नहीं मरना चाहिए, जो टेलेंटेड बच्चा है, केवल आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा होने के कारण या उसकी झौंपड़ी छोटी होने के कारण से उसको अगर शिक्षा से वंचित रखा न तो यह बहुत बड़ा घातक बन जाएगा देश के लिए, इसकी पूरी व्यवस्था करते हुए आप कानून पास करो। हमने तो स्वागत किया है इसको कि यह पहला विश्वविद्यालय बन रहा है, हम इसका स्वागत करते हैं लेकिन स्वागत करते हुए भी इन पर राइडर डालिए। ऐसा नहीं हो सकता, ये सारे के सारे व्यावसायी बनकर और समाज को तोड़ डालें और हम देखते रह जाएं सारे के सारे राजनेता, मैंने इसलिए इसका विरोध किया था और मैंने जनमत जानने के लिए भेजा कि मैं कोई इसके विरोध में नहीं हूं, मैंने तो आपका स्वागत किया है कि यहां दुनिया का पहला विश्वविद्यालय हमारे यहां बनरहा है, इससे बड़ा गौरव राजस्थान का क्या प्राप्त होगा, उसके लिए जितनी तारीख की जाए उतनी कम है लेकिन इस पर राइडर डालिए, कानून को सख्त बनाइए। जहां अपन हाथ डाल सकें जहां इसको ठीक कर सकें और और उन सब गरीब बच्चों को चाहे वह किसी भी जात और बिरादरी का हो लेकिन टेलेंटेड बच्चा है, उसे वहां पढ़ाय जाएगा, उसकी फीस अगर सरकार भरनी हो तो सरकार भरेगी, क्यों नहीं भर सकती है तब जाकर के इसका उपयोग होगा इसलिए मैंने इस बात को कहा है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): सभापति महोदय, मैं हमारे उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य का समर्थन करता हूं। सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया था उसमें तीन बातें लिखी थी, उसमें एक बात यह भी थी कि यह विश्वविद्यालय केवल कमाने के स्रोत नहीं

बननने चाहिए और हमको इसको दो केटेगिरी में बांटकर देखना होगा, एक तो उन उद्योगपतियों को जिन्होंने अपना स्वयं का पैसा लगाकरइस सारे राजस्थान में एक शिक्षा की अलख जगाई। आज, सभापति महोदय, झुंझुनूं जिले से आप आते हैं, झुंझुनूं जिले को सबसे अधिक शिक्षित होने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, वह बिड़लाओं के ट्रस्ट के द्वारा आजादी के पहले सारे गांव गांव तक उन्होंने इस प्रकार खोले, शेखावाटी के हर गांव में उन सेठों ने जिनको कोई लेना देना नहीं था, व्यवसाय नहीं था उन्होंने सारी जगह स्कूल, कालेज खोलकर शिक्षा को बहुत बड़ा प्रोत्साहन दिया, वह लोग हैं। एक ये दूसरे लोग हैं जो अपने मां-बाप द्वारा इस प्रकार की की गई कार्यवाही को आ व्यवसाचय के रूप में बदल कर कमाना चाहते हैं। जब यह बिल लाये तो हमारे सामने दोनों प्रश्न पैदा हुए, इसका क्या किया जाए। इस बात से हम इस जमाने में यह मानकर नहीं चल सकते कि पचास पचास और सौ सौ करोड़ लगाकर जो यूनिवर्सिटीज बना रहे हैं, वह कोई सेवा करने के लिए बना रहे हैं, केवल सेवा के लिए तो नहीं बना रहे हैं, इस बात को हमको मानकर चलना चाहिए वह लोग अर्थोपार्जन के लिए यह विश्वविद्यालय लेकर आ रहे हैं लेकिन इसमें हमको सरकार को यह भूमिका निभानी पड़ेगी कि हम यह तय करें कि हमारे बच्चे जो पढ़ने लायक हैं इन विश्वविद्यालयों में चाहे वह शिड्युल्ड कास्ट के हैं, चाहे वह शिड्यूल्ड ट्राइब के हैं, चाहे वह ओबीसी के हैं, चाहे वह गरीब, जनरल कास्ट के भी हैं, उन लोगों के बच्चे जो टेलेंटेड हैं, उनको भी इन विश्वविद्यालयों में पढ़ाई का मौका मिले इसलिए सरकार को यह जो भी पद्धति विकसित करे, एडमिशन में उसमें अगर यह इस प्रकार के लोग आते हैं तो सरकार अपने पैसे से, पैसा देकर वहां पर उनको बिठाने की व्यवस्था करे। जब सरकार विश्वविद्यालय खोलने से बच रही है, जब सरकार से सारा काम आ रहा है तो इन लोगों ने हमने व्यवस्था नहीं की तो यह जरूर विश्वविद्यालय हमारे लिए खतरनाक हो जाएंगे और हमने यह व्यवस्था कर ली कि इसमें पढ़ने के लायक जो योग्य बच्चे हैं उनको हम निश्चित रूप से डाल देंगे तो ये विश्वविद्यालय हमारी शिक्षा की क्रांति के केन्द्र बन जाएंगे। इसलिए हमको इस बात को सोचना पड़ेगा। साथ साथ, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री महोदय मैं आपसे आग्रह करूंगा, इन विश्वविद्यालयों के साथ साथ अगर हमने सरकारी विश्वविद्यालयों को मजबूत नहीं किया, उनका धरातल अगर हमने मजबूत नहीं किया तो कम्पीटिशन नहीं कर पाएंगे और कम्पीटिशन नहीं कर पाएंगे तो एकाधिकार की प्रवृति पैदा होगी इसलिए मैं मांग करता हूं कि हमारे 14 के 14 जो राजस्थान के विश्वविद्यालय हैं, आज अगला बिल जो आएगा, कल भी जो बिल आएगा, तब चर्चा करेंगे, आप हमें बताएं कि इसमें कितने पद हैं, कितने पद खाली हैं, कितने पदों की आप भर्ती करेंगे और यूजीसी के हिसाब से आपके पास कितने पद होने चाहिए। सरकार अगर यह कोड़ा लेकर जाएगी कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी को, आपको यह फेकल्टी बनानी पड़ेगी, आपको यह फेकल्टी बनानी पड़ेगी, आपको यह काम करना पड़ेगा तो सरकार को अपने गिरेबान में भी झांक कर देखना पड़ेगा कि उसने जो 14 विश्वविद्यालय बना रखे हैं जिसमें गरीब के बच्चे को पढ़ाते हो, उनकी पढ़ाने की आपने क्या व्यवस्था कर रखी है?

सुरेन्द्र/अरुण/01.04.2010/14.40/2g

दोनों काम साथ-साथ नहीं चलेंगे। 'पर उपदेश कुशल बहुतेरे' नहीं चलेंगे। जब सरकार को व्यवस्था करनी है तो पहले सरकार अपना मॉडल तो बनाकर दिखाये। सरकार का हमारा मॉडल ही जब बेकार होगा, हमारी यूनिवर्सिटीज ही जर्जर हो जायेंगी तो हमने यह ठेका भी नहीं ले रखा है कि उन जर्जर यूनिवर्सिटीज गरीब के बच्चों को पढाकर शिक्षा दें। मैंने शिक्षा मंत्री के रूप में देखा है कि आज राजस्थान यूनिवर्सिटी में कौनसा ऐसा प्रोफेसर है जो क्लास लेता है? उनको एक बार इतना कह दिया था कि रजिस्टर पर दस्तखत करने हैं तो उस पर तो स्ट्राइक करके चले गये। कितने लोग आते हैं, पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं लैक्चरर, 77-80 हजार रुपये आप वेतन दे रहे हो। छठा वेतन आयोग लागू होने के बाद सबसे बड़ा उनका लागू हो गया है लेकिन आज कोई क्लास राजस्थान यूनिवर्सिटी में या और किसी विश्वविद्यालय में लगातार लगती हो इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए हम यह कह कर नहीं चल सकते कि सरकार का विश्वविद्यालय बन गया तो ठीक ही है और सरकार के विश्वविद्यालय में सब लोग पढ़ लेंगे, हमको इन विश्वविद्यालयों से प्रतियोगिता करने के लिए सरकारी विश्वविद्यालयों के ढांचे को भी मजबूत करना पड़ेगा। हमने जैसा पहले भी आपको कहा कि हम इसका समर्थन करते हैं पर तीन बातों की व्यवस्था प्राइवेट यूनिवर्सिटी में होनी चाहिए। नम्बर एक, राज्य सरकार के द्वारा एक निगरानी आयोग या नियंत्रित करने वाला आयोग या संचालन करने वाला आयोग बनना चाहिए जो इन विश्वविद्यालयों को नियंत्रित कर सके। नम्बर दो, इनके प्रवेश लेने की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को भी नियामक आयोग द्वारा निर्धारित की जानी चाहिए और वो सारी प्रक्रिया खुली होनी चाहिए, उनमें गरीब लोगों के बच्चों के लिए 10 प्रतिशत, 20 प्रतिशत, 25 प्रतिशत जितना भी आप रिजर्वेशन कर सकते हो वो रिजर्वेशन होना चाहिए और इनकी फैकल्टी ठीक से चले इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए। फिर हमारे लिए ये प्रतियोगिता के केन्द्र बनेंगे और राजस्थान हिन्दुस्तान में शिक्षा में अग्रणी बन पायेगा। इसी के साथ इस विधेयक को पारित करने में हम सहमत हैं और इसे पारित करने में हम सरकार का साथ दे रहे हैं।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जब यूनिवर्सिटीज की बात हो रही है, पूरे राजस्थान में पापुलेशन बढ़ने के साथ शिक्षा का दायरा बढ़ रहा है। नई यूनिवर्सिटीज आ रही हैं, नई यूनिवर्सिटीज आने का पूरे राजस्थान की जनता स्वागत भी करती है लेकिन जिस ढंग से यूनिवर्सिटीज को पावर मिल रही है उसके बाद यूनिवर्सिटीज अपने कोर्सेज खड़े करेगी और कोर्सेज खड़े करने के साथ राजस्थान तो विकास के रास्ते पर जायेगा लेकिन कहीं न कहीं मेरा निवेदन इतना ही है कि जो सुधार की बात आ रही है वो सुधार यदि राजस्थान के हित में निश्चित रूप से होंगे और इसलिए होंगे कि यदि ये सुधार हम करेंगे, मेरिटोरियस बच्चों को चांस मिलना चाहिए। पहले जितने कॉलेजेज खुले हुए हैं उन कॉलेजेज में हमने राइडर तो लगा रखे हैं लेकिन वो राइडर

मानते नहीं हैं। इस तरह के कॉलेजेज जो मेरिटोरियस स्टूडेंट को साइड लाइन करके अपनी मर्जी से एडमिशन देते हैं वो कॉलेज केवल हमारे राज में ही नहीं खुले हैं, हर राज में खुले हैं लेकिन उन कॉलेजेज की बाढ़ तो आ गई और उन कॉलेज के बाद अब यूनिवर्सिटीज की बाढ़ आयेगी और इस यूनिवर्सिटीज की बाढ़ में मेरिटोरियस स्टूडेंट तो साइड में खड़ा हो गया है, अब इन यूनिवर्सिटीज को डिग्री बांटने की पावर मिलने जा रही है। इनके कोर्सेज अपने होंगे, डिग्री इनकी होगी, कानून इनका होगा और पावर्स इनके हाथ में रहेगी। जो यूनिवर्सिटीज सरकार के संचालन में चल रही हैं वहां भी हम पूरा कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और वहां भी दिक्कत आती है। लेकिन यह भी तय है कि सरकार सबको इतनी बड़ी तादाद में शिक्षा नहीं दे सकती, आज यूनिवर्सिटीज की जरूरत है और राजस्थान को इससे फायदा होगा। परन्तु फायदा पूरा तब पहुंचेगा जब सरकार आज ही पूरे इसको नियंत्रण में इतना रखे कि वो गड़बड़ नहीं कर पाये। जिस तरह से मेडिकल का मामला आता है, जो पीएमटी फाइट नहीं कर रहा वो एडमिशन ले रहा है। बाद में यह बात खुलती है। यहां तक ये लोग जो यूनिवर्सिटीज लाते हैं तो पहले तो लाते हैं कानून के दायरे में और बाद में यह उम्मीद करते हैं कि हमारी यूनिवर्सिटीज में सरकार कोई इंटरफेयर ही नहीं करे क्योंकि यह तो हमारी हो गई, हम इसके मालिक हो गये और हायर एजुकेशन में मैं आपसे निवेदन करूंगा कि यह यूनिवर्सिटीज आ रही हैं उसका पूरा राजस्थान स्वागत कर रहा है लेकिन इसमें राइडर हमारा होना चाहिए। मैं तो इतना कहूंगा कि सरकार का पूरी तरह से नियंत्रण होना चाहिए क्योंकि यदि योग्यता पर, योग्यता के नाम पर बेईमानी होती है तो जो गरीब का बेटा है जो योग्य है लेकिन उसको मौका नहीं मिलता तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस राइडर में आपको आगे बढ़कर राइडर लगाने चाहिए जिससे बेईमानी नहीं हो, ईमानदारी हो और उस ईमानदारी का फायदा हम व्यक्ति को समानता से मिले। मैं इतना ही कहना चाहूंगा, धन्यवाद।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): माननीय सभापति महोदय, यह अच्छा बिल है इसका समर्थन भी करते हैं और इसका विशेष कारण यह है कि आज हायर एजुकेशन प्राइवेटाइजेशन की ओर जा रही है। प्राइवेटाइजेशन की ओर निश्चित रूप से जाना भी चाहिए क्योंकि जो बच्चे टेलेंटेड हैं उनको यहां अच्छी एजुकेशन नहीं मिल पाती है और वो अच्छी एजुकेशन लेने के लिए विदेशों में जाते हैं। भारत का पैसा भारत का बच्चा, राजस्थान का पैसा, राजस्थान का बच्चा बाहर जा रहा है, वो वहां जाने से बचेगा और यहीं पर उनको स्पेशलाइज कोर्सेज में भर्ती होने की इजाजत मिलेगी, अच्छे प्रोफेसर्स, अच्छे लैक्चरर्स, अच्छे सब्जैक्ट चूज करने की छूट मिलेगी और मैं समझता हूं कि इस प्रकार के विश्वविद्यालय विभिन्न क्षेत्रों में आने चाहिए। लेकिन इसके साथ-साथ ये व्यावसायिक केन्द्र न बन जाएं इसके बारे में भी सरकार को निश्चित रूप से चिंतित होने की आवश्यकता है। एक रिपोर्ट आई थी, अखबारों में छपी थी कि जितना पैसा भारतवर्ष से बाहर जा रहा है उच्च शिक्षा के लिए उतने पैसे में सैंकड़ों विश्वविद्यालय यहां खुल जाएं, अपने बच्चे यहां आ जाएं, अच्छे प्रोफेसर्स की नियुक्ति हो जाए और मैं यह कहना चाहता हूं कि साउथ एरिशन रीजंस के अन्य जो

कंट्रीज हैं उनके बच्चे भी यहां पढ़ने के लिए आ सकते हैं। भारतवर्ष में टेलेंट की कोई कमी नहीं है, प्रोफेसर्स की कोई कमी नहीं हैं, लेक्चरर्स की कोई कमी नहीं है, सब्जैक्ट की कोई कमी नहीं है पर बात सुविधा की है कि हमारे यहां सुविधाओं की कमी है, हमारे यहां एक्ट की कमी है। आज प्राइवेट विश्वविद्यालय आ रहे हैं, निश्चित रूप से उनका स्वागत करना चाहिए और उनका स्वागत करते हुए उन पर नियंत्रण होना चाहिए कि उनका सिलेबस ठीक हो। अच्छे सिलेबस, अच्छे सब्जैक्ट, उनमें पढ़ाई के लिए व्यवस्था और उन व्यवस्था के रूप में अच्छे मेरिटोरियस विद्यार्थी उसमें पढ़े। केवल गरीबी इसका आधार नहीं है कि केवल गरीब के बच्चे ही पढ़े, मेरिटोरियस बच्चे, पढ़ने-लिखने वाले योग्य बच्चे चाहे वो पैसे वालों के हों या गरीब के हों, गरीब का बच्चा यदि कमजोर है, पढ़ने-लिखने में कमजोर है तो उसका कोई अधिकार नहीं है कि वो जाकर के उच्च शिक्षा प्राप्त करे। उसका यह अधिकार है कि वो प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करे और उच्च शिक्षा सरकार के संरक्षण में प्राप्त करे। लेकिन कोई बच्चा ऐसा है जो पैसे वाले का भी है तो उसको भी पैसा बाहर खर्च करने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। वो यहीं पढ़े, यहीं पर उसको अच्छी शिक्षा प्राप्त हो, यहीं पर उसको अच्छे सिलेबस प्राप्त हो, यही पर वो शिक्षा प्राप्त करके देश की सेवा कर सके, राजस्थान की सेवा कर सके इस बात के लिए भी निश्चित रूप से इस प्रकार के विश्वविद्यालय खोलने की प्रेरणा मिलती है। माननीय सभापति महोदय, यह होम्योपैथी का विश्वविद्यालय खुल रहा है। होम्योपैथी विश्वविद्यालय में एक बहुत बड़ी आवश्यकता है, जर्मनी से यह होम्योपैथी आई थी, आज जर्मनी में विश्वविद्यालय नहीं है लेकिन राजस्थान में वो विश्वविद्यालय खुल रहा है यह तो अच्छी बात है। मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान में सारे विश्व भर के होम्योपैथी के विद्यार्थी यहां पढ़ने के लिए आयेंगे, अपनी अच्छी शिक्षा प्राप्त करेंगे, डिग्री प्राप्त हो सकेगी और एलोपैथी की एक नई विधा यहां होम्योपैथी के रूप में स्थापित हो सकेगी। मैं इसका समर्थन करता हूं। धन्यवाद, जय भारत।

श्री सभापति: श्री जितेन्द्र सिंह जी।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): समर्थन किया है। समर्थन किया है।

श्री सभापति: माननीय मंत्री जी, और भी माननीय सदस्य बोलना चाह रहे हैं।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): सभापति महोदय, यह जो एक्ट हम ला रहे हैं, शायद हम कम्पनी एक्ट को मानकर के ही इस एक्ट को इस रूप में रख रहे हैं। कम्पनी एक्ट में तो निजी क्षेत्र की पूरी सुविधा होती है लेकिन इसमें हम प्रत्येक संस्था के लिए अलग एक्ट ला रहे हैं। इसमें कहीं न कहीं यह बात छिपी हुई है कि इस संस्थाओं को सामाजिक उत्तरदायित्व भी ग्रहण करना चाहिए। सामाजिक उत्तरदायित्व ग्रहण करने के लिए आवश्यक है, जैसा कि उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने चिंता व्यक्त की, अभी तक भी हमारी राष्ट्रीय आरक्षण नीति के बारे में इसमें एक शब्द नहीं कहा गया है। हम एक्ट ला रहे हैं, विधायिका एक्ट पास कर रही है, सरकारी विश्वविद्यालय में जहां हमारे द्वारा नियुक्त वाइस चांसलर होता है वहां भी हमारी विधायिका का प्रतिनिधि होता है पर इसमें

कोई प्रावधान नहीं है। इसी प्रकार से हमारी जो समय-समय पर आने वाली नीतियां हैं उन नीतियों को भी उन संस्थाओं में लागू किया जाए कि जब विधायिका अलग एक्ट लाकर के उनको ऐसा करने के लिए पावर दे रही है तो मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि सामाजिक उत्तरदायित्व ग्रहण करने की कोई न कोई इसमें व्यवस्था की जाए और उसके लिए पहली आवश्यकता नियामक आयोग की है। नियामक आयोग के बिना कोई भी संस्था हमारी नीतियों के अनुसार नहीं चलेगी। अगर ऐसा हमने किया और किसी ने भी अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर जो राष्ट्रीय मानक हैं उनको डिस्टर्ब करने के कारण से अगर अयोग्य ठहरा दिया गया तो सारे विश्व में हमारी बदनामी होगी और इसके लिए फिर हम जिम्मेदार होंगे इसलिए किसी न किसी रूप में इस एक्ट में यह प्रावधान किया जाए कि सरकारी नीतियां चाहे वो आरक्षण नीति हो, चाहे जल नीति हो, चाहे प्रदूषण नीति हो, चाहे पर्यावरण नीति हो, यह मेरा निवेदन है। हम केवल शैक्षिक और आर्थिक आजादी दे रहे हैं......

vkj/akt/01.04.2010/14.50/2h

हम उसको सोशल रूप में किसी भी चीज को सिस्टमाइज करने के लिए वह चाहे शिक्षा हो, चाहे संस्कृति हो और चाहे अन्य गतिविधियां हो, कल यह कैसे रोक पायेंगे? कल अगर कोई गतिविधि उसके साथ आती है, अगर विदेश से कोई फैकल्टी आती है और उसके माध्यम से कोई न कोई अराष्ट्रीय गतिविधि चलती है तो उसमें कौनसे प्रोविजन हैं जिसके कारण से हम निरीक्षण कर पायेंगे, इस कारण से मेरी प्रार्थना है। मैं समर्थन तो करता हूं इसका लेकिन इसमें एक चीज जोड़ी जानी चाहिए कि सरकारी नीति में जब-जब भी आवश्यकता हो, जहां-जहां भी आवश्यकता हो, मैं नहीं कहता कि हर रूप में थोपी जायें, लेकिन जहां भी आवश्यकता हो और जितनी आवश्यकता हो, उसका प्रावधान इसमें किया जाये, इतना निवेदन है।

श्री सभापतिः जितेन्द्र सिंह जी।

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): माननीय सभापति महोदय, होम्योपैथी विश्वविद्यालय के बारे में बहुत विस्तार से चर्चा हो गई। कुछ एक बिन्दु बाद में आये। माननीय हमारे बहुत सीनियर हाउस के मेम्बर उदयपुर से कटारिया साहब, माननीय डिप्टी लीडर आफ अपोजिशन ने जो आरक्षण के प्रावधानों के बारे में कहा गरीब बच्चों के लिए। मैं आपसे अर्ज करना चाहूंगा कि सैक्शन-32 में आरक्षण का प्रावधान गरीब बच्चों को सरकार से पढ़ाने का सुझाव बहुत अच्छा है और माननीय मुख्य मंत्रीजी ने भी अभी पूर्व में भी एस.सी. एस.टी. ओ.बी.सी. और माइनोरिटी के जो अच्छे मेधावी छात्र हैं, उनके लिए छात्रवृत्ति का अलग से प्रावधान है और अभी स्पेशल ओ.बी.सी. में गुर्जर, बंजारा हैं, उनको भी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने 25 करोड़ रुपये देकर प्रोत्साहित किया है कि उनके गरीब बच्चे भी पढ़ें और भी हमारे जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, उन सबका अपना, बिल्कुल आपका कहना सही है, they need crutches and help. एजुकेशन के लिए तो वह सुझाव अच्छा है लेकिन इसमें वित्त

की आवश्यकता है लेकिन जो भी सरकार अभी कर पा रही है, वह कर रही हैं उनके लिए और सैक्शन-5 में प्रताप सिंह जी साहब ने जो फरमाया था, उसमें विश्वविद्यालय द्वारा छात्रवृत्ति का प्रावधान है और सैक्शन-32 में प्रवेश का प्रावधान मेरिट से ही है तो यह दो बड़े महत्वपूर्ण बिन्दु हैं। आपने भी विराट नगर से आने वाले माननीय सदस्य, जो स्वयं कालेज में प्रोफेसर रहे हैं, आपकी भी ओपिनियन बहुत अच्छी है लेकिन मेरा आपसे निवेदन है कि प्राइवेट सैक्टर में राजस्थान के अन्दर वही लोग जो इन्वेस्टर्स हैं, आते हैं। शिक्षा, शिक्षित होना या इंटेलीजेंट होना या पढ़ा-लिखा होना दूसरी बात है, करोड़ों रुपयों का इन्फ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए एक तरह से लोग, निश्चित रूप से वे लोग आते हैं इसके अन्दर लेकिन जैसाकि आपने अभी अपनी चिंता व्यक्त की। सरकार ने वाइस चांसलर, राजस्थान यूनिवर्सिटी की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया है and that Committee will regulate the mechanism of functioning of private universities. वह जून तक उसका है, आपके जो बहुमूल्य सुझाव हैं, वह मैं उस कमेटी को दूंगा ताकि वह जो भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी के बारे में, they can be added in it. तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि होम्योपैथी विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2010 को पारित किया जाये।

विधेयक का पारण

श्री सभापतिः प्रश्न यह है कि होम्योपैथी विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2010 को पारित किया जाये?

(स्वीकृत)

होम्योपैथी विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2010 को पारित किया गया। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सभापति महोदय, जनमत जानने के लिए हमारे प्रस्ताव हैं। उसमें तो जनरल हम तीनों के ऊपर मिलाकर बोल लेंगे, फिर जो क्लाजवाइज अमेंडमेंट होगा, वह क्लाजवाइज ले लेंगे। (व्यवधान)

विधेयक पर विचार

श्री सभापतिः श्रीधर विश्वविद्यालय बिगोदना (झुंझुनूं) विधेयक, 2010, एन.आई.आई.टी. विश्वविद्यालय, नीमराना(अलवर) विधेयक, 2010, डा. के.एन. मोदी विश्वविद्यालय निवाई (टोंक) विधेयक, 2010 विचारार्थ प्रस्तुत करेंगे। श्री जितेन्द्र सिंह जी।

श्रीधर विश्वविद्यालय बिगोदना (झुंझुनूं) विधेयक, 2010

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि श्रीधर विश्वविद्यालय बिगोदना (झुंझुनूं) विधेयक, 2010 को विचारार्थ लिया जाये।

एन.आई.आई.टी. विश्वविद्यालय, नीमराना(अलवर) विधेयक, 2010

माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि एन.आई.आई.टी. विश्वविद्यालय, नीमराना(अलवर) विधेयक, 2010 को विचारार्थ लिया जाये।

डा. के.एन. मोदी विश्वविद्यालय, निवाई(टोंक) विधेयक, 2010

माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमित से प्रस्ताव करता हूं कि डा. के.एन. मोदी विश्वविद्यालय, निवाई(टोंक) विधेयक, 2010 को विचारार्थ लिया जाये।

श्री सभापतिः गुलाब चन्द कटारिया जी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): सभापति महोदय, विश्वविद्यालय से सम्बन्धित जितने भी आपके विधेयक हैं, लगभग एक ही पैटर्न पर है। मैंने पिछली बार भी आपको कुछ कहा, अब मैं आपको फिर बता रहा हूं। यह जो आपका श्रीधर विश्वविद्यालय झुंझुनूं है, इसमें जो ट्रस्ट है, यह मेरठ का ट्रस्ट है कोई। इसका राजस्थान का एजुकेशन का क्या अब तक का रोल है? इसमें हमको कम से कम कहीं नहीं मिल पाया। कम से कम जब आप जवाब दें, तब जरूर यह बतायें कि मेरठ का यह जो ट्रस्ट है, जो यहां आकर विश्वविद्यालय की स्थापना कर रहा है, इसका पुराना एजुकेशन का बैकग्राउण्ड क्या है? फिर मैं आपको उसी लाइन पर ले जाना चाह रहा हूं जिसके बारे में मेरा कोई ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ बोलना है इसलिए मैं बोल रहा हूं, ऐसा नहीं है। कारण क्या है कि जिस प्रकार से आपने इसमें जो सूची हमको दी है। आपने देखा होगा कि विश्वविद्यालय में आपकी शैक्षिक सुविधा है, उसमें जो पुस्तकें हैं, आयुर्वेद की, शिक्षा की, विधि की या अभियांत्रिकी की, प्रबन्धन की, विज्ञान की, सामान्य सन्दर्भ पुस्तकें, अन्य पुस्तकें हैं। इन विश्वविद्यालय में सारा मिलाकर जो आपने हमको सूची दी, वह 1,653 पुस्तकें हैं। मैं सोचता हूं, जो सूची आपने हमको दी है, उसका है। अब यह विश्वविद्यालय है और इसके लिए 1,653 की कुल पुस्तकों की सूची जो आप हमको दे रहे हैं, मैं सोचता हूं, अपन सैकण्डरी और हायर सैकण्डरी की भी जब मान्यता के लिए जाते हैं तो उसकी लाइब्रेरी के लिए भी हजारों की संख्या में पुस्तकें मांगते हैं। हो सकता है, इसको पहली बार आपने दिया होगा इतना, फिर जो कोर्स यह प्रारम्भ कर रहे हैं। यह कोर्स के बारे में भी आपको देखना चाहिए कि कई बार ये जितने विश्वविद्यालय बन रहे हैं कि ऐसे-ऐसे कोर्स जिनमें नौकरी मिलने की ज्यादा संभावना होती है और उन कोर्स को चलाने में इनकी ज्यादा रुचि रहती है और उसका कारण क्या है, उसके कारण से ज्यादा से ज्यादा बच्चों की फीस आ जाती है और उनको भर्ती करने के लिए काफी सुविधा रहती है। ये विश्वविद्यालय नहीं खुले, यह मेरा कोई अभिप्राय नहीं है, पर मेरा यह अभिप्राय जरूर है कि इसमें इस प्रकार का राइडर जरूर हो। विशेषकर कम से कम जितने भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन्स हैं, आपने देखा होगा कि राजस्थान में कितने प्राइवेट इंस्टीट्यूशन्स हैं, इनको अपन ने जमीन एक-एक रुपये में टोकन में दी है और आज की तारीख में आपका बच्चा और मेरा बच्चा है, वह भर्ती हो

सकता है क्या? यह जो दुर्लभजी वाला अस्पताल जब बनाया था, दुर्लभजी ने जिस भावना से बनाया, इसको आपने एक रुपये टोकन में जमीन दी। आज कोई वहां गरीब इलाज करा सकता है? मेरे यहां उदयपुर में अमेरिकन अस्पताल खोला। हमने सरकारी बंगले तोड़कर के उसको एक रुपये के टोकन में जमीन दी। आज कोई भी गरीब का इलाज तो छोड़ दो, अगर चला गया ना तो जो बिल बनकर आता है, उससे वह चक्कर खाता रहता है तो यह जो जिस तरह से अपना रहे हैं, सेवा के नाम से जिस ढंग से प्रवेश कर रहे हैं। ये सेवा के नाम पर सेवा करेंगे कि नहीं करेंगे? जितनी पुरानी संस्थाएं हैं, आपने देखा होगा कि बच्चों की भर्ती की बात तो छोड़ दो, अगर आप टेलीफोन करो तो उसकी प्रिंसिपल उसको चार दिन तक तो आपका टेलीफोन रिसीव ही नहीं करे। आप कितने ही मंत्री होंगे, आप कुछ भी होंगे। अगर केवल बात करना चाह रहे हैं, एडमिशन होगा कि नहीं होगा, वह तो बाद की बात है, तो एक ऐसी सुपरक्लास बन गई, आज केवल स्कूल एजुकेशन की यह हालत है तो इसके ऊपर किसी न किसी तरह से, कोई न कोई ऐसा राइडर जरूर लगना चाहिए और कम से कम और कुछ नहीं हो, इसको मर्जी आये दो लाख फीस लो, कोई चिंता की बात नहीं है पर साल के अंतमें कम से कम आडिटेड सी.ए. से, उनका खर्चा और बैलेंस तो आये यानी कम से कम इनको तो कहीं न कहीं इनको ऐसा पाबंद करो, वह अगर 20,000 फीस ले रहा है, कोई बात नहीं, वह 20,000 रुपये फीस ले, पब्लिक स्कूल के नाम से ले या यूनिवर्सिटी के नाम से ले, एक लाख रुपये ले, कोई चिंता नहीं लेकिन साल के अंत में बताओ तो सही कि एक लाख का खर्चा कहां हुआ और आमदनी कितनी हुई। इस यूनिवर्सिटी में आज की तारीख में, आपकी सीडलिंग यूनिवर्सिटी को जाकर देख आना, वहां प्रोफेसर को कितनी तनख्वाह मिल रही है, लेक्चरर को कितनी तनख्वाह मिल रही है? आज भी 12,000 और 16,000 रुपये में वहां नौकरी कर रहे हैं, 15,000 रुपये में कर रहे हैं। जहां एक तरफ आप यह तो सोचते हैं कि वहां नौकरी करने वाले की सुरक्षा क्यों नहीं हो सकती है, उसको पे-स्केल क्यों नहीं लागू हो सकती है। हमारे यहां प्रोफेसर को 80,000 रुपये मिलेंगे और वहां अगर कोई प्रोफेसर जाकर रहेगा तो यह क्या है? यह शोषण का नया केन्द्र नहीं बन रहा है क्या? बच्चों का शोषण होता है अधिक फीस से और अध्यापकों का शोषण होता है कम पेमेंट से और उसके बाद भी अगर हम उसको, किसी तरह से नहीं, निश्चित रूप से ठीक है, आप अपने हिसाब से बिल पास करायेंगे क्योंकि जिस ढंग से आया है, हम भी इसको एक-एक लाइन नहीं पढ़ पाये, इसमें कहां से क्या सुधार करें और क्या अमेंडमेंट दें? लेकिन जो भावना है वह यह है कि इसको दोनों तरह से चाहे जितनी फीस लेना हो, उतनी फीस लें, मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन फीस का हिसाब साल के अंत में आना चाहिए...

Jkj/akt/1.4.2010/15.00/2j

साल के अंत में आना चाहिए कि संस्थान ने कितनी तो फीस ली और कितना उन्होंने खर्चा किया उस बालक के ऊपर और कितना उनका स्टाफ का पेमेंट किया और क्या उन्होंने

विस्तार और विकास किया। कोई एतराज की बात नहीं। लेकिन इसको कमाई का धंधा बनाकर दो करोड़ रूपये हर साल का कमाकर अपने घर में रखकर एक नया इंस्टीट्यूट खड़ा करने का धंधा अगर चलेगा न, तो यह शिक्षा की भावनाउ के ऊपर बहुत बड़ा आघात हो जायेगा। शिक्षा तो एक सेवा का काम था, शिक्षा के पीछे मानसिकता यही थी कि हम किस तरह समाज की सेवा कर सकें और शिक्षा जब व्यवसाय का रूप ले लेगी तो उसमें पढ़ने वाले वह चाहे डाक्टर होगा, चाहे इंजीनियर होगा न, वह जाते ही जेब काटेगा क्योंकि वह कहेगा कि मैं तो बीस लाख रूपये देकर के भर्ती हुआ हूं और मेरे पिताजी ने कहां-कहां से कर्जा लिया, उसके बाद वह जाकर के पहले दिन से ही कतरना शुरू करेगा तो समाज में क्या होगा, समाज में शोषण होगा उस गरीब का। और इसलिए इन सब चीजों को, हैं ना, यह तो अपन इतनी जल्दी में भाग रहे हैं कि अपन एक-एक बिंदु के ऊपर इसमें ठीक प्रकार से विचार करने का हमारे पास समय नहीं है और उसके कारण सये मजबूरी समझो या कुछ भी समझो, लेकिन मैं सोचता हूं कि इसके बारे में जरूर कहीं न कहीं कानूनी पाबंदी बनना चाहिए और हर साल हमारी कोई न कोई इंसपेक्शन टीम इन यूनिवर्सिटीज और इन सारी संस्थाओं में जानी चाहिए और वर्ष में अंत में अपनी रिपोर्ट देनी चाहिए कि संस्था ने इन-इन नियमों का पालन किया और इन-इन नियमों का पालन नहीं किया। जब तक आप इसकी परमिशन नहीं देंगे न, तब तक वह आपके और मेरे किनारे-किनारे घूमेंगे और जब इनको परमिशन मिल जायेगी न, दो-चार साल बाद खड़े हो जायेंगे, फिर डाक्टर साहब, स्वयं कभी टेलीफोन करके देखना, यह कोई आपको रेस्पांस देंगे? और आपको और मेरे को रेस्पांस नहीं दे सकते तो उस गरीब के बच्चे को कौन रेस्पांस देगा, उसको तो फाटक में ही नहीं घुसने देगा, तो उसके मन में कितनी पीड़ा होगी, इसीलिए मैं बार-बार आग्रह कर रहा हूं, भावना बहुत अच्छी है, होनी चाहिए, हमारे प्रदेश को तरक्की करनी चाहिए, हमारे बच्चों का शिक्षण होना चाहिए लेकिन शिक्षा को व्यवसाय का स्वरूप देकर के शोषण का केन्द्र, नौकरी करने वालों का भी शोषण और अध्ययन करने वाले का भी शोषण, ऐसे नये शोषण करने वाले केन्द्र खड़े नहीं हो जाय, इसको सावचेत रहकर इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। वैसे तो इसमें सारे का, आपने जितनी फेकल्टियां बनी हैं, यह सारे की सारी फेकल्टियां, अब एक में, एक में, सारे नये-नये कोर्स चलाते हैं जो कहीं नहीं होते हैं वह कोर्स चलाते हैं, हमारा रेगुलर कोर्स यहां कोई नहीं चलेगा। जो हमारी यूनिवर्सिटी में पढाई होगी न, उसमें एक भी नहीं चलेगा, वह कोर्स चलेंगे जो हमारी यूनिवर्सिटी उसको अफोर्ड नहीं कर सकती, वह सारे के सारे कोर्स खोलेंगे, नये-नये और डिग्री कैसे बिकेगी और कैसे दी जायेगी, क्या परीक्षा का सिस्टम होगा, परीक्षा ठीक हो रही या नहीं हो रही, बच्चे का स्टैण्डर्ड ठीक है या नहीं है, बाकी देश की यूनिवर्सिटीज के कम्पीटीशन में हमारा बच्चा कम्पीट कर पायेगा या नहीं कर पायेगा, इन सब चीजों का देखने के लिए जब तक कोई आपका मेकेनिज्म नहीं होगा तब तक आप भले ही पढ़े-लिखे लोगों की भीड़ इकट्ठा कर देना, लेकिन आप उस प्रकार का भाव पैदा नहीं कर

सकेंगे जिस शिक्षा के आधार पर हम भाव पैदा करना चाहते हैं, इसलिए मैंने इसको जनमत जानने के लिए अपनी ओर से रखा है।

श्री सभापतिः श्रीमती अनीता सिंह । श्री राजेन्द्रजी राठौड़।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सभापति महादय, तीन निजी विश्वविद्यालयों के विधेयक सदन के सामने विचारार्थ हैं और सभापति महोदय, यह सारे वह विधेयक हैं जिनको पहले आर्डिनेंस के जरिये, सरकार ने आर्डिनेंस जारी किये, रिप्लेसिंग बिल लेकर आई है। सभापति महोदय, जब हम चर्चा करते हैं राजस्थान की शिक्षा की और राजस्थान की प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक की यात्रा जब हमारा विद्यार्थी पूरी करता है तो उसका प्रतिशत निकल कर आता है सात। यानि सत्तानवे प्रतिशत विद्यार्थी..

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): यह आंकड़ें कहां से लाये?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अपनी शिक्षा को कहीं न कहीं बीच में छोड़ देते हैं।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): माननीय सदस्य, आंकड़ों का सोर्स तो बतायें, कल मेरे से पूछ रहे थे, आप भी तो बतावें।

एक माननीय सदस्यः आपने ही तो दिये हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): बाद में आप दोनों मिल लेना।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सभापति महोदय, एक नेशनल नालेज कमीशन बना था, नेशनल नालेज कमीशन, जिसको ज्ञान आयोग भी कहते हैं, पूरे देश के अंदर लक्ष्य रखा था उच्च शिक्षा के अंदर हमारे विद्यार्थी जो आज सात फीसदी, बढ़कर पन्द्रह फीसदी हो और इसी ज्ञान आयोग ने यह प्रतिपादित किया था कि आज हिंदुस्तान के अन्दर 1500 विश्वविद्यालय होने चाहिए। आज आस्ट्रेलिया जिसकी जनसंख्या पूरे राजस्थान के बराबर है, 329 यूनिवर्सिटी उसमें हैंऔर आज कितनी बड़ी संख्या में हमारे यहां के विद्यार्थी आस्ट्रेलिया जाते हैं और उनके साथ दोयम दर्जे के नागरिक के रूप में जो व्यवहार हो रहा है वह हमसे कोई छिपा हुआ नहीं है। बुद्धि की कोई हमारे विद्यार्थी में कमी नहीं। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा को कहना पडा, अमेरिका के छात्रों सावधान हो जाओ, हिंदुस्तान के विद्यार्थी आ रहे हैं। पर सभापति महोदय, मैं इसका तो स्वागत करता हूं कि निजी विश्वविद्यालय आ रहे हैं पर उसके साथ-साथ कुछ सावचेती भी जरूरत है और मैं सरकार का ध्यान उन तीन विश्वविद्यालयों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, 17 मार्च,2008 को इसी सदन के अंदर राजस्थान के तीन विश्वविद्यालय भरतपुर, सीकर और अलवर, इन तीन विश्वविद्यालयों की स्थापना की यहां घोषणा हुई थी। सभापति महोदय, कहते हैं हाकिम बदल जाता है परंतु हुक्म नहीं बदलता, पूर्ववर्ती सरकार द्वारा घोषित किये गये विश्वविद्यालयों को बंद करने का जो पाप आप कर हो मंत्री महोदय...

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): खोले ही नहीं तो बंद कैसे करते।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): मैं समझता हूं कि यह राजस्थान के उन गरीब लोगों के साथ अन्याय है...

एक माननीय सदस्य: यह बीच में क्यों डिस्टर्ब करते हैं।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): नहीं-नहीं। (व्यवधान) असत्य वचन कर रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): जो आज निजी विश्वविद्यालयों की भारी-भरकम फीस नहीं दे सकते। मैं निवेदन करना चाहता हूं, कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट बता दें सभापति महोदय, जिसको सरकार..

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): जोर से बोलने से थोड़े ही सच्ची बात हो जायेगी।

श्री सभापति: माननीय सदस्य।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): इंदिरा गांधी नहर परियोजना आज कितने वर्ष बीत गये, आज भी वह इंदिरा गांधी नहर परियोजना पूर्ण नहीं हुई। माही का प्रोजेक्ट ले लें, सूरतगढ़ के थर्मल पावर का प्रोजेक्ट ले लें, अब पिछली सरकार ने इसकी घोषणा कर दी...

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): तो शिक्षा पर बोल रहे हैं कि माही पर बोल रहे है? कहां जा रहे हो? सबजेक्ट से इतर बोल रहे हैं माननीय सभापति महोदय। सबजेक्ट पर बोलें तो अच्छा लगेगा। आप बहुत विद्वान हो।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, बैठिये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): सभापति महोदय, इनको क्या बीमारी हो गई, जरा देखिये इन्हें। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): माही पर जा रहे हैं, आप नींद में हो क्या। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): इलाज करिये, सभापति महोदय, इनका, कोई बीमारी हो गई इनको। इलाज करें इनका।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, उसको दूसरी भाषा में नूरा कुश्ती बोलते हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): तो सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा था...

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): माननीय सभापति महोदय, रघु शर्माजी का कोई इलाज करिये, कोई बीमारी हो गई इनको।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): आप तो पूरी भारतीय जनता पार्टी का इलाज हो, आप जीतते हो तो हमारे लिए शुभ हो इसलिए आपको हम छेड़ते ही नहीं हैं। लंकेश जीतता, बीजेपी की सरकार नहीं बनती, कांग्रेस की गवर्नमेंट बनती है, यह आप तो शुभ-शुभ हो...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): माननीय सदस्य, मेरे जैसे सीधे-सादे आदमी से क्या है, आदमी भी देखा करो, कोई दूसरा कोई बोले उसके सामने खड़े हों, हम तो कभी-कभी बोलते हैं, सीधे-सादे लोग हैं। तो सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा था...

श्री सभापति: आपकी नूरा कुश्ती को सारा सदन जानता है।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): पिछली सरकार अध्यादेश लेकर आई और शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर, भृतहरि विश्वविद्यालय, अलवर और बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर का और 2008-09 के बजट के अंदर एक-एक करोड़ का प्रावधान किया, आर्डिनेंस लेकर आई, आर्डिनेंस राजभवन में गया, राजभवन में आर्डिनेंस के जाते ही उस पूरे आर्डिनेंस को जो तीनों

विश्वविद्यालयों को स्थापित करने का था, उसको राजनीतिक चश्में से देखने का काम प्रारम्भ हो गया और उसमें कमी-खामी निकाल कर सिंडीकेट के अंदर महामहिम राज्यपाल का प्रतिनिधि यह कमी निकालकर वापिस भेज दिया और हमारी ही सरकार के समय में राज्यपाल महोदय की उस कमी को स्वीकार करते हुए उसे अमेंड करते हुए वापिस राजभवन को भेजा और राजभवन से वह वापिस आया उस समय वह हुकुमत बदल गई और आज भी आर्डिनेंस, सभापति महोदय, ओएसडी उस वक्त नियुक्त कर दिये गये थे, भूमि के चयन करने के लिए कमेटी बन गई थी, सीकर के अंदर कटारथल, कौन सा गांव है वह, कटराथल, वहां भूमि का चयन हो गया था और उसके बाद मैं समझता हूं, सरकारी क्षेत्र में इन विश्वविद्यालयों को रोकना एक तरह से अन्याय है, निश्चित तौर पर आपको इस बात पर करना चाहिए। आप जिन अध्यादेशों पर बिराजे हुए हैं न मंत्री महोदय, उनसे थोड़ा हटें, उन अध्यादेश को लेकर आयें, यह तीनों विश्वविद्यालयों के लिए भी आपको निश्चित तौर पर करना चाहिए। और इसमें शक नहीं, सभापति महादय, मैं मंत्री महोदय की इस बात से सहमत हूं, विगत वर्षों में, मैं इसके लिए बधाई मेरे पड़ोसी कालीचरणजी को देना चाहता हूं, इन्होंने जो प्रयास किये, राजस्थान एजुकेशन हब के रूप में जो दुनिया के सामने है, वह राजस्थान को एजुकेशन हब मानने लग गई और आज निश्चित तौर पर चाहे वनस्थली विद्यापीठ की बात कर लें, मोदी शिक्षण संस्थान की बात कर लें, बिट्स की बात कर लें, आज निजी क्षेत्र के अंदर जो हमारे विश्वविद्यालय हैं मैं समझता हूं कि उनका कोई सानी नहीं और इसीलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो विश्वविद्यालय है जिस विश्वविद्यालय का विधेयक अभी आपके विचारार्थ है, इसने भी कोई यह नहीं कि आनन-फानन में आ गया हो, लम्बी यात्रा की। पहले यह प्रवर समिति में गया, लोगों ने इसको चुनौती दी सिंगल बेंच में हाई कोर्ट में, उसके बाद डबल बेंच में गये और उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने यह कह कर कि आप निजी विश्वविद्यालय के एक-एक बिल का पारण करोगे, यह कहकर यह बिल आया, इसी कारण से एक-एक बिल आज हमारे सामने विचारार्थ है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपने, इसमें निजी विश्वविद्यालय यूजीसी के मापदण्ड पूरा करे, यह एक तरह से मेंडेटरी है और जैसा कि उद्देश्य और कारणों के कथन में साफ लिखा है, यह निजी विश्वविद्लाय विधेयक क्यों लेकर आया जा रहा है, क्योंकि विश्वस्तरीय आधुनिक अनुसंधान और अध्ययन की सुविधा के सृजन के लिए।

Lpm/akt/1510/2k/1042010

विश्व स्तरीय इसलिए जो इन्फ्रास्ट्रक्चर है जो यूजीसी के मापदण्ड के अनुसार होना चाहिए..

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): चेयर की तरफ तो देखो माननीय सदस्य, आप उधर चले जाते हैं, घूमते-घूमते पता नहीं कहां?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सभापति महोदय, इसमें राज्य सरकार ने जांच समिति बनाई और जांच समिति के अंदर महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, अजमेर के कुलपति को रखा, आयुक्त, महाविद्यालय शिक्षा को रखा, निदेशक आर.ए. पोद्दार कॉलेज, जयपुर, वह कॉलेज याद करिये वह बात पुरानी सन् 57 की और प्राचार्य, इंजीनियरिंग कॉलेज, झालावाड़ और निदेशक, कृषि अनुसंधान, दुर्गापुरा। अब यह कमेटी इतनी भारी भरकम यह इंस्पेक्शन कमेटी है। इसके निरीक्षण के बाद अगर मंत्री महोदय कमी-खामी रह जाए और फिर यूजीसी के मापदण्ड पूरे नहीं हो या उसके बाद यह बात चली कि फेकल्टी पूरी नहीं हुई। जो फेकल्टी के अंदर एक प्रोफेसर, दो रीडर और तीन लेक्चरर होने चाहिए। मुझे क्षमा करना...

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): मंत्री महोदय से आँख से आँख मिलाकर के बात मत करो आप, चेयर को करो, धमका रहे हो क्या आप मंत्री जी को?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा था यह यूजीसी के द्वारा जब कोई निरीक्षण हो, उस समय तो कागजों के अंदर फैकल्टी पूरी कर ले और उसके बाद जिस तरह अभी उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे हम अध्यापकों की संख्या सीमित कर दे, उनका वेतन सीमित कर दे, मंत्री महोदय बहुत बड़ी सावधानी की जरूरत है। शिक्षा के स्वाजीकरण और शिक्षा के व्यवसायीकरण इनमें बहुत जीना पड़ता है। अगर आपने सावचेती नहीं की तो इसका अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। क्योंकि यह जो विश्वविद्यालय आ रहे हैं....

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): माननीय सदस्य आपका रुतबा रहा हम जानते हैं लेकिन चेयर की तरफ मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं बार-बार, मंत्री जी की तरफ क्यों?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): केकडी से आने वाले माननीय सदस्य नया खाता मत खोलो।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): वह तो कल ही खोल दिया माननीय आपने, मैंने नहीं खोला है, आपने खोला है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा था केदारनाथ फाउंडेशन नई दिल्ली, नई दिल्ली में रजिस्टर्ड हुई हैं जो विश्वविद्यालय खोलना चाहते हैं। श्रीधर मैरठ की संस्थान का शिक्षा के क्षेत्र में भाव जाग्रत हो गया कि राजस्थान में अत्याधुनिक और विश्व स्तरीय शिक्षा देनी है और उसका उद्देश्य यह है कि वहां के बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों को विदेश नहीं जाना पड़े। एनआईआईटी इन्स्टीट्यूट ऑफ इन्फोर्मेशन नई दिल्ली मतलब ज्यादा संस्थाएं वह हैं जो संस्थाएं किसी-न-किसी तौर पर यहां राजस्थान के लोगों से संबंधित नहीं है। सभापति महोदय, संगरिया में विद्यापीठ है, केशवानंद जी जो राज्यसभा सदस्य रहे, पूरा जीवन ही निकाल दिया उन्होंने, उन्होंने एक-एक चंदा करके, काश्तकारों से एक-एक बोरी मांगा करते थे गेहूं की। उस गेहूं को इकट्ठा करके बेचा करते थे। आज ऐसी संस्थाओं की जरूरत है इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं इसमें बहुत बड़ी सावधानी की जरूरत है और इसलिए मैं निवेदन करुंगा सेक्शन-12 के अंदर चेयरमैन की

नियुक्ति का प्रावधान है और इसमें भी वहीं बात रख दी। इसमें प्रायोजक निकाय राज्य सरकार की सहमति से पाँच वर्ष की कालावधि के लिए चेयर पर्सन का चयन करेगा। अब यह श्रीधर ट्रस्ट मैरठ वाले जिसका जिक्र किया अगर वह सेठ जी ऐसे नाम आपको भेज दे जिनका कोई लेना देना नहीं है शिक्षा के जगत में, व्यवसाय की दृष्टि से इसका संचालन करे तो मैं समझता हूं वह उद्देश्य जिस उद्देश्य के लिए यह विश्वविद्यालय खोलने का प्रावधान किया है और जो हम इनेक्ट कर रहे हैं वह सारा उद्देश्य हमारा विफल हो जाएगा और इसी तरह सेक्शन-12 (4) में चेयर पर्सन प्रबंध बोर्ड की अध्यक्षता करेगा और सेक्शन-12 (5) में वह प्रेसीडेंट की नियुक्ति भी कर देगा। मतलब आप चेयर पर्सन को कौन-कौनसे अधिकार दे रहे हैं और सेक्शन-13 में प्रेसीडेंट की नियुक्ति प्रबन्ध बोर्ड की सिफारिश पर तीन व्यक्तियों के पैनल में से चेयर पर्सन करेगा। सेक्शन-13 में चेयर पर्सन तीन व्यक्तियों का जो पैनल आएगा उनमें से एक को प्रेसीडेंट बना देगा और यह जो प्रेसीडेंट है जिसके बारे में जिन शब्दों के चयन के लिए उपनेता महोदय कह कर गए हैं शिक्षा के क्षेत्र में हमें तो प्रेसीडेंट सुन। हमारे केकडी से आने वाले माननीय सदस्य के नाम के आगे लिखा करता था प्रेसीडेंट स्टूडेंट यूनियन, यह इसके अंदर जो मैनेजमेंट बोर्ड और उसका सर्वेसर्वा जो होता है...

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): आप दोनों मिलकर के खोल लो एक यूनिवर्सिटी, ठीक रहेगा, दोनों खिलाड़ी रहे हैं पुराने।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): आगे की सोचो, आगे की, सुनो मिलकर के खोल लेते हैं न..

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): मंत्री महोदय मैं निवेदन कर रहा था सेक्शन-13 (2) में जो प्रेसीडेंट है वह विश्विद्यालय का प्रधान कार्यपालक यानी चीफ एग्जीक्यूटिव और शैक्षणिक अधिकारी होने की बात आपने रखी है...

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): इतनी पढ़ाई आपने पहले कर ली होती न तो आपका जीवन सुधर जाता।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सेक्शन-14 के अंदर आपने प्रो-प्रेसीडेंट की नियुक्ति की बात है। इसकी नियुक्ति भी चेयर पर्सन और प्रेसीडेंट मिलकर करेंगे और सेक्शन-22 के अंदर जो प्रबन्ध बोर्ड है जो सारा वह विश्वविद्यालय को संचालित करेगा उसके अंदर कौन-कौन है? एक तो आपका चेयर पर्सन हो गया, एक आपका प्रेसीडेंट हो गया, फिर आपके प्रायोजक निकाय मतलब जो इसके कर्ताधर्ता पाँच व्यक्तियों को वह नामजद कर देगा फिर चेयरमैन नामजद कर देगा एक विशेषज्ञ को और चेयरमैन साहब फिर नामजद कर देंगे एक वित्त विशेषज्ञ को और आपका एक अधिकारी आर.ए.एस स्तर का अधिकारी उसको आप इसमें भेज रहे हो तो मैं समझता हूं कि निश्चित तौर पर रेगूलेटरी कमीशन की बात कही है और आपने तो पहले भी बात कही थी, उच्च शिक्षा सुधार आयोग का गठन करेंगे। आपके पुराना पढ़ रहा हूं मैं, उच्च शिक्षा सुधार आयोग अगर जो कुछ वह सारा एग्जामिन करता और रेगूलेटरी कमीशन कोई होता तो मैं समझता हूं जिस उद्देश्य के साथ इसको बनाया गया है वह उद्देश्य निश्चित तौर पर होगा। अब सेक्शन-29 के अंदर आपने परिनियम यानी रूल्स

बनाने और उसके संचालन के सब कुछ करने का अधिकार आप उसको दे रहे हैं और इसमें जो अकेडमी काउंसिल है उसके अंदर वह प्रेसीडेंट जिसको नियुक्त करेगा चेयरमैन वह अकेडमिक काउंसिल का चेयरमैन होगा। मतलब आज आप चार को सर्वेसर्वा बना रहे हो। उसकी शैक्षिक नियुक्ति कुछ हो या नहीं हो वह इसमें पूरा चीफ एग्जीक्यूटिव बनेगा तो किस तरह काम चलेगा और उसके साथ ही फिर मैं कह रहा हूं इसके सेक्शन-43 में जो प्रायोजक निकाय है वह एक वर्ष का नोटिस देकर विश्वविद्यालय को विघटित कर सकता है, बंद कर सकता है। उसको एक वर्ष का नोटिस देना है, विद्यार्थी को एक वर्ष का नोटिस देना है, शिक्षकों को एक वर्ष का नोटिस देना है और इसके साथ-साथ अगर कर्मचारियों को अगर इस तरह विश्वविद्यालय बंद करके चले जाएंगे, इन्फ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो, आज विश्वविद्यालय जहां खोले जा रहे हैं कल वह शहर के नजदीक आ जाए, जमीन की कीमत अरबों में चली जाए, सेठ जी का मन बदल जाए, सेठ जी अचानक एक वर्ष का नोटिस दे दें, विद्यार्थी बेचारा पढ़ रहा है उसका क्या होगा? इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं इसके अंदर निश्चित तौर पर सावधानी की बहुत बड़ी आवश्यकता है और अभी जिस पुस्तकालय का जिक्र अभी उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे, मैं भी पढ़ रहा था श्रीधर के अंदर मात्र 1653 पुस्तकें विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी में, आप मेरे गांव के सैकण्डरी स्कूल की लाइब्रेरी में चले जाए उसके अंदर भी इससे ज्यादा पुस्तकें मिल जाएगी। इसका मतलब कहीं-न-कहीं खोट है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं निश्चित तौर पर आज हमारे राजस्थान में टेलेंट है, हमारे विद्यार्थी जो ऑस्ट्रेलिया और दूसरी जगह जा रहे हैं निश्चित तौर पर उनको यहां अगर अच्छे स्तर की शिक्षा मिलेगी तो वहां नहीं जाएंगे। पर आवश्यकता इस बात की है कि हम डिम्ड यूनिवर्सिटी का जो प्रावधान है, डीम्ड यूनिवर्सिटी के प्रावधानों को आगे बढ़ाये और उसके बाद डीम्ड यूनिवर्सिटी अगर ठीक काम करे तो उसके बाद इसको पूरे विश्वविद्यालय का दर्जा हम दे तो ज्यादा ठीक रहेगा और उसके साथ ही जिस तरह की आशंका है हालांकि आपने इसके अंदर प्रोविजन में लिया है कि राज्य सरकार नियमानुसार आरक्षण की व्यवस्था, आप याद कर ले, आप तो चिकित्सक है, सही उदाहरण देते हैं लोग, संतोकबा का उदाहरण सही है और संतोकबा के अंदर भी यह था कि जो गरीब लोग हैं उनके लिए 10 फीसदी शैय्याएं आरक्षित रहेगी। आउट डोर के अंदर 20 फीसदी जो आउट डोर में पेशेंट आएंगे उनको मुफ्त में देखा जाएगा। सभापति महोदय, उन सीढ़ियों पर कोई गरीब आदमी चढ़ नहीं सकता। इसलिए इसमें स्पष्ट तौर पर प्रावधान करे, बी.पी.एल से चयनित जो विद्यार्थी होंगे उसमें से इतने लोगों की भर्ती करेंगे, उनकी फीस इतनी-इतनी होगी, उनको यह-यह सुविधा देंगे तब तो इन विश्वविद्यालयों के साथ गरीब का नाता जुडेगा वरना निश्चित तौर पर यह विश्वविद्यालय सेवा के क्षेत्र में कम और व्यवसाय के क्षेत्र में आगे बढ़ जाएंगे। जिस तरह की बात कर रहे हैं जो कैम्पस इंटरव्यू की बात कर रहे हैं जो बहुत लंबी चौड़ी विश्वविद्यालयों में होने चले हैं सभापति महोदय, आज आप दूसरे देशों में यूनिवर्सिटी में चले जाए, यूनिवर्सिटी की फेकल्टी का नाम कितना है इस बात को लेकर मल्टीनेशनल कंपनियों के साथ टाइप हो जाता है और

बच्चों को लगता है कैम्पस इंटरव्यू में मेरा सलेक्शन हो जाएगा, मेरा जीवन सुरक्षित हो जाएगा। इसलिए इस तरह का कोर्स बिलकुल नया कोर्स प्रारंभ करेंगे, उस कोर्स को विश्विद्यालयों के अंदर कहेंगे अत्याधुनिक जीवन में शिक्षा को प्रतिपादित करने के लिए यह कोर्स है, नया कोर्स इंटरड्यूज कर देंगे और उसके साथ कहेंगे इसमें निश्चित तौर पर नौकरी मिलेगी मैं समझता हूं कि इन सारी चीजों की सावधानी आप करे...

Bhs/akt/1.4.10/15.20/2I

मैं इस मौके पर मेरे पड़ोसी कालीचरण जी को भी बधाई देना चाहूंगा कि ये वो शख्सीयत हैं जिन्होंने इस राजस्थान विधान सभा में पहले निजी विश्वविद्यालय के विधेयक को पारण करने का काम किया था। आप इनसे कुछ शिक्षा लें। रेगुलेटरी कमीशन आप बनायें।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): ये जो आज आप सुझाव दे रहे हैं माननीय सभापति महोदय, वो जो बिल आपने रखे थे क्या उनमें प्राविजन किया था क्या? यह भी जानकारी दिलवा दें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): आपको क्या...। अच्छा काहे पर बोल रहा हूं मैं? किस चीज पर बोल रहा हूं? यूनिवर्सिटी का नाम बताओ। मैं जिन चीजों पर इतनी देर से बोल रहा हूं आप ज्यादा तेज बनते हो, मेरे को नाम बताओ कि मैं काहे पर बोल रहा हूं? यह क्या तरीका हुआ। ये इस पूरे सदन को पार्क बना रखा है यह केन्द्रीय पार्क है, ये सेन्ट्रल पार्क है। घूमते-घूमते आ जाओ और आकर हमें डिस्टर्ब करो।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): ...(व्यवधान)... हमें भी पता है ...(व्यवधान)...

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): कौन किसको डिस्टर्ब करता है सारी जिन्दगी हो गयी आपको इस हाउस को डिस्टर्ब करते। हर रोज आप डिस्टर्ब करते हो हर माननीय सदस्य को। चाहे पक्ष का हो चाहे प्रतिपक्ष का हो। कमाल कर दिया। रिकार्ड बना दिया आपने। आपने रिकार्ड बना दिया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सभापति महोदय, मुझे आपके संरक्षण की आवश्यकता है।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): आज आपकी तैयारी अच्छी है। बहुत अच्छी तैयारी है आपकी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): पड़ोसी का ध्यान रखें। तो सभापति महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था मंत्री महोदय, आप जो बिल लेकर आये हो राजस्थान में निजी क्षेत्र में विश्वविद्यालय खुले, कोई एतराज नहीं है पर इसके साथ-साथ जो सावधानी बरतने के लिए मैंने आपसे आग्रह किया, निवेदन किया है उन सावधानियों को बरतो और उसके साथ इसलिए जरूरी है कि आज आप जनमत जानने के नाम पर प्रवर समिति को सौंप दें और उस प्रवर समिति में आपके पास आपके दल में जो कई ऐसे माननीय सदस्य हैं जो विश्वविद्यालय छात्र संघों से संबंधित रहे हैं, जो विश्वविद्यालय के अध्यापक भी रहे हैं उन

सबकी एक कमेटी बना दें और प्रवर समिति में सौंप दो। दुबारा अपन मिलेंगे तब प्रवर समिति की रिपोर्ट के अनुसार कार्यवाही करें। आपने मुझे बोलने का समय दिया, धन्यवाद।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): सभापति महोदय, रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य के विचार सुनना चाहते हैं इस बिल के ऊपर।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): बिल के लिए तुम्हारी बुद्धि समझने लायक नहीं है और अगर समझने लायक होती तो यूनिवर्सिटी जैसे गम्भीर विषय पर ...।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): हम तो आपके विचार सुनना चाहते हैं। आपने कहा कि कुलपति मैं बनूंगा।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): मेरे विचार बहुत सात्विक हैं आपका चेयरमेन बनने वाला हूं दोनों जो यूनिवर्सिटी खोलोगे । बहुत सात्विक विचार हैं ।

श्री सभापति: श्री कालीचरण जी सर्राफ।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): माननीय सभापति महोदय, जो आज तीन निजी विश्वविद्यालयों के बिल आदरणीय मंत्री जी ने यहां पारित करने के लिए प्रस्तुत किये हैं, जैसा मैंने पहले कहा कि यह स्वागत योग्य कदम है। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी राजस्थान में तो मुझे यह गौरव हासिल हुआ कि सबसे पहले निजी विश्वविद्यालयों के बिल मैंने यहां प्रस्तुत किये और वो पारित हुए। आज की आवश्यकता भी है। जैसा तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, हमारे उप नेता जी ने कहा, कटारिया साहब ने कहा कि वर्तमान में हमारे देश में सात प्रतिशत लोग उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का यह लक्ष्य है कि 2015 तक पन्द्रह प्रतिशत लोग उच्च शिक्षा ग्रहण करें और उसी को ध्यान में रखते हुए नेशनल नॉलेज कमीशन ने 1500 यूनिवर्सिटीज हिन्दुस्तान में होनी चाहिए, इस बात का लक्ष्य तय किया है। वर्तमान में हमारे यहां 357 यूनिवर्सिटीज हैं और 1500 होनी चाहिए। राजस्थान में 14 यूनिवर्सिटीज हैं 15-16 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं यहां लगभग 50-60 यूनिवर्सिटीज होनी चाहिए और यह बात इसलिए माननीय सभापति महोदय, नेशनल नॉलेज कमीशन ने कहा कि आज यदि विश्व के प्रमुख देशों की हम बात करें तो कनाड़ा में 948 यूनिवर्सिटी, अमेरिका में 746 यूनिवर्सिटी, इंगलेंड में 971 यूनिवर्सिटी और आस्ट्रेलिया जैसा कि तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि राजस्थान जितना है वहां 339 यूनिवर्सिटीज हैं और मैक्सिको जहां हमारे देश की पाँच प्रतिशत पापूलेशन नहीं है वहां आज 229 यूनिवर्सिटीज हैं। माननीय सभापति महोदय, हम प्राइवेट यूनिवर्सिटी राजस्थान में इसलिए लाये कि यहां एजुकेशन हब का निर्माण हो। आज कर्नाटक में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, आज महाराष्ट्र में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, आज केरला में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, आज तमिलनाडु में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं। हमारा बच्चा वहां पढ़ने के लिए जाता था तो हमारा करोड़ों रुपया वहां माइग्रेट होता था। माननीय सभपति महोदय, और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज का अनुभव कोई खराब नहीं है। आज हम देख रहे हैं आज पिलानी में बिट्स, निवाई में बनस्थली, लक्ष्मणगढ़ में मोदी इंस्टिट्यूट है। आज इन इंस्टिट्यूशंस की

स्थापना से कितने लोगों को रोजगार मिला। इसके कारण वहां प्राइवेट होस्टल्स बन गये, प्राइवेट होटल चल रहे हैं, प्राइवेट रेस्टोरेंट चल रहे हैं। आज हमारे लोगों को इससे रोजगार मिला हुआ है इन्हीं सब बातों को ध्यान में रख कर जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो निजी विश्वविद्यालय राजस्थान में आने चाहिए इस बात को ध्यान में रख कर निजी विश्वविद्यालय के विधेयक यहां पर पारित कराये गये पर माननीय सभापति महोदय, जैसे मैंने पूर्व में कहा उस समय हमारे सत्ता पक्ष के लोग विपक्ष में थे और हम सत्ता में थे तो उस समय के विपक्ष के कई माननीय सदस्यों ने, बी.डी. कल्ला साहब ने, सी.पी. जोशी साहब ने, संयम जी लोढ़ा ने, हरिमोहन जी शर्मा ने कई सुझाव यहां पर बहुमूल्य सुझाव दिये थे और उस समय शिक्षा मंत्री के नाते मैंने उनको आश्वस्त किया था कि राजस्थान की सरकार, उन्होंने यहां पर यह सुझाव दिया था कि इन सब विश्वविद्यालयों को रेगुलेट करने के लिए नियामक आयोग होना चाहिए और मैंने उस समय यह आश्वस्त किया था कि यहां पर नियामक आयोग सरकार बनायेगी। इसी प्रकार से समृद्ध लाईब्रेरी होनी चाहिए जैसे अभी तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे, उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि आज एनआईआईटी विश्वविद्यालय में केवल 2191 किताबें हैं उनके पास जो इसमें बिल में लिखी हुई हैं। ऐसे ही के.एन. मोदी यूनिवर्सिटी में 5243 किताबें हैं और श्रीधर यूनिवर्सिटी में 1653 किताबें हैं। इतनी कम किताबों की संख्या से वो किस प्रकार से अच्छी शिक्षा जो यूनिवर्सिटी में प्रवेश पाएंगे उनको दे पाएंगे, मेरी समझ में नहीं आया इसलिए मिनिमम कितनी किताबें होनी चाहिए आप उसकी संख्या पचास हजार रख सकते हैं, चालीस हजार रख सकते हैं, तीस हजार रख सकते हैं पर एक कोई मिनिमम संख्या समृद्ध लाइब्रेरी के लिए हो इस बात पर भी निश्चित रूप से आपको राइडर लगाना चाहिए। इसी प्रकार से सरकार के प्रतिनिधि की बढ़ोतरी की जहां तक बात है अभी केवल एक प्रतिनिधि सरकार का उसमें है मैंने उस समय आश्वस्त किया था कि सरकार का प्रतिनिधित्व इसमें बढ़े इस बात की हम कोशिश करेंगे, इस बात का हम प्रयास करेंगे। इसी प्रकार से जैसे सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि हमारा अंकुश रहे निजी विश्वविद्यालयों पर इसलिए कम से कम उनका वार्षिक प्रतिवेदन एनुअल रिपोर्ट विधान सभा में निश्चित रूप से पेश होनी चाहिए और जो कटारिया जी ने शंका जाहिर की, यह बात बिलकुल सही है कि आज हम उनको कंसेशनल रेट पर जमीन भी देते हैं, सारी सुविधाएं भी उनको देते हैं, संतोकबा दुर्लभजी का इन्होंने उदाहरण दिया वहां दस प्रतिशत गरीबों के लिए इलाज की सुविधा की जाएगी इस प्रकार का आरक्षण था परंतु आज वहां कोई गरीब मरीज जाना चाहे तो वहां उसको इलाज की सुविधा नहीं मिलती वो गेट के अंदर ही नहीं घुस सकता। तो यह हमें निश्चित करना होगा और यह राइडर लगाना होगा कि यह जो निजी विश्वविद्यालय हैं इनमें कम से कम दस प्रतिशत या बीस प्रतिशत जो भी आप तय करें हमारे एससी के स्टूडेंट्स, हमारे ओबीसी के स्टूडेंट्स, एसटी के स्टूडेंट्स और जनरल कास्ट के गरीब लोग हैं मेरीटोरियस बच्चे हैं इन लोगों को उनमें प्रवेश मिल सके और नि:शुल्क प्रवेश मिल सके और यदि वो नि:शुल्क नहीं

करे तो सरकार उनकी व्यवस्था करे। इस प्रकार की व्यवस्था हम करेंगे तो निश्चित रूप से जिस उद्देश्य के साथ हम निजी विश्वविद्यालयों को राजस्थान में ला रहे हैं उसमें हम सफल होंगे। मैं कोई ज्यादा लंबी-चौड़ी बात नहीं कहना चाहता क्योंकि सबने बात कह दी। मैं तो केवल इसलिए यह बात कहना चाहता हूं कि पांचों राइडर जो मैंने बताये हैं ये इसमें शामिल करने के लिए और इसके अलावा भी जो अच्छे सुझाव हों उनको हम इसमें शामिल कर सकें इसलिए ये कोई बहुत हाबड़-तोबड़ का मामला नहीं है कि साहब आज यदि ये बिल पास नहीं हुआ तो क्या पता क्या कोई भूकम्प आ जाएगा तो ये पांचों जो मैंने सुझाव दिये हैं इसके अलावा जो और माननीय सदस्यों ने सुझाव दिये हैं इनके साथ इसको दुबारा जनमत जानने के लिए एक बार भेजें एक महीने आप उसको परिचालित करें और उसके बाद फुलप्रूफ बिल यहां पर लायें तो निश्चित रूप से यह स्वागत योग्य होगा। आप बिल लाये हैं उसके लिए तो आपका स्वागत है पर इन राइडर्स के साथ इसको लायेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा इसलिए मैंने जनमत जानने के लिए कहा है ...

कैलाश/अरुण 1.04.2010 15.30 (1) 2m

इसलिए मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि इसका जनमत जानने के लिये परिचालित किया जाये।

श्री सभापतिः श्री हनुमान जी बेनीवाल।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): सभापति महोदय, श्रीधर विश्व विद्यालय, बिगोदना (झुन्झुनूं), एनआईआईटी विश्व विद्यालय नीमराना (अलवर), डा. केएन. मोदी विश्व विद्यालय निवाई (टोंक) के विधेयक 2010 को पारित करने के लिये आज सदन में रखा गया है। सबसे पहले तो इस विधेयक को पारित करने से पहले मैं आपके मार्फत् शिक्षा मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा कि यह जो विश्व विद्यालय लेकर आ रहे हैं श्रीधर विश्व विद्यालय, झुन्झुनूं, एनआईआईटी विश्व विद्यालय नीमराना, डा. केएन. मोदी विश्व विद्यालय निवाई, टोंक सभापति महोदय, श्रीधर विश्व विद्यालय का मेरठ का रजिस्ट्रेशन है और मेरठ उस राज्य में आता है जहां सबसे ज्यादा फर्जी डिग्रियों का कारोबार अगर देश में होता है तो उत्तर प्रदेश और बिहार में होता है। इसलिए इस विश्व विद्यालय को जो लोग लेकर आ रहे हैं, जो लोग इस विश्व विद्यालय के मालिक और संचालक है उनका शिक्षा के क्षेत्र में कभी जुडाव रहा या नहीं रहा या एक दम से ही राजस्थान की चिंता उन लोगों को सताने लग गई कि वह शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान में आकर शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान के लोगों को आगे लाना चाहते हैं। सभापति महोदय, जो नई दिल्ली की संस्था का विश्व विद्यालय है इन दोनों विश्व विद्यालय की पूरी पडताल कर के इनके रजिस्ट्रेशन की पूरी पडताल करने के बाद ही अगर इस विधेयक को सदन में पारित किया जाये तो राजस्थान आपका ऋणी होगा। मैं

पुरज़ोर शब्दों में मांग करता हूं कि इन तीनों विश्व विद्यालयों के विधेयक 2010 है इनको जनमत जानने के लिये 2 महीने तक राजस्थान की जनता के सामने भेजे जाये।

सभापति महोदय, जैसा कि हमारे तारानगर से आने वाले विधायक जी बता रहे थे आज राजस्थान में या पूरे हिन्दुस्तान में प्राइमरी से लेकर उच्च शिक्षा तक कोई बालक/बालिका पहुंचते हैं तो उनका प्रतिशत मात्र 7 प्रतिशत है। जबकि नेशनल नोलेज कमीशन द्वारा 2015 तक इस प्रतिशत को बढा कर 15 प्रतिशत करने की बात कही गई है। सभापति महोदय, वर्तमान में हमारे देश में मात्र 357 विश्व विद्यालय संचालित हो रहे हैं। जबकि नेशनल कमीशन के अनुसार 1500 विश्व विद्यालय पूरे हिन्दुस्तान में होने चाहिये। आज अपना पडौसी जो मुल्क है जहां शिक्षा के क्षेत्र में सबसे ज्यादा अमरीका, इंगलैंड को मानते हैं , अपने यहां से लोग अध्ययन करने के लिये अमरीका और इंगलैंड जाते हैं । आज अमरीका में 746 विश्व विद्यालय, इंगलैंड में 971 विश्व विद्यालय, कनाडा में 948 और तो और आस्ट्रेलिया और मैक्सिको जिनकी जनसंख्या का प्रतिशत हिन्दुस्तान की जनसंख्या का 5 प्रतिशत है वहां भी 339 और 229 विश्व विद्यालय संचालित हो रहे हैं। इसलिए प्राइवेट विश्व विद्यालय आज राजस्थान में लाने की शुरूआत पूर्ववर्ती भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की और हमारे पूर्व शिक्षा मंत्री जी जो मालवीय नगर से जीतकर यहां आये हैं वरिष्ठ सदस्य कालीचरण जी ने राजस्थान में प्राइवेश सैक्टर में विश्व विद्यालय का पहला विधेयक पेश किया इनको मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि राजस्थान में शिक्षा का क्षेत्र बढाने के लिये पूर्ववर्ती सरकार ने राजस्थान को शिक्षित करने की दिशा में जो कदम उठाया एक नई शुरूआत की थी उसी आधार पर अगर आप पूरी जांच पडताल कर के और जनमत जान कर इन विधेयकों को पास करते हो तो निश्चित रूप से हमारा समर्थन आपको पूरा मिलेगा। सभापति महोदय, आज पूर्ववर्ती सरकार ने जैसा कि हमारे तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य बता रहे थे कि राजस्थान में शिक्षा के क्षेत्र को आगे बढाने के लिये और ग्रामीण अंचल के छात्रों को पूरी सही शिक्षा देने के लिये तीन विश्व विद्यालय राजस्थान में स्थापित करने के लिये पास करवाया था लेकिन तीनों विश्व विद्यालय जिनको जमीन अलाट कर दी गई, एक एक करोड रुपये राजस्थान सरकार ने दे दिये और एक एक ओएसडी की नियुक्ति करने के बाद भी आज राजनीतिक रूप से उन तीनों विश्वविद्यालयों में न तो कोई बजट का प्रावधान किया, तीनों विश्व विद्यालयों का क्या भविष्य होगा न इस बात के बारे में राजस्थान की जनता को बताया गया। सभापति महोदय, नवलगढ से जो माननीय सदस्य जीत कर आये थे वह जीत कर बसपा से आये थे और आज राजस्थान सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने वोट ही नवलगढ क्षेत्र में इस बात के लिये थे कि अगर मैं चुनाव जीत कर राजस्थान की विधान सभा में जाऊंगा तो आपका जो शेखावटी विश्व विद्यालय, सीकर है इसको चालू कराने की पूरी जवाबदारी लेकर आये थे। यहां आने के बाद चुपचाप यह +++ और शेखावटी क्षेत्र के लोगों का विश्व

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

विद्यालय का जो सपना था उन छात्रों के साथ बहुत बड़ा धोखा माननीय सदस्य कर के यहां आये थे। सभापति महोदय, राजस्थान में पूर्ववर्ती सरकार के टाइम शिक्षा के क्षेत्र में एक हब बनने जा रहा था और यह पूर्ववर्ती सरकार की ही देन है कि निजी क्षेत्र में लोग पैसा लगाने के लिये आज राजस्थान में आ रहे हैं। आज आप जयपुर को हैरिटेज बनाने की बात करते हो लेकिन यह हैरिटेज का जो सपना था, हैरिटेज की जो सोच थी वह हमारी पूर्ववर्ती मुख्य मंत्री वसुंधरा जी की सोच थी, पूर्ववर्ती भारतीय जनता पार्टी की सरकार की सोच थी। सभापति महोदय, आज राजस्थान विश्व विद्यालय सहित पूरे राजस्थान के विश्व विद्यालय और कालेज में जब आपकी पूर्व की सरकार 1998-2003 में आई तो आपने राजस्थान के इतिहास में एक साथ 10 गुणा फीस पूरे राजस्थान के छात्रों की बढाई और दूसरी बात अभी 28 मार्च को जो सिंडिकेट की बैठक थी उसमें विश्व विद्यालय प्रशासन ने निर्णय लिया और 10 परसेंट राजस्थान विश्व विद्यालय के छात्रों की और बढा दी गई। एक ओर आप राजस्थान विश्व विद्यालय और राजस्थान विश्व विद्यालय के समस्त कालेजों में लगातार फीस बढाते जा रहे हो दूसरी ओर प्राइवेट विश्व विद्यालय लगातार खोलते जा रहे हो। मैं आपसे मांग करता हूं कि प्राइवेट विश्व विद्यालयों में 25 प्रतिशत आर्थिक पिछडे चाहे वह किसी भी जाति का हो अगर इंटेलीजेंट लड़का है तो 25 प्रतिशत उनको आरक्षण ओबीसी, एसटी, एससी, विकलांग के अलावा उन गांव के गरीब छात्रों को जो अति पिछडे वर्ग से आते हैं उनको 25 प्रतिशत आरक्षण मिलना चाहिये और गवर्नमेंट उनके पूरे खर्चे का भरण करें, गवर्नमेंट उनका पूरा खर्चा दें यह मैं मंत्री जी से मांग करता हूं ।

श्री गंगाजल मील (सूरतगढ़): मैं माननीय सदस्य की बात से सहमत हूं क्योंकि मेरठ से एक मोदी आया था और उसने नागौर में फर्जी रजिस्ट्रेशन करा कर पाँच साल प्रदेश को लूटा , इसलिए ध्यान रखना।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): सभापति महोदय, इन विश्व विद्यालयों के ऊपर सरकार का नियंत्रण रखने के लिये विश्व विद्यालय नियामक आयोग बनाने की बहुत बडी आवश्यकता है। सांगानेर से आने वाले हमारे प्रतिपक्ष के नेता घनश्याम जी तिवाडी ने जैसा कि दो बार आपको निवेदन किया था कि विश्व विद्यालय नियामक आयोग जब तक नहीं बनेगा तब तक निजी क्षेत्र के जो विश्व विद्यालय है उन पर सरकारी नियंत्रण नहीं रहेगा और एक बार अगर सरकारी नियंत्रण हट गया, एक बार जब स्वाइ फ्लू का टाइम था तब हमारे शिक्षा मंत्री जी ने एक आदेश जारी किया कि स्वाइ फ्लू से राजस्थान में कहर बरपा है इसलिए प्राइवेट स्कूल वालों से आह्वान किया कि निजी शिक्षण संस्थाएं 5-7 दिन की छुट्टी कर दे लेकिन शिक्षा मंत्री जी के आदेश की धज्जियां इसी जयपुर में उडी और जो प्राइवेट स्कूल चलाते हैं प्राइवेट स्कूल वालों ने शिक्षा मंत्री जी के आदेश की धज्जियां उडाते हुए एक एक दिन भी स्कूल बंद नहीं रखे । अगर प्राइवेट सैक्टर में विश्व विद्यालयों पर अपना नियंत्रण नहीं रहेगा, सरकार का नियंत्रण नहीं रहेगा तो बहुत बडी दुर्दशा होगी, फर्जी डिग्रियां बांटी जायेगी। यह यूपी और दिल्ली से आने वाले लोग फर्जी डिग्रियों का एक नया कारोबार यहां स्थापित कर

देंगे। सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आज इन तीनों विश्व विद्यालयों में जो सरकार का एक एक प्रतिनिधि आरएएस रखा है मैं मांग करता हूं कि जिस संबंधित क्षेत्र में यह विश्व विद्यालय आते हैं, जिन विधान सभा क्षेत्र में यह विश्व विद्यालय आते हैं वहां का एमएलए इस संस्था का आमंत्रित सदस्य हो और वहां का एमपी भी इसका आमंत्रित सदस्य होना चाहिये, यह मेरी ओर से मैं मांग करता हूं।

सभापति महोदय, इसमें ऐसे ऐसे नाम रखे गये, ऐसे ऐसे पदनाम रखे गये चेयर पर्सन, प्रसीडेंट, इससे तो ऐसा लगता है कि यूपीए की चेयर पर्सन +++ है तो यह तीनों विश्व विद्यालय चेयर पर्सन के हिसाब से उनके ही विश्व विद्यालय होंगे या पर्दे के पीछे से +++ इनकी वाइस चेयर मैन होगी। इसलिए मैं दो महीने के लिये इसे ...(व्यवधान)...

डा. (श्रीमती) परम नवदीप सिंह (संगरिया): आपको भाषा का ज्ञान नहीं है. 'Chairperson' doesn't mean that everybody is a chairperson.

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): ...(व्यवधान)... आपको ऐसे बोलने का कोई अधिकार नहीं है, माननीय सदस्य आपको भाषा का ज्ञान नहीं है। ...(व्यवधान)...

डा. (श्रीमती) परम नवदीप सिंह (संगरिया): ...(व्यवधान)... किस तरह से बोल रहे हैं आप। ...(व्यवधान)...

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): सभापति महोदय, यह समर्थन भी करते हैं, स्वागत भी करते हैं मैं इस बात को मानता हूं लेकिन सावधानी बरतनी चाहिये। यह सावधानी कौनसी है मुझे यह एक बात अवगत करा दें जो बोलने वाले थे।

श्री सभापति: श्री धनश्याम जी तिवाडी।

ans/akt 15-40 2n 1042010

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): सभापति महोदय, यह बार बार (व्यवधान)सुझाव थे, मापदण्ड थे वो उन्हीं का खुलासा करें। यह बात, मतलब समर्थन भी करना और दिखावा करना, आंतरिक मंशा यह समर्थन में है, जो भी नोर्म्स (व्यवधान) मंत्री महोदय लाए, यह इनके साथ में है यह इनकी भावना से अवगत हुआ।

डा. (श्रीमती) परम नवदीप सिंह (संगरिया): सभापति महोदय, आपके माध्यम से प्रतिपक्ष के बड़े सीनियर नेताओं से कहना चाहूंगी, पूछना चाहूंगी, whether your MLA is a Graduate or a Post-Graduate, he does not know the meaning of 'chairperson'. How he relates the things! It's very shameful.

श्री सभापति: बिराजिये, श्री घनश्याम जी तिवाड़ी

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय सभापति महोदय, इसीलिए मैंने शुरू में जब पहले बिल परबोला था तो मैंने कहा था कि अंग्रेजी शब्द मत रखो। यह चेयर परसन जाने नहीं जानते, अंग्रेजी को बहुत लोग नहीं जानते। सभापति महोदय, आप मुझे क्षमा करेंगे

+++ नाम अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

अगर कोई हिन्दी वाला आदमी जाए वह अंग्रेजी, आपका नाम अंग्रेजी में लिखा हुआ है सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत वह अगर हिन्दी नहीं जाने और केवल अंग्रेजी जाने तो क्या पढ़ेगा, उसका अर्थ ही बदल जाएगा, सारा का सारा अर्थ बदल जाता है, सुरेन्द्र जी जाड़ावत का मतलब दूसरा है, सुरेन्द्र जी जडवत का मतलब दूसरा होता है तो यह इसलिए मैंने कहा कि इसको मिक्स मत करो। वेश्य और वेसे का जो पढ़ते हैं लिखते है ना अपन अंग्रेजी में तो हमारी संस्कृति हमारी कल्चर और हमारी बात उसकी व्याख्या हम करें तो ठीक है इसलिए पढ़ने में उनको दिक्कत हो गई होगी। तो मैं समझता हूं कि हमको लेंग्वेज का इसीलिए ध्यान रखने के लिए मैने इसमें विरोध किया था। अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग इस प्रकार नहीं करना चाहिये जो आवश्यक नहीं हो हमारे लिए।

श्री सभापति: उपनेता, आज भी वह स्टूडेण्ट लीडर के रूप में, माननीय विधायक बन चुके हैं वह।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय सभापति महोदय, मैंने जैसा कि कहा कि राजस्थान पायोनीयर स्टेट है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी के मामले में, दो बातें बड़ी उभरकर आ रही है हमारे सामने। दोनों बातों के पीछे अपना तर्क और तथ्य भी है। जब मैंने पहला बिल पायलेट किया था इस संबंध में उस समय मैंने इन सारी बातों का जवाब दिया था मैं इसलिए आज इस जगह पर प्रतिपक्ष में खड़ा हूं, खड़े होकर मैं इस बात को नहीं कह सकता कि यह बिल गलत है, यह बिल सही है और प्राइवेट यूनिवर्सिटी का आना भी सही है और प्राइवेट यूनिवर्सिटी का खुलना भी ठीक है और हम जानते हैं अच्छी तरह से। हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी बजट में घोषण की उसमें मन में तकलीफ होती है हमें इस बात की तकलीफ नहीं कि कुछ लोगों को विदेश भेजेंगे इस बात की तकलीफ है कि आजादी के 60 साल बाद हमको यह कहना पड़े कि हम बाहर पढ़ने जाएंगे। हमारा यह एवरेज, आप देखिये कई लोग मांग करते हैं, सरकार करें बहुत बड़ी बात है। आज एवरेज क्या है हायर एजुकेशन का यूरोप का एवरेज 40 प्रतिशत है और हमारे देश का एवरेज 11 प्रतिशत और हमारे राजस्थान का एवरेज है 8 प्रतिशत। जितने लोग प्राइमरी स्कूल में भर्ती होते हैं हायर एजुकेशन में 8 प्रतिशत जाते हैं , कितना कम प्रतिशत है। इसका कारण यह था कि पहले हम सीकर में, सीकर के गांव से पास करके राजस्थान यूनिवर्सिटी में आकर भर्ती हो जाए समझ लो बहुत बड़ा आदमी हो गये। इसलिए राजस्थान के हर एक जिले में कम से कम एक यूनिवर्सिटी की आवश्यकता है और हमारे यहां आज हालात क्या है एस के कालेज सीकर जिसमें मैं भी पढ़ा हूं, आज दस हजार विद्यार्थी है, सांस लेने की जगह नहीं है, सांस नहीं ले सकते खड़े होकर, क्लास कहां से लगेगी, पढ़ायेगा कौन ? राजऋषि कालेज अलवर, क्या स्थिति है आज उसकी, कितने लोग पढ़ पाएंगे उसमें ? महारानी जया कालेज भरतपुर, गवर्नमेंट कालेज अजमेर यह सारे जो बड़ी-बड़ी कालेज है यूनिवर्सिटी बनने लायक, हम यूनिवर्सिटी नहीं बना रहे हम उनको कालेज चला रहे है और हमारे यहां साम्राज्यवाद की प्रवृति सामंती प्रवृति समाप्त नहीं हुई है,यह एफिलियशन क्या है, क्यों एफिलिएशन की आवश्यकता है,

एफिलिटेड युनिवर्सिटी, क्या मतलब है एफिलिटेड यूनिवर्सिटी का। एक विश्वविद्यालय परीक्षा लेने के लिए 40-40,50-50,100-100 कालेजों को संलग्न कालेज करके रखता है, शिक्षा का ढांचा सुधारेगा कहां से। इसलिए हमने सोचा था कि एक यूनिवर्सिटी सीकर में होनी चाहिये शेखावाटी विश्वविद्यालय, एक विश्वविद्यालय हमने अलवर में सोचा था एक विश्वविद्यालय हमने भरतपुर में सोचा था। आज भरतपुर को आपने डिवीजन प्लेस क्यों बना दिया और भरतपुर में यूनिवर्सिटी क्यों नहीं है। राज्य सरकार कम से कम ये तीन विश्वविद्यालय तो खोले। आज सीकर, झुन्झुनूं ,चूरू के बीच में सीकर में विश्विद्यालय बनना था, जिसकी जगह भी तय हो गई थी ,जिसका एक्ट भी बन गया था, जिसके लिए एक करोड़ का प्रावधान भी कर दिया गया था, जिसका ओएसडी भी लगा दिया गया था। सभापति महोदय मुझे कहते हुए दुःख है कि उसके लिए बारगेनिंग की गई। आज इस पवित्र सदन में मैं कहना चाहता हूं जब हमने तीन बिल बनाकर भेजे दिये तो +++ फिर हमने बिल में चेंज किया केबीनेट में, केबीनेट में चेंज करके राज्यपाल को अधिकार दिये और राज्यपाल को अधिकार दिये +++ यह जब यूनिवर्सिटी की स्वायत्ता की बात आती है ना माननीय मंत्री जी, आप इसको ध्यान करिये। यूनिवर्सिटी की शैक्षणिक स्वायत्ता के मैं पक्ष में हूं।

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा): गवर्नर के बारे में चर्चा कर सकते हैं ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): हां कर सकते हैं।

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा): माननीय सभापति जी मैं विनम्र निवेदन करता हूं कि गवर्नर के कार्यकलापों के बारे में सदन में चर्चा नहीं की जा सकती। नियम तो पढ़े लिखे होते तो विधान सभा में क्यों आते, आप ही की तरह खेती करते।

श्री सभापतिः माननीय सदस्य, बिराजे।

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा): इसलिए मेरा अर्ज करना है। यह विद्वान सदस्य है।

श्री सभापतिः बिराजिये, उपनेता महोदय बोल रहे हैं।

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा): नहीं बोलने का सवाल नहीं है यदि ऐसा प्रोसीजर है तो डिसकस नहीं किया जा सकता। सभापति महोदय, आप अपनी रूलिंग दे दीजिए।

श्री सभापतिः आप बिराजे।

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा): इसमें बैठने की क्या बात है।

श्री सभापतिः बिराजे, बोल रहे हैं।

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा): आप देखिये, किताब दीजिए, साफ है गवर्नर के मामले को डिसकस नहीं किया जा सकता।

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): सभापति महोदय, यहां राज्यपाल के नाम से चिढ़ने की जरूरत नहीं है। इस सदन में राज्यपाल का संदेश आता है, राज्यपाल महोदय का संदेश पढ़कर सुनाते हैं, इस सदन में राज्यपाल को धन्यवाद का प्रस्ताव भेजा जाता है, राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस होती है और राजस्थान की विधान सभा में तो अनुठा रिकार्ड बनाया हुआ है राजस्थान की विधान सभा में डाक्टर सम्पूर्णानंद जी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव पर तीन दिन तक राजस्थान की विधान सभा में बहस की है इसलिए यह तो राजस्थान में ही नहीं बिहार राज्यपाल के कंडक्ट पर हुआ। कौनसा हिन्दुस्तान का स्टेट है जहां पर राज्यपाल के कंडक्ट के ऊपर बहस नहीं की गई, बहस की गई है। राज्यपाल के, उस कंडक्ट पर जो कंडक्ट केबीनेट में है ओर केबीनेट उसमें बनाकर भेजे उस पर चर्चा की जा सकती है। निश्चित रूप से इसलिए मैंने कहा, मैंने चर्चा की और में तो यहां तक पक्ष में हूं कि राज्यपाल महोदयों को जितने अधिकार हम देते हैं एक्ट के अंदर उस प्रकार का अधिकार देने की आवश्यकता को मैं अच्छा नहीं समझता हूं और उसमें किसी प्रकार की यूनिवर्सिटी की स्वायत्ता पर असर नहीं पड़ता। आज आपके तीन विश्वविद्यालय नहीं बने, +++ इसलिए नहीं बनाये विश्वविद्यालय। यह अधिकार किसने दिया था, संविधान निर्माताओं को पता नहीं था कि इस प्रकार के राज्यपाल बन जाएंगे और वह दस्तखत नहीं करेंगे। कल एप्रोपिएशन बिल पर दस्तखत करने से मना कर देंगे तो क्या होगा। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि तीनों विश्वविद्यालयों के बारे में सरकार की क्या नीति है मुझे यह बताये और अगर तीनों विश्वविद्यालय नहीं खोलना चाहते तो कम से कम आप लेकर आते तो कोई विश्वविद्यालय प्राइवेट वाला उस सैक्टर का तो लाते कि जिन स्थानों पर खोले, आप नहीं खोलना चाहते। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि जब यह बनाया थे हमने, बिल आ रहा था तब केवल हमने यह तय नहीं किया था कि जनरल या आर्ट, कामर्स, साइंस पढ़ाने वाले जो कालेज हैं उन कालेजों को खोल देंगे, उन यूनिवर्सिटी को खोल देंगे, उन विश्वविद्यालयों को खोलने से कोई मतलब नहीं है। हम यह चाहते हैं कि इनमें कोई विशेषज्ञता हो , विशेषता हो जो इस प्रकार की एजुकेशन लेकर आए जो राजस्थान में नहीं हो कोई टेक्नीकल नो हाऊ नहीं लेकर आए। मंत्री जी जवाब दें तब बताए कि तीन विश्वविद्यालय है केएन मोदी वाला और नीमराना वाला और टोंक वाला इन तीनों विश्वविद्यालयों में फैकल्टी में कौनसी ऐसी चीज है जो राजस्थान के अन्य विश्वविद्यालयों में नहीं है।

दुर्गा/त्रिपाठी 01042010 1550 2o

और वह इन विश्वविद्यालयों में आ रही है जिसके लिये इन विश्वविद्यालयों का खुलना हमारे लिये जरुरी है। तीसरी बात जो आपसे पूछना चाहता हूं कि हमने जब विश्वविद्यालय बनाये थे, तब हमने कहा था कि राज्य सरकार इनको कोई जमीन नहीं देंगी। राज्य सरकार

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

30 एकड़ जमीन देखेगी, राज्य सरकार इतना कंस्ट्रक्शन देखेगी, राज्य सरकार यह देखेगी कि आप बताएं कि यह तीनों विश्वविद्यालय स्वयं के स्रोत से बन रहे हैं या राज्य सरकार की मदद से बन रहे हैं। क्योंकि अगर हम राज्य सरकार की मदद से बनाना चाहें तो हमारे विश्वविद्यालय हैं, उनकी मदद करेंगे हम। इनकी क्यों करेंगे। इसलिये पहला आप इस बात का भी स्पष्टीकरण करें, क्या करना चाहते हैं। तीसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि राज्य सरकार भारत सरकार के सामने यह मुद्दे क्यों नहीं उठाती। यह यूनिवर्सिटी ग्राण्ट्स कमीशन है, यह ए.आई.सी.टी. और मेडिकल कौंसिल आफ इण्डिया, इन लोगों का जिस प्रकार का ढर्रा और ढांचा है, सहायता देने का, वह बहुत पुराना ढर्रा और ढांचा है और उनको बदलने की आवश्यकता है। हायर एजुकेशन के बारे में, जो हमारे मंत्री हैं कपिल सिब्बलजी, आजकल वह जिस प्रकार की बात कर रहे हैं, मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि जब कैट कमेटी की मीटिंग हुई थी ओर कैट कमेटी की मीटिंग में जो दो कानून बनाने के लिये बात हुई थी, उसमें एक कमेटी के चैअरमेन कपिल सिब्बल साहब थे, तब मेरा उनसे मिलना हुआ। एक कमेटी का चैअरमेन मैं था। आज जिस प्रकार की हायर एजुकेशन के बारे में विचार कर रहे हैं और हायर एजुकेशन में..।

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा): एक मैं, माननीय सदस्य, माफी चाहता हूं, रुल्स की बात कर रहे थे, रुल है 272।

एक माननीय सदस्य: बाद में कर लेना।

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा): नहीं, बाद का सवाल नहीं है। चूंकि माननीय गवर्नर साहब सर्वोच्च बॉडी हैं हमारी, उसके बारे में सदन में कोई चर्चा या कोई बात हो तो उसके बारे में उसी टाइम पर कार्यवाही से निकालना, नहीं निकालना यह साफ...।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): कोई नहीं निकाल सकता। (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा): नहीं, मैं धमकी भरे शब्द न तो बोलना चाहता हूं। मैं तो रुल्स एण्ड प्रोसिजर है, कांस्टीट्यूशन बना हुआ है, आप भी हवाला देते हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): बता दिया मैंने कांस्टीट्यूशन तो।

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा): मेरा तो इसमें साफ निवेदन है। (व्यवधान) नहीं, यह चूंकि राज्यपाल के कण्डक्ट के ऊपर यहां डिस्कशंस में आपने अर्ज किया है। इसलिये मेरा माननीय सभापति महोदय, बहुत गम्भीर मामला है, आप 272 (11) में आप पढिये, राष्ट्रपति तथा किसी राज्य के राज्यपाल...यह आचरण के बारे में आक्षेप करना, राज्यपाल ने दस्तख्त नहीं किया, यह बहुत गम्भीर मामला है और ऐसी परिपाटी यदि बन गई, इसके ऊपर आपने अलाऊ किया तो मैं जहां तक समझता हूं कि यह बहुत गलत परम्परा हो जाएगी। मैं लम्बा नहीं बोलना चाहता।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): नियम कौनसा है?

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा): नियम 272 (11) (व्यवधान) पढ़ना पढ़ा है मुझे कॉलेज जाकर। आप बात करते हो। (व्यवधान) यह मैं इसलिये नहीं कहता कि आपकी

सरकार के टाइम गवर्नर ने क्या किया, आप क्यों चुप रहे। सवाल यह है कि आज की तारीख में आप गवर्नर के कण्डक्ट के बारे में बात कर रहे हो, +++ आप कुछ भी करिये, साफ लिखा है, राष्टप्रति तथा किसी राज्य के राज्यपाल के आचरण के ऊपर आक्षेप नहीं करेगा। यह उनके कण्डक्ट के ऊपर आक्षेप है। कोई भी गवर्नर हो, मेरा विनम्र निवेदन है, सभापति महोदय, इस सारी कार्यवाही को, जो गवर्नर के मामले में है, उसको सदन की कार्यवाही से निकाल दिया जाए। (व्यवधान) इसीके साथ में, चूंकि यह गम्भीर मामला है, इसको देखकर करेंगे। यही मेरे को अर्ज करना है। (व्यवधान)

श्री सभापतिः विराजिये। उप नेता महोदय।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): सभापति महोदय, राज्यपाल के व्यक्तिगत आचरण की हम यहां चर्चा नहीं कर सकते। लेकिन राज्यपाल महोदय के जो ऐसे काम, जो राज्य सरकार के काम में किसी प्रकार की बाधा हो तो उसमें चर्चा होती है। राजस्थान की विधान सभा में तो तीन दिन तक उनके विशेषाधिकार हनन का, जौहरी बाजार के गोली काण्ड के बाद चर्चा हो चुकी है। स्वर्गीय रामप्रसाद जी लढ्ढा थे, उनकी अध्यक्षता में कमेटी बनी थी और जांच हुई थी। इसलिये वह तो सारा का सारा रिकार्ड के अन्दर, बहुत से ऐसे उदाहरण मैं दूंगा। लेकिन मैंने तो सिर्फ इतना ही आग्रह किया है कि बिल पर दस्तख्त करने से पहले +++ वह शर्तें लगाकर के हमने भेज दी थी। यह अखबारों में भी आ गया था। यह विधान सभा में मैंने पहले बोलकर भी कह दिया था और राज्यपाल महोदय जब आये +++ वह भी राजस्थान की विधान सभा में अंकित है, इसी विधान सभा में अंकित है। इसलिये वह राज्यपाल के उस पर कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है, माननीय सभापति महोदय, नहीं बनता है।

मैं आपसे एक आग्रह करुंगा कि यह विश्वविद्यालय जो है, उनके अन्दर जो कोर्सेज की मैंने बात कही है, वह विशेष कोर्सेज कौन-कौन से हैं जो ये विश्वविद्यालय लेकर आ रहे हैं। इसके बारे में आप मंत्री महोदय, हमको बताएंगे, एक बात। दूसरी बात, आप यह बताएंगे कि इन विश्वविद्यालयों की जो कमेटी गई थी जांच करने के लिये, उन जांच कमेटियों की रिपोर्ट में उन्होंने क्या कहा, कितना भवन उन्होंने बनाया, कितना और किया। एक बात और देखने की बात है, सभापति महोदय, आज के जमाने में आप ऐसे लोगों को नियुक्त किया करो जो आज के जमाने को जानें। यानी ये यूनिवर्सिटी गयी और जैसे हमारे माननीय सदस्यों ने भी कहा कि 1520 किताबें हैं, 2530 किताबें हैं, 2000 किताबें हैं। आज के जमाने में जो कमेटी किताबों के बारे में रिपोर्ट करे, जिस कमेटी को यह पता नहीं है कि आज के जमाने में एक अलमारी में दुनिया भर की यूनिवर्सिटिज की किताबें रहती हैं, वह कम्प्यूटर की व्यवस्था है कि नहीं है, मैं खुद आश्चर्यचकित रहा कि मैंने किताब के बारे में जानकारी की। मेरे बच्चे ने अपने घर पर बैठे-बैठे एक अपने इण्टरनेट से एक दूसरे देश की यूनिवर्सिटी के अन्दर

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

मिलाकर वहां से उसकी किताब का पन्ना निकाल कर उसको काट कर मुझे दे दिया। जमाना यहां तक आ गया है कि सारे के सारे पुस्तकालय एक अलमारी में ही सिमट कर रह गये, उस समय किताबें गिन रहे हैं ये। तो महाराज, भेजो उनको ना, जो थोड़ा बहुत टेक्निकल-नो-हाऊ भी जानें जो देखे कि इस जमाने में क्या-क्या होना जाना और क्या-क्या नहीं होना जाना। यह फलां कुलपति भेज दिया, यह कुलपति भेज दिया। यह कुलपति तो ठीक है, यह कैसे बनते हैं, ये अपन सब जानते हैं। पर भेजें ऐसे जो सब्जेक्ट की नॉलेज तो रखें, ज्ञान तो रखें जो आकर तो बताये हमको कि किस प्रकार की यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, एक। और इसलिये मैं चाहता हूं कि राजस्थान में इन विश्वविद्यालयों की स्थापना हो, राजस्थान में विश्वविद्यालय बनें और राजस्थान में प्राइवेट विश्वविद्यालय आयें, इन सबका अपन को स्वागत करना चाहिए। हम स्वागत करते हैं, आपका साथ देंगे। लेकिन तीन बातें जो मूल रूप से उभर कर आई हैं, उन तीन बातों के लिये सरकार को अपना मानस बनाना चाहिए। पहला सबसे बड़ा काम है, हमारा निगरानी का आयोग, उच्च शिक्षा निगरानी नियामक आयोग जरूर राज्य सरकार को बनाना चाहिए जो इसको रखे, एक। दूसरा इसमें परीक्षा और प्रवेश इनके देने सम्बन्धी काम नियामक आयोग इनको तय करे और हम राज्य के गरीब लोगों को, इंटेलीजेंट बच्चों को, केवल गरीबी के कारण से, पैसे की कमी के कारण से इन क्षेत्रों से बाहर नहीं रह जाएं, इस प्रकार की व्यवस्था भी इनको करनी चाहिए। और आप यह भी बताएं कि इन विश्वविद्यालयों को राज्य सरकार से किसी प्रकार की मदद मिली हो तो। और एक मैं आपको, जब खण्डशः विचार होगा तो सभापति महोदय, एक नियम है हमारे यहां। आपने फटाफट 2 से लेकर 40 तक कोई संशोधन नहीं, पारित नहीं किया जाए, लेकिन खण्डशः विचार में जब हम विचार करते हैं तो हम डिलीट करने के लिये कह सकते हैं और डिलीट करने के कहने के लिये हमको संशोधन देने की आवश्यता नहीं है। हम खड़े होकर उसका प्रस्ताव कर सकते हैं। इसलिये आप जब खण्डशः विचार करें तो मैं यह 11 जो विश्वविद्यालय के अधिकारी हैं, इनमें चैअरपर्सन, प्रसीडेण्ट और प्रो-प्रसीडेण्ट जो हैं, इस सम्बन्ध के अन्दर मैं चाहूंगा, प्रोवोस्ट, अब यह प्रोवोस्ट क्या है। मैं नहीं समझा, आप बता दो क्या होता है प्रोवोस्ट। (व्यवधान) यही तो है चैअरपर्सन अलग है, प्रसीडेण्ट अलग है, प्रो-प्रसीडेण्ट अलग है और प्रोवोस्ट अलग है। प्रोवोस्ट है तो हमारे पास अगर शब्द नहीं हो तो क्या प्रोवोस्ट, आप अंग्रेजी ज्यादा जानती हैं ना..।

डा. (श्रीमती) परम नवदीप सिंह (संगरिया): आपसे कम जानती हूं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): तो प्रोवोस्ट को मैं हनुमानजी से पूछूंगा, फिर वही बता पाएंगे, प्रोवोस्ट।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): इसका अर्थ पप्पू होता होगा, लास्ट वही बचा है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): प्रोवोस्ट का मुझे पता नहीं है। इस बारे यह जो शब्द हम यहां पर डाल रहे हैं, यह एक्ट बनाने की थीम के खिलाफ है। हम कानून जो बनाते हैं ना यह कानून की मंशा के खिलाफ है। कानून बनाते समय अनुवाद के शब्दों को देखते हैं

और कानून में ही इस प्रकार के शब्द आयें, बोलचाल की भाषा में कोई शब्द आ जाए, स्टेशन आ गया, फलाना आ गया, ढीकणा आ गया, वह ठीक है। यह कानून में ही शब्द आयें, यह जो कानून लिखने वाले, इनकी बड़ी-बड़ी डिक्शनरियां पड़ी हैं। मैं डिक्शनरियों का नाम लेता हूं, एक तो डाक्टर विर्की, बहुत बड़ी डिक्शनरी है, जिसमें अंग्रेजी से हिन्दी शब्दों का एक-एक नहीं, 10-10 अनुवाद किया हुआ है। इसी प्रकार यहां भाषा विभाग में कलानाथजी शास्त्री थे उनकी अध्यक्षता में कमेटी बनी थी उस कमेटी ने बहुत सारे शब्दों को किया है। इसलिये शब्द हमारे पास में पर्याप्त हैं। यह गलती जिन्होंने (व्यवधान) पता नहीं क्या, प्रोवोस्ट का क्या हुआ है। तो वह प्रोवोस्ट का तो इसलिये मैं चाहता हूं कि इन शब्दों के बारे में आप पुनर्विचार करें।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): संगरिया से आने वाली माननीय सदस्या, आप बताओ।

डा. (श्रीमती) परम नवदीप सिंह (संगरिया): मैं क्या बताऊं, बड़े बैठे हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): हां, ठीक है, मान लिया। तो इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि इस प्रकार के कानून बनाने वालों को, आपने कैसे मजाक बना दी, कि चाहे जैसे वह करें, फिर अपन उस शब्द को स्वीकार क्यों कर लें। हमारी जब केबिनेट बैठे, केबिनेट में बिल आये तब उन शब्दों को स्वीकार नहीं करें। सभापति महोदय, आपने मुझे समय दिया और मैं 3-4 बातों का मंत्री महोदय से जवाब चाहूंगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।

VPS-AKT- 01.04.2010-16.00-2p

श्री सभापति: श्री ओम बिरलाजी। (अनुपस्थित)

श्री अमरारामजी।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): तीनों पर एक साथ ही। माननीय सभापति महोदय, आज जो निजी विश्वविद्यालय है, मैं समझता हूं कि शिक्षा का व्यावसायीकरण और निजीकरण आज क्योंकि हमारे देश में अनिवार्य शिक्षा का कानून आज, 01 अप्रैल, 2010 से लागू हुआ है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, एक मिनट। यह महामहिम के बारे में जो भी है इसको विलोपित कर देना आप।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): नहीं-नहीं, कैसे कर देना? कौनसे, रूलिंग दिखाता हूं मैं आपको। आप रिजर्व कर लें यह व्यवस्था। आप नहीं-नहीं, ऐसा नहीं आप, अध्यक्ष की व्यवस्था को सभापति नहीं बदल सकते। मैं यह थोड़े ही है, मैं डाक्टर सम्पूर्णानन्दजी के बारे में, यहां पर सतीशचन्दजी द्वारा तीन दिन बहस हुई है। बिहार की विधान सभा में, कैसे कर रहे हो? ऐसे नहीं कर सकते। आप रिजर्व करके देख लीजिए। काट देंगे कैसे? गवर्नर ने दस्तखत नहीं करे। हम यहां चर्चा कर रहे हैं कि गवर्नर ने दस्तखत नहीं करे तो आप काट देंगे? यहां चर्चा कर रहे हैं।

डा. (श्रीमती) परम नवदीप सिंह (संगरिया): आप आसन को धमका रहे हो।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): मैंने गवर्नर को कहा था यहां पर राज्यपाल महोदय जब यहां पर आये तो मैंने यहां पर खड़े होकर कहा था, आप सुन लीजिए।

श्री सभापति: मैं देखकर कर दूंगा। मैं देखकर तो करूंगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): हां, रिजर्व करके आप, हां, रिजर्व करिये ऐसे विषय को आप।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): रिजर्व तो रखें लेकिन नियमों का हवाला जो इसमें दिया हुआ है, पुरानी व्यवस्थाएं क्या हैं, उसको तो जरूर दिखवाइये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): हां, दोनों देखें। नियमों का हवाला देखें।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): हां, जरूर दिखवाइये लेकिन जो नियम हैं, उन नियमों का हवाला दिया है माननीय सदस्य ने, उसको दृष्टिगत रखते हुए वह देखें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): नियमों का हवाला देकर मैंने जो दिया है कि यहां पर विशेषाधिकार हनन पर तीन दिन तक राजस्थान की विधान सभा में राज्यपाल के कंडक्ट पर बहस हुई है, एक। बिहार में बूटा सिंहजी के कंडक्टर पर बहस हुई है। बिहार में जो सिद्धकीजी थे, उनके कंडक्ट पर बहस हुई। राजस्थान के, झारखंड में हुई है। और आज हिन्दुस्तान के इन गवर्नर्स के ऊपर और यहां पर जब महामहिम आये थे, इस विधान सभा मैंने खड़े होकर कहा था, +++ वह राजस्थान की विधान सभा में अंकित है इसलिए सभापति महोदय, इनके केवल व्यक्तिगत आचरण पर हम चर्चा नहीं कर सकते। गवर्नर के नाते, जब वे गवर्नर बन जाते हैं और जब राष्ट्रपति शासन होता है तो उनकी सीधी आलोचना होती है। अपन धन्यवाद प्रस्ताव उनके नाम से देते हैं, राज्यपाल के नाम से। राज्यपाल का अपने को धन्यवाद आता है। अपना संवाद होता है राज्यपाल के बीच में इसलिए राज्यपाल पर यहां चर्चा हो सकती है।

श्री सभापति: मैं देखकर करूंगा। श्री अमराराम।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): देखकर ही नहीं माननीय सभापति महोदय, एक और उदाहरण देता हूं यहां पर जब वह धर्म परिवर्तन वाला विधेयक आया था न उस पर जब बहस हुई थी, उस समय भी मैंने यहां पर राज्यपाल के शब्दों के बारे में कहा था और सी.पी.जोशीजी ने यह व्यवस्था का प्रश्न उठाया था और फिर स्पीकर ने व्यवस्था दी थी कि नहीं, यह शब्द रहेंगे। मैंने यह कहा था कि राज्यपाल ने दस्तखत नहीं किये और यह मैंने उठाया था यहां पर इसलिए राज्यपाल के ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: नहीं, अपन नहीं कर सकते। देख लूंगा। देख लेंगे।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): माननीय सभापति महोदय, तय रूप से आज जहां शिक्षा का अनिवार्य कानून लागू हुआ है और हमारी विधान सभा निजी विश्वविद्यालयों का कानून लेकर हमारे मंत्रीजी आये हैं। मैं समझता हूं कि आज राजस्थान शिक्षा के मामले में,

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

पूरे देश में हमारी गिनती नीचे से होती है। जनसंख्या वृद्धि में जरूर हमारा नम्बर पहला है लेकिन शिक्षा के मामले में हमारा नीचे से है और उन अशिक्षित, कुछ मुट्ठीभर लोगों को इस शिक्षा को व्यवसाय बनाकर मैं समझता हूं कि आज से पहले कुछ लोग थे, जो इस शिक्षा को निजी हाथों में या अनुदानित शिक्षा के माध्यम से भी शिक्षा को बढ़ाने के लिए कुछ संस्थाएं थीं, कुछ लोग थे लेकिन आज जो विश्वविद्यालय के रूप में लेकर आ रहे हैं माननीय सभापति महोदय, हमारा अनुभव क्या है राजस्थान का? चार सौ से अधिक पूर्ववर्ती सरकार ने, जितनी शायद 60 साल में राजस्थान में महाविद्यालय, सरकारी महाविद्यालय नहीं खुले, पाँच साल में चार सौ से ज्यादा बी.एड., निजी महाविद्यालय खोले और उनकी शायद राजस्थान विश्वविद्यालय ने उनकी मान्यता में जितने मापदंड रखे थे उनकी एक कमेटी बनाकर जांच करवायी। चार सौ से ज्यादा जो बी.एड. कॉलेज, निजी महाविद्यालय थे उनमें से मात्र 30 या 32 ऐसे थे जिनके भवन, खेल मैदान, शिक्षक, सब अगर मापदंड देखें तो 400 से ज्यादा हैं, उनमें से केवल मात्र 30 या 32 महाविद्यालय थे, बहुत से महाविद्यालय तो ऐसे थे जो एक कमरे में चलते हैं, केवल एडमिशन लेते हैं और परीक्षा दिलवाकर केवल डिग्री बांटते हैं और यह हालत जो राजस्थान में अभी माननीय सदस्य कह रहे थे कि हमें बड़ा फख्र है कि इस राजस्थान की विधान सभा में पहला निजी विश्वविद्यालय का बिल पायलट करने का मुझे सौभाग्य हुआ। मैं समझता हूं कि इससे बड़ा और दुर्भाग्य क्या होगा? यह जिम्मेदारी शिक्षा देने की प्राथमिक से लेकर उच्च प्राथमिक और हायर एजुकेशन तक सरकार की जिम्मेदारी है और सरकार यह कह कर पिंड नहीं छुड़ा सकती कि सरकार के पास संसाधन नहीं है।

मैं समझता हूं कि कुछ लोगों को इस कमाई के माध्यम से, आज हालत क्या है राजस्थान में? सबसे बढ़िया अगर कोई व्यवसाय है तो शिक्षा और निजी चिकित्सालय। आज चाहे वह दुर्लभ जी हो या दूसरे कोई हो, आज जहां हम जिनको कह रहे हैं कि हम टोकन मनी पर लेकर दिया था। माननीय सभापति महोदय, उदाहरण है यही गोपालपुरा के पास बिड़ला को, जिसकी पिलानी की बात कर रहे हैं, इसी जे.डी.ए. ने 103 बीघा जमीन इस शर्त के साथ दी थी, इसी जयपुर में गोपालपुरा बाइपास के पास 103 बीघा कि वह हार्ट हॉस्पिटल बनाएगा। 14 साल हो गये। जिसमें कोई हार्ट हॉस्पिटल की तो बात छोड़िये, ए.एन.एम. भी नहीं है। यहां केवल एक, 103 बीघा जमीन जहां आज जयपुर में जमीन की कीमत है एक वर्ग गज जमीन की कीमत है एक लाख रुपया, वहां 103 बीघा जमीन, केवल हार्ट हॉस्पिटल के नाम से दी गयी। जो शर्तें जे.डी.ए. ने लगायी थीं एक भी शर्त पूरी नहीं हुई लेकिन किसी सरकार की हिम्मत है कि वह जमीन, हजारों-करोड़ की जमीन सरकार वापस ले ले।

माननीय सभापति महोदय, इस व्यवसाय को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अब पचेरी कला, पूर्ववर्ती सरकार ने एक झुन्झुनूं की पचेरी कला का एक विश्वविद्यालय का कानून पास करके शुरू किया था। हजारों, 40, 43 हजार विद्यार्थियों को चीट किया। एम.एड. की कोई उसको मान्यता नहीं यू.जी.सी. से। उसके बाद में एडमिशन लिये, परीक्षाएं दिला दीं,

रिजल्ट निकाल दिया और उनको कोई मान्यता नहीं है। आज जो हालत कर रखी है, मैं समझता हूं कि आज क्या हालत है? केवल एक मात्र मेडिकल कॉलेज है, महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज राजस्थान में। यह अब पूरा सदन में आ गया, मैं इस पर ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहता। जिन्होंने पी.एम.टी., आर.पी.एम.टी. पास नहीं की उनको लाखों रुपये लेकर गैर कानूनी तरीकों से एडमिशन दे दिया। आई.जी. ने कर दिया। आज क्या हालत है? जो निम्स विश्वविद्यालय, 23 विद्यार्थी, उस निम्स विश्वविद्यालय का जो दर्जा हमने पूर्ववर्ती सरकार में दिया, 23 विद्यार्थी थे जिन्होंने कहा कि हम दो साल तक राजस्थान विश्वविद्यालय से परीक्षा दे रहे थे, हम उसी से देंगे। 23 के 23 विद्यार्थियों को होम एग्जाम में, फेल है इसलिए आज जो व्यवसाय के रूप में कर रहे हैं और अभी हमारे प्रतिपक्ष के उप नेता महोदय कह रहे थे कि सीकर का विश्वविद्यालय है, मैं समझता हूं कि पूर्ववर्ती सरकार की भी मंशा थी नहीं वरना वे ही राज्यपाल जिन्होंने निजी विश्वविद्यालय के कानून पर तो दस्तखत कर दिये और सीकर, अलवर और भरतपुर के विश्वविद्यालय पर क्योंकि वह पूर्ववर्ती सरकार भी नहीं चाहती थी कि उस शेखावाटी में विश्वविद्यालय खुले इसलिए आखरी बजट सत्र में घोषणा की। अब कब होगा मुझे पता नहीं लेकिन आज भी वहां केवल जो शेखावाटी, सबसे ज्यादा शिक्षा में मैं समझता हूं कि झुंझुनूं जो ...(व्यवधान)...

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): हमने तो ओ.एस.डी. भी नियुक्त कर दिया था।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): आज भी बैठा है। आज भी बैठा है। कालीचरणजी, वह ओ.एस.डी. जे.एम.जेठाला, आज भी बैठा हुआ है लेकिन विश्वविद्यालय नहीं है। ...(व्यवधान)...

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): विश्वविद्यालय नहीं है तो यह तो ...(व्यवधान)...

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): आप आज जो निजी विश्वविद्यालयों के कानून, पचेरी का कानून ला सकते हैं, निम्स के लिए कानून ला सकते हैं, लाकर यहां पास कर दिये, राज्यपाल ने दस्तखत भी कर दिये ...(व्यवधान)...

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): नहीं किये तो इसका तो क्या इलाज था हमारे पास?

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): नहीं, आपके पास सब इलाज था। राज्यपाल अगर रिटर्न करता है तो केबिनेट वापस अगर उसको संशोधन करके भेजती है तो राज्यपाल इस बात के लिए बाध्य है कि उसको दुबारा ...(व्यवधान)...

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): नहीं-नहीं, उन्होंने रिटर्न नहीं किया। अमरारामजी, उन्होंने रिटर्न नहीं किया, उन्होंने अपने पास रख लिया। भेजा ही नहीं। ...(व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): रिटर्न किया, अपन ने ठीक करके भेजा है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): नहीं-नहीं, रिटर्न किया उन्होंने। उन्होंने रिटर्न किया और रिटर्न में जो उन्होंने सुझाव दिये थे उन सुझावों को मानकर, उनको स्वीकार करके वापस भेज दिया तो फिर भी दस्तखत नहीं किये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): मान लिया अपन ने फिर भी नहीं किये दस्तखत।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): हमारी नीयत में खोट नहीं था, खोट तो उधर है।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): खोट इधर भी थी और इधर भी थी।

माननीय सभापति महोदय, इसलिए उस शेखावाटी के साथ अन्याय हुआ, मैं समझता हूं कि यह निजी विश्वविद्यालय, जिस तरह से लूटने की छूट देंगे, चाहे वह अस्पताल की आज संतोकबा दुर्लभ जी की आप बात कर रहे हैं, आज राजस्थान, मैं समझता हूं कि इसी राजधानी में जो निजी विद्यालय हैं उनकी क्या हालत है? हम कोई भी निर्देश दे दें, वे मानने के लिए तैयार नहीं हैं। आज जिस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में लूट करने का काम किया है माननीय सभापति महोदय, आज उनकी ही हालत नहीं है, हमारे खुद के विश्वविद्यालयों की हालत यह है कि आज जोधपुर विश्वविद्यालय, जोधपुर में विश्वविद्यालय है लेकिन जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही तक के बच्चों को अजमेर विश्वविद्यालय में आना पड़ता है, जोधपुर विश्वविद्यालय में है।

शिव/अरूण/1.4.2010/16.10/2q

आज क्या हालत है जोधपुर में पाँच विश्वविद्यालय हैं, बीकानेर में तीन विश्वविद्यालय हैं और शेखावाटी, जो शिक्षा में सबसे अग्रणी है, वहां एक भी विश्वविद्यालय नहीं है। इसलिये वहां के विद्यार्थियों को आज भी जो जोधपुर में जयनारायण विश्वविद्यालय है, वह केवल कैम्पस का है, उसके बाहर जोधपुर जिले में जो महाविद्यालय हैं, उनका एफीलेशन अजमेर विश्वविद्यालय के साथ है। इससे ज्यादा और क्या घोर अन्याय होगा? इसलिये सभापति महोदय, मैं तो आपके माध्यम से कहूंगा यह जो कानून लेकर आये हैं, कुछ लोगों के लिये व्यवसायीकरण, और निश्चित रूप से जब व्यवसायीकरण होगा तो कुछ मुट्ठी भर लोग, जिनका पहले भी अधिकार रहा है, उस शिक्षा पर पहले भी अधिकार रहा है, आगे भी यह करके और पुख्ता अधिकार कर देंगे और कुछ लोगों को, यह मैं समझता हूं टेलेन्ट की बात करते हैं तो जब तक सरकार के विश्वविद्यालय नहीं होंगे, सरकार खुद नहीं करेगी तो प्रोविजन भले ही कर दें, कोई भी निजी विश्वविद्यालय, सही कर रहे थे उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य, जब यह कानून पास हो जायेगा तो वह किसी को भी तवज्जो देने वाले नहीं हैं। इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं और राजस्थान विश्वविद्यालय में जिस तरह की घालमेल हो रही है, आज क्या हालत है? हमारे विश्वविद्यालयों में जो आज पद रिक्त हैं, हमारी सरकार जानबूझकर इस सोच के साथ वहां प्रोफेसर के, लेक्चरर्स के पद इसलिये नहीं भरती जिस तरह से हमारे महाविद्यालयों में नहीं भरे जाते, आज राजस्थान के विद्यालयों में

एक लाख पच्चीस हजार पद इसलिये रिक्त हैं कि वो अभिभावक मजबूर होकर निजी विद्यालयों में अपने बच्चों को भेजें। यही हालत आज उच्च शिक्षा में हैं चाहे महाविद्यालय हैं, चाहे विश्वविद्यालय। आज एक भी महाविद्यालय या विश्वविद्यालय ऐसा नहीं है, जहां प्रोफेसर पूरे हों। क्योंकि सरकार की मानसिकता ही यह है कि अगर पद खाली होंगे तो अभिभावकों को मजबूर होकर उन निजी विश्वविद्यालयों में भेजना होगा। इसलिये मैं इसका घोर विरोध करता हूं। जहां तक आम सार्वभौमिक शिक्षा, जो कानून सार्वजनिक शिक्षा के लिये बना है, अगर हम चाहते हैं कि इसको मजबूत किया जाये, बुद्धिमान लड़कों को उच्च शिक्षा मिले, तो सरकारी होना चाहिये। आपने समय दिया बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री पेमाराम जी। माननीय जितेन्द्र सिंहजी।

डा. जितेन्द्र सिंह (उच्च शिक्षा मंत्री): माननीय सभापति महोदय, चार यूनिवर्सिटीज के विषय में बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा हुई और माननीय डिप्टी लीडर ऑफ अपोजिशन ने, उदयपुर से आने वाले सीनियर मैम्बर कटारिया साहब, तारानगर से आने वाले हमारे माननीय सदस्य, राजेन्द्र राठौड़ साहब, मेरे स्वयं के जिले से पधारने वाले दांतारामगढ़ से माननीय अमराराम जी, माननीय कालीचरण जी ने अपने बहुत वेल्यूएबल विचार रखे। सभापति महोदय, being a doctor, I can say that the God has provided grey matter equally. He may be a son of a king or he may be a son of a farmer. जब भगवान ने बुद्धि का निर्माण किया तो चाहे गरीब किसान का बेटा था, चाहे किसी शंहशाह का बेटा था, इसमें फर्क नहीं किया और माननीय सभापति महोदय, this is the example that कालीदास निपट मूर्ख थे और कालीदास जी को जब उनकी पत्नी ने प्रताड़ित किया, उसी कालीदास ने अभिज्ञान शांकुतलम् और मेघदूत जैसी रचनाएं कीं। This is suggestive that भगवान ने जो ब्रेन दिया इक्वल दिया है, लेकिन उसको कल्टीवेट कैसे करें, बच्चे का दिमाग तो आटे की तरह है, उसको जो भी रूप देना चाहेंगे, दे देंगे। जैसे शिल्पकार मूर्ति को रूप देता है। माननीय सभापति महोदय, अच्छे इंस्टीट्यूशंस जहां आयेंगे, तो स्पर्धा होगी और माननीय डिप्टी लीडर ऑफ अपोजिशन, मैं आपको बताना चाहूंगा। माननीय अमराराम जी साहब भी जानते हैं, मैं 10-11 साल पहले हायर एजूकेशन मिनिस्टर था, मेरे पास एक सज्जन आये और उन्होंने कहा मेरा बग्गड़ में गर्ल्स कालेज है, उनका ऑल राजस्थान एथलेटिक फंक्शन हो रहा है, आप वहां पधारे। मैं वहां गया। जाहिर है शेखावाटी के कालेज होंगे तो बड़े सेठों के होंगे, तो मैंने वहां देखा। उनका कार्यक्रम बड़ा शानदार था, बड़ा सुंदर भवन था। मैंने पूछा सेठजी, क्या करते हो? बोले डॉक्टर जी, कलकत्ता में एक परचूनी की दुकान है। मैं एकदम स्तब्ध रह गया। मैंने कहा इतना बड़ा भव्य कालेज आपने बना रखा है। उसकी आंखों में आंसू आ गये। उसने कहा डॉक्टर जी मेरी घरवाली के कैंसर हो गया और वह मरती मरती बोली कि न मैं पढ़ी, न आप पढ़े, काफी सेठों ने कालेज बनवा दिये, आप भी बनवा दो। मैंने डॉक्टर साहब, उसकी याद में यह कालेज बनाया है। माननीय सभापति महोदय, This reflects कि आज शेखावाटी का जो गरीब व्यक्ति भी है, यह तो मजबूरी है कि आज कालेज

खोलने के लिये, विश्वविद्यालय खोलने के लिये अर्थ चाहिये, पैसा चाहिये। आप सही है अमराराम जी साहब जो फरमा रहे हैं He is not wrong. गवर्नमेंट कॉलेजेज के अंदर मुझे गर्व है कि मैं राजस्थान विश्वविद्यालय के एस.एम.एस.मेडिकल कॉलेज से था, घनश्याम जी को गर्व है कि आप एस.के.कॉलेज सीकर से पढ़े हैं। बहुत सारे हमारे ऑनरेबल मैम्बर बैठे हैं, जो मिनिस्टर भी रहे हैं। राजेन्द्र राठौड़ मिनिस्टर रहे हैं, आप राजस्थान युनिवर्सिटी के प्रेसीडेंट रहे हैं। दो हमारे साथी केकड़ी से आने वाले रघु शर्मा और प्रतापसिंह जी राजस्थान युनिवर्सिटी के प्रेसीडेंट रहे हैं। और भी बहुत सारे बैठे हुए हैं जो डिफरेंट हैं। हमारे जो गवर्नमेंट कॉलेजेज हैं, गवर्नमेंट कालेजेज का जो इन्फ्रास्ट्रक्चर है, विश्वविद्यालय का इन्फ्रास्ट्रक्चर है, वह कमजोर है। आज भी जो दुनिया की टॉप लेवल टीम माननीय सभापति महोदय, आपको बताना चाहूंगा डॉक्टर कुली, जोकि बाई-पास सर्जरी के वर्ल्ड में रिकार्ड है उनका, उनकी फिफ्टी पर्सेंट जो बाई-पास सर्जरी की टीम है, वह एस.एम.एस.मेडिकल कालेज जयपुर की है। इसलिये हमारे आउटपुट आ रहे हैं, हमारे जो छात्र आ रहे हैं, जो इसरो का ग्राउंड कंट्रोल हैड है, वह मेरे विधान सभा क्षेत्र का रहने वाला है डॉ.एस.पॉल, वह पूरे इसरो, बैंगलोर का he is heading. वह पारीक है। He is Head of the Ground Control Unit. और जिसने अपना फर्स्ट सेटेलाइट बनाया था और उसके अंदर डॉ. रामरतन, वह भी मेरे विधान सभा क्षेत्र का है, जिसने 800 किलोमीटर से नीचे कैसे फोटोग्राफी की जा सकती है, वह लालटेन की बत्ती में बैठकर, उसने पिलानी से एम.टैक किया था। And he is heading at Ahamdabad. आज की तारीख में, सभापति महोदय, आई.ए.एस., आप रिकार्ड उठाकर देख लीजिये, 70 प्रतिशत, सब ग्रामीण क्षेत्र के हैं। कोन्वेंट कॉलेजेज के स्टूडेण्ट का और उनका रेशो देख लीजिये, बहुतायत में हमारे स्टूडेण्ट्स हैं।

माननीय डिप्टी लीडर ऑफ अपोजिशन, मैं आपको बताना चाहूंगा। आप तो हायर एजूकेशन के मिनिस्टर रहे हुए हैं। माननीय अमराराम जी साहब, आपको भी बताना चाहूंगा कि आज हमारे बच्चे पढ़ने के लिये हर घर के पेरेंट्स यह कहते हैं कि बेटा डॉक्टर बन जा, इंजीनियर बन जा, आई.आई.टीयन बन जा, आई.ए.एस. बन जा, आर.ए.एस. बन जा। बहुत पूअर है सर, बहुत बुरी हालत है तो फर्स्ट टाइम, हम लोगों ने इंट्रोड्यूज किया है कि हमारे हमारे जो 126 गवर्नमेंट कालेजेज हैं जिनमें साइंस है, उनमें साइंस खुले। इसी सत्र से पी.एम.टी., पी.ई.टी. एण्ड एडमिनिस्ट्रेटिव की कोचिंग क्लासेज चालू की है वहां पर कि हमारे बच्चों को फायदा मिले। ..(व्यवधान)..

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): वहां साइंस के टीचर नहीं देकर उस बच्चे का भविष्य और बिगाड़ोगे। पहले हमने यह किया, हमने साइंस खोली। सालभर में एक टीचर भी नहीं था। उस बच्चे का भविष्य बिगाड़ दिया।

डा. जितेन्द्र सिंह (उच्च शिक्षा मंत्री): We will do.

साइंस सब जगह नहीं थी। हम जहां जहां सब्जैक्ट नहीं है, हम इतना ही खोल रहे हैं जितनी हमारी पॉकेट है। हम हमारे बजट के हिसाब से, अभी भी हम 11 जगह साइंस खोल

रहे हैं और 6 जगह कॉमर्स खोल रहे हैं Along with budget and lecturers. उसके लिये नहीं खोल रहे, वह सबके लिये खोल रहे हैं। आपका कहना बिल्कुल सही है, इसलिये हम नये कालेजेज क्यों नहीं खोल रहे हैं, पुराने कालेजेज को स्ट्रेन्थन नहीं करेंगे। दूसरा, सभापति महोदय, ..(व्यवधान)... मैं उसी सब्जैक्ट पर आ रहा हूं। आपकी उसी बात पर मैं आ रहा हूं कि हमारे बच्चों का क्या भविष्य हो। हमारे शेखावाटी के अंदर और राजस्थान के अंदर, माननीय सभापति महोदय, टोटल इंडियन आर्मी की स्ट्रेंथ 15 लाख है. Three lakh students are from Rajasthan. और उसमें झुंझुनूं, सीकर यह जिले हैं तो इसी सत्र से युनिवर्सिटी में डायरेक्शन देकर मिलिटरी साइंस सब्जेक्ट चालू कर रहे हैं। यह गवर्नमेंट युनिवर्सिटीज की बात बता रहा हूं, प्राइवेट की नहीं बता रहा हूं दांतारामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य। यह मैंने एक इन्फ्रास्ट्रक्चर बताया है आपको, बाकी मैं इस पाइंट पर इसलिये आ रहा हूं कि अपनी चर्चा हो गयी थी कि गवर्नमेंट युनिवर्सिटी में सरकार क्या कर रही है और प्राइवेट में क्या कर रही है। माननीय सभापति महोदय, जैसाकि माननीय डिप्टी लीडर ऑफ अपोजिशन ने कहा कि यह विश्वविद्यालय हैं, इनमें गवर्नमेंट का क्या योगदान है?

pcs-Akt-01.04.2010-16.20-3a

मैं आपसे अर्ज करना चाहूंगा कि ये जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, ये स्वयं अपने सोर्सेज से बनी हैं और गवर्नमेंट ने इनको अपनी ओर से कुछ भी प्रोवाइड नहीं किया है और इन्होंने लैण्ड अपनी ली है। जो हमारी रिक्वायरमेंट है सर, तीस एकड़ लैण्ड मिनीमम एक यूनीवर्सिटी के लिए चाहिए और गवर्नमेंट की अपनी खुद की जो मनी है दो करोड़ रुपये डिपोजिट रहते हैं गवर्नमेंट के पास और म्युनिस्पल प्रिमिसेज होते हैं उनको दो करोड़ और आउट साइड रूरल में होते हैं उनसे एक करोड़ लेते हैं। लाइब्रेरी के लिए अलग से दस लाख रुपये के फण्ड की उनको बुक्स रखनी चाहिए। तो यह इनिशियल स्ट्रक्चर है और जब यह इनिशियल स्ट्रक्चर जब हो जाता है तो हमारे पास प्रोसेस है, सभापति महोदय, कि जो टीम हमारे यहां से जाती है, वह एल ओ आई जारी करती है। वह उनका सारा इन्फ्रास्ट्रक्चर देखकर और राज्य सरकार के जो प्रावधान हैं नियंत्रण सम्बन्धी 8, 29, 30 ,34, 35, 39, 44 यह एन्डोमेंट फण्ड के रूप में जो राशि है वह परमानेंट गवर्नमेंट के पास में रहती है। विश्वविद्यालयों के परिनियमों का राज्य सरकार से अनुमोदन कराना, विश्वविद्यालय के अध्यादेश राज्य सरकार से अनुमोदन कराना, परीक्षा अनुसूची के अनुरूप परीक्षाएं नहीं कराये जाने पर राज्य सरकार को विश्वविद्यालय को निर्देश जारी करने की शक्ति परीक्षा परिणाम अन्तिम तारीख से तीस दिन के अन्दर घोषित नहीं करने पर विश्वविद्यालय को निर्देश, विश्वविद्यालय के वार्षिक प्रतिवेदन राज्य सरकार को प्रस्तुत करना, वार्षिक लेखे एवं बैंलेंस शीट राज्य सरकार को प्रस्तुत करना, राज्य सरकार को विश्वविद्यालय का निरीक्षण करने की शक्ति, राज्य सरकार को विश्वविद्यालय से सूचना मंगवाने की शक्ति, विश्वविद्यालय में वित्तीय अव्यवस्था और कुप्रशासन के आधार पर विश्वविद्यालय की जांच कराने की शक्ति।

सभापति महोदय, उप नेता प्रतिपक्ष ने जो पाइन्ट्स बताये थे उसमें सेकिण्ड था कि इस प्राइवेट यूनिवर्सिटी पर आखिर सरकार का क्या कन्ट्रोल रहेगा। दाता रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने भी यही कहा। अधिकतर ने, तारा नगर से आने वाले माननीय सदस्य ने भी यही कहा कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के ऊपर गवर्नमेंट का क्या कन्ट्रोल रहेगा और उनके सब्जेक्ट्स क्या हैं। सभापति महोदय, ये जो विश्वविद्यालय आयेंगे, अगर ये पचास-पचास करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट करेंगे, अगर वे स्पर्धा में नहीं ठहरे, आज हमारे अन्य स्टेट, जैसा कि सम्मानीय काली चरणजी साहब कह रहे थे कि महाराष्ट्र में, कर्नाटक में हमसे पचास साल ज्यादा एडवांस हैं, वे राज्य प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के मामले में। वहां हिन्दुस्तान की ही नहीं, एशियन स्टेण्डर्ड यूनिवर्सिटीज हैं और आज राजस्थान में जबसे प्राइवेट सेक्टर का हब स्टार्ट हुआ है अच्छे अच्छे विश्वविद्यालयों का तो वे सब दौड़ दौड़ कर यहां आ रहे हैं और हमारे स्टूडेन्ट्स का माइग्रेशन बन्द हो गया है। आज उप नेता प्रतिपक्ष, जो हमारे स्टूडेन्ट्स जाते थे कर्नाटक, महाराष्ट्र, वे सब यहां रुकने लग गये। चाहे वे मैडिकल कालेज खुले हों, चाहे इंजीनियरिंग कालेज खुले हों, प्राइवेट सेक्टर के अन्दर, और प्राइवेट सेक्टर के अन्दर भी रेगुलेटरी मैकेनिज्म उनकी स्ट्रक्चर के बारे में, the working of the university, control of their fee, सरकार को पता था इस बारे में तो गवर्नमेंट ने एक समिति का गठन किया है headed by Vice-Chancellor of Rajasthan University और 30.06 तक वे अपनी रिपोर्ट इसमें देंगे। जो वेल्युबल मेरे पास इन्फारमेंशंस आई हैं, that I will include into that. I will also recommend and I will also suggest regarding all the important, जो भी आपने सजेशंस दिये हैं, बहुमूल्य सजेशंस दिये हैं, मैं समझता हूं कि जब स्पर्धा होगी तब बैटर रिजल्ट्स आयेंगे। आज एच आर डी डिपार्टमेंट बोल रहा है कि बाहर के विश्वविद्यालय आयें भारत के अन्दर। जब तक निवेश नहीं होगा। दांतारामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि यह मैडिकल और यूनिवर्सिटी जो प्राइवेट सेक्टर की एजुकेशन है, इसमें पैसा होगा, पैसा आ गया। मैं गलत नहीं कर रहा. They are turning into industries. They are turning into industries, Sir, but we cannot check it. But we are controlling. आप गलत नहीं कह रहे हैं मैं एग्री करता हूं आपसे लेकिन with better results. पहले बाई पास सर्जरी सिर्फ बाम्बे हास्पीटल में होती थी या ह्यूस्टन में होती थी। आज अकेले जयपुर में आधा दर्जन हास्पीटल्स में बाई-पास सर्जरी होती है और माननीय दांतारामगढ से आने वाले माननीय सदस्य, आज जयपुर में चीपेस्ट बाई-पास सर्जरी होती है। इंग्लैण्ड में 20 लाख रुपये लगते हैं, यहां सिर्फ एक लाख रुपये में बाई-पास सर्जरी होती है। एस.एम.एस.में 60 हजार में ही हो जाती है। तो आज ऐसा नहीं है आज कहने का मतलब है कि स्पर्धा हो गयी। जब स्पर्धा होगी, जब काम्पीटिशन होगा और अगर अच्छे नम्बर्स नहीं आयेंगे, यदि युनिवर्सिटी को सरवाइव करना है, प्राइवेट सैक्टर में इन विश्वविद्यालयों को सरवाइव करना है, they will come out with अच्छे सब्जेक्ट से, हमारे जो भी बच्चे प्राइवेट सैक्टर में जायेंगे और उनके पास अच्छे सब्जेक्ट नहीं होंगे तो कोई पढ़ने के लिये नहीं भेजेगा, अगर कोई काम्पीटेंट युनिवर्सिटी नहीं

होगी। आज अगर मैं इसी युनिवर्सिटी की बात करूं, बिगोदना की, सेठजी का एग्जाम्पल इसलिये दे रहा था, सेठजी का एग्जाम्पल मैंने इसलिये ही दिया था। यह शिक्षा के साथ जो यह चलकर आ रहा है, वह यहां पर जब तक जिंदा नहीं रह सकता, जब तक कि वह अपने बैटर रिजल्ट्स नहीं देते, क्योंकि उनको टीचर्स तो एक्सीलेंट ही रखने पड़ेंगे। आज हमारे शेखावाटी के लोगों ने यहां पर आकर इंजीनियरिंग कालेज खोल लिये। मैंने जा-जाकर उन इंजीनियरिंग कालेजेज को देखा है और they are few of the best engineering colleges in Jaipur जिनका कोई काम नहीं था, कोई लेना-देना नहीं था शिक्षा से, इसलिये मैं समझता हूं कि इन्फ्रास्ट्रक्चर है और इन्फ्रास्ट्रक्चर में अच्छे टीचर्स नहीं होंगे, क्योंकि सरवाइव तो तभी होगा जब अच्छे स्टूडेण्ट्स निकलेंगे और उनको अच्छा प्लेसमेंट मिलेगा। तो मेरा आपसे आग्रह है कि आपने जो महत्वपूर्ण बिन्दु बताये हैं...

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): ...(व्यवधान)... विश्वविद्यालय खोलें, अच्छी बात है, हमारे बच्चे यही पढ़ेंगे, बाहर नहीं जायेंगे। कम खर्चे में पढ़ेंगे पर अलवर, भरतपुर और सीकर के विश्वविद्यालयों का क्या हुआ, उनके लिये भी कृपा करें। पूर्वी राजस्थान उपेक्षित है आपके द्वारा, कोई भी सरकार आई है 62 साल में, पूर्वी राजस्थान में अलवर, भरतपुर, धौलपुर और सीकर जैसे एरिये की उपेक्षा की गई है। आप कृपा करें वहां भी अनुमति दें और उसका विधेयक लाकर उनको फिर से चालू करें। विधेयक पहले रखा हुआ है, ओ.एस.डी. बैठे हुए हैं। अलवर, भरतपुर और सीकर के विश्वविद्यालयों के बारे में बतायें कि करना है कि नहीं करना है, आपकी नीयत है या नहीं है, आपकी नीयत नहीं है तो भी आप बता दें और नीयत है तो भी बता दें। इस बारे में खुलासा करे।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, बिराजें।

डा. जितेन्द्र सिंह (उच्च शिक्षा मंत्री): सभापति महोदय, दांतारामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने फैक्चुअल पोजीशन बताई थी। शेखावाटी विश्वविद्यालय, भरतपुर और अलवर के बारे में, उस समय एक एक करोड़ रुपये और ओ.एस.डीज. रखे गये थे और मैं समझता हूं, that was at the end of the House. लास्ट हाउस होगा, जिस समय यह डिक्लयर किया गया था। एक एक करोड़ में तो मैं नहीं समझता, सभापति महोदय, ...(व्यवधान).... मैं उसी पर आ रहा हूं। मैं यह अर्ज कर रहा हूं कि उसी समय यह बजट एक करोड़ की जगह पचास करोड़ कर देते तो हमारे सिर पर तो नहीं छोड़कर जाते।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): मैं आपको यह भी याद दिला दूं इन्होंने जाते जाते दो युनिवर्सिटीज खोली थी कोटा और बीकानेर, उसमें यह श्रीमानजी एक एक लाख रुपये देकर गये थे, वह तो हमने खोल दी और एक एक करोड़ रुपये देकर गये तब भी आपने नहीं खोली।

डा. जितेन्द्र सिंह (उच्च शिक्षा मंत्री): सर, ऐसा है ...(व्यवधान)...

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): वह बात कांग्रेस और बीजेपी की नहीं होती, जैसे आप दोनों को एक एक लाख रुपये देकर गये तो हमने तो खोली। हम एक एक करोड़ देकर गये, उनको तो खोलो। ... (व्यवधान)...

डा. जितेन्द्र सिंह (उच्च शिक्षा मंत्री): मैं आपको यह अर्ज करना चाहूंगा।...(व्यवधान)..

श्री सभापति: माननीय सदस्य बिराजिये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): माननीय मंत्रीजी, हमारे पर बहुत कृपा कीजिये, कांग्रेस-बीजेपी मत कीजिये। कोई पक्ष-विपक्ष मत कीजिये। आपके विश्वविद्यालय खुलना चाहिये कि नहीं खुलना चाहिये टीकाराम जी जूली साहब, ...(व्यवधान)...

श्री गंगाजल मील (सूरतगढ़): दूसरे विश्वविद्यालय खोलने से पहले बीकानेर का जो एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय खोला है, उसमें स्टाफ ही नहीं है, पहले उसमें स्टाफ तो लगाओ। नये विश्वविद्यालय मांग रहे हो आप। वहां स्टाफ तो पूरा करो साहब।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): आपके यहां यदि खुलता है तो मुझे आपत्ति नहीं है, पर हमारे पूर्वी राजस्थान की उपेक्षा हो रही है। बात इतनी है, आप बताइये, आप खड़े होकर समर्थन करिये, यह मेरा कहना है।

डा. जितेन्द्र सिंह (उच्च शिक्षा मंत्री): माननीय सभापति महोदय, आपने जो फरमाया युनिवर्सिटीज के बारे में, उस समय ओर्डिनेंस भी जारी नहीं हुआ था। हमारी सरकार उस पर पुन: विचार कर रही है और वह मैटर पेंडिंग है। ऐसा नहीं है कि matter is closed. मैं माननीय सभापति महोदय, मैं पूरे हाउस से रिक्वेस्ट करूंगा, निवेदन करूंगा पक्ष और प्रतिपक्ष से और आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि श्रीधर विश्वविद्यालय, बिगोदना विधेयक, 2010 को विचारार्थ लिया जाये।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि श्रीधर विश्वविद्यालय बिगोदना, झुन्झुनूं विधेयक, 2010 को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाए?

(अस्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया।

प्रश्न यह है कि श्रीधर विश्वविद्यालय बिगोदना, झुन्झुनूं विधेयक, 2010 को प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाए?

(अस्वीकृत)

विधेयक को प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

Msr/usc/1630/3b/01042010/अशोतिधत प्रति/प्रकाशनार्थ नहीं

खण्डश: विचार

खण्ड-2 से 48 – कोई संशोधन नहीं प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से 48 स्वीकार किये जाय?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): डिलीट करने के लिए ग्यारहवां।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): सभापति जी, मुझे बोलना है।

श्री सभापति: माननीय उप नेता महोदय।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): चलो छोड़ देता हूं। ...(व्यवधान)... नहीं बोल सकता हूं डिलीट करने के लिए।

श्री सभापति: माननीय उप नेता महोदय, आप तो ज्यादा नियमों की सब ज्यादा जानकारी जानते हो।

खण्ड-2 से 48 – कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से 48 स्वीकार किये जाय?

(स्वीकृत)

कि खण्ड-2 से 48 स्वीकार किये गये।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): सभापति जी, मैं बोलना चाहता हूं।

श्री सभापति: अनुसूची 1 व 2 – कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि अनुसूची 1 व 2 स्वीकार की जाय?

(स्वीकृत)

अनुसूची 1 व 2 स्वीकार की गई।

खण्ड-1 अधिनियमन, सूत्र, नाम आदि – कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-1 अधिनियमन, सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाय?

(स्वीकृत)

खण्ड-1 अधिनियमन, सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): सभापति जी, मैं बोलना चाहता हूं इस पर।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि एन.आई.आई.टी. विश्वविद्यालय, नीमराना (अलवर) विधेयक, 2010 को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाय?

(अस्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि एन.आई.आई.टी. विश्वविद्यालय, नीमराना (अलवर) विधेयक, 2010 को प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाय?

(अस्वीकृत)

विधेयक को प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

विधेयक पर विचार

एन.आई.आई.टी. विश्वविद्यालय, नीमराना (अलवर) विधेयक, 2010

प्रश्न यह है कि एन.आई.आई.टी. विश्वविद्यालय, नीमराना (अलवर) विधेयक, 2010 को विचारार्थ लिया जाय?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डश: विचार

खण्ड – 2 से 48 – कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से 48 स्वीकार किये जाय?

(स्वीकृत)

खण्ड – 2 से 48 स्वीकार किये गये।

अनुसूची 1 व 2 – कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि अनुसूची 1 व 2 स्वीकार की जाय?

(स्वीकृत)

अनुसूची 1 व 2 स्वीकार की गई।

खण्ड – 1 अधिनियमन, सूत्र, नाम आदि – कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड – 1 अधिनियमन, सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाय?

(स्वीकृत)

खण्ड – 1 अधिनियमन, सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि डॉ0 के.एन. मोदी विश्वविद्यालय, निवाई (टोंक) विधेयक, 2010 को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाय?

(अस्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

विधेयक पर विचार

डॉ0 के.एन. मोदी विश्वविद्यालय, निवाई (टोंक) विधेयक, 2010

प्रश्न यह है कि डॉ0 के.एन. मोदी विश्वविद्यालय, निवाई (टोंक) विधेयक, 2010 विचारार्थ लिया जाय?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डश: विचार

खण्ड-2 से 47 – कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 47 स्वीकार किये जाय?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 से 47 स्वीकार किये गये।

अनुसूची 1 व 2 – कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि अनुसूची 1 व 2 स्वीकार की जाय?

(स्वीकृत)

अनुसूची 1 व 2 स्वीकार की गई।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय सभापति महोदय, मैं जरा यह चाहता हूं कि यह खण्ड एक, प्रस्तावना, सूत्र यह जो है, यह तो खण्ड एक है, तो आपने 2 से 47 पहले यपास करा लिया और एक को बाद में क्यों पास करा रहे हो? नहीं, क्यों करा रहे हो पास? मैं सरकार से पूछ रहा हूं कि, भाई, यह कारण तो बताना पड़ेगा न। खण्डशः विचार होता है तो खण्ड 1 से लेकर 48 तक हैं, तो आपने 2 से लेकर 48 पास करा लिया, काई नहीं है उसमें संशोधन, एक में भी कोई संशोधन नहीं है तो यह खण्ड एक, प्रस्तावना, नाम, सूत्र है इसको बाद में क्यों लिया जाता है, सरकार स्पष्ट करे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): यह विद्वान सदस्य बैठे हैं, बताओ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): बताओ, बताओ।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): आपकी विद्वता से पूरा जमाना परिचित है इसलिए क्यों आप मेरे से उलझना चाह रहे हैं? आप जब से विद्वान बने हैं मैं तब से आपको जानता हूं।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि खण्ड-1 अधिनियमन, सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये जाय?

(स्वीकृत)

खण्ड-1 अधिनियमन, सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

डा. जितेन्द्र सिंहजी। श्रीधर विश्वविद्यालय, बिगोदना (झुन्झुनूं) विधेयक, 2010, एन.आई.आई.टी. विश्वविद्यालय, नीमराना (अलवर) विधेयक, 2010, डॉ. के.एन. मोदी विश्वविद्यालय, निवाई (टोंक) विधेयक, 2010 पारित करने का प्रस्ताव करेंगे।

विधेयक का पारण

श्रीधर विश्वविद्यालय, बिगोदना (झुन्झुनूं) विधेयक, 2010

एन.आई.आई.टी. विश्वविद्यालय, नीमराना (अलवर) विधेयक, 2010

डॉ. के.एन. मोदी विश्वविद्यालय, निवाई (टोंक) विधेयक, 2010

श्री जितेन्द्र सिंह (उच्च शिक्षा (अतिरिक्त प्रभार) मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं श्रीधर विश्वविद्यालय, बिगोदना (झुन्झुनूं) विधेयक, 2010 को पारित किया जाय।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): नहीं, बोलो एक साथ ही।

श्री जितेन्द्र सिंह (उच्च शिक्षा (अतिरिक्त प्रभार) मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि एन.आई.आई.टी. विश्वविद्यालय, नीमराना (अलवर) विधेयक, 2010 को पारित किया जाय।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि डॉ. के.एन. मोदी विश्वविद्यालय, निवाई (टोंक) विधेयक, 2010 को पारित किया जाय।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): यह मोदी आप वाला है या इन वाला है? ...(व्यवधान)...

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): माननीय सभापति महोदय, यह राजस्थान में तीन विश्वविद्यालय अभी जो प्रस्तावित किये गये हैं उनके एक्ट को हम पारित कर रहे हैं। मैं इस बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि सम्पूर्ण भारतवर्ष में 77 हजार की आबादी पर एक कॉलेज है और हमारे झुन्झुनूं, जहां से माननीय मंत्रीजी आते हैं वहां 23 हजार पर एक कॉलेज है और इतना ही नहीं पूरे विश्व में, मैं कहूंगा कि सबसे अधिक पुरुषों की तुलना में लड़कियां पढ़ती हैं तो 100 के बदले 117 लड़कियां पढ़ती हैं, वहां आप विश्वविद्यालय नहीं खोलना चाहते, इससे ज्यादा शर्म की बात नहीं हो सकती। मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि आपने निवाई का विश्वविद्यालय प्रस्तावित किया है, सीकर का जो एस.के. कालेज है उसमें दो लाख किताबे हैं और यहां 5243 किताओं के आधार पर आप विश्वविद्यालय खोल रहे हैं। यह मैं आपसे कहना चाहता हूं। राजस्थान विश्वविद्यालय की स्थिति है, हम प्रतियोगिता पैदा तब कर पायेंगे, हमारा जो पब्लिक सैक्टर है उसको तो हम नैग्लेक्ट कर रहे हैं, 61 प्रोफेसर की पोस्टे हैं राजस्थान विश्वविद्यालय में एक है और 527 कालेजों पर एक प्रोफेसर है। इससे ज्यादा दुर्गति पब्लिक सैक्टर की नहीं हो सकती। राजस्थान विश्वविद्यालय में एक प्रोफेसर है और उसके द्वारा बनाया हुआ पाठ्यक्रम अगर जायेगा सारे विश्व में तो हमारे विकलने वाले छात्रों की क्या दुर्गति होगी, इसका आंकलन कर सकते हैं।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, यह राजस्थान सरकार का डाकुमेंट है, इसमें रीडर और प्रोफेसर में केवल एक हजार रुपये का अन्तर है, उन पदों को हम खाली क्यों रखना चाहते हैं? इस प्रकार की जो स्थिति पैदा हो गयी तो यह जो स्थिति पैदा हुई है उसको ठीक किया जाय और जो हमारे पब्लिक सैक्टर के विश्वविद्यालय हैं उनको प्राइवेट सैक्टर के विश्वविद्यालयों के बराबर लाया जाए। इतना बड़ा जो इन्फ्रास्ट्रैक्चर है, अभी कहा गया भरतपुर का जो जयश्री कालेज है उसका कैम्पस और एम.डी. विश्वविद्यालय, अजमेर का जो कैम्पस है, दोनों का क्षेत्रफल बराबर है, धौलपुर और भरतपुर के जो दोनों मिला कर कालेज हैं वो कोटा विश्वविद्यालय और जोधपुर विश्वविद्यालय से दोगुना से भी ज्यादा है। हम क्यों ऐसा करना चाहते हैं? जैसलमेर का विद्यार्थी जोधपुर आयेगा और फिर अजमेर आयेगा और बाड़मेर का विद्यार्थी जोधपुर आ कर के फिर अजमेर आयेगा अगर मार्कशीट लेनी है। और वहां आजादी के समय से बना हुआ विश्वविद्यालय मौजूद है जोधपुर, उसमें जोधपुर डिवीजन के आठ जो जिले हैं उनको क्यों नहीं लेना चाहते? आठों के आठ वो आज राजस्थान के रिकार्ड

पर है कि सबसे कम महिला शिक्षा अगर उच्च शिक्षा में है तो जोधपुर डिवीजन में है और वहां से माननीय मुख्य मंत्रीजी हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार की जो अव्यवस्था है, इस प्रकार का असंतुलन है उसको ठीक करने की आवश्यकता है और मैं कह रहा हूं, अभी शिक्षा मंत्रीजी यह संकल्प व्यक्त करें कि अगली बार जब विधान सभा होगी तो निश्चित तौर पर जोधपुर विश्वविद्यालय में आठ के आठ जो जिले हैं उनके विद्यार्थी उनसे एफिलिएटेड होंगे, ऐसे हम करेंगे वरना तो नाम लेते रहेंगे और हम यह लायेंगे, वो लायेंगे।

अभी आपने यह डाकुमेंट दिया है निवाई का इसमें 355 वर्ग मीटर में आप छात्रावास बनायेंगे और 67 सब्जैक्ट होंगे, 61 कमरे होंगे, 19 लेबोरेट्री होगी। यह कौनसा विश्वविद्यालय स्थापित करना चाहते हैं?

श्री सभापतिः माननीय सदस्य।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): 70 के लगभग सब्जैक्ट हैं और 19 लेबोरेट्री स्थापित करने के आधार पर, प्रयोगशालाओं के आधार पर हम अनुमति दे रहे हैं, यह क्या स्थिति है, आप इसको देख लीजिए कैसे विश्वविद्यालय आयेंगे? जो अभी दांतारामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि एक-एक कमरे में कालेज चलते हैं, ऐसे विश्वविद्यालय अगर चलाना चाहते हैं तो इस राजस्थान को हम पिछड़ा करेंगे।

आज बी.एड कालेजों की संख्या, टैक्निकल कालेजों की संख्या, टैक्निकल कालेजों की सीटों की संख्या,, इंडिया में पिछले पाँच साल में कहीं न कहीं हमारा अच्छा स्थान पैदा हुआ उसको इस प्रकार से आप मत धकेलिये और जो स्थिति है उसको स्वीकार करते हुए जिस प्रकार के सब्जैक्ट खोले जा रहे हैं उनके लिए आप काई प्रावधान नहीं करें, एकेडमिक कौंसिल का कोई प्रावधान इस रूप में नहीं है, कौन एकेडमिक कौंसिल में होगा, किस प्रकार की एकेडमिक कौंसिल होगी, इसका प्रारूप इसमें नहीं दिया गया है। एकेडमिक कौंसिल होनी चाहिए लेकिन नये सब्जैक्ट ला रहे हो, उसमें कौन एकेडमिक कौंसिल में होंगे? अगर यह होता तो 19 लेबोरेट्री नहीं होती। एकेडमिक साइड में यह जो टैक्निकल साइड के सब्जैक्ट हैं, नये सब्जैक्ट हैं और वो सब्जैक्ट तो हैं 70 और लेबोरेट्री बनेगी 19, अगर इस प्रकार के लोगों से आप निरीक्षण करा कर विश्वविद्यालय खोल रहे हैं तो हमारा राजस्थान का भविष्य ठीक नहीं है।

Ars/usc/3c/01042010/1640/1

तो हमारा भविष्य ठीक नहीं है राजस्थान का। मैं डाकूमैंट के आधार पर कह रहा हूं। इसमें जो प्रावधान किया गया है, भरतपुर का कालेज, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कहा उसके बारे में कह रहा हूं अगर भरतपुर को आप कालेज बनायेंगे जैसे महारानी कालेज है वहां कालेज मौजूद है, सीकर को बनायेंगे वहां इस प्रकार का कालेज मौजूद है, अलवर को बनायेंगे वहां आर्ट्स कालेज अलग है, लॉ कालेज अलग है जैसे महाराजा कालेज है, महारानी कालेज है, सब सरकारी कालेज हैं तो विश्वविद्यालय के कालेज

बन गये। इस प्रकार का ढांचा खड़ा कर सकते हैं। न ऐसा हमने अजमेर में किया न ऐसा हमने जोधपुर में किया, न हम अलवर, भरतपुर में करना चाहते हैं। आखिर किसलिये ओ आई सी बैठा रखा है आपने वहां? वह अस्सी हजार रुपये पर मंथ लेता है, ओ आई सी का कोई काम नहीं है।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): अब तो विराज जाओ, बहुत हो गया ...(व्यवधान)...

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): मैं तो आपसे निवेदन कर रहा हूं 500 ...(व्यवधान)...

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): अजी बहुत हो गया, आपका ज्ञान देख लिया सारा ...(व्यवधान)... विराजो, पिण्ड छोड़ो महाराज।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): केकड़ी से आने वाले माननीय सदस्य से निवेदन करता हूं जिस विश्वविद्यालय के आप वो रहे हो ....

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): किसके?

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): उस विश्वविद्यालय की दुर्गति मत होने दीजिए।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): कौनसे विश्वविद्यालय के? ...(व्यवधान)... आपके ज्ञान से लाभान्वित हो गये। कौनसे विश्वविद्यालय के?

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): जिससे आप पढ़े हो, जिससे आपने पी एच डी की है। जब आप स्टूडैंट थे तब मैं प्राध्यापक था उस विश्वविद्यालय में, जिसकी बात मैं कर रहा हूं।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): सारा ज्ञान तो यह तारानगर वाले ले गये ...(व्यवधान)... मेरे लिए तो कुछ छोड़ा नहीं।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): मेरा केवल इतना निवेदन है कि कम से कम यह जो तीन विश्वविद्यालय हैं 529 कालेज हैं राजस्थान विश्वविद्यालय में, अगर सीकर और झु चला जाएगा उसमें से 83 और 79 कालेज जायेंगे, 142 कालेज चले जायेंगे। इसी प्रकार से अगर भरतपुर जाएगा, धौलपुर जाएगा तो 82 कालेज चले जायेंगे, राजस्थान विश्वविद्यालय में 250 कालेज रह जायेंगे। इस कारण से महत्ती आवश्यकता है कि इस प्रकार का प्रावधान किया जाए।

पिछले सत्र में मैं बोला था उसी प्रकार के नियामक की व्यवस्था और जो हमारा पब्लिक सैक्टर है उसको प्राइवेट सैक्टर की प्रतियोगिता में लाने के लिए आवश्यक है, चाहे और चीजें टाल दी जाएं लेकिन शिक्षा को मत टालिये। शिक्षा के माध्यम से पीढ़ी पैदा होती है, इस शिक्षा को संतुलित करने के लिए आज भी हम यह कहें कि 33 परसेंट लड़कियां जोधपुर ग्रामीण में पढ़ती हैं और झुन्झुनूं में 117 लड़कियां पढ़ती हैं 100 के बदले, उस स्थिति को ठीक करने की आवश्यकता है और बैलेंस ग्रोथ आवश्यक है, बजट प्रावधान में भी यह आवश्यक है कि बैलेंस ग्रोथ हो, स्टेबल ग्रोथ हो और प्रोग्रेसिव ग्रोथ हो। इस प्रकार की आवश्यकता है। इतना ही आपके सम्मुख निवेदन है।

श्री सभापति: डाक्टर परम नवदीप।

डा. (श्रीमती) परम नवदीप सिंह (संगरिया): माननीय सभापति महोदय, एक महत्वपूर्ण सवाल है, 29 मार्च को मैंने प्रक्रिया के नियम 119 के तहत निंदा प्रस्ताव दिया था जिसमें माननीय सदस्य तारानगर से जो आते हैं उनके लिए यह कहा गया था कि 25 मार्च को उन्होंने सदन में गलत तथ्य पेश करके सदन में बोलने के अधिकार का दुरूपयोग किया। मुझे व्यवस्था चाहिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सभापति महोदय, सदन का इस तरह दुरूपयोग मैंने देखा नहीं।

श्री सभापति: मैं दे रहा हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अगर इनको आप व्यवस्था दे रहे हो तो मुझे भी बोलने का मौका दें।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): मैं संविधान के आर्टिकल से सिद्ध कर दूंगा कि मुझे भी बोलने का अधिकार है। यह पुस्तिका आपने दी है इससे सिद्ध कर दूंगा कि मुझे भी बोलने का अधिकार है ...(व्यवधान)... यूं चलते चलते आप सदन का दुरूपयोग करना चाहते हैं यह कभी नहीं होगा। यह इस तरह की आपत्ति कर रहे हो ना ...(व्यवधान)... करना पड़ेगा देखना आप ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: सचेतक महोदय, सचेतक महोदय। आपके द्वारा दिया हुआ प्रस्ताव अध्यक्ष जी ने अग्राह्य कर दिया है, सूचना भी आपको भेज दी है।

डा. (श्रीमती) परम नवदीप सिंह (संगरिया): डरा रहे हो, धमकी देते हो, महिला समझ कर धमकी देते हो ...(व्यवधान)...

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): डरने वाला कोई नहीं है यहां।

डा. (श्रीमती) परम नवदीप सिंह (संगरिया): कैसे समझ लिया कि आपकी धमकी से डर जायेंगे हम।

श्री सभापति: श्री गुलाबचन्द जी कटारिया।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं फिर आपको सचेत कर रहा हूं, बोर्ड आफ मैनेजमैंट का जिस तरह से आपने गठन किया है वह पूरा पूरा उस यूनिवर्सिटी को चलाने वाले व्यक्ति की मंशा के आधार पर ही है। राज का तो केवल हायर एजूकेशन के कमिश्नर के द्वारा अपाइन्टेड एक व्यक्ति है। अब यह आपका एन्युअल अकाउंट जो पेश होगा वह कहां पेश होगा, इसको आपने देखा होगा डिटेल यह जो 40 सैक्शन है " Annual accounts and audit. The annual accounts including balance sheet of the University shall be prepared under the directions of the Board of Management. ..."बोर्ड आफ मेनेजमैंट के डाइरेक्शन में आडिट रिपोर्ट तैयार होगी "...and the annual accounts shall be audited at least once in every year by te auditors appointed by the University for this purpose."

मतलब अपाइन्ट भी वही करने वाला, देखने वाला भी वही है, राज के पास इसका क्या है, इसको देखना है। (2) A copy of the annual accounts together with the audit report shall be submitted to the Board of Management." किसको करेगा बोर्ड आफ मेनेजमैंट को। थर्ड (3) A copy of the annual accounts and audit report alongwith the observation of the Board of Management shall be submitted to the Sponsoring Body." जो यूनिवर्सिटी चला रहा है उसको देगा, फिर आप आगे देखिये, हमने तो क्योंकि यहां से रात को चार बजे गये तो पूरा डिटेल एक एक पाइंट नहीं देख सके लेकिन लगता यह है कि हमारी कोई कसा ही नहीं है "(4) copies of annual accounts and balance sheet prepared under sub section (1) shall also be presented to the State Government. "स्टेट गवर्नमैंट को भी दें "The advice of the State Government, if any, arising out of the accounts and audit report of the University shall be placed before the Board of Management." बोर्ड आफ मेनेजमैंट की बात है "The Board of Management shall issue such directions, as it may deem fit and compliance shall be reported to the State Government." आपको तो खाली कम्पलाइन्स रिपोर्ट भेज देंगे। यह है आपका उस पर अधिकार।

मतलब बोर्ड आफ मेनेजमैंट जो आपने बनाया, अभी आपको नहीं लग रहा होगा लेकिन मैं अगर कहीं दस पन्द्रह साल जिंदा रहा तो मैं आपको बताऊंगा कि इस यूनिवर्सिटी में कई यूनिवर्सिटी आपकी ऐसी साबित होंगी जो एक तरह से व्यावसायिक बनकर खड़ी हो जाएंगी। कौन होंगी, कौन नहीं होंगी, मैं इस पर आज अपनी बात नहीं कहूंगा पर आपने जिस प्रकार से कानून बना कर के सारे के सारे हथियार बोर्ड आफ मेनेजमैंट को दे दिये और बोर्ड आफ मेनेजमैंट एक तरह से सरकार की तरफ से बिल्कुल पंगु बनाकर के रख दिया। जिसका कोई नहीं है यह जो कुछ भी साल का आडिट भी करेंगे, न बेलेंस शीट पैसा कितना आया, कितना गया उसकी भी खाली आपको तो एक सूचना दे देंगे, जो उनको ठीक लगेगा, अगर यही अधिकार देकर के आप देना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं यह कह रहा हूं आपने इसमें ऐसा कहा, कालेज है जब आप इतना करने जा रहे हो तो कम से कम जो वहां नौकरी करेंगे चाहे वह लैक्चरर होगा, चाहे रीडर होगा, चाहे प्रोफेसर होगा उसको प्रोटेक्ट करने का कहा है कि न उसकी सैलेरी प्रोटेक्टर होगी, उसकी सैलेरी प्रोटेक्ट होगी, उसका सलैक्शन का क्या तरीका होगा। मतलब यह तो एक यूनिवर्सिटी बना देगा पचास करोड़, बीस करोड़ रुपया खर्च करके। मर्जी आए जिसको भर्ती करेगा, मर्जी आए जिसको नौकरी देगा, मर्जी आए जितनी सैलेरी देगा। उसकी मजबूरी है, जिसको नौकरी करनी है वह झक मार करके करेगा।

मैंने पिछली बार एजूकेशन के टाइम पर कहा, मैं आज भी कह रहा हूं, आपको राजस्थान में वन थर्ड एजूकेशन से ज्यादा आज प्राइवेट स्कूलों से हो रही है लेकिन प्राइवेट स्कूल के अध्यापक की सैलेरी को देखा है कभी, यह जिस मिनिमम वेजेज की बात करते हैं,

मेरी गारण्टी है राजस्थान में सत्तर परसेंट टीचर जो आज प्राइवेट स्कूलों में हैं वह मिनिमम वेज को कवर नहीं कर रहे हैं, 105 रुपये भी कवर नहीं करते हैं। साल में तीन हजार का भी नहीं मिलता है, 800, 1200 और 1500 में नौकरी करते हैं। जब इतना कानून बनाते हैं तो क्या हम उन लोगों के प्रोटक्शन के लिए इस कानून में कोई प्रावधान नहीं रख सकते? क्या हम उनकी इच्छा पर छोड़ देंगे कि वह जैसा चाहेंगे यानि एक शिक्षा की दुकान का मामला हो गया कि जैसे चाहेंगे वैसा करेंगे। केवल एक आपको दिखाया कि हम एजूकेशन में चमत्कार कर देंगे, काहे का चमत्कार करेंगे, चमत्कार करने के पीछे आखिर कहीं न कहीं राइडर चाहिए।

हमको तो इतना समय मिला नहीं कि इसको एक एक बिंदु को पढ़ा जाए और आप इसको पास करा कर ले जाना चाह रहे हैं, ले जाइये लेकिन इससे आपको यह लगेगा कि जितने भी लोग आ रहे हैं ना यह सारे के सारे इण्डस्ट्रियलिस्ट आ रहे हैं। इनको एक दिन का भी एजूकेशन का अनुभव नहीं है, केवल उनकी जेब में पैसा है इसके कारण से बिल्डिंग बना करके आपको दिखा रहे हैं कि यह हमारी बिल्डिंग और यह हमारी जमीन, इसके आधार पर आज एजूकेशन को बेच दोगे, जिसकी एजूकेशन में कोई जानकारी हो, जो एजूकेशन में कुछ काम करते हों, उन्हें दिया जाए तो समझ में आ सकता है लेकिन केवल बिल्डिंग देख करके आप उसके आधार पर एजूकेशन सुपुर्द करने जा रहे हो, यह कोई अच्छी चीज नहीं हो रही है।

आप करोगे क्योंकि जब बहुमत है और हां करेंगे तो हो ही जाएगा, ना मैं उसको रोक सकता हूं, ना मैं उसको कर सकता हूं लेकिन मैं आपको आगाह कर रहा हूं कि आखिर यह प्रोवीजन आपको कम से कम उसकी सेफ्टी के लिए भी डालना चाहिए था, जो वहां नौकरी करेगा, सेठ की मर्जी आए जब सवेरे कहेगा कि चल कल से मत आना, वह कहां जाएगा, लैक्चरर की सर्विस का क्या होगा, क्या होगा किस तरह से प्रोटेक्ट होगी उसकी सर्विस? यानि ना हम सर्विस करने वाले को प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं, ना जाने वाले स्टूडैंट को प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं, उसकी मर्जी आए जो करेगा और हम पूरा का पूरा अधिकार उसको पकड़ा रहे हैं केवल इस खुशी में जैसे कोई राजस्थान में सारे धन्ना सेठ आकर के यूनिवर्सिटियां खोल करके हमारी एजूकेशन को जमीन से उठा कर आसमान में पहुंचा देंगे। एजूकेशन जमीन से आसमान पर ऐसे नहीं पहुंचती है, यह आसमान तक पहुंचती है जो सेवा का संकल्प लेकर आते हैं ना। आज मेरे विद्या भवन का मुकाबला कोई राजस्थान में किसी के पास जगह है लेकिन विद्या भवन को यूनिवर्सिटी नहीं बनाया जा सकता लेकिन यह लोग एक एक खांचे में बैठ करके यूनिवर्सिटी बनाकर के अपना काम करने जा रहे हैं। कौन कहां का रहने वाला, कहां जाकर जमीन मिल गयी, जहां जमीन मिल गयी वहीं यूनिवर्सिटी बना रहा है, तरीका क्या है? अगर इसके बाद भी सदन के सभी लोग चाहते हैं करिए।

vns/usc/16.50/1.4.2010/3d/1

कोई चिन्ता की बात नहीं लेकिन मैं सोचता हूं कि न तो इसमें पढ़ने वाले स्टूडेंट का भला होगा, न इसमें नौकरी करने वाले का भला होगा। उस एक परिवार का भला जरूर होगा जिसने पैसे लगाकर एक अच्छी फैक्टरी खोल दी। सारे तो परिवार के बच्चे-बच्ची अध्यापक बनकर लग जायेंगे या नौकरी करेंगे आराम से। बहुत अच्छा है। करिये।

श्री पेमाराम (धोद): सभापति महोदय, जो विधेयक पेश किया गया है पक्ष-विपक्ष सभी ने कहा लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा कि वाकई शिक्षा माफिया ही पैदा कर रहे हैं। यदि शिक्षण संस्था सरकारी होती, सरकारी महाविद्यालय होता तो निश्चित तौर पर उसके गरीब-अमीर तमाम के बच्चों को पढ़ने की सुख सुविधाएं मिलती, छात्रवृत्ति मिलती और उसमें नौकरी करने वाले जो कर्मचारी हैं, कर्मचारियों के बारे में तो अभी कटारिया जी ने बता दिया लेकिन इनमें यह कहीं प्रावधान नहीं है कि शिड्यूल कास्ट का, शिड्यूल ट्राइब का, दलित जिनका वोट लेकर आये हैं , उनका आरक्षण होता, उनके कर्मचारियों की भर्ती होती तो निश्चित तौर पर उनको रोजगार मिलता लेकिन ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य एक मिनट। सचेतक महोदय।

सदन की कार्यवाही
विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आज की कार्य सूची पूर्ण होने तक बढ़ाया जाए।

श्री सभापति: क्या सदन का समय कार्यसूची के पारित होने तक बढ़ाया जाए ?

(स्वीकृत)

सदन का समय कार्य सूची पारित होने तक बढ़ाया गया।

विधेयक पर विचार

श्री पेमाराम (धोद): माननीय सभापति महोदय, इसलिये इस विधेयक से एक तो शिक्षा माफिया पैदा होंगे और एक घराने को जनता को लूटने के लिये पूरी छूट दे दी और वह भी कानूनन छूट दे दी। मर्जी में आए उतनी फीस वसूल करेगा। मर्जी में आए उस अध्यापक को रखेगा। मर्जी में आय उस छात्र को दाखिला देगा और मर्जी में आये उसको पढ़ायेंगे। यह कोई जरूरी नहीं कि उसमें जो टीचर रहेंगे वह ट्रेण्ड हैं कि नहीं ? उसे कोई चैक करने वाला नहीं, उसकी बिल्डिंग क्या होगी, उसका खेल मैदान क्या होगा?

यही नहीं सबसे बड़ा कोई हो रहा है तो भारत देश में जो संविधान द्वारा प्रदत्त शिड्यूल कास्ट, शिड्यूल ट्राइब के लिये आरक्षण का जो प्रावधान है, निजी विश्वविद्यालयों में इन प्रावधानों का खुल्लमखुल्ला उल्लंघन है। न तो उनके बच्चे को शिक्षा मिलेगी। उसमें जो कर्मचारी भर्ती किये जायेंगे उसमें शिड्यूल कास्ट, शिड्यूल ट्राइब के बच्चों और अध्यापकों की

भी उपेक्षा होगी क्योंकि यह सिर्फ एक शिक्षा माफियाओं, एक घराने के पक्ष में कानून लाया जा रहा है, आम जनता की उपेक्षा हो रही है इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री सभापतिः डाक्टर जितेन्द्र सिंह जी।

डा. (श्रीमती) परम नवदीप सिंह (संगरिया): माननीय सभापति महोदय, मुझे व्यवस्था दीजिये। मुझे व्यवस्था नहीं दी गयी।

श्री सभापतिः माननीय सदस्या, क्या व्यवस्था ?

डा. (श्रीमती) परम नवदीप सिंह (संगरिया): मैंने प्रक्रिया नियम 119 के तहत निन्दा प्रस्ताव दिया था 29 मार्च को और मुझे अभी तक इसकी व्यवस्था नहीं मिली। मैं इस बात को आपके सामने रखना चाहती हूं।

श्री सभापतिः माननीय सदस्या, बिराजो। आपने जो निन्दा प्रस्ताव रखा, माननीय अध्यक्ष जी ने उसको अग्राहय कर दिया और आपको सूचना उन्होंने भिजवा दी है।

डा. (श्रीमती) परम नवदीप सिंह (संगरिया): मेरे पास सूचना अभी तक नहीं आयी। मेरे पास सूचना अभी तक नहीं आयी।

श्री सभापतिः नहीं आयी, आप अध्यक्ष जी से..(व्यवधान) उप नेता महोदय।

डा. (श्रीमती) परम नवदीप सिंह (संगरिया): मेरे पास सूचना नहीं आयी। सभापति महोदय, मेरे पास सूचना नहीं आयी।

श्री सभापतिः आप पूछ लें नहीं आयी है तो और आप मिलना चाहें तो भी अध्यक्ष जी आप मिल लें। बाकी आपका प्रस्ताव अग्राहय करके आपको भिजवा दिया गया है।

डा. (श्रीमती) परम नवदीप सिंह (संगरिया): एक और बात सभापति महोदय। अभी आसन के सामने माननीय सदस्य ने एक महिला को धमकाया। प्रतिपक्ष के नेता थे, उन्होंने इस तरह उंगलियां दिखाकर धमकाया..

श्री सभापतिः बिराजो। बिराजो आप।

डा. (श्रीमती) परम नवदीप सिंह (संगरिया): यह पाइंटेड है।

श्री सभापतिः बिराजो माननीय सदस्य।

डा. (श्रीमती) परम नवदीप सिंह (संगरिया): माननीय सभापति महोदय, आपकी उपस्थिति में, प्रतिपक्ष के माननीय उप नेता की उपस्थिति में, माननीय गुलाब जी कटारिया की उपस्थिति में..

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): माननीय सभापति महोदय, मेरे जैसा आदमी धमका सकता है किसी को ? मेरे जैसा आदमी धमका सकता है किसी को ?

डा. (श्रीमती) परम नवदीप सिंह (संगरिया): जिस तरह मुझे धमकाया गया और प्रतिपक्ष भी निन्दा नहीं करता उसकी तो यह बहुत गलत बात है। महिला पर अन्याय है।

श्री सभापतिः बिराजो आप माननीय सदस्या। बिराजो अब।

डा. (श्रीमती) परम नवदीप सिंह (संगरिया): तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य हमसे बड़े हैं, हम मानते हैं पर हमें धमकी नहीं दे सकते। हम उनकी धमकी से डर नहीं सकते...

श्री सभापति: माननीय सदस्या आप बिराजो।

डा. (श्रीमती) परम नवदीप सिंह (संगरिया): माननीय सभापति महोदय, अन्याय मेरे साथ हुआ है। अन्याय मेरे साथ हुआ है।

श्री सभापति: आप बिराजो। आपने कह दिया। आपने कह दिया ना।

डा. (श्रीमती) परम नवदीप सिंह (संगरिया): अन्याय मेरे साथ हुआ है, आत्मा मेरी जली है, माफी मंगवाइये इनसे।

श्री सभापति: आप बिराजिये। प्लीज आप बिराजो तो सही। बैठो। माननीय सदस्य बिराजो। बिराजिये।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): यह गम्भीर विषय है। प्रतिपक्ष के सचेतक जी से आशा करते हैं कि वह नियम और परम्पराओं की जानकारी देंगे। वह खुले आम इस प्रकार से अगर किसी महिला सदस्य को धमकाने के शब्द इस्तेमाल करते हैं तो यह न सिर्फ निन्दनीय है, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि उनको प्रताड़ना दी जाए और उनको क्षमा मांगनी है इसके लिये आपकी ओर से निर्देशित किया जाए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सभापति महोदय, आपको उम्मीद है कि मेरे जैसा आदमी किसी को धमका सकता है ? मेरे जैसा आदमी...

डा. (श्रीमती) परम नवदीप सिंह (संगरिया): क्या मैं असत्य बोल रही हूं ? क्या मैं असत्य बोल रही हूं ?

श्री सभापति: बिराजो। माननीय सदस्य बिराजो।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): इसीलिये तो मानने में आ रहा है कि आप जैसे आदमी हैं वह। इसीलिये तो सारी बात गले से उतर रही है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य बिराजो।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): माननीय सदस्य हैं 200 इसलिये कोई धमकाने वाली बात ही नहीं है।

श्री सभापति: डाक्टर जितेन्द्र सिंह जी।

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): माननीय सभापति महोदय, अभी 3 घण्टे से अधिक हो गये इन चारों विश्वविद्यालयों पर चर्चा होते हुए और जो दो इम्पोर्टेंट इशु उठाये थे कि विश्वविद्यालय में रेगुलेटरी मेकेनिज्म क्या होगा ? इसके बारे में मैंने स्पष्ट कर दिया।

धारा 40 के बारे में उदयपुर से आने वाले हमारे सीनियर मैम्बर ऑफ दी हाउस ने कहा था तो जो उनका बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट है उसमें हमारी गवर्नमेंट की ओर से कमिश्नर कालेज एजुकेशन उसके मैम्बर हैं।

नम्बर दो, यह जो सारे का सारा इन्फ्रास्ट्रक्चर हम यूनिवर्सिटीज का लाये हैं यह 2007 में निजी विश्वविद्यालय की जो आपने स्थापना की थी It is an identical. वह आपने फरमाया था वह का वह है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): हमारी गवर्नमेंट लेकर आती तो क्या हम मतलब उस पर बोल नहीं सकते यहां कमी है।

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): नहीं-नहीं, ऑफ कोर्स सर। मैं उसके लिये कंट्राडिक्ट नहीं कर रहा हूं। हमने अच्छा ही समझकर...

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): यानि हम वोट के समय हमारी सरकार के साथ हाथ खड़ा करते यह तो समझ में आ सकता है लेकिन कोई अगर बिल आने वाला है, विधेयक बन रहा है तो उसके बारे में कहें, हमारी सरकार भी लाती तो क्या उसमें कोई कमियां हैं तो उसको इस सदन में रखना हमारा अधिकार नहीं है क्या ?

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): ऑफ कोर्स सर, वह है लेकिन आप जैसे इंटलएक्चुअल मिनिस्टर रहे तो उन्होंने बहुत अच्छा है We should adopt it as such. लेकिन फिर भी उसके अन्दर जो धारा 40 है उसमें आपने यह कहा कि उनको क्या अधिकार होगा तो वार्षिक लेखे और बेलेंस शीट उनको राज्य सरकार को प्रस्तुत करनी होगी। उनको they have to गवर्नमेंट के सामने जो भी उनकी बेलेंस शीट होगी वह प्रस्तुत करनी होगी और फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटी में सरकार का तो कोई योगदान है नहीं, न जमीन है, न पैसे में है, एवरी इन्फ्रास्ट्रक्चर है लेकिन फिर भी ..

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): जमीन में तो कंसेशनल रेट पर किये हैं।

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): वह स्वयं की है। नो सर। कोई नहीं है। मैं माननीय सभापति महोदय, आपसे आग्रह करूंगा कि बहुत इसमें चर्चा हो गयी और आलरेडी रेगुलेटरी मेकेनिज्म के लिये हमने वहां वाइस चांसलर राजस्थान यूनिवर्सिटी के नेतृत्व में..

श्री सभापति: माननीय सदस्य बिराजे। बिराजो आप।

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): एक कमेटी बना दी है।

विधेयक का पारण

एन.आई.आई.टी. विश्वविद्यालय, नीमराना (अलवर) विधेयक, 2010
श्रीधर विश्वविद्यालय, बिगोदना, (झुन्झुनूं) विधेयक, 2010
डा. के. एन. मोदी विश्वविद्यालय, निवाई (टोंक) विधेयक, 2010

सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि एन.आई.आई.टी. विश्वविद्यालय, नीमराना (अलवर) विधेयक, 2010 को पारित किया जाय।

कि श्रीधर विश्वविद्यालय, बिगोदना, (झुन्झुनूं) विधेयक, 2010 को पारित किया जाय।

कि डा. के. एन. मोदी विश्वविद्यालय, निवाई (टोंक) विधेयक, 2010 को पारित किया जाय।

श्री सभापतिः प्रश्न यह है कि श्रीधर विश्वविद्यालय, बिगोदना, (झुन्झुनूं) विधेयक, 2010,

एन.आई.आई.टी. विश्वविद्यालय, नीमराना (अलवर) विधेयक, 2010 व

डा. के. एन. मोदी विश्वविद्यालय, निवाई (टोंक) विधेयक, 2010 को पारित किया जाय ?

(स्वीकृत)

श्रीधर विश्वविद्यालय, बिगोदना, (झुन्झुनूं) विधेयक, 2010,

एन.आई.आई.टी. विश्वविद्यालय, नीमराना (अलवर) विधेयक, 2010 व

डा. के. एन. मोदी विश्वविद्यालय, निवाई (टोंक) विधेयक, 2010 पारित किये गये।

राजस्थान सहकारी सोसाइटी(संशोधन) विधेयक, 2010, श्री परसादीलाल मीणा।

विधेयक पर विचार

राजस्थान सहकारी सोसाइटी(संशोधन) विधेयक, 2010

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान सहकारी सोसाइटी(संशोधन) विधेयक, 2010 को विचारार्थ लिया जाय।

श्री सभापतिः श्री अमराराम जी।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान सहकारी सोसाइटी(संशोधन) विधेयक, 2010 जो मंत्री महोदय ने रखा है।

श्याम/चौहान 01.04.2010 17.00 3e

सहकारिता की भावना तो यह थी कि एक सबके लिए और सब एक के लिये। लेकिन राजस्थान में तो मैं समझता हूं कि सहकारिता जिसके कब्जे में आ गयी उसी की है बाकी किसी की नहीं है। यह जो हालत है सहकारिता की, वह सबको मिलकर के सहकारिता के माध्यम से करना चाहिए। इस देश में चाहे गुजरात हो, चाहे केरल हो वहां सहकारिता के माध्यम से बहुत बड़ा सबल ग्रामीण क्षेत्र के तबके को मिला है। चाहे वह डेयरी हो या कोई दूसरे संस्थान हों उनसे उनका काया-कल्प हुआ है। लेकिन हमारे राजस्थान में सहकारिता को जिस तरह से कुछ लोगों की बपौती बनाकर के रखा गया है।

सभापति महोदय, 7 प्रतिशत ब्याज पर जो ऋण देने का सवाल है, मैं समझता हूं कि यह बहुत कम राशि पर है। यह बैद्यनाथन कमेटी की शर्तें जिसके अनुसार एमओयू राजस्थान की सरकार ने 2006 में किया है। उसके अनुसार यह संशोधन लेकर आ रहे हैं। लेकिन जो घोषणाएं की हैं, राजस्थान के उस ग्रामीण क्षेत्र के गरीब किसान को जो सहकारिता के माध्यम से 7 प्रतिशत पर ऋण मिलता है। इस देश में बड़ी-बड़ी कंपनियों को 2 से 4 प्रतिशत पर ऋण मिलता है। ऋण भी वह मिलता है जिस तरह से कल एक माननीय सदस्य

ने कहा कि एक व्यापारी ग्रेनाइट का जिस पर 2 करोड़ रूपया है। उस गरीब आदमी के लिए जो मिलता है वह 7 प्रतिशत की घोषणा के बाद में भी जितना लोन दिया जाता है और नये सदस्यों को आज भी 7 प्रतिशत पर नहीं दिया जाता है।

सभापति महोदय, मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि वह तमाम किसानों को अपनी आवश्यकता के अनुसार ना केवल 7 प्रतिशत पर दें बल्कि मंत्री महोदय यह भी बतायें कि नाबार्ड से सहकारी बैकों को और भूमि विकास बैक को किस दर से लोन मिलता है और हम किसान को कितने प्रतिशत पर देते हैं। जो 7 प्रतिशत तय रूप से किया है उसका केन्द्रीय सरकार ने पुनर्भरण किया है या नहीं किया है।

सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान के 27 जिलों में आज भी अकाल है। सहकारी बैंक और भूमि विकास बैंक दोनों हमारी सरकार के नियंत्रण में हैं। लेकिन अफसोस इस बात का है कि सीकर, चूरू, नागौर में आज की तारीख में भी जिन किसानों के बकाया हैं उन किसानों के ट्रेक्टर और जमीन को नीलाम किया जा रहा है। जब राजशाही थी उस वक्त भी अगर अकाल पड़ता था तो किसान के बैल और जमीन को कभी नीलाम नहीं किया जाता था। आज वह किसान की हमदर्द होने का दावा करने वाली सरकार इस बात को देखे। आज किसान की जिस तरह की हालत अपने परिवार और पशुओं को बचाने में हो रही है। आज किसान बाजरे और जौ से महंगा चारा खिला रहा है।

सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय से चाहूंगा कि यह बिल तो आपका बहुमत है आप पास करेंगे ही। लेकिन उस किसान को जो अकाल की मार झेल रहा है। महंगाई की मार झेल रहा है और ऊपर से आपकी बकाया के नाम से, जब तक उसकी खरीफ की फसल नहीं आये किसी भी किसान की जमीन या उसके कृषि उपकरण नहीं नीलाम किये जायें। आज किसान के बैल के रूप में ट्रेक्टर है। हो सकता है उस समय बैल से खेती होती थी। लेकिन आज अधिकतर खेती ट्रेक्टर से होती है इसलिए किसी भी किसान की अगली फसल जब तक नहीं आती है, तब तक बकाया नहीं ली जाये।

सभापति महोदय, कोई भी किसान उस ग्रेनाइट वाले या फैक्ट्री वाले की तरह नहीं है कि वह जमीन छोड़कर के भाग जायेगा। उसकी जमीन है और लोन देने में भी जिस तरह का भेदभाव है। किसान को तो लोन वह मिलेगा, अगर 15 लाख की जमीन होगी तो 5 लाख का लोन मिलेगा। जो पूंजीपति है वह अगर कारखाना लगायेगा तो उसको कुछ भी गिरवी रखने की जरूरत नहीं है। एक तरफ तो हम कहते हैं कि विकास हो। मैं समझता हूं कि किसान भी लोन लेकर के विकास करता है लेकिन तीन गुनी प्रोपर्टी वह गिरवी रखेगा उसके बाद में उसको लोन मिलेगा।

सभापति महोदय, सहकारिता का मतलब भी यही था। लेकिन इस बैद्यनाथन कमेटी के माध्यम से जो शर्ते आयेंगी उससे उस बैंक को भी लाभ के आधार पर, केवल मुनाफे के आधार पर कॉपरेटिव बैंकों को चलायेंगे तो जो गांव का गरीब जिसमें आज भी 30 प्रतिशत

भूमिहीन हैं। जो सिंचित इलाका है वहां 50 प्रतिशत से ज्यादा लोग गंगानगर और हनुमानगढ़ में हैं। अगर केवल मुनाफे के आधार पर करेंगे तो बड़े-बड़े लोगों को लोन देंगे। यह जो बैद्यनाथन कमेटी के आधार पर संशोधन लेकर आये हैं। उससे यह जो सहकारिता की भावना थी उस गरीब के लिए कि एक सबके लिए और सब एक के लिए वह भावना आगे नहीं बढ़ेगी।

सभापति महोदय, जब आपने प्राथमिक भूमि विकास बैंक और सहकारी बैंक के चुनाव करा दिये तो अपेक्स बैंक के भी जब चुनाव कराकर कमान उन जन-प्रतिनिधियों के हाथ में देंगे, ब्युरोक्रेटस की बजाय चुने हुए प्रतिनिधि उन बैंकों में होंगे तो वह जनता की बात सोचेंगे। इसलिए मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि इस विधेयक को जनमत जानने के लिए प्रचारित किया जाये। जिससे यह जो बैद्यनाथन का एमओयू राजस्थान की सरकार ने किया है। वह राजस्थान की जनता के हित में है या कुछ मुनाफा खोरों ने इन बैंको को केवल मुनाफे के आधार पर चलाने के लिए इन शर्तो को लिया है। आम जनता इससे वाकिफ हो सके और उसके बाद इसको पास किया जाये।

श्री सभापतिः श्री पेमाराम जी।

श्री पेमाराम (धोद): सभापति महोदय, भारत देश जब आजाद हुआ और सहकारी आंदोलन चला और वह इस बात को लेकर के चला कि जो देश का गरीब है।

श्री सभापतिः माननीय सदस्य, एक मिनट निवेदन करूं। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी समअप करना।

श्री पेमाराम (धोद): वह तो समाप्त ही है। बहुमत है उधर यूं ही हाथ खड़े करवा लेते। वरना तो जब बात है तो रखेंगे।

श्री सभापतिः आज कई माननीय सदस्यों को अपने..।

श्री पेमाराम (धोद): बिलकुल शोर्ट में।

श्री सभापतिः आप शोर्ट ही करें।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): कोई फर्क नहीं है दोनों में।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): फर्क कैसे नहीं है, मैं दांतारामगढ़ से हूं यह धोद से हैं। फर्क तो है ही।

श्री पेमाराम (धोद): सभापति महोदय, जिस गरीब के लिये आजादी के दौरान सहकारिता आंदोलन चला था। वह आज उनका ना होकर के जिनका कब्जा है। मैं आपको उदाहरण दूंगा यह बैद्यनाथन कमेटी की बात छोड़िये, इससे पहले भी जिन लोगों को कब्जा हो गया। मुझे पूरे राजस्थान का अनुभव तो नहीं है लेकिन हमारे सीकर के बैंक में करोड़ों रूपयों का पहले भी घपला हुआ और कानून की खामियों का ही परिणाम था कि उसका कोई कुछ भी नहीं कर पाये।

सभापति महोदय, मैं बता रहा हूं कि एक भागीरथ सिंह नाम का कर्मचारी था, कब्जा हो गया। कोर्ट ने मना कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। वह ऊंचे रसूख रखने वालें

राजनेताओं का चहेता है। इसलिए उसे बिना कोई कानून-कायदे के, सारे कानून-कायदे तोड़कर के जिस तरह से रेगुलर कोई कर्मचारी रिटायर होता है उसका वेतन-भत्ता दिया जाता है। यदि यह बिल आ गया तो आम गरीब की बात छोड़िये, वहां मनमर्जी का सौदा होगा। मनमर्जी की दुकान होगी। मर्जी में आयेगा उसको ऋण देंगे और मर्जी में आयेगा उसको दुत्कार करके भगा देंगे इसलिए मैं इस बिल का विरोध करता हूं।

श्री सभापतिः श्री गुलाब चन्द कटारिया।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर)ः सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय को ध्यान होगा कि जब आप पिछली बार सहकारिता मंत्री थे 2001 में, यह राजस्थान सहकारी सोसायटी विधेयक आपके समय में ही पास हुआ था। आपने ही इस हाउस में इसको पॉयलेट किया और सहमति के आधार पर किया। लेकिन आपने देखा होगा कि बैद्यनाथन कमेटी के आधार पर आप फिर इसमें परिवर्तन करने जा रहे हैं। मैं यह सोचता हूँ कि राजस्थान सहकारी सोसायटी संशोधन विधेयक 2010 में जो आपने उद्देश्य दिये हैं, भारत सरकार ने प्रोफेसर ए.के. बैद्यनाथन की अध्यक्षता में गठित समिति की सिफारिशों के आधार पर राज्यों के समक्ष उनकी लघु अवधि सहकारी साख संरचना के पुन:प्रवर्तन के लिए एक वित्तीय पैकेज का प्रस्ताव रखा था। इस पैकेज में राज्यों की लघु अवधि सहकारी साख संरचना को वित्तीय सहायता के लिए व्यवस्था थी जो भारत सरकार और साथ ही साथ राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध करायी जानी थी। यह इसका आधार था। राजस्थान सरकार ने पैकेज स्वीकार करते हुए जो बैद्यनाथन ने पैकेज दिया उस पैकेज को आपने स्वीकार किया 14.11.2006 को और भारत सरकार और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के साथ एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गये जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ पैकेज के भाग के रूप में राज्य की लघु अवधि साख संरचना में क्रियान्वित किये जाने वाले विधिक सुधारों को समाविष्ट करते हुए सहायता के लिए निबंधनों और शर्तों का उपबंध किया गया था।

jyg/usc/1.4.10/17.10/3f

आगे लिखा है दिनांक 14.11.06, जिस दिन आपका समझौता हुआ था, त्रिपक्षीय हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के खण्ड 9 के अंतर्गत राज्य सरकार ने यह अपेक्षित था कि राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2001 को संशोधित किया जाए और उसी के तहत आप यहां यह संशोधन लेकर आए हैं।

अब आप इसको देखिए, आप लोगों ने कानून बनाया, संशोधन की तरह भी नहीं है, यह तो पूरा का पूरा कानून ही बन गया। अब आप चलिए 2002 के राजस्थान अधिनियम संख्या 16 की धारा 2 में संशोधन हुआ एक, फिर उससे आगे चलिए आप 2002 के राजस्थान अधिनियम संख्या 16 की धारा 5 में संशोधन हुआ, फिर उससे आगे चलिए, पूरा का पूरा एक तरह से परिवर्तन हो गया। 2002 के राजस्थान अधिनियम संख्या 16 की धारा 15 में संशोधन हुआ, फिर उसके बाद 2002 के राजस्थान अधिनियम संख्या 16 की धारा 27 में

संशोधन हुआ, फिर उसके बाद 2002 के राजस्थान अधिनियम संख्या 16 की नई धारा 27-क के अंतर्गत अंत:स्थापित किया गया, फिर आगे चलिए, 2002 के राजस्थान अधिनियम संख्या 16 की धारा 28 में संशोधन हुआ, मूल अधिनियम की धारा 28 में फिर संशोधन, फिर उसके बाद 2002 के राजस्थान अधिनियम संख्या 16 की धारा 29 में संशोधन हुआ, उसके बाद 2002 के राजस्थान अधिनियम संख्या 16 की धारा 30 में संशोधन हुआ, फिर आपने इसमें 30-क जोड़ा, फिर उसके बाद 30-ख नया जोड़ा। मतलब एक तरह से से आपका पूरा का पूरा ही 2001 में आपने जो कानून यहां पर पास करवाया यह सारा का सारा यहां बदलना पडा। उसके बाद आपने किया 2002 के राजस्थान अधिनियम संख्या 16 की धारा 44 में फिर संशोधन हुआ, फिर 47 क में संशोधन फिर उसके बाद 48 में संशोधन, फिर उसके बाद 49 में संशोधन उसके बाद 50 में संशोधन तो, यह संशोधन क्या यह तो एक तरह से पूरा का पूरा नया ही ढांचा आपको वैद्यनाथन कमेटी सिफारिशों पर लाना पडा।

मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं कि जहां-जहां सहकारिता सफल हुई वहां-वहां किसान को वास्तव में बहुत राहत मिली और जीवन में आगे बढ़ने में बहुत सहारा मिला लेकिन अपने राजस्थान का देखें तो जितनी भी अपनी हाउसिंग सोसायटीज बनती है जो अपने यहां बैन कर दी 1999 के बाद लेकिन आपको पता है, आपके डिपार्टमेंट को पता है, कि हाउसिंग सोसायटीज आज भी वर्क कर रही है, उनका समय पट्टे देने का बैन किया उससे पहले का डाल करके आज भी प्लाट कट रहे हैं और आपकी हाउसिंग सोयटीज के आधार पर कितने लोगों के साथ चीटिंग हुई होगी इसकी कोई सीमा ही नहीं, संख्या ही नहीं जितनी चाहो, मैं समझता हूं कि उन सबके खिलाफ कार्यवाही करने के बाद भी, इसी तरह से आपने देखा होगा कि क्रय विक्रय सोसायटीज है जो खाद बीज दवाइयां बांटती है, इनके बारे में हर बार विधान सभा में सवाल उठते हैं कि इनमें गुणवत्ता की दृष्टि से जो चीज मिलनी चाहिए वह नहीं मिलती उसके ऊपर अपन कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं कर सकते।

यह जो सहकारी बैंक है, नाबार्ड की भी यह इच्छा है कि किसान को कम से कम सस्ता लोन मिले और सस्ते लोन के लिए आपने देखा होगा कि दस प्रतिशत से घटते-घटते सात प्रतिशत का रहा है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि किसान को वास्तव में मदद करना चाहते हैं तो किसान को, सब प्रकार से चारों तरफ से घिर जाता है, मौसम से भी है, उसकी चारों तरफ से परेशानियां हैं, फसल पैदा हो, न हो, होने के बाद खराब हो जाए, यह उसके जीवन के साथ खिलवाड़ है। मैं इस सदन में इस बिल के माध्यम से यह मांग करता हूं कि अब जो किसान को उसकी खेती के लिए, वह कोई ट्रेक्टर खरीद रहा है, और कोई चीज खरीद रहा है, उस पर आप बढ़ा दो, उसके ऊपर ब्याज रख लो लेकिन सामान्यत: जो खाद बीज खरीदता है, उस पर तो कम से कम चार प्रतिशत लेकर भी उस किसान को मदद करने की कोशिश करो ताकि वह थोड़ा-बहुत भी अपने पैरों पर खड़ा हो सके।

यह केवल हम ही नहीं कर रहे हैं अब हिन्दुस्तान के कई राज्यों ने किसानों को कर्जा चार प्रतिशत पर देने का शुरू किया है। अब आप देखिए, अपने भूमि विकास बैंक के क्या

हालत हैं, कितने भूमि विकास बैंक राजस्थान में नफे में है? कितनों की स्थिति दयनीय है, जर्जर हो गई, जो किसान को वास्तव में मदद करता है और वैद्यनाथन कमेटी का जो अप्रोच था वह यही था किस तरह से किसान को हम शोर्ट टर्म लोन में मदद करके उसे अपने पैरों पर खड़ा कर सके लेकिन आपने देखा होगा कि राजस्थान में जितने भूमि विकास बैंक हैं, आज की तारीख में जब आप जवाब दें तो बता देना कि कितने तो हैं जो प्रोफिट में है और कितने आज दिवालिया हो चुके हैं।

इसी तरह से आपने देखा होगा कि जितने भी सहकारी बैंक आपके लोन देते हैं, लोन देने में आर बी आई का आपके रेस्ट्रिक्शन है कि उसके अगेंस्ट में मूल पूंजी इस बैक में कितनी रखें लेकिन आपके कितने बैंकों की तरलता का जो होता है रिजर्व फण्ड होता है एक तरह से काम करने का कि किस तरह लोन देंगे इतना कम से कम हमारे पास पैसा रहेगा, कितने बैंक इसकी पालना करते हैं और कितने बैंक इसकी पालना नहीं करने के कारण से उनको कई बार घाटा होता है और कई इसके कारण से दिवालिया हो गए कितना अमाउण्ट रख कर बाकी का लोन देना था, जो उनकी डिपोजिट पूंजी थी, जिसको रखकर उनको व्यापार करना था, वह पैसा भी निकाल कर लोन में ठोक दिया और दिवालिया हो गए।

राजस्थान में कितने सहकारी बैंक है जो इस तरह से लोन देकर, अब सबसे बड़ा कारण है सहकारी बैंक और यह सब सफल क्यों नहीं होते हैं, मुझे इसका एक जो कारण समझ में आया कि जितने भी आपके सहकारी चुनाव होते हैं, उसमें आपने चुनाव लड़ने वाले को तो बाध्य कर रखा है कि वह तीन साल तो कम से कम उससे व्यवसाय करता हो, लेन-देन करता हो किसी न किसी प्रकार से उसमें लगा हो, वही व्यक्ति चुनाव लड़ सकेगा, यहां तक तो ठीक है लेकिन आपका वोटर क्या है? इस वोटर के लिए क्यों नहीं कर सकते कि जो व्यवसाय नहीं करे वह आपका वोटर नहीं रहे, यह जो कलाकार लोग हैं वह इस पर कब्जा करके बैठे रहना चाहते हैं, यह जेब से पैसा लगाकर सदस्य बनाते हैं, और सदस्य बनाकर वापस कुण्डली मारकर उसी जगह बैठ जाते हैं, क्या इतना सा परिवर्तन करने में हमें दिक्कत है क्या? मैं सोचता हूं कि जब चुनाव लड़ने वालों के बारे में अपने ने राइडर तय कर दिया कि यही लोग चुनाव लड सकेंगे जो तीन साल से व्यापार कर रहे हों, या लेन देन में उन्होंने समय समय पर खाद बीज लिया उसका पैसा भी जमा कराया होगा, आपके साथ किसी प्रकार का बैंक में लेन देन चलता है, वही व्यक्ति एलीजिबल होगा। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप अगर इस कोआपरेटिव सिस्टम को सुधारना चाहते हो, तो यह जो बाहर के लोग आकर जबर्दस्ती सदस्य बनकर वोट देने वाली ताकत बनकर चाहे जिसको बना देते हैं और चाहे जिसको हटा देते हैं, इसके कारण से सही चुनाव नहीं हो पा रहे मैं चाहूंगा कि इसमें आप अमेंडमेंट करें और इससे सदस्य संख्या कम हो जाएगी तो हो जाएगी इसकी कोई चिंता की बात नहीं लेकिन वह व्यक्ति तो हो जो बैंक से लेन देन करता हो, बैंक को जानता कुछ नहीं केवल पैसे जमा कराए और वोट का अधिकार, वोट डालकर सारे के सारे सिस्टम को एकदम से फेल कर देते है।

इसी तरह से आपने देखा होगा कि राजस्थान में सहकारी बैंकों में कितने मामले भ्रष्टाचार के सामने आए, पिछली बार भी आप इसके मंत्री थे, जब कभी भी हम इसके बारे में बात करते थे, मतलब लोगों ने भष्टाचार उजागर किया लेकिन वह वहीं का वहीं दफन हो गया, आज दिन तक उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं, कोई उसकी मोनिटरिंग नहीं करता है कि आखिर हमारे बैंक में जो भ्रष्टाचार हुआ, जो केसेज हमने आइडेंटीफाई किया, जिनके खिलाफ हमने कार्यवाही शुरू की वह कार्यवाही आखिर कहां जाकर दफन हो गई? आगे क्यों नहीं बढ़ पाई, हमें इसके बारे में विचार करना चाहिए। मेरी आपसे यही है कि आपने 2001 में एक्ट बनाया था वह एकदम इस वैद्यनाथन कमेटी के आधार पर और आपने शोर्ट टर्म लोन को लेकर सारी की सारी धाराओं में संशोधन किया है, मैं सोचता हूं कि इसकी थोडी डिटेल समझाए, मैं सोचता हूं कि जब इतना ही संशोधन करना था, धाराएं ही धाराएं बदलना था तो नया एक्ट लाकर के कम से कम बनाते तो मेरी मन की कुछ भावनाएं थी उनको भी डालकर करते तो कम से कम उस गरीब किसान के लिए तो वरदान है यह सहकारी सोसायटी, अगर ठीक ढंग से काम करे और ठीक ढंग से करे तो निश्चित रूप से इसे देखकर जब आप जवाब दें तो मेरे इन सवालों को भी साथ मिलाकर दें, मैं इतना चाहता हूं कि इस पर विस्तृत चर्चा हो और इसी प्रकार से लोगों का फीड बैक आए इसके लिए इसको जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाए।

श्री सभापतिः श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): वैद्यनाथन समिति देश में उस समय बनी थी जब पूरे देश की सहकारी संस्थाएं जर्जर हालत में थी और सहकारी आंदोलन दम तोड़ रहा था, सब एक के लिए और एक सबके लिए के आधार पर महाराष्ट्र को छोड़कर करीब-करीब देश के हर हिस्से में सहकारी समितियां बंद होती जा रही थी और सहकारी क्षेत्रों के बैंकों को वित्तीय दृष्टि से सुदृढ़ करने के लिए वैद्यनाथन समिति की सिफारिशों को 14.11.2006 को राजस्थान की सरकार ने माना और उसी के अनुसार 241 करोड़ रुपए केन्द्र से प्राप्त हुए और आवश्यक संशोधन हुए नहीं, आप अलग-अलग संशोधन लेकर आए हैं और मैं समझता हूं कि इसमें काफी ऐसे हैं जो मात्र औपचारिकता के लिए है और इनके सारे संशोधन होने के बाद लगभग आपको 500 करोड़ के लगभग राशि मिलेगी।

मोहन/चौहान/01042010/1720/3g

मैं निवेदन यह करना चाहता हूं कि निश्चित तौर पर वैद्यनाथन समिति ने एक तरह से दम तोड़ी सहकारी समितियों को पुनर्जन्म तो दिया है परन्तु इसके साथ साथ हमें आपको इस बात को भी समझना चाहिए कि आज राजस्थान के अन्दर सहकार आंदोलन, जिस आंदोलन के रूप में चलना चाहिए था, उस आंदोलन के रूप में क्यों नहीं चल पाया। यह सही है कि चाहे ग्रामीण सहकारी समितियां हों, और चाहे क्रय विक्रय सहकारी समिति हो, इन समितियों में चुनाव करके शीर्ष पदों पर पहुंचने के लिए जिस तरह जो इस चीज के जानकार

लोग हैं, बैंक के अन्दर, इनका पूरा का पूरा बैंक चलता है, निश्चित तौर पर इसमें आप एक संशोधन लेकर आएं कि बैंक शब्द का इस्तेमाल आप नहीं करेंगे। कुछ परिभाषाओं के बारे में भी आप लेकर आएं हैं, मैं उनका तो स्वागत करता हूं पर निवेदन करना चाहूंगा कि मात्र वैद्यनाथन कमेटी की सिफारिश से पैसा हमारे पास आ जाए, इससे राजस्थान का सहकार आंदोलन मजबूत नहीं होगा। एक आमूलचूल परिवर्तन की बहुत बड़ी आवश्यकता है और जिन चीजों पर उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने ध्यान आकर्षित किया है कि आज सहकार और सहकारी समितियां, ग्रामीण सहकारी समिति से लेकर और शीर्ष बैंकों तक जिस तरह आपाधापी का वातावरण बना है और जिस तरह आज भ्रष्टाचार इनमें पनपने लगा है, मंत्री महोदय, आप सक्षम हो, इसमें अंकुश लगाने की बहुत बड़ी आवश्यकता है और आप यह जो धारा 15 के अन्दर जो संशोधन लेकर आए हैं, निश्चित तौर पर इसमें उन्हीं लोगों को जो सोसाइटी के सदस्य हों, उनको आप अधिकार दे रहे हैं पर आपको मालूम है कि किस तरह का वातावरण रहता है। सोसाइटी के सदस्य बनने के लिए लोग मारे मारे फिरते हैं पर सदस्य लोग बनाते नहीं हैं, इसमें और पारदर्शिता किसी प्रकार से आ सकती है और निश्चित तौर पर इसपर आपको सोचना चाहिए।

धारा 27 के अन्दर जो आप नई धारा लेकर आए हैं, धारा 27 क, संबंधित बैंकों के मुख्य कार्यपालक अधिकारी की योग्यता के मानदंड रिजर्व बैंक द्वारा नीयत किये जाएंगे, मैं समझता हूं, यह निश्चित तौर पर एक स्वायत्तता की ओर बढ़ने वाला कदम तो है ही, पर इनको जब हटाने की कोई बात होगी, निश्चित अहर्ताओं के बिना अगर कोई नियुक्त हो गया तो उसको रिजर्व बैंकों की, राष्ट्रीय बैंको की सलाह से हटाओगे। मैं समझता हूं यह उचित नहीं क्योंकि इसको आप यह तो कह सकते हो कि इनकी नियुक्ति के अन्दर हम रिजर्व बैंक और राष्ट्रीय बैंकों के जो निर्धारित मापदंड हैं, उनको तो लेकर आप नियुक्ति कर सकते हैं पर इनको हटाने की प्रक्रिया में भी शामिल करना ठीक नहीं है इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप अब लम्बी चौड़ी कोई बात है नहीं, आप सब लोग जाना भी चाहते हैं, सभापति महोदय, इसलिए मेरा प्रस्ताव है कि इसको जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाए और मूलभूत भावना जो सहकार आंदोलन की है, उस मूलभूत भावना को हम किस तरह राजस्थान में मजबूत करें, इसके बारे में निश्चित तौर पर दल चाहे प्रतिपक्ष का हो, चाहे सत्ता दल का हो, सब को मिलकर कोई न कोई कार्यक्रम बनाना चाहिए वरना क्या कारण है आज गुजरात के अन्दर बात चलती है, महाराष्ट्र के अन्दर बात चलती है, सहकार और सहकारिता के माध्यम से वहां के किसान को कितना फायदा मिलता है और हमारे सहकार और सहकारिता की बात चाहे हम कर लें, सब इन कागजों तक सीमित रहती है और मंत्री महोदय, आपने वादा किया था हर ग्राम पंचायत पर ग्राम सहकारी समिति के गठन का, आप उन वादों पर भी देखें। और मैं अन्त में यह निवेदन करना चाहूंगा कि बहुत बड़ी बात चली थी कि केन्द्र सरकार ने देश में काश्तकारों को ऋण माफी योजना और राजस्थान में भी 7 फीसदी किसानों को इसका फायदा मिला पर मैं यह जानना चाहता हूं, आपने किसान के

खाते में तो अपलेखन कर दिया, किसान के खाते में तो उसका जो ऋण माफी पैसा था, आ गया, क्या आपको नाबार्ड से और भारत सरकार से जो पैसा आना चाहिए, वह पैसा आपको मिला? आपको वह पैसा, सभापति महोदय, 40-42 फीसदी मिला है और उसी का परिणाम है कि वैद्यनाथन समिति जहां एक ओर इन सारी संस्थाओं को वित्तीय सुदृढ़ता देना चाहती है, वहां दूसरी ओर भारत सरकार की ऋण माफी योजना जिसकी बहुत बड़ी वाहवाही हुई, ऋण माफ किया हमने इतने हजार करोड़ और पाँच वर्षों में उसको किया, आज वह पैसा नहीं आने के कारण वास्तविकता यह है, मंत्री महोदय, कि गांवों में सहकारी समितियां न तो अल्पकालीन ऋण बांट सकती हैं, न दीर्घकालीन ऋण बांट सकती हैं, न बीज और खाद के लिए ऋण बांट सकती है, इसके लिए बहुत बड़ी आवश्यकता है कि राजस्थान की सरकार कुछ न कुछ अपने स्वयं के संसाधनों से एक पैकेज दे ताकि ये जो सारी समितियां हैं ये अपने पैरों पर खड़ी हो सकें। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री घनश्याम जी तिवाड़ी।

श्री परसादी लाल जी मीणा।

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): माननीय सभापति महोदय, अभी जो आपके विचारार्थ बिल सदन में आय है, भारत सरकार नाबार्ड और राजस्थान सरकार बीच में 14 नवम्बर, 2006 को वैद्यनाथन कमेटी का पैकेज जो पूरे हिन्दुस्तान की स्टेट को दिया जान था भारत सरकार ने,संस्थाएं कमजोर हो गई थी, उनका आर्थिक सुदृढ़ीकरण, उनको किस तरह और प्रभावी बनाया जाए, इसके लिए एक पैकेज सर्वे करके पूरे हिन्दुस्तान में और सारी राज्य सरकारों को कहा गया था कि हम आप इन शर्तों पर अगर स्टेट अपने अधिनियम में, अपने एक्ट में अगर इस तरह संशोधन कर दे, जो उन्होंने सुझाव दिये, उसके अनुसार अमेंडमेंट करेंगे तो हम आपको यह सब स्टेट को अलग अलग एक तरह से ऑफर दिया, स्टेट से बात की, हमारी भी स्टेट ने एक एमओयू किया, 14 नवम्बर, 2006 को भारत सरकार नाबार्ड और राज्य सरकार का एमओयू होने के बाद उसके यहां पर माननीय मुख्य मंत्री जी का भी उस एमओयू को अनुमोदन किया, उसके बाद उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अगर अंडरटेकिंग दे तो हम 25 परसेंट पैसा एमओयू में कुल राशि 433.57 करोड़ भारत सरकार को देनी थी, राज्य सरकार को जो उसमें हिस्सा था वह 18.4 करोड़ देना था। इस तरह कुल 451 करोड़ का यह पैकेज था, बाकी 73 करोड़ का जो हानि थी बैंकों में, संस्थाओं में, वह सहकारी संस्थाओं को वहन करनी थी। पैकेज का पिछली सरकार के समय भी काफी कोशिश की गई, कई बार बातचीत की गई पर जो उनकी एमओयू की शर्तें थी, चुना हुआ संचालक मण्डल हो, ये सब चीजें थी, अमेंडमेंट हमारे एक्ट में हो, अंडरटेकिंग देंगे, देगी सरकार तो हम 25 परसेंट राशि देंगे। अंडरटेकिंग भी दे दिया गया, उसके बाद भी फिर हमारे स्टेट की फाइनेंस मिनिस्ट्री ने उसको टर्न डाउन कर दिया, फिर माननीय मुख्य मंत्री जी के हस्तक्षेप से दुबारा यह पैकेज हुआ। 2008 में आपकी केबिनेट ने जो हम उसमें संशोधन लेकर आए, हमारी तरफ से कुछ भी नहीं है, जो हमने एमओयू में साइन किया था, वही करते हम इनमें पैकेज

लेने के लिए, वही चीजें हमने इसमें डाली, एक भी चीज को हमने इधर से उधर नहीं किया। आपने कहा 2001 में हमने एक्ट बनाय था, सलेक्ट कमेटी और हाउस की सर्वसम्मति से वह बिल बना, पास हुआ था। उसके बाद यह वैद्यनाथन पैकेज के कारण हमको यह संशोधन लेकर आना पडा। बहुत बड़ा अमाउंट था, बहुत अच्छी शर्ते हैं, जैसा कि आपने विभिन्न धाराओं में ये संशोधित इतने सारे कर दिये, इसमें माननीय सदस्य, नाबार्ड की जो शर्तें थी कि अब सीओ भी सरकार का बहुत हस्तक्षेप होता है, राजनीतिक आधार पर सीओ वगैरह लगाये जाते हैं बैंकों में, उन चीजो को कैसे नाबार्ड जो पैकेज इतना सारा दे रहे हैं, बहुत सारा पहले राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण घाटा हो चुका, संस्थाएं घाटे में थी, ऋण नहीं दे सकती थी, इतना बढ़िया पैकेज भारत सरकार हमको दे रही थी तो उनकी कुछ शर्ते थी। उन शर्तों के अनुसार ही हमने यह संशोधन जो आपके समय जो केबिनेट ने पास किया था, वह 2008 में आपकी केबिनेट ने पास किया, चुनाव आने के कारण उसको लागू नहीं कर सके, पैसा नहीं मिल सका। अभी 2009 में इसकी 3 साल की अवधि थी एमओयू की, 14 नवम्बर को समाप्त होने जा रहा था। अगर हम यह आर्डिनेंस नहीं लाते, मंत्रिमण्डल के सामने वापस लेकर नहीं जाते, माननीय मुख्य मंत्री जी के ध्यान में जब हम यह बात लाये, उन्होंने तुरत फुरत में एक केबिनेट की सब-कमेटी बनाई, धारीवाल जी की चेयरमेनशिप में, बुरड़क साहब भी उसमें थे, हमने उसको तुरत फुरत में रिपोर्ट देकर इसका हमने एक आर्डिनेंस जारी करके और हमें खुशी यह है कि हमको बहुत बड़ा पैकेज 75 परसेंट पैसा हमको अब तक मिल चुका है और हम ज्यों ही यह बिल पास करेगे, जितना भी पैसा बाकी है, वह सारा का सारा पैसा भारत सरकार हमको दे देगी। इसका यही उद्देश्य था, जो आशंकाएं आपने व्यक्त की कि आपको सब पता है, आपकी केबिनेट में पास हुआ है इसलिए ऐसी कोई इसमें बात नहीं है, इसमें जो भी अभी आपने कहा कटारिया जी ने जो सक्रिय नहीं हो उसको वोट देने का अधिकार नहीं हो। यह बायलॉज में है, हम आपके सुझाव को लागू कर देंगे, ठीक बात है जो संस्थाओं में केवल वोट लेने के लिए, वोट देने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए, जो तीन साल का व्यवसाय नहीं करे, संस्था से लेनदेन नहीं करे, उनको भी हम इस उप नियम में हमारे संशोधन कर देंगे। आपने कहा कि 4 प्रतिशत तक इसका इंटरेस्ट रेट होना चाहिए।

सुरेन्द्र/अरुण/01.04.2010/17.30/3h

जो रेगुलर सदस्य जो टाइम पर चुकारा करते हैं उनको भारत सरकार ने दो प्रतिशत की छूट दी है। चार प्रतिशत में हमको मिलता है, सीसीबी है, हमारी जीएसएस है, हमारे अपेक्स बैंक हैं, हम सात प्रतिशत पर इसको लोनिंग करते हैं। हमें खुशी है कि आपकी सरकार के समय भी जो 11 प्रतिशत से 7 प्रतिशत आया उसका दो प्रतिशत भारत सरकार देगी और दो प्रतिशत स्टेट गवर्नमेंट हमारी संस्थाओं को देगी। तीन साल में हमको पैसा नहीं दिया इसके कारण से करीब 100 करोड़ रुपये का हमारी सहकारी संस्थाओं को घाटा हुआ। इस वर्ष माननीय मुख्य मंत्री जी ने हमको और इस लोन को कैसे ज्यादा बढ़ाया जाए और ज्यादा से

ज्यादा किसानों को जिनके क्रेडिट बने हुए हैं उनको हम कैसे सबको इनके साथ दें तो उसके लिए 30 करोड़ रुपये अभी हमारी बैंकों को अनुदान के रूप में माननीय मुख्य मंत्री जी ने अभी बजट में दिये हैं। हम उससे हम 6 करोड़ तक का लोन किसानों को जो हमारे 29 लाख क्रेडिट कार्ड हैं, हम उन सबको लोन की व्यवस्था कर सकेंगे। इसलिए हम ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे कि आपकी भावना में भ्रष्टाचार के मामले भी हैं, बहुत पुराने मामले हैं, इतने सारे मामले आते हैं, इलेक्टेड बोर्ड हैं, बोर्ड के, सरकार के सामने कोई फाइलें नहीं आतीं फिर भी जानकारी में आता है। ऑडिट होती है, हमारे रजिस्ट्रार ऑडिट करते हैं, उन पर कार्यवाही करते हैं और एक लम्बी प्रक्रिया में ऐसे मामले उलझ जाते हैं। बहुत सारे मामले इस सरकार के पास आकर भी पैण्डिंग हो जाते हैं। जब अभी दुबारा मुझको जब यह विभाग मिला तो बहुत सारी फाइलें थीं, कम से कम 500 फाइलें हमारे पास पैण्डिंग थीं। ऐसे मामले जो कि केवल स्टे ले ले कि मेरे से वसूली नहीं की जाए, मेरे से यह रिकवरी नहीं हो, मेरी कुर्की नहीं हो, हमने उन सबके स्टे निरस्त कर दिये। हम यहां से किसी भी सरकार के लेवल से कोई भी जिसके रिकवरी बाकी है, भ्रष्टाचार का मामला है, एक भी किसी कार्यवाही में मेरे आने के बाद कम से कम मैंने एक भी केस में कोई स्टे नहीं दिया है। हमने कहा कि इन भ्रष्टाचारियों से जो गड़बड़ी करने वाले लोग हैं इनसे सख्ती से वसूली करें। इसलिए हमारी कोशिश रहती है कि इस विभाग को किस तरह जैसा कि भारत सरकार की भावना थी, वैद्यनाथन् कमेटी के पैकेज की भावना थी, यह 435 करोड़ का जो पैकेज मिला है इसका सदुपयोग हो, किसानों को सहायता मिले, संस्थाएं मजबूत हों। तो हमारी भावना कटारिया जी की भावना के साथ है। भूमि विकास बैंकों की बात है, दूसरे बैंकों की बात है, हमने गत वर्ष मैंने डिमांड के समय कहा था कि हम सारी सहकारी संस्थाओं के चुनाव करा देंगे। एक भी संस्था ऐसी नहीं है अपेक्स बॉडी को छोड़कर के हमने सारे चुनाव करा दिये। इस चुनाव की इलेक्शन अथॉरिटी एक तरह से अब रेगुलर प्रोसेस है। जैसे 2006 में इलेक्शन हुए, 2011 में जीएसएस के इलेक्शन वापस हो जायेंगे। अभी अमरा राम जी कह रहे थे कि अपेक्स के चुनाव नहीं हुए, अपेक्स के चुनाव भी करायेंगे पर उसमें हमारे सामने एक समस्या आ गई कि एससी, एसटी, ओबीसी और महिलाओं का अपेक्स बॉडी में रिजर्वेशन बाईलॉज में नहीं है। अब हमने बाईलॉज में अमेंडमेंट करने की कार्यवाही शुरू कर दी उसके लिए हमको तीन महीने का समय चाहिए। हमें एक महीना उसको नोटिस दिये हुए हो गया, बाईलॉज में ज्यों ही अमेंडमेंट होगा तो हम चुनाव के इस कार्य को भी करा देंगे। हम चाहते हैं कि सहकारी संस्थाएं राजस्थान में अच्छा काम करें। राठौड साहब ने कहा जैसे हर ग्राम पंचायत स्तर पर जीएसएस होना चाहिए। आपके समय भी आपने हर ग्राम पंचायत पर जीएसएस खोलने का आपकी कैबिनेट का फैसला था। पर उसमें अड़चन यह आ रही थी कि उसमें शेयरमनी 15 लाख थी। हमारी कैबिनेट का चिंतन शिविर हुआ उसमें माननीय मुख्य मंत्री जी उस शेयरमनी को घटाकर 7 लाख कर दिये। हम चाहते हैं कि अगर 7 लाख भी कोई जीएसएस, कोई 500 सदस्य मिलकर नहीं दे सके तो फिर वो सोसाइटी चलना असंभव हो जाएगी।

इसलिए इस चीज को हमने शामिल करते हुए मैं आप सबसे अमेंडमेंट किया, सब आपको जानकारी है इसलिए अमेंडमेंट जो भी किये, बैंको की प्रशासनिक व्यवस्था को, संचालक मण्डल के मामले में अभी कहा कि आरबीआई से निर्योक्ता सम्बन्धी कोई फाइनेंस की गड़बड़ी होती है, कोई शिकायत होती है तो आरबीआई के निर्देश पर उस संचालक मण्डल को हटाया जा सकता है। इसलिए किया कि इससे भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी। जो निर्वाचित जन-प्रतिनिधि हैं उनको भय रहेगा कि अगर हमने इसमें कोई वित्तीय अनियमितता की तो आरबीआई हमको रिकमंड कर सकता है, वहां पर उसको हटाने की कार्यवाही आरबीआई की सिफारिश पर सरकार ही करेगी। दूसरी जो बात थी कि आरबीआई ने जो निर्देश दिया उसके जो भी डायरेक्शन हैं, हमारे सारे बैंको को बैंकिंग लाइसेंस लेना जरूरी है। अब तक हमारे किसी भी बैंक के पास बैंकिंग लाइसेंस नहीं था, हमारी 15-16 बैंकों ने बैंकिंग लाइसेंस ले लिया। हम चाहते हैं कि जो कम्पीटिशन में मार्केट में जो दूसरे बैंक आये उनके कम्पीटिशन में हमारे बैंक भी खड़े हों, वैसा बिजनैस वो भी करें इसलिए हम कहते हैं कि पॉलिटिकल हस्तक्षेप कम से कम हो। सरकार के पहले तीन प्रतिनिधि होते थे अब सरकार का एक ही प्रतिनिधि रहेगा। पॉलिटिकल हस्तक्षेप कम हो, सरकारी हस्तक्षेप कम हो, जो निर्वाचित संचालक मण्डल है, आप माननीय सदस्यों को खुशी होगी कि पहले एमडी को तीन लाख तक सैक्शन करने की पावर थी, ब्रांच मैनेजर को 50 हजार की थी और चेयरमैन को पाँच लाख तक की थी, हमने सबके पावर सीज कर दिये और निर्वाचित जो संचालक मण्डल है 11 सदस्यों का चाहे वो भूमि विकास बैंक हो, चाहे सीसीबी हो, संचालक मण्डल के बिना 10 रुपये की फाइल भी बैंकों में अब सैंक्शन नहीं हो सकती। इससे सबकी जानकारी में रहेगा कि फर्जी या बोगस लोनिंग पर रोक लगेगी, भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी और मिलीभगत करके जो लोनिंग होती थी उस पर रोक लगाने की हमने पूरी कार्यवाही की है। इसलिए यह विधेयक जो लाया गया है, वैद्यनाथन् कमेटी का जो पैकेज मिलेगा उससे हम लोन जो किसानों को देना चाहते हैं उसमें और ज्यादा हमको सहायता मिलेगी और इसमें ज्यादा से ज्यादा सहकारिता का सुदृढीकरण होगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इसको पारित किया जाए।

श्री सभापतिः ''प्रश्न यह है कि राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2010 को जनमत जानने हेतु परिचालितकिये जाने का संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाय?''

(अस्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

''प्रश्न यह है कि राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2010 को विचारार्थ लिया जाय ?''

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डश: विचार

खण्ड 2 से 21 – कोई संशोधन नहीं

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 21 स्वीकार किये जायं?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 से 21 स्वीकार किये गये।

खण्ड- 1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि – कोई संशोधन नहीं

प्रश्न यह है कि खण्ड 1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाय?

(स्वीकृत)

खण्ड-1 अधिनियमन, सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

श्री परसादीलाल मीणा, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2010 को पारित किया जाय।

विधेयक का पारण

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2010 को पारित किया जाय।

श्री सभापति: ''प्रश्न यह है कि राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2010 को पारित किया जाय?'' जो पक्ष में हो, हां कहे।

अनेक माननीय सदस्य : हां।

श्री सभापति: जो विपक्ष में हो, ना कहे,

अनेक माननीय सदस्य : ना।

श्री सभापति: हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता,

राजस्थान सहकारी सोसाइटी....

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): ना-ना, ना पक्ष, दुबारा पूछो आप।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2010 को पारित किया जाय?

(स्वीकृत)

राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2010 पारित किया गया।

सदन की बैठक शुक्रवार, दिनांक 02 अप्रेल, 2010 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 17.38 बजे शुक्रवार, दिनांक 02 अप्रैल, 2010 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)